राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 4 . नवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का उन्नीसवां दिवस संख्या 6

मंगलवार,

दिनांक 12 मार्च, 1991

विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाहन 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री हेमराज।

किशनगंज व शाहबाद (कोटा) में शराब की बिक्री

248. **श्री हेमराज (किशनगंज)** : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या किशनगंज व शाहबाद (कोटा) को ड्राई एरिया (नशाबन्दी क्षेत्र) घोषित कर रखा है ?

(2) क्या ड्राई एरिया होने के बाद भी वहां शराब की सरकारी दुकानें चल रही हैं? यदि हां, तो कहाँ-कहाँ, किस-किस स्थान पर दुकानें चल रही हैं ? विस्तृत रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि किशनगंज व शाहबाद में शराब की अवैध दुकानें भी चल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनको बन्द कराने की कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) जी नहीं।

(2) यह क्षेत्र ड्राई एरिया नहीं है किन्तु इस क्षेत्र की पिछड़ी व निर्धन जाति में मदिरा सेवन प्रथा के रूप में होता है। अतः उनको निर्धारित दर पर देशी मदिरा उपलब्ध कराने के लिए सरकारी संस्थान गंगानगर शुगर मिल द्वारा निम्न स्थानों पर नियंत्रित बिक्री मूल्य पर मदिरा बेचने हेतु दुकानें चलवाई जा रही है :-

1. भंवरगढ़, 2. किशनगंज, 3. शाहबाद, 4. केलवाड़, 5. कस्वाथाना, व 6. रामगढ़।

इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में अनुज्ञाधारियों द्वारा केलवाड़ा तथा शाहबाद में भारत निर्मित विदेशी मदिरा की खुदरा दुकानें चलाई जा रही है।

(3) आबकारी जिला कोटा के वृत भंवरगढ़ क्षेत्र में तहसील किशनगंज व शाहबाद क्षेत्र में शराब की अवैध दुकानें नहीं चल रही हैं।

श्री हेमराज : अध्यक्ष महोदय, 1977-78 में किशनगंज शाहबाद को ड्राई एरिया घोषित किया था। मैं माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि इसको ड्राई एरिया से कब निकाला गया? पहला सवाल।

दूसरा, अधिकृत रूप से किशनगंज-शाहबाद में केवल 6 दुकानें चल रही हैं परन्तु मेरी जानकारी के अनुसार वहां पर 55 दुकानें चल रही हैं जो अवैध हैं, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है और अपने खुद के मकान में चल रही हैं, उसमें से एक जलवाड़ा में, एक नारगढ़ में, किशनगंज में है। जलवाड़ा में धनसिंह चलाते हैं, नारगढ़ में मुरली भार्गव चलाते हैं, किशनगंज में मोहन सिंह चलाते हैं, छिनोद में रामनाथ माली चलाते हैं, रामपुरिया में जगमोहन सिंह और अजीत सिंह, दो दुकानें हैं, थूमनी में बृजराज सिंह। इसी तरह से सकरावादा और बकरावदा में भी दो-दो दुकानें चल रही हैं।

श्री अध्यक्ष : आप इन्फार्मेशन दे रहे हैं या ले रहे हैं?

श्री हेमराज : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया, यह कह रही है कि कोई अवैध दुकानें नहीं चल रही हैं और मैं कह रहा हूं कि 55 दुकानें चल रही है। एक्साइज विभाग के जो अधिकारी व पुलिस की मिलीभगत से चल रही हैं। एक्साइज विभाग के जिला अधिकारी हर दुकान से कमीशन ले रहे हैं बराबर। एक्साइज विभाग रेड लगाने जाता है परन्तु इन दुकानदारों के घरों में कोई रेड नहीं लगाई जाती है। गरीब शहरियों के परिवारों में, उनके घरों में जाकर रेड लगाई जाती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि पहले यह ड्राई एरिया था और इसको ड्राई एरिया से कब निकाला गया, जब से शराबबन्दी खुली तब से ही यह सारा क्षेत्र ड्राई एरिया से हट गया। अब ड्राई एरिया नहीं है।

आपने यह बताया है कि किशनगंज-शाहबाद में 55 दुकानें अवैध रूप से चल रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे विभाग ने जानकारी दी है कि अवैध रूप से कोई दुकान नहीं चल रही है। अगर माननीय सदस्य उसकी कोई ऐसी ऑथेन्टिक जानकारी दे सकते हैं .. (व्यवधान)

श्री हेमराज : अध्यक्ष महोदय, मैंने नामजद जानकारी दी है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए तो सही।

श्री हेमराज : अध्यक्ष महोदय, सारी अवैध दुकानें, जिला आबकारी अधिकारी ने चला रखी हैं। उसको कमीशन मिलता है .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। मैं आपको बुला रहा हूं। आपने जो नाम बताए हैं, लिखकर दे दीजिए। जांच करवा ली जाएगी।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले पूरा जवाब सुन लें तो शायद प्रश्न करने में सहूलियत रहेगी। मैं यह कह रही थी कि किसके मकान में हैं। विभाग ने मुझे यह जानकारी दी है

(श्रीमती विद्या पाठक)

कि इसके अतिरिक्त कोई दुकान....... (व्यवधान)

श्री हेमराज : आबकारी अधिकारी हैं कोटा के, वह कमीशन खाते हैं। कमीशन खा-खा कर दुकान को चला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें। आप सुन लीजिए फिर आपको जो कहना है, अभी खत्म थोड़े ही हो रहा है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर एक बार निवेदन करना चाहती हूं मेरी पूरी बात सुन लें। मुझे विभाग ने यह जानकारी दी है कि इन 6 दुकानों के अलावा कोई भी दुकान अवैध रूप से नहीं चल रही है और यह जानकारी दस्तखत करके दी है। इसके अतिरिक्त किस के मकान में चल रही है और कौन चला रहा है वह माननीय सदस्य मुझे लिखित में दे दें तो मैं विश्वास दिलाना चाहती हूं सदन को कि जिस अधिकारी ने गलत सूचना दी है उसको सस्पैण्ड कर दिया जाएगा।

श्री हेमराज : अध्यक्ष महोदय, पिछली विधान सभा क्षेत्र में भी लिखित में ही सवाल उठाया है, उसके बाद भी उन दुकान वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही विभाग ने नहीं की है।

श्री अध्यक्ष : आप लिखकर दे दीजिए। श्री झामनानी (व्यवधान)

श्री हरीश झामनानी (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से यह जानकारी लेना चाहता हूं कि अजमेर जिले के पुष्कर क्षेत्र को भी क्या ड्राई एरिया घोषित किया हुआ है और यदि हां तो घोषित होने के बाद भी अवैध शराब की दुकानें चल रही हैं।

श्री अध्यक्ष : इससे प्रश्न सम्बन्धित नहीं है।

श्री हरीश झामनानी : यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है। ड्राई एरिया होने के बाद भी ....

श्री अध्यक्ष : श्री नन्द किशोर।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : मेरा निवेदन है कि छबड़ा में भी छबड़ा के पास ही रेलवे पट्टी के पास रोज ही हजारों रुपए की शराब बेचते हैं अवैध रूप से। उसके विरुद्ध भी यदि कार्यवाही की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत एक बात मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं। यह शाहबाद का सवाल नहीं है, सभी जिलों में इस तरह की अवैधानिक दुकानें चल रही हैं। क्या मंत्री महोदया उनकी जांच करवाकर जो जिला आबकारी अधिकारी की मिली भगत से हो रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगी? हमारे सीकर जिले में भी नीमकाथाना के पास कांवट और पाटण-तीन-दुकानें हैं। मैंने नियम 295 का एक प्रस्ताव रखा है। करोड़ों रुपये का गबन

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

हो रहा है साल की साल और वो दुकानें चल रही हैं। तीनों के मैंने नाम दिए हैं, उसके विरुद्ध कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर समूह के अन्दर 55 दुकानें है। 55 की जगह मैं आपको 500 की सूची 5–10 दिन में पेश कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री महोदया से यह जानकारी चाहूंगा कि यह समस्या पूरे राजस्थान की हैं। तो क्या सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी जिस समूह के पास जितनी दुकानें हैं, अगर उन दुकानों का विज्ञापन के जरिए या किसी सूचना माध्यम के जरिए यह प्रकाशित कर दिया जाय कि आपकी आथोराइज्ड दुकानें इतनी हैं। इनके अतिरिक्त दुकानें अलग चलेगी, वह स्वयं आपकी जानकारी में आ जाएगी। जनता आपके पास शिकायत भेजेगी तो सरकार क्या इस बात का विचार रखती हैं, इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रही हैं? जिस समूह के पास नीति के अनुसार या नियम के अनुसार जितनी दुकानें हैं उन दुकानों की घोषणा कर दी जाए प्रचार माध्यम के जरिए से। इस प्रकार से अवैध दुकानों को रोकने में सरकार को सुविधा मिलेगी अन्यथा अध्यक्ष महोदय, आज हालत यह है कि आपकी जो आथोराइज्ड दुकानें है, या जो नियम के अनुसार आपने दुकानें तय कर रखी हैं, गांव-गांव में शराब की दुकानें खुलती जा रही है, लोग बेच रहे हैं, बीमारी फैल रही है। कारण क्या है? ठेके इतनी अनाप शनाप दरों के ऊपर जा रहे हैं और उसकी पूर्ति हेतु गांव-गांव में शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। तो जो मैंने प्रश्न पूछा है, सरकार क्या उस पर कार्यवाही करना चाहेगी?

श्री अध्यक्ष : श्री परसादी लाल।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा जैसा माननीय सदस्य ने जानकारी दी कि इतनी दुकानें वहां पर चल रही हैं, उसी प्रकार की जानकारी है। माननीय सदस्य ने नामजद बात कही है। बहुत गम्भीर मामला है, मन्त्री जी इसको सीरियसली लें। आप जांच किससे करवाएगीं? उसी आबकारी विभाग के अधिकारियों से करवाएगीं। यदि माननीय सदस्य ने उनको जानकारी दे दी है तो आप उनको सस्पैण्ड करिए। यह वहीं नहीं हैं, सब जगह ऐसे मामले हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिए।

श्री परसादी लाल मीणा : आपको जानकारी दे दी गई है आप उनके खिलाफ कार्यवाही करिए। आप उन अधिकारियों को बचाना चाहती है।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, पिछली विधान सभा में प्रश्न उठा था। उस समय आबकारी मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि मन्दिर, मस्जिद और स्कूलों के पास में जो-जो शराब की दुकानें है उनको तत्काल हम वहां

(श्री रतनाराम चौधरी)

से हटा देंगे। परन्तु बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे क्षेत्र में रामसीएा में आपेश्र महादेव का मन्दिर है, वहां पर हर हफ्ते सोमवार को मेला लगता है उसके पास में लगी हुई शराब की दुकानें अभी तक वहां से नहीं हटाई है। गत विधान सभा में आपने आश्वासन दिया था, उसकी पालना नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीलालजी मीणा।

श्री मोतीलाल मीणा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि सवाई माधोपुर जिले के अन्दर, अभी जैसा माननीय सदस्य चुन्नीलालजी ने बताया पांच सौ दुकानें वहां चल रही हैं। हम पांच सौ दुकानों की लिस्ट देंगे क्या उसमें कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आप पूछ रहे थे।

श्री निर्भयलाल (रूपवास) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा। मैंने बार-बार रिपोर्ट दी परन्तु सदस्यों की बात असत्य मानी जाती है और विभाग की बात सही मानी जाती है। माननीय सदस्य असत्य बात कह रहे हैं ? मेरे जिले भरतपुर की बात बता रहा हूं कम से कम 50 दुकानें फर्जी चल रही हैं और बीमारी फैलती जा रही है। कई बार निवेदन किया जा चुका, पर इस पर कोई अमल नहीं होता है। कहा जाता है कि हमको विभाग ने यह रिपोर्ट दी है। विभाग हमेशा सही रिपोर्ट देवे ? सदन को गुमराह करते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरासिंह जी।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह ठेकेदारों की और आबकारी के जो इन्सपेक्टर या देख-भाल करने वाले अधिकारी हैं, उनकी मिली भगत से सारा काम चलता है। मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मंत्री महोदया, से निवेदन है कि इसके लिए जांच एजेन्सी की आज ही घोषणा करें। तहसीलदार या ग्राम पंचायत का सरपंच इस रिपोर्ट को देवे तो अवैध दुकानें बन्द हो सकती है। इस प्रकार का धन्धा चल रहा है। गांव-गांव, गली-गली, घर-घर दुकानें खोल दी हैं। ठेकेदार को पता नहीं, सौ-सौ कोस दूर बैठा है। उसकी कई शाखायें चल रही हैं, कई ब्रान्चेज चल रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको विधिवत करने के लिए, इस पर कन्ट्रोल करने के लिए मेरा सुझाव है कि दूसरी जांच एजेन्सी बनाये ताकि ठेकेदार, आबकारी, और अधिकारी की मिलीभगत से जो यह चली है, बन्द हो। शराब के जो ठेके दिये जाते हैं वह नगरपालिका द्वारा एक ही पाइन्ट पर दिये जाते हैं....

श्री अध्यक्ष : श्री अचलाराम।

(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : कुछ स्थानों जैसे सादड़ी जिला पाली में एक ही पॉइन्ट पर शराब का ठेका दिया हुआ है अलग-अलग बाड़ों में उनकी ब्रान्चेज खोल कर शराब का विक्रय होता है। आज की स्थिति तो यह है कि डॉ. भीमराव अम्बेड़कर शताब्दी चल रही है और भीमराव

(श्री हीरा सिंह चौहान)

अम्बेड्कर के स्टेच्यू के पास ही, उसके सामने ही एक अवैध दुकान चल रही है। क्या उस पर प्रतिबन्ध लगायेंगी सरकार ?

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जोहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो इतना ही पूछना है कि जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, यह बात सही है कि अवैध दुकानें चल रही है तो मंत्रीजी यह बतायें कि इसको रोकने के लिए क्या मशीनरी है। या कोई इस प्रकार की कमेटी वगैहर बनायेंगे जिससे यह रुक सके ?

दूसरा मंत्रीजी यह भी बतायें कि कुछ मापदण्ड बने हुये हैं कि दुकाने यहां-यहां हो सकती हैं। जयपुर का मैं उदाहरण देऊं आपको। कई स्कूल बच्चों के ऐसे हैं जिनके पास भी दुकानें हैं, मन्दिर हैं, उसके पास भी दुकानें हैं, मस्जिद है, उसके पास भी दुकानें हैं। आखिर कोई मापदण्ड आपने बना रखा है या कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की दुकानें खोल सकता है ? इसके बारे में कृपया मंत्रीजी बतायें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पूर्व में अवैध दुकानों के लिए, सार्वजनिक स्थानों पर चलने वाली दुकानों को बन्द करवाने का आश्वासन दिया था। मेरा यह प्रश्न है कि क्या सिरोही जिले में अवैध और सार्वजनिक स्थानों पर चलने वाली दुकानों का सरकार ने कोई सर्वे करवाया है ? ने अभी कोई गौर नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब स्पेसिफिक बात कोई आई है और उन्होंने बताया है अभी लिख करके दे देंगे। मंत्री जी ने घोषणा की है कि जैसी इन्होंने सूचना दी है, इसके अलावा कहीं हुई तो मैं सस्पेण्ड कर दूंगी लेकिन क्या आज ही यह इन्क्वायरी हो, इस प्रकार की कोई व्यवस्था करने जा रही हैं ? अभी लिस्ट ले कर आज ही रेड डालें। क्या इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं जिसके कारण हमारे यहां पर दिये हुये आश्वासन की क्रियान्विति हो।

दूसरा निवेदन है कि जिस प्रकार बात आई, नियमों के विरुद्ध नेशनल हाईवे पर, स्कूलों, मन्दिरों के पास जो चल रही है, इसके बारे में सख्ती से रोकने का प्रयास करें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। शान्तिलालजी।

श्री शान्तिलाल (राजसमन्द) : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ठेकेदारों और प्रशासन की मिली भगत से आथेराइज्ड दुकानों के अतिरिक्त भी काउन्टर खोल रहे हैं ठेकेदारों ने लेकिन इसके सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है कि मैंने गत सत्र में निवेदन किया था कि इन काउन्टर्स से जीने सुविधा वालों को मिलती है, इसमे कोई दोराय नहीं। जनता को सुविधा मिलती है, नहीं तो वह मजदूरी खोकर पीने वाला दूर जाकर भी पीयेगा। ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव है कि अतिरिक्त काउन्टर जहां खोले जाते हैं हरियाणा, पंजाब की तरह उनके लाइसेन्स फी क्यों नहीं इम्पोज कर दी जाती जिससे आपके आबकारी विभाग के जो भ्रष्ट तरीके हैं

(श्री शान्तिलाल)

वह समाप्त हो जायेंगे और राजस्थान सरकार की आय बढ़ जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि जो मन्दिर, मस्जिद, धर्मशालायें, बस स्टेण्ड, अनुसूचित जाति, जनजाति के मोहल्ले हैं उनमें भी कई दुकानें शराब की चल रही है । मेरी मंत्री महोदया से निवेदन है कि इसको अविलम्ब समाप्त करने की कोई व्यवस्था करें । रेगर बस्ती मांगरोल के मन्दिर के पास शराब की दुकान है । बहुत बार शिकायत हुई है ।

श्री अध्यक्ष : हो गया । बात तो वही है । बिराजिये ।

श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, शराब के अवैध केन्द्रों पर विस्तार यदि करवाया है तो कितनी दुकानें ऐसी है ?

मेरा दूसरा प्रश्न है कि गांव जोगापुरा का सरपंच पिछले तीन वर्ष से मन्दिर के पास खोली गई शराब की दुकान को बन्द करवाने के लिए निरन्तर प्रयत्न कर रहा है लेकिन आज भी वह दुकान बन्द नहीं की गई । इसके अलावा जोयला, गोयली, सिरोही अनेकों स्थान ऐसे हैं जहां मन्दिर मस्जिद, राशन की दुकानों के पास, अस्पताल के पास, स्कूल के पास सारी ही दुकानें सार्वजनिक स्थानों के पास आबकारी विभाग की मिली-भगत से चलायी जाती है लेकिन विधान सभा में जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है, विभागीय जानकारी के अनुसार हमें जवाब दे दिया जाता है जबकि विभाग भी खुद इसमें इन्वाल्व है ।

श्री अध्यक्ष : हो गया । श्री रामसिंह विश्नोई ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में जब शराब की छूट है, पूरा राजस्थान जब शराब के ठेकेदारों के जिम्मे डाल दिया है तो बाद में कोई दुकान कहां पर है, कहां पर नहीं है, इसका क्या औचित्य है जब पूरी छूट है राजस्थान के अन्दर ठेकेदारों को छूट दी हुई है ठेकेदारों को मालूम है कि कई अवैध दुकानें चलती है तो ठेकेदारों को अधिकार है कि वह शिकायत करेंगे, बन्द करवा सकते हैं । फिर यह इतनी करने की क्या जरूरत है ?

श्री अध्यक्ष : पहले यह मालूम हो जाये कि राजस्थान के किस-किस हिस्से में इस तरह की चल रही है ।

श्री चम्पालाल जैन (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, ब्यावर के मगरे क्षेत्र में कोई गांव ऐसा नहीं है, जहां अवैध शराब की बिक्री नहीं हो रही हो । वहां पर एक कहावत भी मशहूर हो गयी है "दिन अस्त मगा मस्त" तो आपके माध्यम से मंत्री महोदया से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर जिले में राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम चल रहा है । उस कार्यक्रम को चलाने में बहुत जबरदस्त बाधा आ रही है शराब की खुली बिक्री से । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द यह खुली बिक्री बन्द करायी जाय ।

श्री अध्यक्ष : आप पूछिये....

श्री प्रभुलाल पटेल (सपोटरा) : मेरे क्षेत्र सपोटरा में कन्या सैकण्डरी शाला के बिल्कुल नजदीक 10 कदम पर शराब की दुकानें चल रही है। इसके बारे में मैंने मंत्रीजी से कई दफा निवेदन कर दिया। शराब पी करके स्कूल के सामने नंगा नृत्य करते हैं। इस दुकान को जल्दी से जल्दी बन्द करवाया जाये। परन्तु सरकार से चर्चा हो चुकी है। मैं विभाग का ध्यान एक स्पेसिफिक इन्स्टेंस की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जैसलमेर जिले में ग्राम मोहनगढ़ है। उसकी आबादी मुश्किल से चार या पांच हजार की है। वहां शराब का ठेका है और ट्रक के ट्रक शराब जाती है। राजस्थान प्रदेश में शराब का अवैध क्रय कर रहे है। परन्तु क्या इस सम्भावना से इन्कार किया जा सकता है कि सीमा पार भी शराब अवैध क्रय कर रहे हैं। इसके बारे में क्या जांच करवाने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाम मुस्तफा।

श्री प्रभुलाल : दूसरा मेरा प्रश्न है कि रोडवेज के डिपो के पास शराब की दुकानें खुल जाती है, स्कूलों, मन्दिरों के आस-पास भी। इसके लिए समुचित व्यवस्था करके इनके लाइसेंस केन्सिल करें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए।

श्री गुलाम मुस्तफा खां (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि वैध और अवैध शराब से स्वास्थ्य पर जो हानि हो रही है, उसके लिए मेरा सुझाव है कि पूरी शराबबन्दी कर दी जाय ताकि सारी बीमारी ही दूर हो जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री हेतरामजी बेनीवाल (व्यवधान) आ रहा है, आपका नम्बर भी आ रहा है। हेतराम जी।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : करीबन सारे राजस्थान से यह प्रश्न आ गया कि दुकानें कहां-कहां और किस-किस जगह हैं। मेरे जिले श्रीगंगानगर में विशेष तौर से एक समस्या है कि वहां मोबाइल शॉप्स हैं जिनका कोई स्थान तय नहीं है। ठेकेदार जीप के ऊपर ही दुकान रखता है और वह चालू दुकान से लोगों को शराब सप्लाई करता है। इसकी क्या व्यवस्था करेंगे ? और यह भी तो नहीं है नीचे जो साइकिल वाले हैं वे भी सब्जी की तरह शराब की सप्लाई गांवों में और इलाके में करते हैं। क्या विभाग इस मामले में कुछ करेगा ?

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहता हू कि क्या सरकार यह मानती है कि शराब को महंगा करने से शराब कम पी जाएगी या इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है ? क्या मंत्री महोदया यह बताने का कष्ट करेंगी कि जयपुर जिले में रींगस और जयपुर में 2 तरह के शराब के भाव है ? मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि राजस्थान प्रदेश में, मेरे जिले में बहुत सारे गांव के गांव है, जहां जीवन-

(डा. चन्द्रभान)

यापन का यह प्रमुख धन्धा बन गया है अवैध शराब । क्या इसको रोकने के लिए और उन परिवारों को रोजगार देने की सरकार की कोई योजना है ?

श्री अध्यक्ष : जायल से आने वाले माननीय सदस्य ।

श्री मोहन लाल (जायल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है कि यह सब लोग कहते हैं शराब छुड़ा दो तो अच्छा हो । मैं एक निवेदन और करूं कहने वाले नाराज तो होंगे । मैं एम. एल. एज. से कहना चाहता हूं दुकानें तो खोल दी और फिर पी लेवो और फिर कहो ऐसा हुआ, वैसा हुआ । खाली + + + कर रहे हैं । एक कवि ने कहा है :—

दारू दुःख का मूल है, क्यों पीता है अज्ञान ।
खर्चा खोवे गांठ की,
बिगड़े बुद्धि और ज्ञान ।।

बल घटे, बुद्धि घटे, बिगड़े सब शरीर ।
आप घटे तब देखिए, बिगड़े सब जमीर ।

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका सवाल। (व्यवधान)

श्री प्रकाश बैरवा ।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा (फागी) : मैं माननीय मंत्रीजी से एक सवाल पूछना चाहूंगा । सदन में अभी ठेकेदारों द्वारा अवैध दुकानें खोलने के बारे में चर्चा हुई लेकिन जो शराब की अवैध भट्टियां चल रही हैं, उनको भी सरकार का बन्द करने का विचार है ? मेरे पड़ोस में निवाई तहसील के ग्राम राहोली के अन्दर करीबन 80 भट्टियां चलती हैं और कम से कम 20-25 ड्रम रोजाना जयपुर के अन्दर सप्लाई होते हैं । तो क्या सरकार राहोली, तांबड़िया, मोहनपुरा के अन्दर जो अवैध शराब की भट्टियां चल रही हैं उनको बन्द करने का विचार रखती है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री सैनी । (व्यवधान) हो गया, एक सवाल है, दो सवाल नहीं ।

श्री ईश्वर लाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से । सही बात यह है कि जो अवैध ठेके चल रहे हैं, वे उन्हीं ठेकेदारों के हैं जिनको सरकार ने ठेके दिए हुए हैं और उन्हीं की दुकानें अवैध रूप से चल रही हैं । उनके पास सैकड़ों जीप हैं और आबकारी विभाग की पुलिस भी है वह उनको बन्द करवा सकते हैं लेकिन सही बात यह है कि आपकी पार्टी ने जो 6 करोड़ रुपए वसूले हैं । यही कारण है कि आप उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उस दिन भी इस बात का विरोध किया था । फिर क्यों दुबारा बोल रहे हो ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आर्डर प्लीज । माननीय मंत्री जी । (व्यवधान)

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री हेमराज (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, मेरे 2 सवाल और हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह शराब का असर नहीं है। (व्यवधान) मुझे लगता है कि कहीं इसका असर यहां न हो जाय। शांति से सुनिए।

केदारजी पूछें।

श्री केदारनाथशर्मा (श्रीगंगानगर): अध्यक्ष जी मैंने तो रेलिश नहीं की शराब मगर जो अवैध शराब है उसकी क्वालिटी भी ठीक है और सस्ती भी है। (व्यवधान)

मैन कारण यही है कि आम लोगों का रुझान हो गया। अध्यक्ष जी, जितने ठेकेदार हैं उन्होंने अपनी माफिया गैंग बना ली है। आपका डिपार्टमेंट उसको रोकता नहीं है। हमारे इलाके में 3-4 कत्ल भी हो गए इस पर। यह इतनी रेम्पेंट बीमारी है कि मैं आपसे केवल इतनी ही आशा करता हूं कि इसका फैलाव नहीं हो, इसको कंटेन कर दो। इतना ही काफी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। अब शांति से सुनिए।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे यह प्रश्न जो है वह किशनगंज शाहबाद ट्राइबल एरिया तक सीमित है और उसके लिए कुछ नियम बने हुए हैं। मैंने माननीय सदस्य को भी जैसा निवेदन किया यह जो नामजद जानकारी दे रहे हैं, वह जानकारी मेरे को दे दें और मैंने हाउस में कहा है मैं इस पर कार्यवाही एन्श्योर करूंगी जैसा मैंने अभी निवेदन किया। (व्यवधान)

मैंने आप लोगों को पूरे ध्यान से सुना है। कृपया ध्यान से सुनिए।

श्री अध्यक्ष : आप सबको 3-4 राउण्ड हो गए। अब तो ध्यान से सुनिए। इसका कुछ निष्कर्ष निकलने दीजिए, वरना कोई मतलब नहीं है।

श्रीमती विद्या पाठक : अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है कि पुष्कर एरिया में शराब की दुकानों में देखते हुए इसमें गत 2 वर्ष पूर्व सेटलमेंट में एक दुकान स्वीकृत की गई थी जो अब हटा दी गई है। फिर माननीय सदस्यों ने यह भी चिन्ता प्रकट की है, पिछली बार हाउस में कहा था लोकेशन से सम्बन्धित नियमों के बारे में। यद्यपि यह इस क्वेश्चन के परव्यू में तो नहीं आता परन्तु क्योंकि सदन की भावना है और लोगों को कठिनाई भी है, यह मैं स्वीकार करती हूं। उसको देखते हुए मैं यह कहना चाहती हूं मैंने इनका सर्वे करवाया है। परन्तु सेटलमेंट में 2 वर्ष पहले वे स्थान स्वीकृत हो चुके थे। हमने कुछ स्थानों को जब भी हटाया तो जो ठेकेदार थे, दुकानों के मालिक थे वे अदालत से स्टे ले आए। परन्तु अब नया सेटलमेंट जो 1 अप्रैल 1991 से शुरू होने वाला है उसमें स्ट्रीक्टली इस बात की हिदायत दी गई है कि लोकेशन सम्बन्धी नियम हैं उनके अतिरिक्त कोई भी दुकान न पाई जाय और 1 अप्रैल से इसको इन्श्योर कर लिया जाएगा।

यह भी बताया गया है कि अवैध रूप से दुकानें संख्या से ज्यादा चल रही हैं, स्वीकृति से ज्यादा चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह भी अलग

(श्रीमती विद्या पाठक)

प्रश्न है। इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। हमारी आबकारी विभाग के सीनियर अधिकारी हैं मगर कोई ट्रिकी क्वेश्चंस होते तो उसकी जानकारी और जांच हम कलक्टर महोदय के मार्फत भी करवा लेते हैं। मगर अवैध तो मूल रूप से 2 तरह की होती हैं। एक इलिसिट लिकर जिसको सरकार बहुत सख्ती से रोकती है वैसे सस्ती हो या महंगी हो परन्तु इलिसिट डिस्टिल्टेशन नियमों के अन्तर्गत परमिटेड नहीं है। जो सैक्शंड ठेकेदार है जिनको ठेके दिए हुए हैं वे अगर अवैध वेंडर्स के माध्यम से गांवों में यदि शराब भेजते हैं जिसको कि फिर कह रही हूं यह रूल आउट नहीं किया जा सकता, भेजते हैं। उसको विभाग मिनीमाइज्ड करने की कोशिश करता है, पुलिस की सहायता भी लेते है और....

श्री हेमराज : विभाग और पुलिस मिली हुई है। इस कारण से वे दुकानें चली हुई है। (व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, इसको और सख्ती से रोका जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री किशनाराम नाई। (व्यवधान)

मोमासर (डूंगरगढ़) में अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम, चूरू द्वारा निर्मित दुकानें

249. **किशनाराम नाई** (डूंगरगढ़) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मोमासर तहसील डूंगरगढ़ जिला चूरू में राजस्थान अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम, चूरू के तत्वाधान में दुकानें बनवाई जा रही हैं ? यदि हां, तो उक्त दुकानें किसकी जमीन पर बन रही हैं और कितनी दुकानें बनाने हेतु कितनी धनराशि का आवंटन हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त दुकानों को आवंटन करने हेतु कोई कमेटी गठित की गई है ? यदि हां, तो कमेटी के सदस्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दुकानों का किन-किन व्यक्तियों को कब आवंटन होगा ? अब तक किन-किन व्यक्तियों को दुकानें आवंटित की जा चुकी हैं।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त दुकानों के बारे में कोई शिकायत हुई है ? यदि हां, तो वह शिकायत क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री कुन्दन लाल मिगलानी) :

(1) जी हां। दस दुकानें ग्राम पंचायत मोमासर द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर बनाई जा रही हैं। इन दुकानों की अनुदान राशि प्रति दुकान 5000/- रुपये के हिसाब से कुल रुपये 50,000/-- की धनराशि अनुदान के रूप में स्वीकृति की गई है।

(2) जी हां। कमेटी में निम्नानुसार सदस्य हैं।

1. परियोजना प्रबन्धक — अध्यक्ष
2. प्रधान, पंचायत समिति सदस्य

(12)

(श्री कुन्दन लाल मिगलानी)

3. अग्रणी बैंक अधिकारी सदस्य
4. अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति (जिलाधीश द्वारा मनोनीत) सदस्य
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सदस्य सचिव

(3) उक्त दुकानों का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् नियमानुसार गठित कमेटी द्वारा आवंटन किया जावेगा।

(4) जी हां। शिकायतकर्ताओं ने शिकायत की है कि सरपंच ने नियम विरुद्ध दुकानों का आवंटन कर दिया है। शिकायत की जांच पूर्ण होने पर नियमानुसार कार्यवाही कर दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : इसमें, माननीय मंत्रीजी विधान सभा सदस्य नहीं हैं, मेम्बर ? और जगह तो है। विधान सभा के सदस्य भी इस कमेटी के मेम्बर होते हैं, और जगह है।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : इसमें दिया हुआ नहीं है साहब, विधान में जितने हैं वह सब मैंने निवेदन कर दिये।

श्री अध्यक्ष : नहीं, और जगह है। आप देख लेना इसको।

एक माननीय सदस्य : विधायक नहीं है सदस्य इसमें।

श्री अध्यक्ष : देखिये, इसमें विधान सभा के सदस्य भी मेम्बर बनाइये।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : आदेशों की पालना की जायेगी और विधान सभा के सदस्यों को भी इसमें मेम्बर बना दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : हां, बना दीजिए।

(व्यवधान)

श्री निर्भय लाल : मंत्रीजी हैं। + + +

श्री किशनाराम नाई : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, इनके विभाग ने इनको सही जवाब नहीं दिया। मोमासर मेरे क्षेत्र में है डूंगरगढ़ तहसील का गांव है। वहां का सरपंच बहुत होशियार है। उसने दुकानों की जो जगह दी है वह अपनी पट्टेशुदा जमीन में करने के लिए इजाजत दी है। यह शिकायत होने के बाद उसने बड़ी होशियारी की है क्योंकि पहले तो इस जमीन को खुद सरपंच तो खरीद नहीं सकता, एक केशूराम नाम का सरपंच जो मेरी तहसील गुसाईसर का है, उसके नाम से चार साल पहले यह जमीन बेच दी गई और अब उसने वापस खरीदी है। और अब यह शिकायत होने के बाद इसने 16-1-91 को स्टाम्प खरीदे हैं जिन पर कि वह इस जमीन को उनके नाम से दान दिखायेगा। समिति बनाने का जो सवाल है, इस समिति को पूछा ही नहीं गया है। समिति के लोगों से मेरी बात हुई है उन्होंने कहा कि यह तो मेरे आज तक कोई ध्यान में ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन दुकानों में बारे में, जो

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री कुन्दनलाल मिगलानी)

पहले पांच बनाई गई हैं उनके बारे में एक शिकायत आई थी। उस शिकायत की जांच कर ली गई थी। और जांच करने के बाद जिन दुकानदारों को या जिन व्यक्तियों को वह दुकानें अलॉट की गई थी, कलेक्टर द्वारा उनके अलॉटमेंट रद्द किये जाकर अन्य व्यक्तियों को, जो उसके लिए एन्टाइटल थे उनको ही अलॉट कर दी गई थीं जमीन के बारे में जो माननीय सदस्य फरमा रहे हैं तो उस जमीन के बारे में जब पंचायत ने अपनी तरफ से निःशुल्क देने के लिए दुकानें उनको बतला दी है तो हम उसको निःशुल्क मानकर ही दुकानें बना कर आगे आवंटित करते हैं।

श्री किशनाराम नाई : अध्यक्ष महोदय, जब यह समिति बनी हुई है इसके काम के लिए और समिति यह जगह तय करेगी, समिति सारे काम करेगी तो समिति को पूछा ही नहीं गया। अब जब शिकायत हो गई तो यह कहते हैं कि दान में ले लेंगे और दान में हम दे देंगे। यह जमीन ही दूसरे के नाम बेची हुई थी क्योंकि खुद तो सरपंच खरीद नहीं सकता। दूसरे सरपंच के नाम से बेच दी और अब उससे रजिस्ट्री करवाई है और चार-चार हजार रुपये लिये हैं....

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, इसकी जांच करिये आप।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : जांच करवा दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलालजी।

श्री किशनाराम नाई : यह जांच कितने महीनों में हो जायेगी साहब ? इसमें बहुत बड़ा घपला है।

श्री अध्यक्ष : अब बता दीजिए इनको पूरी जांच कर लेंगे।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोराय पाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय और सरकार से निवेदन करूंगा कि यह दुकानें जो अनुसूचित जाति के लोगों कोएस.सी. कार्पोरेशन के माध्यम से और उसके फण्ड के पैसों से बनवाई जा रही है और जमीन फ्री देने वाली बात है, नगरपालिका क्षेत्र में कहीं नगर से तीन किलो-मीटर दूर, कहीं शमसानों में और कहीं ऐसी बस्ती है जहां लोग-बाग जाते भी नहीं है, वहां दुकानें बनाई गई है। तो मेरा निवेदन है कि इस समस्या के समाधान के लिए और जो हमारा परपज है कि हम एस. सी. के लोग वहां दुकानें लगाकर अपना गुजर-बसर करें, इसके लिए नगर में उन्हीं लोगों को दुकानें बनाने के लिए दी जाये जिनकी खुद की जमीन है, आम रास्ते पर है। इस तरह का प्रस्ताव पहले भी सरकार के सामने लाया गया था, इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं....

श्री अध्यक्ष : आपका सुझाव नोट कर लिया गया है, बिराजिए। नेक्स्ट, श्री बंशीलाल पटवा।

उद्योगपतियों में बिक्री कर की बकाया

250. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(श्री बंशीलाल पटवा)

राज्य के किन-किन उद्योगपतियों में कब-कब से कितना-कितना बिक्री कर बकाया है ? यदि हां, तो वसूली की कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री अध्यक्ष : यह पोस्टपोन कर दिया गया।

नेक्स्ट, श्री रामकिशोर सैनी (अनुपस्थित)

(प्रश्न संख्या 251, कृपया आगे देखें)

नेक्स्ट, श्री हरीश झामनानी।

विकास योजनाओं की जानकारी

252. **श्री हरीश झामनानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की विकास योजनाओं की आम जनता को जानकारी देने हेतु जन सम्पर्क एवं सूचना विभाग के अधिकारियों ने कितने गांवों का अप्रेल, 1990 से 15 फरवरी, 1991 तक दौरा किया ?

(2) क्या प्रति माह गांवों में अधिकारीगण विकास की जानकारी देने हेतु दौरे का कार्यक्रम बनाते हैं ?

(3) क्या सरकार ने कभी इन अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली विकास की जानकारी के संबंध में समीक्षा की ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कदम उठाने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : यह भी पोस्टपोन किया गया है।

माननीय श्री लक्ष्मीलाल।

न्यायिक सेवा में पदोन्नति हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों का आरक्षण

253. **श्री लक्ष्मीलाल** (आसीन्द) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान न्यायिक सेवा में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति व जन जाति के लिये आरक्षित पदों का प्रतिशत कितना निर्धारित है ?

(2) अब तक अधीनस्थ एवं उच्च न्यायिक सेवा में कार्यरत कर्मचारियों में तकिने प्रतिशत व्यक्ति अनुसूचित जाति व जनजाति के हैं ?

(3) क्या निर्धारित अनुपात के अनुसारोस्टर प्रणाली से गत वर्ष पदोन्नति की गई ? यदि हां, तो क्या निर्धारित कोटा पूरा हो गया ?

(4) क्या अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों के विरुद्ध जांच के मामले लम्बित हैं ? यदि हां, तो कब से, किस-किस के विरुद्ध है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष : यह भी पोस्टपोन किया गया। (व्यवधान) आगे लिये जायेंगे। इसी सत्र में लिये जायेंगे सारे।

माननीय श्री केदारनाथ शर्मा

इंदिरा गांधी मुख्य नहर की शाखाओं एवं उप शाखाओं हेतु अवाप्त भूमि

254. **श्री केदारनाथ शर्मा** (श्री गंगानगर) : क्या इन्दिरागांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लिए मुख्य नहर, इसकी शाखाओं व उप शाखाओं के निर्माण के लिए कितना कितना रकबा अवाप्त किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि तमाम उन काश्तकारों को मुआवजा नहीं मिला है जिनकी भूमि इन नहरों के निर्माण के लिए अवाप्त की जा चुकी है ? ऐसे काश्तकारों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार ऐसे काश्तकारों को अब मुआवजा देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष : यह भी पोस्टपोन किया गया है, इसी सत्र में लेंगे ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह सरकार को हो क्या गया है ? पोस्टपोण्ड सरकार है क्या, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक पर एक सवाल पोस्टापोन हो रहे हैं, अध्यक्ष महोदय....

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : लगातार तीन-तीन क्वेश्चन्स पोस्टपोण्ड । कांग्रेस के वक्त में एक-एक क्वेश्चन पोस्टपोण्ड होता था तो आवाज उठा देते थे ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इस सरकार को ही पोस्टपोन कर दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : अच्छी बात नहीं । बिराजिए ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह सरकार की एफिशियेंसी है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, एक-एक दिन में चार-चार, पांच-पांच क्वेश्चन्स पोस्टपोन कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (अनुपस्थित)

(प्रश्न संख्या 255, कृपया आगे देखें)

श्री ईश्वर लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रथम अवसर है कि एक रोज में पांच सवाल लगातार पोस्टपोन किये हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए, क्या बोल रहे हैं आप ?

एक माननीय सदस्य : प्रश्न संख्या 255 के लिए मुझे अधिकृत किया है, इन्दलिया जी ने मुझे अधिकृत किया है ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह परम्परा आपने डाली है....

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आपको लिख कर दिया है उन्होंने ?

एक माननीय सदस्य : कहा है मुझे ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपको नहीं । नेक्स्ट । श्री मदन दिलावर ।

कोटा बारां से छबड़ा छीपा बड़ौद अकलेरा अटरू मार्ग पर रोडवेज की बसों का संचालन

256. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा व बारां से छबड़ा छीपा बड़ौद अकलेरा अटरू मार्ग पर रोड़वेज की कितनी-कितनी बसें किस-किस समय संचालित होती हैं ?

(2) क्या यह सही है कि बसें समय पर नहीं चलती हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि बसें पर्याप्त मात्रा में नहीं चलती हैं ? यदि हां तो क्यों ?

(4) क्या रोड़वेज निगम ने बसों की संख्या कम कर दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार रोड़वेज की बसों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

यातायात मंत्री (श्री जगमाल सिंह यादव) :

(1) कोटा व बारां से निगम द्वारा इन मार्गों पर निम्नानुसार बस सेवाये संचालित की जा रही हैं :

क्र. सं.	मार्ग	संचालित वाहनों की संख्या
1.	कोटा-छबड़ा	कोई वाहन संचालित नहीं
2.	कोटा-छीपा बड़ौद	2
3.	कोटा-अकलेरा	8
4.	कोटा-अटरु	2
5.	बारां-छबड़ा	1
6.	बारां-छीपाबड़ौद	10
7.	बारां-अकलेरा	5
8.	बारां-अटरू	13

इन बस सेवाओं की समय-सारिणी दर्शाते हुए मानचित्र संलग्न प्रेषित है।

(2) यह कुछ अंश तक सही है कि लम्बी हड़ताल के प्रभाव, परिचालक एवं कार्यशाला स्टाफ की कमी तथा स्थानीय जन आन्दोलन के कारण कुछ वाहनों के प्रस्थान में विलम्ब हुआ है।

कोटा संभाग में आयु प्राप्त वाहनों की संख्या भी अधिक होने के कारण मरम्मत की आवश्यकता अधिक रहती है। इससे निपटने के लिए निगम ने इस वर्ष लगभग 517 पुराने वाहन बदलने का कार्यक्रम बनाया है जिसमें कोटा की पुरानी वाहनें भी बदली जावेगी।

(3) जी हां। उपरोक्त कारणों से।

(4) जी नहीं।

(5) निगम ने इस वर्ष 517 नई वाहनें बनाकर पुरानी वाहनों को बदलने का कार्यक्रम बना रखा है। अगले वर्ष 650 नई वाहनें बनाने का लक्ष्य है जिसमें

(श्री जगमालसिंह यादव)

400 पुरानी वाहनों को बदलने तथा 250 वाहनें बढ़ायी जायेंगी। इस प्रकार निगम द्वारा वाहनें बढ़ाने का निम्न कार्यक्रम है :-

वर्ष	प्रतिस्थापित की जाने वाली वाहनों की सं.	नई वाहनें बढ़ाने की संख्या	योग
1990-91	517	—	517
1991-92	400	250	650
1992-93	500	242	742
1993-94	400	352	752
1994-95	596	172	768

(समय सारिणी के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, यह कोटा-छीपा बड़ोद या कोटा के लिए चालू करने वाले हैं, कोटा-छबड़ा ?

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा-छबड़ा अभी कोई बस संचालित नहीं की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : है विचार, चालू करने का ?

श्री जगमाल सिंह यादव : कोटा और छबड़ा के बीच में कुछ मार्ग ऐसा है जो राष्ट्रीयकृत नहीं है।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोटा-बारां और छबड़ा-छीपा बड़ौद रुट पर चार बसें टोटल बताई हैं। मेरा यह कहना है और मैंने देखा है, मैं जाता हूं—मात्र तीन बसें संचालित हैं और जो इनको जानकारी दी है, इन्होंने कहा है कि आंशिक रूप से क्या दस प्रतिशत भी वहां बसें संचालित नहीं होती है जो भी तीन बसें जाती हैं वह भी रात में निकल जाती है, बाकी कण्डक्टर फ्री भरकर ले जाय, दिन में कोई बस वहां संचालित नहीं होती है।

एक बात और पूछना चाहता हूं कि कोटा-बारां डिपो में कितनी बसें बढ़ाई जायेंगी.... और बारां डिपो में कितनी कमी है ? पर्याप्त बसें संचालित करने के लिए कितने कन्डक्टर्स की आवश्यकता है और इनकी कब तक पूर्ति कर दी जायेगी ? इन्होंने 41 बसें बताई हैं उनको कब तक नियमित रूप से संचालित कर दिया जायेगा ? यह मन्त्री महोदय से पूछना चाह रहा हूं।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूरक प्रश्न पूछे, कोटा में हमने अभी तक 10 नयी बसें लगाई हैं और बारां में 7 नई बसें हमने लगाई हैं। जहां तक स्टाफ की संख्या के अभाव का सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमने दि. 26-7-90 को 27 कर्मचारियों के स्थानान्तरण कोटा में किये और 10-8-90 को 75 स्थानान्तरण किये लेकिन स्थानान्तरण करने के बाद ज्यादातर यह बात सही है, कर्मचारी ज्वाइन करने के बाद अवकाश पर हैं। इसमें मैंने निगम को निर्देश दे दिये हैं कि जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया है, उनके खिलाफ तो विभागीय कार्यवाही करें और उनके स्थान पर दूसरे स्टाफ की नियुक्ति कर दी जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्द किशोर।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि छीपाबड़ौद और सालपुरा मार्ग पर इन्होंने 17 बसें बता रखी हैं जो कि बारां से इकलेरा सालपुरा होकर छीपाबड़ौद होकर इकलेरा जाती हैं। 5 और 10 सीधी बारां से जाती हैं पर चलती उनमें से 3 ही है। गत जून में भी हमने मांग की थी कि सालपुरा से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्टेशन को 6 रेल्वे गाड़ियां आती हैं और उनमें से एक भी बस नहीं मिलती तथा छीपाबड़ौद के सारे यात्री कभी ट्रैक्टर से और कभी रात भर वहां रहते हैं। यह 17 ही बसें नियमित, जो इन्होंने बता रखी हैं, आज तक भी नहीं चलती। माननीय मंत्री जी चुनाव के टाइम पर जरूर केवल 15 दिन के लिए यह व्यवस्था हुई थी उसके बाद फिर से वह व्यवस्था वैसी की वैसी हो गयी। मेरा निवेदन है कि यह 17 बसें जो हैं जिनके लिए कहा है कि चलती हैं वह चल जानी चाहिए। कोटा छबड़ा का बताया है कि राष्ट्रीयकृत मार्ग नहीं है तो कोटा से छबड़ा तक पूरा राष्ट्रीयकृत मार्ग है और कहीं भी कोई कमी नहीं है उसमें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी यह नोट कीजिए आप। छबड़ा तक राष्ट्रीयकृत मार्ग है, ऐसा माननीय सदस्य कह रहे है।

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मार्ग का सालपुरा से छबड़ा तक का जो भाग है वह राष्ट्रीयकृत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप छबड़ा के लिए देखिये। बहुत जरूरी है। वहां बहुत एक्सट्रीम पड़ता है।

श्री नन्दकिशोर शर्मा : झालावाड़ से छबड़ा चलती थी लेकिन वह भी बन्द है।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, यह समस्या केवल छबड़ा रूट की ही नहीं है। कोटा-खातोली जो कि सबसे बढ़िया रूट है इन डिपोज के, उनकी भी यही हालत है। मैं कुछ प्रश्न करना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कोटा और बारां डिपो पर वर्तमान में कितनी बसें हैं और कितनी बसों की और आवश्यकता है? दूसरा मेरा निवेदन है कि कितने ड्राइवर्स और कन्डक्टर्स अभी उपलब्ध हैं और कितनों की आवश्यकता है? तीसरा यह है कि कोटा और बारां जो डिपो हैं उनकी हालत इतनी खराब है कि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। न सफाई की व्यवस्था है, न रोशनी की है, न शौचालय आदि की व्यवस्था है, न विश्राम की व्यवस्था है। इसी प्रकार से जो वर्कशाप हैं वहां पर भी न तकनीकी कर्मचारी हैं। एक बस छोटी सी गलती के लिए भी ठीक होने के लिए जाती है तो घंटों तक पड़ी रहती हैं सवारियां। इतनी परेशान होती रहती हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो इनकी दिक्कतें हैं इनको दूर करें और कोटा और बूंदी डिपो हैं उनकी व्यवस्था ठीक से चलाने की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : श्री हेमराज मीणा।

श्री हेमराज मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि छबड़ा छीपाबड़ोद पर 41 बसें स्वीकृत हैं समय सारणी के अनुसार लेकिन केवल 4 बसें ही चल रही हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि 41 बसें कब तक चालू हो जायेंगी ? दूसरे किशनगंज शाहबाद में भी बसों की भयंकर अव्यवस्था है। वहां पर कई बसें नियमित रूप से नहीं चल रही हैं, उनको भी चलाने की मंत्री महोदय की कोई योजना है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गुलाम मुस्तुफा।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पिछले पांच साल से नागौर के अन्दर एक भी नयी बस अलाट नहीं की गयी है। आप यह फरमा रहे हैं कि 250 बसें जब दे रहे हैं तो कम से कम 50 बसें नागौर में दें। दूसरा मेरा सवाल यह है कि अभी तक सारे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स से जयपुर को डीलक्स बसें जा रही हैं लेकिन नागौर से अभी तक कोई भी डीलक्स बस चालू नहीं की गयी है। इसलिए यह दोनों मांगें मेरी रखी जायें और उनको पूरा किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मी नारायण दवे।

श्री लक्ष्मी नारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि राज्य सरकार ने जो राष्ट्रीय राज मार्गों के ऊपर जो बसों की कटौती की है, उस कटौती के आधार या कोई मापदण्ड तय किये हैं, कोई प्रक्रिया तय की हैं ? किन आधार पर उन्होंने कटौती की है इस बारे में स्पष्टीकरण करें। क्या यह सभी राष्ट्रीय राज मार्ग पर समान रूप से लागू की है ?

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि जितने भी जिलों के आगार हैं, डिपो हैं वहां से जितनी बसों की संख्या कम है, यहां मंत्री जी के पास भी और विभाग के पास भी रिक्वीजीशन भेजा हुआ है। तो राज्य सरकार कब तक उन डिपोज को जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उसकी पूर्ति कर देंगे ? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने पूछा कि स्टाफ की कितनी कमी है सो तो मैंने पूर्व में ही निवेदन कर दिया कि उनके आदेश कर दिये गये थे। कुछ ज्वाइन करने के बाद वहां पर ड्यूटी पर नहीं गये उनके खिलाफ तो मैंने निर्देश दे दिये हैं निगम को कि कार्यवाही करें और जितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उनके अगेन्स्ट दूसरे लोगों का ट्रान्सफर कोटा में और बारां में कर दिया जाये। दूसरे माननीय सदस्य ने निवेदन किया कि कोटा और बारां में कुल बसों की संख्या हमारी कितनी है। तो कोटा में 83 और बारां में 53 बसें हमारी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने निवेदन किया कि कितनी कटौती की गयी है तो मुझे यह बताते हुए

(श्री जगमालसिंह यादव)

हर्ष है कि जहां भारत सरकार ने और देश के दूसरे निगमों, ने रोडवेजों ने कटौती की है वहीं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने खाड़ी संकट के बावजूद भी एक भी प्रतिशत कटौती नहीं की और विषय परिस्थितियों में भी कहीं चलाने का काम किया है।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : क्या रह गया फिर ?

श्री हेमराज मीणा : 4 बसें ही चल रही हैं। 41 बसें कब चालू करेंगे, वह बताइये आप ?

श्री हीरालाल आर्य : कितनी बसें खटारा है, यह तो बताइये।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल जी आर्य आप क्या कर रहे हैं ? आपको किसने कहा बोलने के लिए ? आप बैठिये। मूल प्रश्नकर्ता को सवाल पूछने दीजिए। आप बैठिये।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन यह चाहता हूं आप के माध्यम से कि कितने दिनों में सुचारू रूप से उस रूट पर बसें संचालित कर दी जायेगी। जो आपने बताया है कि परिचालकों का ट्रान्सफर करके वहां भेज दिया गया है, उसमें से 29 वहां जो परिचालक हैं वह निलम्बित चल रहे हैं उन को भी काउन्ट किया जाता है। निलम्बित हैं तो जायेंगे कैसे ? मैं उनकी सिफारिश नहीं कर रहा हूं कि निलम्बित को बहाल किया जाये लेकिन निलम्बित की जगह दूसरे परिचालक भेजे जायें ताकि वहां की भी व्यवस्था सुधर सके। जितनी कभी-कभी है, उतने और भेजे जायें और कब तक व्यवस्था सुचारू रूप से कर दी जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मंत्री जी आप तो कुछ इस रोडवेज में सुधार बता दीजिए कि क्या करना चाहते है लोगों को सन्तोष हो जायेगा।

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो जब आप आदेश फरमायेंगे नीतिगत वक्तव्य में हाऊस में दे दूंगा अभी रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया कि कुछ आगारों में बसों का अभाव है तो मैं उनकी बात से सहमत हूं। उसके लिए मैंने अभी आपसे अर्ज किया, सदन को निवेदन किया है कि 517 बसें इस साल परचैज कर रहे हैं और जहां-जहां सम्भव होगा वित्तीय संसाधनों को देखते हुए निगम उतनी बसें सभी आगारों में पहुंचायेगा।

माननीय सदस्य ने अभी सवाल किया कि जो बसे दो हैं वह बसें चल नहीं रही है और तीन-चार बसें ही चल रही है और वह भी रात को चल रही हैं तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह हैं कि सदन सर्वोपरि है अगर आप आदेश दे तो उसकी जांच करा लें या फिर माननीय सदस्य को किस हिसाब से सन्तुष्टि हो, जांच का विषय है, आप कहें, जिस तरह की जांच कराने को तैयार हूं। यह सही है कि रोडवेज की हड़ताल की वजह

(श्री जगमालसिंह यादव)

से कुछ बसें हमारी खराब हो गयी उनको पूरा करने में भी समय लगेगा। कुछ व्यवस्था भी हमारे निगम में इस तरह से गड़बड़ा गयी थी कि बसें अभी रोड पर आने में हमें कुछ दिक्कतें हो रही हैं लेकिन ऐसी बसों की संख्या नगण्य है लेकिन फिर भी मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि 41 बसों के अगेन्स्ट में केवल 3 बसें ही उस रूट पर चल रही हैं और वह भी रात को चल रही हैं....

श्री अध्यक्ष : आप जांच करवा लीजिए।

श्री जगमालसिंह यादव : ..तो इस मामले में आप आदेश फरमायें तो माननीय सदस्यों की सन्तुष्टि के लिए मैं जांच कराने के लिए तैयार हूं....

श्री अध्यक्ष : जो लोग निलम्बित हो गये हैं उनका क्या है ?

श्री जगमालसिंह यादव : जहां तक निलम्बित का प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय, वह तो कानूनी कार्यवाही है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं उनकी जगह किसी और को भेजने की बात है।

श्री जगपालसिंह यादव : मैंने अपने मूल प्रश्न जवाब में निवेदन कर दिया था कि जिन लोगों को हमने वहां लगाया है और जो अवकाश लेकर चले गये और निलम्बित को एवज में भी कोटा में और बारां आगार में हम तुरन्त स्थानान्तरण करके तुरन्त उनके पदों की पूर्ति कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामस्रूप मीणा। (अनुपस्थित)

(प्रश्न संख्या 257 कृपया आगे देखें)

नेक्स्ट, श्री चुन्नी लाल।

सवाई माधोपुर में राजस्व अभियान

258. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

वर्ष 1990 में तहसील सवाईमाधोपुर में राजस्व अभियान के दौरान नायब तहसीलदार कैलाशचन्द्र लखेरा व गिरदावर लक्ष्मणसिंह द्वारा हल्का खिलमीपुर में कई व्यक्तियों के नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किये गये और पटवारी से घूस मांगी गई। घूस न देने के कारण पटवारी के कार्यकाल में नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किये गये क्या सरकार उक्त अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : जी नहीं। श्री अमरलाल पटवारी द्वारा अब तक ऐसी कोई शिकायत नहीं की कि उसके द्वारा दायर नामान्तरकरण जांच/तस्दीक हेतु गिरदावर/नायब तहसीलदार सवाईमाधोपुर उससे घूस मांग रहे है व सम्बन्धित कृषकों से भी जब कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई तो जांच व कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री चुन्नीलाल : क्या 1990 के दौरान प्रशासन गांवों की ओर अभियान चला था।

श्री गंगाराम चौधरी : जी हां, चला था लेकिन 9-7-90 को जो अभियान इस गांव में चलाया जा रहा था वह स्थगित इसलिये कर दिया गया कि उस वक्त विधान सभा का सैशन चल रहा था ।

श्री चुन्नीलाल : अभियान के दौरान जो नामान्तरकरण खोले गये थे क्या उन नामान्तरकरणों को पटवारी द्वारा भरने के बावजूद भी गिरदावर और नायब तहसीदार द्वारा तस्दीक नहीं किया गया ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह सही नहीं है । अध्यक्ष महोदय, 9-7-90 को जब अभियान स्थगित कर दिया गया तो उसके बाद में 13-11-90 को तहसीलदार ने इनसे रिकार्ड लेकर भू प्रबन्ध अधिकारी को दे दिया । इन पटवारीजी का स्थानान्तरण हो गया था वहां से बहुत पहले 26-6-90 को और इन्होंने चार्ज नहीं दिया था । तहसीलदार खुद मौके पर गये और उन्होंने बड़ी मुश्किल से 13-11-90 को चार्ज दूसरे पटवारी मिस्टर गोयल, जो वहां पोस्ट किये गये थे, को दिलवाया था । यह नामान्तरकरण जो इन्होंने पेश किये थे भू प्रबन्ध अधिकारी को, बाद में उन पर सारा निर्णय ले लिया गया था दिसम्बर में और उस पर निर्णय लेने के उपरान्त भी इस पटवारी ने चार्ज नहीं दिया और इसको फिर सस्पैण्ड करना पड़ा और इसके खिलाफ 973 रुपये जो इनके बकाया निकले थे, मुकदमा भी दर्ज करवाना पड़ा और निलम्बित भी करना पड़ा । अब तक वह निलम्बित हैं ।

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो पटवारी है, यह मेरा छोटा भाई है, अमरलाल । यह मौके पर मौजूद था । इसने नामान्तरण खोले और नामान्तरण खोलने के बाद गिरदावर और नायब तहसीलदार को उसने यह कहा कि हम जनप्रतिनिधियों में से हैं और मेरा भाई एम. एल. ए. है इसलिये काम का निपटारा आज ही होना चाहिये । लेकिन नायब तहसीलदार व कैलाशचन्द्र लखेरा और लक्ष्मणसिंह, गिरदावर ने बार-बार कहने के बावजूद भी पटवारी के तस्दीक किये नामान्तरणों को नहीं खोला और उससे आर्थिक लाभ की कोशिश की गई । इसी संदर्भ में कलक्टर सवाईमाधोपुर को मैं मिला हूं और एस डी. ओ. सवाईमाधोपुर को मैं मिला हूं । मैंने कहा, यह जो बकाया काम इस हल्के का है इसको तुरन्त निपटा लिया जाय और यहां से इस पटवारी का ट्रांसफर जो किया गया है यह तुरन्त चार्ज वहां जा करके ले लेगा । लेकिन प्रशासन ने इसको मूंछ मुद्दा बनाया और यह कहा कि आप कर्मचारियों की जो शिकायत करते हैं तो आप तो सस्पैण्ड हैं न । अध्यक्ष महोदय, 900 रुपये तहसीलदार ने उसी जगह छीने थे, रिकार्ड भी सारा छीन लिया पटवारी हैडक्वार्टर के ऊपर, और झूठी रिपोर्ट पुलिस में मेरे छोटे भाई के खिलाफ करवाई और आज भी वह सस्पैण्ड पड़ा हुआ है । मैंने गंगारामजी चौधरी को यह कहा था कि इसकी एन्टी करप्शन विभाग से जांच करा ली जाय । अगर वह दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिये....

श्री अध्यक्ष : आपने कोई लिखित में दिया है कि जबानी कहा ?

श्री चुन्नीलाल : नहीं, लिखित में दिया है मैंने साहब।

श्री अध्यक्ष : अच्छा। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल : नहीं, इसमें कहने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष : फिर आप बिराजिये। आपके पास लिखित में आयी क्या इनकी शिकायत ?

श्री गंगाराम चौधरी : जी नहीं, लिखित में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये। लिखित में है ?

श्री केदारनाथ शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, पर्सनल इंट्रेस्ट का सवाल हो किसी माननीय सदस्य का....

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, लिखित में कोई बात नहीं आई थी। इन्होंने कहा था जिसकी जानकारी मैंने....(व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल : लिखित में दी है साहब, मैंने दी है। पटवारी ने शिकायत की है। आपको मैंने एन्टीकरप्शन से जांच के लिए एक दरख्वास्त पेश की थी और उन अधिकारियों के खिलाफ जो-जो भी उन्होंने कारनामे किये हैं उनकी भी आपको दरख्वास्त दे रखी है। इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री महोदय का....

श्री केदारनाथ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आनरेबल मैम्बर का किसी प्रश्न में अगर पर्सनल इंट्रेस्ट है तो इस हाउस में उसे पूछने की इजाजत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ठीक नेक्स्ट, डा. जितेन्द्र सिंह।

नशा उन्मूलन के अन्तर्गत आर्थिक सहायता

259. **श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर)** : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा जैसलमेर जिले में मादक पदार्थों के सेवन से मुक्ति के विविध उपाय किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या ?

(2) क्या राज्य सरकार नशा छोड़ने वाले व्यक्तियों को कोई आर्थिक सहायता भी देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण विभाग (श्री कुन्दनलाल मिगलानी) : (1) जी हां, विभाग द्वारा जिला जैसलमेर में मादक पदार्थों के सेवन से मुक्ति के लिए अफीम मुक्ति चिकित्सा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान ट्रस्ट माणकलाव, जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान.... (व्यवधान) में अफीम मुक्ति के विविध उपाय किये जा रहे हैं। इस हेतु इस वित्तीय वर्ष में अब तक पांच प्रदर्शनियां दो सेमीनार व दो मोबाइल कैम्प आयोजित किये जा चुके हैं।

(2) जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप पूछिये।

श्री जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पश्चिमी राजस्थान के कुछ

(श्री जितेन्द्र सिंह)

जिलों में और विशेष रूप से जैसलमेर में अफीम का जो सेवन है वह एक अभिशाप के रूप में पिछले 30-40 वर्षों से निरन्तर रूप से बना हुआ है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 40 वर्ष पश्चात् भी राज्य सरकार इस ओर कोई विशेष कार्यक्रम चलाकर या अभियान चला कर इसका उन्मूलन करने में सर्वथा असमर्थ रही है। अफीम के सेवन से प्रभावित व्यक्तियों का आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक शोषण होता है और उनका समस्त परिवार इससे प्रभावित होता है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो अभियान चलाया गया उसका प्रभाव बिल्कुल नगण्य है। राज्य सरकार ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया है। यह सब आंकड़े ही है जो सदन के पटल पर प्रस्तुत हुए हैं। तो इसको प्राथमिकता देकर एक अभियान के रूप में चला कर इससे प्रभावित व्यक्तियों को मुक्ति दिलायी जाय ताकि सामाजिक उत्थान हो सके वरना असम्भव तो नहीं, कठिन अवश्य है इस प्रभावित क्षेत्र में।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। आप पूछ रहे हैं? एक बात हेतराम जी पूछ रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में जो राज्य सरकार ने जवाब दिया है कि हमने पांच कैम्प लगाये और उन कैम्पों में लोगों को नशा छुड़ाने के लिये प्रेरित किया, कार्यवाही अपनायी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उनमें जिन-जिन लोगों को नशा छुड़ाया, क्या दुबारा राज्य सरकार ने उन लोगों से सम्पर्क किया या पता किया कि उन्होंने नशा छोड़ा या नहीं छोड़ा या एक ड्रामा करके दस पांच के नाम लिस्ट में ले लिये? मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि मैंने तो ऐसे कैम्प देखे जिन कैम्पों में खुद नशा करते हैं और उसके बाद उसे छुड़ाने की कोई व्यवस्था करते हैं। तो इसलिए क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि वह जो कैम्प हैं उनके बारे में उनकी जांच का क्या आधार रहा है और किस तरह से वे लोग हैं, कितने लोगों की सूची है?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जैसलमेर से पधारने वाले जो यह फरमा रहे है कि वहां पर यह कार्यक्रम पूर्णरूप से नहीं है, उसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा और यह आश्वासन दिलाता हूं कि इस बारे में आइन्दा कोई भी जो आपकी तरफ से राय दी जायगी उसके अनुरूप हम कार्य को तैयार हैं आप सजेशन दे दीजिए हम करने को तैयार हैं।

माननीय सदस्य जो संगरिया से पधारे हुए हैं उन्होंने फरमाया है कि जिनको नशा मुक्ति करवा दी गई है क्या उनको दुबारा पूछा गया? जी हां, जो वहां पर नशा मुक्ति कैम्प लगाये गये थे, 122 लोगों से नशा मुक्ति करवाई गई और उनको दुबारा चैक करने पर 82 व्यक्ति बिल्कुल नशा मुक्त पाये गये। उन्होंने दुबारा नशे को टच नहीं किया है। दुबारा उनसे यह पूछा जाता है।

श्री जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि अफीम मुक्ति कार्यक्रम में माणकलाव ने अपने सीमित साधन-संसाधनों से बहुत अच्छा काम किया है परन्तु राज्य सरकार की ओर से या समाज कल्याण विभाग की ओर से या चिकित्सा विभाग की ओर से इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई है। जो माणकलाव की संस्थान है उनके साधन-संसाधन बहुत सीमित हैं और उनके प्रभारी जो व्यक्ति है उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और उसने इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर राज्य सरकार तो सो रही है इस दिशा में।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि इन्होंने राजस्थान मन्त्रिमण्डल के कितने सदस्यों को नशा मुक्ति के लिये प्रेरित किया है?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ.... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : नौ तारीख का वाकया है। जिस समुदाय के लोगों को एक समुदाय द्वारा यहां मारा गया......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं खड़ा हूं।....(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : उसके ऊपर न्यायिक जांच के आदेश करें....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दर्ज नहीं किया जाय।

श्री जुबेर खान : XXX

श्री बुलाकीदास कल्ला : XXX

श्री ईश्वरलाल सैनी : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। आप बोलते जाइये। अंकित नहीं हो।

श्री ईश्वरलाल सैनी : XXX

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट 2 देखें।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

बांदीकुई क्षेत्र के पशु चिकित्सालय

251. **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कुल कितने पशु चिकित्सालय हैं? क्या उन सभी में पूरा स्टाफ लगा हुआ है? यदि नहीं, तो रिक्त पदों को सरकार अब कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में 3 पशु चिकित्सालय कार्यशील हैं। स्टाफ पूर्ण

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(पशुपालन राज्य मंत्री)

है, रिक्त पदों को भरने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बीकानेर उरमूल डेयरी का राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी में बकाया

255. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा): दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर उरमूल डेयरी का राज. को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन में बकाया चल रहा है ? यदि हां, तो कितनी राशि बकाया है ? उसे कब तक चुका दिया जाएगा ?

(2) जिला दुग्ध उत्पादक संघ यूनियन के अध्यक्षों को सरकार ने क्या-क्या रियायतें दे रखी हैं ? क्या यूनियन के अध्यक्षों को जिला प्रमुखों के समकक्ष सुविधायें देने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो समकक्ष सुविधायें कब तक मुहैया करवा दी जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। उरमूल यूनियन का कोई बकाया नहीं है।

(2) सरकार कोई रियायत नहीं दे रही है। राज्य सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

बाल विकास एवं महिला विकास के अन्तर्गत योजनायें

257. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1986 से जनवरी 1991 तक बाल विकास एवं महिला विकास के अन्तर्गत कौन-कौन सी योजना आरम्भ की गई ? किस-किस योजना का कितना-कितना लाभ महिला व बालकों को प्राप्त हुआ ?

(2) पोषाहार योजना के अन्तर्गत जिला सवाई माधोपुर के क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1990 में कौन-कौन से केन्द्रों पर कितना कितना पोषाहार बांटा गया ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) यह सामग्री कहां से खरीदी और कितनी खरीदी, कितनी वितरण की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सन् 1986 से जनवरी, 1991 तक महिला विकास के अन्तर्गत केवल एक नई योजना वर्ष 1988-89 के लिए शहरी क्षेत्र की विधवा महिलाओं को स्वयं रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए चलाई गई थी। बाल विकास के अन्तर्गत समेकित बाल विकास योजना एवं महिला विकास के अन्तर्गत महिला विकास एवं ड्वाकरा योजनायें पहिले से ही संचालित हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत 1986 से जनवरी, 1991 तक के लाभान्वितों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) पोषाहार योजना के नाम से कोई योजना नहीं है। समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरक पोषाहार आंगनबाडी केन्द्रों पर दिया जाता है। जिला

(महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री)

सवाई माधोपुर की टोडाभीम परियोजना में वर्ष 1990 में जिन-जिन केन्द्रों पर जितना जितना पोषाहार बांटा गया उसकी आंगनबाड़ीवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) यह सामग्री मोडर्न फूड इण्डस्ट्रीज लिमि., जयपुर से खरीदी गई। इसके क्रय एवं वितरण का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य में निराश्रित बालकों के लिए संस्थाओं की स्थापना

433. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार के सहयोग से निराश्रित बालकों के लिये राज्य में संस्थाएं संचालित की जा रही हैं? यदि हां, तो कितनी तथा उनमें कुल कितने बालक क्या-क्या सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं? पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त संस्थाओं का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है? यदि हां, तो किसके द्वारा?

(3) क्या निरीक्षण के दौरान कोई अनियमितताएं पाई गई हैं? यदि हां, तो किस-किस संस्था में? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में 33 स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा निराश्रित बाल गृह की 77 ईकाइयां संचालित हैं। (प्रत्येक ईकाई 25 बालकों हेतु) इनमें 1745 बालक/बालिकायें जनवरी, 1991 में लाभ उठा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा उक्त निराश्रित बाल गृहों हेतु निम्न सुविधायें प्रदान की जा रही हैं :—

1. 110/- रुपये प्रति बालक प्रति माह भोजन, वस्त्र, तेल-साबुन, शिक्षा, स्टेशनरी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण बाबत।

2. प्रत्येक गृह माता को 300/- रुपये प्रतिमाह वेतन।

3. प्रत्येक कुक के लिये 150/- रुपये प्रतिमाह वेतन।

4. दो ईकाइयों पर एक सुपरवाइजर हेतु 200/- रुपये प्रतिमाह वेतन।

5. जन संख्या के आधार पर प्रति बालक प्रतिमाह क्रमशः एक लाख से नीची आबादी वाले स्थान के लिये 25/- रुपये प्रति बालक प्रतिमाह, एक लाख किन्तु दो लाख से नीचे आबादी वाले स्थान के लिये 30/- रुपये प्रति बालक प्रति माह तथा दो लाख से ऊपर आबादी वाले स्थान के लिये 35/- रुपये प्रति बालक प्रति माह भवन किराया अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

(समाज कल्याण राज्यमंत्री)

(2) जी हां। उक्त संस्थाओं का समय समय पर विभाग के उच्च अधिकारियों एवं जिला स्तर पर विभाग के जिला अधिकारी तथा जिला बालक अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया जाता है।

(3) जी हां। ऐसे निराश्रित बाल गृहों की विभाग द्वारा मान्यता समाप्त करदी गई है तथा उन संस्थाओं को स्वीकृत अनावर्तक राशि से क्रय किये गये सामान की वसूली की कार्यवाही की जा रही है तथा कुछ निराश्रित बाल गृहों की विभाग द्वारा विशेष ऑडिट कराई जा रही है। बन्द किये गये निराश्रित बालगृहों की सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

विधान सभा क्षेत्र सिवाना (बाड़मेर) अनु. जाति के छात्रावास

434. **श्री हुकमाराम मेघवाल** (सिवाना) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना के चार छात्रावासों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को क्या-क्या सुविधायें सरकार द्वारा प्रदान की गई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि छात्रावास के दो भवन तैयार हैं ? क्या शेष दो भवनों को बनाने की स्वीकृति सरकार द्वारा दी जा चुकी है ? यदि हां, तो इसमें होने वाले व्यय की पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विभाग द्वारा छात्रावासों में विद्यार्थियों को निम्न सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं :—

(1) भोजन, नाश्ता, कपड़ा, बिजली, पानी, बाल कटाई, साबुन, तेल, जूते आदि पर कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों हेतु 170/- रुपये प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

(2) प्रत्येक सत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को 60 रुपये प्रति छात्र एवं कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 40/- रुपये प्रति छात्र पुस्तकें, स्टेशनरी तथा फीस हेतु दिये जाते हैं।

(3) प्रति छात्र को निम्न सामान उपलब्ध कराया जाता है :—

(1) एक दरी

(2) दो कम्बल

(3) एक तकिया मय दो गिलाफ

(4) दो चादर

(5) एक गद्दा

4. प्रत्येक छात्र को निम्नानुसार बर्तन दिये जाते हैं :—

(1) एक थाली

(2) दो कटोरी

(3) एक प्लास्टिक मग (बड़ा)

(समाज कल्याण राज्यमंत्री)

5. प्रत्येक छात्र को एक चारपाई या लकड़ी का तख्ता उपलब्ध कराया जाता है।

6. प्रत्येक छात्र को अपना सामान रखने हेतु एक अलमारी अथवा लोहे का बक्सा दिया जाता है।

(2) जी नहीं। राजकीय छात्रावास, सिवाना का भवन बना हुआ है। समदड़ी छात्रावास का भवन पूरा नहीं हुआ है और विभाग को नहीं सौंपा गया है।

छात्रावास सिणधरी के भवन हेतु 11.50 लाख रुपये अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा स्वीकृत किये गये थे किन्तु कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण स्वीकृति निरस्त की जा चुकी है। राजकीय छात्रावास, पादरु हेतु कोई स्वीकृति नहीं दी गई है।

अजमेर जिले के अनु. जाति/जनजाति के स्नातक बेरोजगारों को आर्थिक सहायता

435. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने स्नातक/अधिस्नातक बेरोजगार हैं? क्या समाज कल्याण विभाग इन्हें बेरोजगारी वृत्तिका उपलब्ध कराता है? यदि हां, तो अजमेर जिले में गत तीन वर्षों में कितने बेरोजगारों को वृत्तिका दी गई?

(2) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के इन बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा आवेदन किये जाने के पश्चात् भी 6 से 12 माह वृत्तिका स्वीकृति में लग जाते हैं! अजमेर जिले के ऐसे बेरोजगार व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखें जिन्हें आवेदन करने के पश्चात् भी अभी तक वृत्तिका स्वीकृत नहीं की गई है।

उत्तर

1. रोजगार कार्यालय, अजमेर की जीवित पंजिका पर 31 दिसम्बर, 1990 को अनुसूचित जाति एवं जन जाति के अधिस्नातक क्रमशः 31 व 11 तथा स्नातक 512 व 52 पंजिकृत थे। इसमें से केवल प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण स्नातक एवं स्नातकोत्तर बेरोजगार व्यक्तियों को विभाग द्वारा वृत्तिका उपलब्ध कराई जाती है। गत तीन वर्ष 87-88, 88-89 एवं 89-90 में निम्न तालिका अनुसार बेरोजगार वृत्तिका दी गई :—

वर्ष	स्नातक	स्नातकोत्तर
1987-88	4	4
1988-89	0	6
1989-90	0	6

2. आवेदन पत्र में किसी प्रकार की कमी न पाये जाने की स्थिति में वृत्तिका प्रायः आवेदन पत्र प्राप्ति के माह में ही स्वीकृत करदी जाती है। अजमेर जिले के श्री सुरेन्द्रसिंह एवं श्री विनोद कुमार, 2 बेरोजगार युवकों के प्रार्थना पत्र जो सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग, अजमेर द्वारा दिनांक 15-1-91 को निदेशालय में प्रेषित किये गये थे, उनमें से श्री विनोद कुमार को वृतिका नियमानुसार देय

80.

(समाज कल्याण राज्यमंत्री)

नहीं होने के कारण उनका आवेदन पत्र क्रमांक 6302, दिनांक 7-2-91 को सहायक निदेशक अजमेर को वापिस भेज दिया गया है तथा इसी पत्र के माध्यम से श्री सुरेन्द्र सिंह के आवेदन पत्र के साथ संरक्षक की ओर से देय घोषणा पत्र तथा मूल आय प्रमाण पत्र संलग्न न होने के कारण उपलब्ध कराने हेतु सहायक निदेशक, अजमेर को निर्देश प्रदान किये गये है।

विभाग का वार्षिक आय-व्ययक लेखा--जोखा

436. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन): क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग को वर्ष 1987-88, 1988-89, 1989-90 एवं 1990-91 में कुल कितनी बजट राशि-स्वीकृत की गई एवं कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण निम्न प्रकार से सदन की मेज पर रखें :--

(1) पिछड़े वर्गों के उत्थान एवं कल्याण हेतु :—

(अ) शैक्षणिक विकास

(ब) आर्थिक विकास

(स) सामाजिक विकास (उत्थान)

(2) बाल कल्याण

(3) महिला कल्याण

(4) विकलांग कल्याण

(5) सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखे।)

क्रय-विक्रय सहकारी समिति केकड़ी (अजमेर) गबन-घोटाले

437. **श्री शम्भूदयाल बड़गूजर** (केकड़ी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केकड़ी क्रय-विक्रय सहकारी समिति में गबन व घोटाले के मामले प्रकाश में आये हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ? दोषी व्यक्तियों के नाम आरोपों के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या केकड़ी क्रय-विक्रय सहकारी समिति में गबन व घोटाले के कारण क्षेत्र की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यवधान हुआ है ? यदि हां, तो क्या भविष्य में इसे पुनः चालू करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि राशन डीलर्स के पैसे समिति में जमा हैं ? यदि हां, तो किस-किस डीलर की, कितनी-कितनी रकम जमा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) डीलर्स की जमा रकम के पुनः भुगतान की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी हां। कार्यवाही प्रचलित कर दी गई है। आरोपितों के नाम मय आरोपों के विवरण की सूची परिशिष्ट "क" के रूप में सदन के पटल पर रख दी गई है। समिति के व्यवस्थापक श्री बंशीधर। चोबदार को निलम्बित कर दिया गया है।

(3) जी हां। इस समिति को भविष्य में चालू करने की योजना विचाराधीन है।

(4) जी हां। सूची परिशिष्ट 'ख' के रूप में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) सदस्यों में बकाया राशि को वसूली कर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें।)

उपभोक्ता संघ जयपुर को सीवेल कम्पनी द्वारा दवाइयों की सप्लाई

438. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाड़पुरा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उपभोक्ता संघ जयपुर में सीवेल नामक कम्पनी दवाइयों की सप्लाई करती है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में इस कम्पनी ने कितनी राशि की दवाएं सप्लाई की?

(2) क्या यह सही है कि यह कम्पनी पूर्व में 15 प्रतिशत डिस्काउन्ट देती थी और बाद में इससे 10 प्रतिशत डिस्काउन्ट ही तय कर लिया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि यह कम्पनी उपभोक्ता संघ को 15.80 रुपये प्रति बोतल की दर से दे रही है जबकि प्राइवेट दुकानों को 14.20 रुपये की दर से देती है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि यह कम्पनी अन्य दुकानदारों को दो कार्टून पर 6 बोतल व उपभोक्ता संघ को 3 कार्टून पर 6 बोतल बतौर फ्री देती है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, सीवेल कम्पनी राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ को औषधियां सप्लाई करने हेतु कन्साइनमेण्ट के आधार पर दिनांक 4-5-88 की क्रय समिति की बैठक में अनुमोदन किया गया था। जब से कम्पनी अनुमोदित हुई है कि दिसम्बर, 1990 तक रु. 5,86,367.74 की औषधि की सप्लाई संघ को की गई है जिसका वर्षवार विवरण निम्न है :-

1988-89	54,936.73 रु.
1989-90	1,90,849.68 रु.
1990-91	3,40,581.33 रु.
योग	5,86,367,74 रु.

(2) जी, नहीं। सीवेल कम्पनी का अनुमोदन क्रय समिति की बैठक दिनांक 4-5-88 के निर्णयानुसार 10% व्यापारिक छूट के आधार पर कन्साइनमेण्ट पर किया गया था उसके पश्चात् कम्पनी ने अपने पत्र दिनांक 22-7-88 में कुछ शर्तों के साथ 15% व्यापारिक छूट (10% + 5%) पर

(सहकारिता मंत्री)

दवाई सप्लाई करने हेतु सहमति प्रदान की परन्तु कम्पनी द्वारा प्रस्तावित पूर्ति व्यवहारिक नहीं होने के कारण संघ शर्तों की पूर्ति नहीं कर पाया, अतः अन्य कम्पनियों की तरह इस कम्पनी से क्रय समिति की बैठक दिनांक 8-9-89 में 10% व्यापारिक छूट पर क्रय करने का निर्णय लिया गया जो कि पूर्व अनुमोदन के अनुरूप था।

(3) यह सही नहीं है कि सीवेल (SeeWell) कम्पनी उपभोक्ता संघ को 15.80 रु. प्रति बोतल की दर से फल्यूड (5% डेक्सट्रोज 500 एम. एल. सप्लाई कर रही है। वस्तुस्थिति यह है कि उपरोक्त फल्यूड उपभोक्ता संघ को 15.20 प्रति बोतल की दर से सप्लाई किया गया है। मैं कमल क्लिनिक, रामगंज व कमल नर्सिंग होम, बनीपार्क को इसी दर पर यह फल्यूड सप्लाई किया गया है। प्रारम्भिक जांच के दौरान यह अवश्य पाया गया है कि कम्पनी ने मैं. क्योरवेल (जयपुर) व संतोबा दुर्लभजी मेमोरियल अस्पताल में ड्रग स्टोर को 14.80 प्रति बोतल की दर से यही फल्यूड सप्लाई किया गया है। इस प्रकरण में विस्तृत जांच कराई जा रही है। माह दिसम्बर, 90 से इस कम्पनी से माल क्रय करना बन्द कर दिया गया है एवं इस कम्पनी के बकाया भुगतान को भी रोक दिया गया है।

(4) प्रारम्भिक जांच से पाया गया है कि मैं. क्योरवेल, जयपुर को अधिक स्कीम दी गई है। क्योरवेल को एक कार्टुन पर तीन बोतले दी गयी हैं एवं उपभोक्ता संघ को एक कार्टुन पर दो बोतल फ्री दी गयी है। अन्य दुकानों के संबंध में जांच करने के पश्चात् ही वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन

439. श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम सेवा सहकारी समिति के बनाने हेतु क्या नॉर्म्स हैं?

(2) क्या ग्राम निम्बावास (भीनमाल) ग्राम सेवा सहकारी समिति के नॉर्म्स पूरा करता है? यदि हां, तो क्या सरकार पंचायत समिति निम्बाबास हेतु पृथक् से ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाने का विचार है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) ग्राम सेवा सहकारी संस्थाएं अपने क्षेत्र के कृषकों/ग्रामीणों की प्रभावी ढंग से सेवा कर सके और आर्थिक सक्षमता बनाये रख सके, इसके लिए मानदण्ड निश्चित होते हैं। वर्ष 1984 में निम्न मानदण्ड थे :—

1. वर्ष में 4.00 लाख रुपये का ऋण वितरण एवं सदस्यों में कम से कम 5.00 लाख रुपये ऋण बकाया?
2. सदस्य संख्या कम से कम 400
3. कृषि आदान हेतु वर्ष में 75 टन उर्वरक का वितरण।
4. वर्ष में 75,000 रूपये की उपभोक्ता वस्तुओं का व्यापार।

(सहकारिता मंत्री)

5. जिन क्षेत्रों में उर्वरकों का वितरण कम हो रहा है उन क्षेत्रों में कम से कम 1.00 लाख रुपये की उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण।

यह मानदण्ड काफी पुराने हैं और अब नाबार्ड 10.000 लाख रुपये ऋण बकाया को सक्षमता का मानदण्ड मानता है। राज्य में वर्ष 1976 में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पुनर्गठन का कार्यक्रम सम्पन्न हो चुका है।

वर्तमान में एक ग्राम पंचायत पर एक समिति गठित किये जाने एवं उसके लिये नये मानदण्ड निर्धारित किये जाने संबंधी प्रकरण विचाराधीन है।

(2) जी नहीं।

मोती गृह निर्माण समिति जयपुर द्वारा आवंटित भू-खण्ड

440. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगू) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मोती गृह निर्माण समिति, जयपुर ने चौमू रोड स्थित (विद्याधर नगर के आस-पास) की कृषि भूमि पर आवासीय/वाणिज्यिक पट्टे दिये हैं ? यदि हां, तो किस-किस को ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त समिति ने कुछ भू-खण्डों को दो या दो से अधिक व्यक्तियों को विक्रय किया यदि नहीं, तो आवसीय भू-खण्ड संख्या 120 से 130 तक के पट्टे एवं साइड प्लान की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। चौमू रोड स्थित (विद्याधर नगर के आस-पास) दो योजनाओं योजना संख्या 2 एवं योजना संख्या 3 में कृषि भूमि पर सदस्यों को रिहायशी एवं वाणिज्यिक भू-खण्डों का आवंटन किया है। सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–क)

(2) इसकी जांच करवा रहे हैं। आवासीय भूखण्ड संख्या 120 से 130 में से भूखण्ड संख्या 122, 124, 130 अभी भी किसी को आवंटित नहीं है भूखण्ड संख्या 120, 121, 122, 125, 126, 127, 128 एवं 129 के पट्टे एवं साईड प्लान सदन की मेज पर रख दिए गए हैं। (परिशिष्ट–ख)

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

सहायता कोषाधिकारी नाथद्वारा (उदयपुर) द्वारा यात्रा बिलों का भुगतान

441. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहायक कोषाधिकारी, नाथद्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोठारिया, जिला उदयपुर के अध्यापकों के यात्रा बिलों का भुगतान 8 किलोमीटर के कम दूरी के कारण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो गत 5 वर्षों

(श्रीमती उजला अरोडा)

में किस आधार पर यात्रा बिलों का भुगतान किया गया।

(2) क्या यह सही है कि उस मार्ग की दूरी सक्षम अधिकारी द्वारा अलग-अलग मानी गई है ? यदि हां, तो कोष कार्यालय किस सक्षम अधिकारी के द्वारा बताई गई दूरी को सही मानता है ?

(3) क्या यह सही है कि सहायक लेखाधिकारी नाथद्वारा द्वारा लम्बित यात्रा बिलों के भुगतान में समय-समय पर अनावश्यक आक्षेप लगाकर भुगतान में विलम्ब किया जाता है ?

(4) क्या यह सही है कि सहायक कोषाधिकारी, कोषाधिकारी उदयपुर एवं जिलाधीश, उदयपुर द्वारा रा. मा. विद्यालय कोठारिया, जिला उदयपुर से रा. मा. वि. बड़ा बाजार की दूरी पृथक्-पृथक् बतलाई है ? यदि हां, तो क्यों एवं किस आधार पर ?

(5) सामान्यतया विभाग यात्रा बिलों के भुगतान में निम्न में किस अधिकारी द्वारा प्रमाणित दूरी के आधार पर बिलों का भुगतान करता है :—

(अ) सहायक कोषाधिकारी, नाथद्वारा (ब) कोषाधिकारी, उदयपुर

(स) जिलाधीश, उदयपुर (द) सहायक अभियन्ता, सा. नि. विभाग, उदयपुर

(य) अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नाथद्वारा

(6) अब तक उपरोक्त विचाराधीन यात्रा बिलों का भुगतान कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 के अनुसार ही यात्रा बिलों का भुगतान किया जाता है ?

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) सामान्य एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी निश्चित की हुई होती है।

(6) यदि यात्रा भत्ता बिल नियमानुसार होंगे, तो उनका भुगतान कर दिया जावेगा।

नायब तहसीलदार, जमवारामगढ़ (जयपुर) द्वारा रजिस्ट्रेशन

442. **श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर**–(जमवारामगढ़) :– राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील जमवारामगढ़ में रजिस्ट्रेशन (रजिस्ट्री) का कार्य नायब तहसीलदार करता है ? यदि हां, तो गत एक वर्ष में कितनी रजिस्ट्रियां हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तहसीलदार की उपस्थिति में भी नायब तहसीलदार ही रजिस्ट्री का कार्य करता है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। तहसीलदार की अनुपस्थिति में ही नायब तहसीलदार रजिस्ट्रेशन का कार्य करते है।

(2) जी नहीं।

अजमेर जिले के राजकीय कार्यलयों का निजी भवनों से संचालन

443. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व):—क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर में इस समय कितने सरकारी कार्यालय किराये के भवन में चल रहे हैं ?

(2) इन भवनों के किराये के रूप में प्रतिवर्ष कितना किराया चुकाया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जानकारी संलग्न है।

(2) जानकारी संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

राज्य की नॉन टैक्स रेवेन्यू

444. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) :—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सरकार की नॉन-टैक्स रेवेन्यू विगत 10 वर्षों में कितनी बढ़ी है ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सरकार की नॉन-टैक्स रेवेन्यू विगत 10 वर्षों में निम्न प्रकार से हुई है :—

वर्ष	रुपये लाखों में
1980-81	1, 98, 36. 06
1981-82	1, 75, 92. 44
1982-83	2, 32, 63. 03
1983-84	2, 67, 44. 57
1984-85	2, 79, 98. 13
1985-86	3, 00, 27. 10
1986-87	2, 97, 74. 06
1987-88	3, 69, 52. 62
1988-89	3, 62, 15. 23
1989-90	4, 70, 28. 48

लेखाकर्मियों की पदोन्नतियां

445. **श्री रामप्रसाद** (वैर) क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि कोष एवं लेखा विभाग में कनिष्ठ लेखाकार, लेखाकार एवं सहायक लेखाधीकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में विपरीत प्रविष्टियां, विभागीय परीक्षा में अनुत्तीर्ण एवं अन्य कारणों से लेखाकर्मी पदोन्नति से वन्चित रहे हैं ? वर्ष 1980 से 1990 तक की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा जो लेखा कर्मी पदोन्नति के पात्र

(वित्त मंत्री)

नहीं पाये गये हैं उनको पदोन्नति नहीं दी गई है। वर्ष 1980 से 1990 तक पदोन्नति से वंचित रहे कर्मियों की सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें।)

नवें वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य को अतिरिक्त आर्थिक केन्द्रीय सहायता

446. श्री **बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर):–क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि नवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर राज्य सरकार को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मिलेगी? यदि हां, तो किन-किन विभागों को कितनी-कितनी राशि 8 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मिल जावेगी तथा कुल कितनी राशि मिलेगी? पिछले वित्त आयोग की सिफारिशों की तुलना में कितनी राशि अधिक मिल सकेगी?

(2) क्या यह सही है कि मरूस्थलीय इलाकों के विकास हेतु पर्वतीय स्थलों के विकास की पद्धति पर केन्द्रीय सहायता मिलेगी? यदि हां, तो कुल कितनी-कितनी राशि किन विभागों को मिलेगी?

उत्तर

(1) वित्त आयोग द्वारा केन्द्रिय सहायता के बारे में सिफारिश नहीं की जाती है। वित्त आयोग राज्यों को केन्द्रीय करों और शुल्कों में उनके हिस्से का अन्तरण व राज्यों को मिलने वाले सहायता अनुदान के बारे में सिफारिश करता है। नौवें वित्त आयोग ने राजस्थान राज्य को 1990-95 की अवधि के लिये कुल 6525. 62 करोड़ रुपये के अन्तरण की सिफारिश की है जबकि आठवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार यह राशि 1984-89 की अवधि के लिये रुपये 1976. 17 करोड़ रुपये थी।

(2) वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत इस प्रकार की कोई केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं होती है।

डेगाना (नागौर) में ए. सी. ई. एम. का रिक्त पद

447. **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना):–क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या डेगाना जिला नागौर में ए. सी. ई. एम. का पद करीब 7-8 महीनों से रिक्त हैं?

(2) यदि हां, तो सरकार इस पद पर कब तक पदस्थापन कर देगी?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 10–7–90 से रिक्त हैं।

(2) इस पद को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(37)

सामान्य शिक्षकों एवं शारीरिक शिक्षकों की पदोन्नति

448. **श्री मनोहर सिंह (लाडनूं)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि द्वितीय वेतन श्रृंखला में पदोन्नति हेतु सामान्य शिक्षक के पद योग्यता स्नातक, बी. एड. है एवं शारीरिक शिक्षक हेतु योग्यता सी. पी. एड. व 10 वर्ष का अनुभव ही पर्याप्त है ? यदि हां, तो सामान्य शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक पद पर पदोन्नति हेतु यह असमानता क्यों है ?

(2) क्या सामान्य शिक्षक की तरह ही शारीरिक शिक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु स्नातक डी. पी. एड. को प्राथमिकता दी जाती है ? यदि नहीं, तो समानता के आधार पर सामान्य शिक्षक हेतु भी द्वितीय वेतन श्रृंखला में पदोन्नति का आधार बी. एस. टी. सी. व 10 वर्ष का अनुभव क्यों नहीं रखा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि तृतीय वेतन श्रृंखला के सामान्य अध्यापक को बी. एड. प्रशिक्षण प्राप्त करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि देय है ? यदि हां, तो इसी श्रेणी के अन्य अध्यापक जैसे शारीरिक शिक्षक आदि को डी. पी. एड. या बी. एड. करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि क्यों नहीं देय है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के अनुसार सामान्य शिक्षक की द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक की पदोन्नति हेतु योग्यता स्नातक व बी. एड. है। शारीरिक शिक्षक हेतु स्नातक के साथ सी. पी. एड. व पांच वर्ष का अनुभव तथा सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी के साथ सी. पी. एड. व 10 वर्ष के अनुभव का प्रावधान है ।

(2) सामान्य शिक्षक की तरह डी. पी. एड. को प्राथमिकता का प्रावधान नियमों में नहीं है । सामान्य शिक्षक व शारीरिक शिक्षक दो अलग-अलग वर्ग हैं । बिन्दु संख्या 1 में उल्लेखित नियमों के अनुसार नियमों में प्रावधान अलग-अलग होने से पदोन्नतियां अलग-अलग वरिष्ठता एवं रिक्तियों के आधार पर की जाती हैं ।

(3) जी हां । वर्तमान में शारीरिक शिक्षकों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ।

राज्य कर्मचारियों की कार्यकुशलता में अभिवृद्धि

449. **श्री चम्पालाल जैन (ब्यावर)** : क्या मुख्य मंत्री (कार्मिक) यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार कर्मचारियों की कार्य कुशलता में अभिवृद्धि के उपायों पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) कार्यालय विभागाध्यक्ष के साथ विधायक विचार-विमर्श कर जनहित में उपयोगी सुझाव दे, इस बारे में सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) कर्मचारियों की कार्यकुशलता में अभिवृद्धि हेतु राज्य सरकार निरन्तर प्रयासरत है तथा उच्च स्तर पर आयोजित समस्त बैठकों में भी इस मुद्दे पर विचार किया जाता रहा है। समय-समय पर प्राप्त सुझावों पर विचार कर वांछित निर्देश/आदेश भी जारी किये जाते रहे हैं। कार्य-कुशलता की अभिवृद्धि हेतु समय-समय पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है।

(2) विधायकों एवं जन प्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा विचार कर कार्यवाही की जाने की व्यवस्था है।

झालावाड़ जिले के पशु चिकित्सालय

450. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में किन-किन स्थानों पर पशु चिकित्सालय हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उनमें दवाइयां उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों को पशुओं का उपचार कराने में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है ?

(3) क्या सरकार डग पंचायत समिति को पंचायत केन्द्र हरनावद के आस-पास के ग्रामीण आंचल को ध्यान में रखते हुए वहां पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में 17 पशु चिकित्सालय कार्य कर रहे हैं। स्थानों की सूची "क" संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) वर्ष 1991-92 के दौरान राज्य में कहीं भी नये पशु चिकित्सालय नहीं खोले जाने हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

बांसवाड़ा में जिला पशुपालन अधिकारी का कार्यालय

451. **श्री नवनीत लाल नीनामा** (घाटोल) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा में जिला पशुपालन अधिकारी का कार्यालय कब से खुला है ?

(2) क्या जिला पशुपालन अधिकारी बांसवाड़ा का कार्यालय खुलने के बाद से अब तक राज्य सरकार को विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार, घोटालों, अनियमितताओं, धांधली एवं षड्यन्त्रों की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं ? यदि हां, तो कब-कब ? क्या शिकायत सही पाई गई हैं ? यदि हां, तो उन शिकायतों पर कब-कब क्या-क्या कार्यवाहियां की गई एवं किनको दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या कार्यालय के प्रारम्भ से आज तक मंत्रालयिक कर्मचारियों का कार्य तकनीकी कर्मचारियों से लिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों ?

(4) वर्तमान में जिला पशुपालन अधिकारी बांसवाड़ा के अधीन कितनी संस्थायें कार्य कर रही हैं एवं कौन-कौन

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

डाक्टर एवं कम्पाउण्डर तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कितने लम्बे समय से यहां कार्यरत हैं ?

उत्तर

(1) जिला पशुपालन अधिकारी का कार्यालय वर्ष 1976-77 में बांसवाड़ा में प्रारम्भ किया गया।

(2) जिला पशुपालन अधिकारी, बांसवाड़ा कार्यालय के विरुद्ध पशुपालन तकनीकी कर्मचारी संघ, बांसवाड़ा के माध्यम से दिनांक 5-9-84 को शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच क्षेत्रीय उपनिदेशक द्वारा कराई गई। जांच के बाद शिकायत सही नहीं पाई गई। इसलिए दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) मंत्रालयिक कर्मचारियों में कनिष्ठ लिपिक के पद रिक्त होने की स्थिति में तकनीकी कर्मचारियों से कार्य निष्पादित को देखते हुए कार्य करवाया गया। कनिष्ठ लेखाकार का कार्य वरिष्ठ लिपिक से करवाया जा रहा है।

(4) जिला पशुपालन अधिकारी बांसवाड़ा के अधीन 55 संस्थायें कार्यरत हैं। कार्यरत डाक्टर कम्पाउण्डर एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संस्थावार सूची "क" संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी (चित्तौड़गढ़) में पशु चिकित्सालय

452. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) निम्बाहेड़ा (छोटी सादड़ी) विधान सभा क्षेत्र के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय कहां-कहां है ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में नये पशु चिकित्सालय कहां-कहां खोलने के प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) निम्बाहेड़ा (छोटी सादड़ी) विधान सभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में 2 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 3 पशु चिकित्सालय विद्यमान हैं। नामवार सूची "क" संलग्न है।

(2) वर्ष 1991-92 के दौरान राज्य में कहीं भी नये पशु चिकित्सालय नहीं खोले जाने हैं।

(सूची के लिए परिशिष्ट 10 देखें)

बांसवाड़ा जिले में परियोजना अधिकारी, सघन कुक्कुट विकास खण्ड का कार्यालय

453. **श्री नवनीत लाल नीनामा** (घाटोल) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बांसवाड़ा जिले में परियोजना अधिकारी, सघन कुक्कुट विकास खण्ड कार्यालय कब से खोला गया है ?

(2) क्या सघन कुक्कुट विकास खण्ड

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

कार्यालय बांसवाड़ा खुलने के पश्चात् अब तक भ्रष्टाचार आदि की शिकायतें जिला कलक्टर के मार्फत या सीधे राज्य सरकार को मिलती रही है ? यदि हां, तो कब-कब व दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या सघन कुक्कुट विकास खण्ड कार्यालय बांसवाड़ा में पूर्व परियोजना अधिकारी डा. श्याम मोहन अस्थाना को निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो कब तथा किन आरोपों के कारण ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या वर्तमान में कार्यरत परियोजना अधिकारी डाक्टर गौरी नंदन पुरोहित के विरुद्ध कोई जांच जिला कलक्टर द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो किस विषय में तथा क्या इसकी जानकारी राज्य सरकार को है ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा में परियोजना अधिकारी सघन कुक्कुट विकास खण्ड एवं चूजा पालन केन्द्र की स्थापना जनवरी, 1977 में हुई है ।

(2) विभागीय स्तर पर कोई जानकारी नहीं है ।

(3) जी हां, डा. श्याम मुरारी अस्थाना (श्याम मोहन) को फरवरी, 86 में पक्षियों को पालने हेतु दाना खरीदने के लिए दी गई राशि का उपयोग समय पर नहीं करने एवं राजकीय कार्य में निष्क्रियता एवं लापरवाही बरतने के कारण निलम्बित किया गया था ।

(4) जी हां, गलत दाना मैसर्स प्रेस्टीज फीड मील, इन्दौर से प्राप्त करने के कारण, जांच कलक्टर, बांसवाड़ा द्वारा करवाई जा रही है ।

मुर्गीपालन केन्द्रों को आर्थिक सहायता

454. **श्री फूलचन्द** (नीम का थाना) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या प्रदेश में मुर्गीपालन केन्द्रों को सरकार अनुदान देती है ? यदि हां, तो अब तक कितने केन्द्रों को कितनी राशि का अनुदान दिया जा चुका है ?

(2) क्या पशुपालन विभाग की ओर से पशुपालकों को पशुओं की बिमारियों से बचाव हेतु जानकारी देने के लिए किसी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस हेतु कोई अन्य कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, कुक्कुट पालन केन्द्र खोलने हेतु अनुदान जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के माध्यम से दिया जाता है । विभाग द्वारा गत वर्ष एवं इस वर्ष 353 मुर्गी पालन केन्द्र खोलने हेतु अनुदान के रूप में 6 लाख रुपयों की राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को दी गई है ।

(पशुपालन राज्य मंत्री)

(2) जी नहीं। विभाग द्वारा किसी पत्रिका का प्रकाशन नहीं किया जाता है, किन्तु समय-समय पर रेडियो, दूरदर्शन, प्रदर्शनियों एवं गोष्ठियों आदि के माध्यम से पशु पालकों को बीमारियों के बचाव हेतु जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

'गीर' नस्ल की गायों के संवर्द्धन हेतु डग से झालावाड़ जिले में फार्म स्थानान्तरण

455. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) "गीर" नस्ल की गायों के संवर्द्धन के लिये फार्म झालावाड़ जिले के डग से स्थानान्तरित कर अजमेर जिले में पुनः स्थापित करने की राज्य सरकार की योजना की क्या प्रगति है।

(2) क्या स्थान का चयन कर लिया गया है? अगर हां, तो उसका आधार क्या है?

(3) यदि नहीं, तो कब तक कर लिया जावेगा?

उत्तर

(1) गीर नस्ल की गायों के संवर्धन एवं विकास हेतु पशु प्रजनन केन्द्र की स्थापना अजमेर जिलेमें किये जाने हेतु उपयुक्त भूमि प्राप्त की जाने सम्बन्धी कार्यवाही जारी है। उपयुक्त भूमि प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही गीर पशुओं को झालावाड़ जिले के डग नामक स्थान पर कार्यशील पशु प्रजनन केन्द्र से स्थानान्तरित किया जाना सम्भव होगा।

(2) स्थान का चयन अभी तक अन्तिम रूप से नहीं किया जा सका है।

(3) इस बारे में अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि फार्म की स्थापना हेतु आवश्यक मात्रा में उपयुक्त भूमि, पीने/सिंचाई योग्य पानी की निरन्तर उपलब्धता एवं जलवायु/मिट्टी सहित सभी मूल भूत आवश्यकताओं की अनुकुलता का होना प्राथमिक आवश्यकता है।

लालसोट में पशुपालन अधिकारी (डाक्टर्स) के स्वीकृत पद

456. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति लालसोट में पशुपालन अधिकारी (डाक्टर्स) के कितने पद स्वीकृत हैं?

(2) क्या यह सही है, कि पंचायत समिति लालसोट के कई पशु चिकित्सालयों में डाक्टर्स के पद सृजित होने के बाद से ही रिक्त चले आ रहे हैं? यदि हां, तो रिक्त पदों को निश्चित तौर पर कब तक भर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) पंचायत समिति लालसोट में डाक्टर्स के 4 पद स्वीकृत हैं।

1. प्रभारी, पशु चिकित्सालय, लालसोट

(पशुपालन राज्य मंत्री)

2. प्रभारी, पशु चिकित्सालय, होदायली

3. प्रभारी, पशु चिकित्सालय, राहूवास

4. प्रभारी, पशु चिकित्सालय, मण्डावरी

(2) जी नहीं,

केवल एक पद पशु चिकित्सालय होदायली में रिक्त है। नव सृजित पद राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी प्राप्त होते ही भर दिया जावेगा।

विभिन्न जिलों में कार्यरत जिला सेवा अधिकारी

457. **श्री सालिगराम** (बयाना) :

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या आयोजना (जनशक्ति) राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रत्येक जिले में मुख्य आयोजना अधिकारी जिलाधीश के अधीन व जिला आयोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अधीन कार्यरत हैं ? यदि हां तो किस-किस जिले में किस किस जिला सेवा के पदाधिकारी कार्यरत है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार मुख्य आयोजना अधिकारी व जिला आयोजना अधिकारी के दोनों पदों में से एक पद ही रखने का विचार रखती है ? यदि हां तो क्या एक ही व्यक्ति दोनों कार्य कुशलता से सम्पन्न कर पायेगा ? यदि नहीं, तो क्या उन्हें सपोर्टिंग अधिकारी का सहयोग मिले इस दृष्टि से अतिरिक्त अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त किये जायेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि आयोजना व परिवीक्षण का कार्य केवल आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा के अधिकारी व कर्मचारी ही अच्छी तरह सम्पादित कर सकते हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, प्रत्येक जिले में मुख्य आयोजना अधिकारी का एक पद स्वीकृत है, जो जिला कलेक्टर के अधीन कार्यरत है। वर्तमान में 20 जिलों में यह पद भरे हुए हैं। जिलेवार सेवा की सूची, जिनसे यह पद भरे गये हैं, संलग्न है।

(2) अभी कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ है।

(3) ऐसा आवश्यक नहीं है, अन्य सेवा के अधिकारी द्वारा भी आयोजना एवं परिवीक्षण का कार्य सम्पादित किया जा रहा है। तथा विभिन्न सेवाओं में उपलब्ध योग्य अधिकारियों से यह कार्य करवाया जा सकता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें।

भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत प्रदेश में खेतीहर मजदूरों को प्रशिक्षण

458. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (ज. ग्रामीण):

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत प्रदेश में खेतीहर मजदूरों को संगठित करने का सरकार विधेयक बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता। ऐसा कोई प्रकरण विधि विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

हिण्डौन (सवाईमाधोपुर) में ए.डी.जे. कोर्ट की स्थापना

459. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार हिण्डौन में स्थायी ए. डी. जे. कोर्ट खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) हिण्डौन में कौन से कोर्ट हैं एवं उनमें कितने मुकदमे किस-किस प्रकृति के विचाराधीन हैं, कितने का निबटारा हो चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। धनाभाव के कारण सरकार हिण्डौन में ए. डी. जे. कोर्ट खोलने का विचार नहीं रखती है।

(2) हिण्डौन में कोर्ट की तथा विचाराधीन एवं निपटाये गये मुकदमों की सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें।)

राज्य में नये न्यायालयों की स्थापना

460. **श्री लक्ष्मी लाल** (आसीन्द) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शीघ्र सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध हो उसके लिए केम्प कोर्ट की क्या कोई अन्य योजना सरकार के विचाराधीन है?

(2) क्या सरकार मुकदमों की अत्यधिक संख्या को मध्य नजर रखते हुए अतिरिक्त नये न्यायालय स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और कितने ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। पूरे वित्तीय वर्ष 1991-92 में पांच ए. डी. जे. तथा अनुमानतः 20 मुन्सिफ न्यायालय।

तहसील बसवा व सिकराय के फौजदारी मुकदमे

661. **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई): क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामकिशोर सैनी)

(1) क्या यह सही है कि तहसील बसवा व सिकराय के फौजदारी मुकदमे जो थाना कोलवा के क्षेत्राधिकार में आते हैं उनकी सुनवाई दौसा स्थित अदालतों में होती है ?

(2) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त दोनों तहसीलों के फौजदारी मामलात को बांदीकुई स्थित अदालत में ही सुनवाई करवाने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

ग्राम सुन्दरपुरा की चरागाह भूमि पर काश्तकारों के कब्जे

462. **श्री रामेश्वर** (जमवारामगढ़):—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत दूधी आममोद तहसील विराटनगर के नये ग्राम सुन्दरपुरा में चरागार भूमि पर करीब 25 साल पूर्व से कुछ काश्तकार काबिज हैं ?

(2) यदि हां तो उनके नाम भूमि का नियमन अब तक क्यों नहीं किया गया ?

(3) क्या ग्राम सुन्दरपुरा में जो कृषक नियमानुसार भूमि नियमन की परिभाषा में आते हैं उनकी भूमि का नियमन सरकार करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। नये ग्राम सुन्दरपुरा में चरागाह भूमि पर गत 25 वर्ष से किसी काश्तकार का कब्जा काश्त नहीं है।

(2) चरागाह भूमि पर 1–1–70 से पूर्व से लगातार कब्जा काश्त नहीं होने से नियमन की कार्यवाही नहीं की गई है।

(3) ग्राम सुन्दरपुरा की चरागाह भूमि पर जो अतिक्रमी है उनके मामले नियमानुसार नियमन योग्य नहीं हैं।

राजस्व मंडल अजमेर द्वारा मुकदमों का निपटारा

463. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्व मंडल अजमेर में गत तीन वर्षों में कितने वाद दर्ज किये गये हैं और कितने मुकदमों का निपटारा किया गया ?

(2) जनवरी. 1991 तक कितने वाद विचाराधीन है तथा इनके शीघ्र निस्तारण हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

(1) गत 3 वर्षों में राजस्व मण्डल अजमेर में दर्ज व निस्तारित वादों की स्थिति निम्न प्रकार है :—

वर्ष	दर्ज	निस्तारण
1988-89	4094	5729
1989-90	4796	5339
1990-91	4098	4268

(2) 31 जनवरी, 1991 को 13649 वाद विचाराधीन थे। इनके शीघ्र निस्तारण हेतु प्रत्येक दिन 6 एकलपीठ एवं 1 खण्डपीठ का गठन किया जा रहा है। वादों का निस्तारण दर्ज वादों के मुकाबले में अधिक है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 464

(स्थगित)

अतारांकित प्रश्न संख्या 465

(स्थगित)

लालसोट (जयपुर) तहसील में ग्राम डिपो

466. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लालसोट (जयपुर) तहसील के ग्राम डिपो में दिनांक 6-1-1972 को खसरा नं. 104 रकबा 7 बीघा का आवंटन किया गया था ?

(2) यदि हां, तो क्या आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं करने के कारण अतिरिक्त जिलाधीश दौसा ने दिनांक 14 सितम्बर 1983 को उक्त आवंटन निरस्त कर पुनः उक्त भूमि को सिवाय चक दर्ज कराने का निर्णय दिया ? निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आवंटन निरस्त होने के बाद भी राजस्व रिकार्ड में राजस्व विभाग द्वारा उक्त भूमि को पुनः सिवाय चक दर्ज नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। तहसील लालसोट के ग्राम डिपो में दिनांक 6-1-72 को खसरा नं. 104/2 रकबा 7 बीघा का आवंटन श्री मूलक्षा पुत्र भूंथा गुर्जर साकिन डिपो के नाम किया गया।

(2) जी, हां। निर्णय की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी, नहीं, । अति. कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 14–9–83 के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा भूमि को पुनः सिवायचक दर्ज कर दिया गया है। नामान्तरण करण की प्रति संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चित्तौड़गढ़ व उदयपुर जिलों में आवंटित कृषि भूमि

467. **श्री शान्तिलाल** (राजसमंद):— क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री शान्तिलाल)

(1) श्री मोहम्मद शेर खां निवासी सावा जिला चित्तौड़गढ़ एवं इनके निकटतम रिश्तेदार (माता-पिता, भाई-बहिन, पत्नी एवं पुत्र-पुत्रियों) के नाम पर चितौड़गढ़ एवं उदयपुर जिलों में कितनी-कितनी कृषि भूमि है ?

(2) उक्त भूमि कब-कब एवं किनसे प्राप्त की ?

(3) क्या उक्त भूमि को खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में भी लिया जा रहा है ? यदि हां, तो उसका विवरण, सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्री मोहम्मद शेर खाँ निवासी सावा जिला चितौड़गढ़ एवं इनके निकटतम रिश्तेदार (माता-पिता, भाई-बहिन, पत्नी एवं पुत्र-पुत्रियां) के नाम चितौड़गढ़ जिले में कुल 63-32 हेक्टर भूमि दर्ज रेकार्ड है। तहसील एवं रिश्तेदार वाइज विवरण की सूची संलग्न है। उदयपुर जिले में श्री मोहम्मद शेर खां निवासी सावा के नाम पर कोई कृषि भूमि नहीं है।

(2) विवरण संलग्न सूची में दर्शाया गया है।

(3) जी, हां। विवरण संलग्न सूची में दर्शाया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पथ परिवहन निगम की बसों का संचालन

468. श्री हुकमाराम मेघवाल (सिवाना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में परिवहन निगम की कितनी बसें चल रही हैं तथा कितनी नई बसें चलाने का सरकार विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार सिवाना से जोधपुर रोडवेज बस सुविधा शुरू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या जोधपुर से कल्याणपुर होते हुए सिवाना को परिवहन सुविधा का आदेश हो चुका है ? यदि हां, तो इस मार्ग पर बस कब तक शुरू करने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) सिवाना में कहां कहां प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं ? प्राइवेट गाड़ियों के मालिकों को कौन कौन से रूट दिये गये हैं ? गाड़ी नम्बर, रूट व मालिकों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में परिवहन निगम की 16 बसें संचालित हैं। इससे अधिक बस सेवायें वर्तमान यात्री-भार अनुसार संचालित करना सम्भव नहीं है।

(2) जी नहीं। जोधपुर से सिवाना मार्ग तीन वाया होकर हैं। प्रथम मार्ग वाया कल्याणपुर-बालोतरा होकर हैं जो राष्ट्रीयकृत है और 148 किलो मीटर दूरी

(यातायात मंत्री)

का मार्ग है। द्वितीय मार्ग वाया कल्याणपुर–समदड़ी–करमावास होकर है जिसकी कुल दूरी 129 किलो मीटर है इस मार्ग का कल्याणपुर से सिवाना तक का 65 किलो मीटर भाग राष्ट्रीयकृत नहीं है। और इसकी दशा भी ठीक नहीं है, मार्ग गिट्टी रोड का बना हुआ है। तृतीय मार्ग कींच-धूंधाड़ा--रामपुरा--ददीपुरा-समदड़ी--करमावास-देवड़ा मेली होकर हैं जो कुल 95-कि. मीटर का मार्ग हैं, जिस पर वर्तमान में निजी वाहने संचालित हैं।

सिवाना से जोधपुर जाने वाले यात्री मुख्यतया रेल यात्रा को प्राथमिकता देते हैं और बस से जाने वाले यात्री निजी वाहनों से यात्रा को प्राथमिकता देते हैं जिनका मार्ग कम दूरी का होने से किराये की दृष्टि से अधिक सुविधाजनक है। निगम द्वारा माह अप्रैल, 88 से 15-8-88 तक एवं 26--6--89 से 6--1--90 तक जोधपुर--सिवाना वाया बालोतरा मार्ग पर सीधी बस सेवा संचालित की गई थी, लेकिन अधिक दूरी का मार्ग होने के कारण इस बस सेवा को पर्याप्त यात्री भार न मिल पाने के कारण बन्द करना पड़ा। अतः सिवाना से जोधपुर वाया बालोतरा होकर निगम की सीधी बस सेवा का संचालन अब भी अनार्थिक रहने की आशंका है।

(3) जी नहीं। प्रश्न के भाग 2 के उत्तर में इंगित कारणोंवश जोधपुर से कल्याणपुर होते हुये सिवाना तक निगम की सीधी बस सेवा प्रारम्भ करने का वर्तमान में कोई विचार नहीं।

(4) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें।)

राज्य में अवैध वाहनों का संचालन

469. **श्री रामकरण सिंह** (कोटपुतली) क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यातायात मंत्री की यह जानकारी में है कि जयपुर के स्टेशन रोड से प्रतिदिन अवैध बसें विभिन्न जगहों पर यात्रियों को ले जाती हैं ?

(2) क्या इन अवैध बसों को रोकने का कोई प्रयास किया गया ? यदि हां, तो क्या ? उसके क्या परिणाम रहे ?

(3) क्या कभी इस बात का सर्वे किया गया कि राजस्थान में कितने वाहन अवैध चल रहे हैं तथा इससे सरकार को कितने राजस्व का नुकसान हो रहा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) परमिट की शर्तों की अवहेलना करने वाले वाहनों के चालान किये जाते हैं। नियमित चैकिंग के दौरान दि. 1-4-90 से 31-1-91 तक की अवधि में जयपुर में ऐसे 92 चालान बनाये गये हैं। इन वाहनों से 1,37, 655/- रु. जुमाने की राशि वसूल की गई है।

(3) इस तरह का कोई सर्वे नहीं कराया गया है,

अजमेर जिले में पथ परिवहन निगम की बस सेवा

470. **हरीश झामनानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले में कुल कितने गांवों को निगम बस सेवा से जोड़ रखा है ? कुल कितने गांव इस सेवा से वंचित हैं तथा वर्ष 1991-92 में कितने गांवों को निगम बस सेवा से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

(2) क्या अजमेर नगर में निगम सिटी बस चलाने की योजना है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) अजमेर केन्द्र कार्यशाला से वर्ष 1990-91 में कुल कितनी खराब निगम बसों की नीलामी की गयी ? इससे निगम को कुल कितनी आय हुई ? वित्त वर्ष 1985-86, 1986-87, 1987-88 और 1988-89 व 1989-90 में नीलामी में बसें खरीदने वाले लोगों की सूची तथा प्रतिवर्ष नीलामी से प्राप्त राशि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर जिले के 352 गांवों को वर्तमान में निगम बस सेवा से जोड़ा हुआ है। शेष 587 गांव निगम बस सेवा से जुड़े हुये नहीं है।

वर्तमान में 135 और ग्रामों को निगम बस सेवा से जोड़ने का लक्ष्य है जिसका क्रियान्वयन राष्ट्रीयकरण योजनाओं के अन्तिम प्रकाशन पर निर्भर हैं।

(2) जी नहीं। निगम की आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं है।

(3) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 471
(स्थगित)

प्रान्त में परिवहन चौकियां

472. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रान्त में कुल कितनी परिवहन चौकियां हैं ? उनसे चालान की कुल कितनी राशि पिछले तीन वर्षों में प्राप्त हुई ? विवरण वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चौकियों पर चालान बुकों पर नम्बर नहीं होने का मामला सरकार के ध्यान में आया है ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की जांच कराई गई ? तथा इसमें कौन व्यक्ति दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) प्रान्त में कुल 21 परिवहन

(यातायात मंत्री)

चौकियां हैं। इन परिवहन चौकियों से पिछले तीन वर्षों में विभिन्न चालानों द्वारा अर्जित राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	आय
1987-88	13, 60, 190.00 रुपये
1988-89	23, 87, 365.00 रुपये
1989-90	18, 67, 893.00 रुपये

(2) जी हां। यह सही है कि चालान बुकों पर नम्बर नहीं होने का मामला सरकार के ध्यान में आया है। इस सम्बन्ध में जांच विचाराधीन है। जांच रिपोर्ट आने पर ज्ञात होगा कि कौन व्यक्ति दोषी है।

राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों से होने वाली आय

473. **श्री फूलचन्द** (नीम का थाना): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में वर्ष 1990-91 तक कितनी बसें कार्यरत हैं तथा कितनी क्षतिग्रस्त हैं? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निगम में विभिन्न श्रेणी के कितने कर्मचारी अब कार्यरत हैं?

(3) निगम में अनुबन्धित प्रति बस की औसत आमदनी निगम का खर्च निकाल कर प्रतिदिन कितनी है?

(4) निगम की बसों व निगम में अनुबन्धित बसों की आय में अन्तर के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) वांछित ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) अनुबन्धित बसों से निगम को प्रति बस प्रति कि. मी. 4.57 रुपये आय होती है इसके विरुद्ध निगम द्वारा 1.05 रु. प्र. कि. मी. विशेष सड़क कर का भुगतान, बस मालिक को बस श्रेणी अनुसार 2.85 रुपये से 4.35 रुपये प्रति कि. मी. से भुगतान, एवं निगम परिचालक की सेवायें, बस स्टेण्ड, टिकिट, स्टेशनरी, चैकिंग व प्रशासनिक खर्चे वहन करने पड़ते हैं।

(4) निगम की वाहन तथा निगम में अनुबंधित वाहनों की आय में अन्तर के निम्न कारण हैं :—

1. अनुबन्धित वाहनों को लम्बे मार्गों पर चलाया जाता है। ये मार्ग अच्छी श्रेणी के होते हैं तथा अन्तर संभागीय मार्ग होते हैं। स्वभाविक ही है कि इन लम्बे मार्गों पर चलने वाले वाहनों की आय अधिक होगी एवं इन वाहनों का डीजल एवरेज भी अच्छा होगा। जबकि निगम की बसें ग्रामीण एवं छोटे-छोटे मार्गों पर चलती हैं जिससे इनकी आय भी कम होती है एवं डीजल एवरेज भी अच्छा नहीं होता है।

2. इसके अतिरिक्त निगम में एक बस

(यातायात मंत्री)

पर करीब 8 कर्मचारी कार्यरत हैं व अनुबन्धित बसों में एक बस पर एक या दो कर्मचारी कार्यरत होते हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें।)

चम्बल की दायीं मुख्य नहर की मरम्मत

474. **श्री सालिगराम** (बयाना) एवं :

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चरण चौकी रेगुलेटर के समीप 10 नवम्बर, 1990 के आस-पास चम्बल की दायीं मुख्य नहर अचानक टूट गई ? यदि हां, तो इससे कितना नुकसान हुआ ?

(2) क्या इस नहर के टूटने की वजह विभाग ने केकड़ों द्वारा छेद कर छलनी बना देने से हुए रिसाव को बताया है ?

(3) क्या 1960 में जब यह नहर बनी थी तब नहर की लाइनिंग नहीं की गई ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

(4) क्या अब नहर की लाइनिंग इस लिये नहीं की जा रही है कि इस पर 100 करोड़ का खर्चा है और इस दौरान 3-4 साल का जो समय लगेगा उस वक्त नहर को बन्द रखना पड़ेगा ? अगर हां, तो फिर इस समस्या का क्या समाधान प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या चलती नहर में लाइनिंग करने की टेक्नोलॉजी, जो विदेशों में विकसित की गई है; उसी आधार पर नहर को बन्द किये बगैर इस कार्य को सम्पादित नहीं किया जा सकता ?

उत्तर

(1) जी हां। इससे रु. 22,269 का नुकसान हुआ।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वित्तीय साधन सीमित थे।

(4) जी हां। इस समस्या के समाधान हेतु जिन स्थानों पर चम्बल दाई मुख्य नहर को अधिक खतरा है, उन स्थलों की पहचान कर ऐसे 48 स्थानों पर नहर की प्रत्येक स्थान पर लाइनिंग करने एवं 68 स्थानों पर नहर के तटबन्ध के बाहर की ओर काउन्टर का निर्माण तथा फिल्टर इत्यादि के निर्माण के प्राक्लन कुल 16,74 करोड़ की राशि के मध्यप्रदेश के अधिकारियों को उनकी सहमति हेतु जनवरी, 1991 में भेजा जा चुका है।

(5) चलते पानी में लाइनिंग करने की टेक्नोलॉजी विदेशों में विकसीत की गई है, इसमें अतिरिक्त सामग्री एवं उपकरणों की आवश्यकता के कारण इस टेक्नोलॉजी से लाइनिंग करवाने पर अधिक खर्च होगा। उपरोक्त विचाराधीन उपायों के अनुरूप कार्य करवाने से चलती नहर में लाइनिंग करवाने का विकल्प आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

इंदिरा गांधी नहर निर्माण में घपला

475. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर के निर्माण में प्रयुक्त ईंटों में वाइड्स के नाम से कोई घपला हुआ ? क्या इसकी जानकारी दिनांक 27-3-1987 को राजस्थान विधान सभा में दी गई थी ? यदि हां, तो इस सूचना के आधार पर राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी नहीं दिनांक 27-3-87 को जानकारी विधान सभा में दी गई थी उसमें ईंटों में "वाइड्स" के बारे में कुछ नहीं कहा गया था अतः राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य में शराब बन्दी

476. श्री गुलाम मुस्तफाखान (नागौर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे ।

(1) क्या यह सही है कि शराब पीने से नागरिकों के स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ता है तथा समाज में अपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरे राज्य में कब तक जन कल्याण हेतु शराब बन्दी लागू कर देगी ?

(2) क्या राजस्व प्राप्ति के लिये ही सरकार प्रदेश में शराब बन्दी योजना लागू नहीं कर रही है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि शराब पीने से नागरिकों के स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ता है परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि मदिरापान से अपराधिक प्रवृति बढ़ती है ? मात्र शराबबन्दी लागू करने से लोगों में मदिरापान की प्रवृति नहीं रोकी जा सकती । जब तक मदिरापान की बुराइयों से प्रेरित होकर जनता इससे विमुख नहीं होगी तब तक शराबबन्दी व केवल अवैध मदिरा के निर्माण व व्यापार को बढ़ावा देगी बल्कि राज्य सरकार को भी मिलने वाले राजस्व से वंचित रहना पड़ेगा । अतः फिलहाल राज्य में शराबबन्दी लागू करना संभव नहीं है ।

(2) प्रश्न के प्रथम भाग के उत्तर में उल्लेखित कारणों से शराब बन्दी लागू किये जाने पर आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखकर भी फिलहाल शराब बन्दी लागू नहीं करने का निर्णय लिया गया है ।

सोजत में शराब की अवैध दुकानें

477. श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत जिला-पाली में सरकार द्वारा शराब की दुकानों हेतु कहां-कहां लाइसेन्स किन-किन व्यक्तियों के नाम जारी किये गये हैं ? सूची सदन मेज पर रखें ।

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

(2) उक्त दुकानों के स्थान निर्धारण में सरकार की क्या नीति है ? क्या सोजत क्षेत्र में खोली गई दुकानों के सम्बन्ध में सरकार की नीति का पालन किया गया है ?

(3) क्या सरकार द्वारा शिवपुरा, सरदार समन्द, सोजत रोड, कण्टालिया, बगडी, मुसालिया, भैंसाना चौपड़ा, राजौला, रेपडावास, खारियानीव दुदोड़, बिलावास धाकडी, सुरायता, धिनावास स्थानों पर शराब की दुकानों के लाइसेन्स जारी किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अवैध रूप से चल रही दुकानों को बन्द करने के कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत जिला पाली में विभाग द्वारा शराब की दुकानें निम्न स्थानों पर स्वीकृत की गई है :—

देशी मदिरा

1. मारवाड़ जक्शन 2. सोजत रोड 3. सोजत सिटी 4. आऊजा 5. जोजावर 6. धनवा 7. भीमालिया 8. राणावास 9. जाडन 10. माण्डा 11. कन्टालिया 12. बगड़ी 13. सारण 14. सहरीयारी 15. लाड़पुरा 16. बड़ागुड़ा 17. चण्डावल 18. अटपड़ा

उप दुकानें—

1. सरदारसमन्द 2. रेल्वे कालोनी सोजतरोड़ 3. साण्डेराव 4. डहोड 5. फुलाद 6. मोडभरा सोजतसिटी

भा. नि. वि. मदिरा

1. सोजत सिटी 2. सोजत रोड़ 3. मारवाड़ जक्शन

उप दुकान

1. चण्डावल

अनुज्ञाधारियों के नाम

1. लेखराज पुत्र लालचन्द मेवाड़ा, सोजती गेट, जोधपुर।
2. गोपालसिंह पुत्र भंवरलाल, मेवाड़ा, रोहिट
3. मिश्रीलाल पुत्र लादूराम, मेवाड़ा, फालना
4. श्रीमति कलादेवी पत्नि श्री जयसिंह कलाल, रोहिट
5. कन्हैयालाल पुत्र भुरालाल, खेरड़ा
6. मोहनलाल पुत्र रूपराज कलाल, पाली
7. श्रीमति शकुन्तला देवी पत्नि भंवरलाल कलाल, जोधपुर
8. जुगलकिशोर पुत्र लक्ष्मीनारायण, जोधपुर
9. सीताराम पुत्र जीवराज कलाल, पाली
10. श्रीमति गीतादेवी पत्नि अशोक कुमार, रौहिट
11. केवलचन्द पुत्र जीवराज, पाली
12. अमृतलाल पुत्र भबूतराम, शिवगंज
13. श्रीमति भंवरी देवी पत्नि लालचन्द, जोधपुर
14. श्रीमति विद्यादेवी पत्नि सत्यनारायण, जोधपुर

(आबकारी मंत्री)

15. श्रीमति मंजुदेवी पत्नि रामकिशन, जोधपुर

16. श्रीमति भावनादेवी पत्नि सम्पतराज, जैसलमेर

17. श्री छगनलाल पुत्र पूनमचन्द साडेराव

(2) देशी मदिरा दुकानों की लोकेशन बाबत प्रावधान राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 तथा अनुज्ञापत्र शर्तों के रूप में है। विदेशी मदिरा दुकानों के लोकेशन के बारे में प्रावधान अनुज्ञापत्र में निहित है। सोजत क्षेत्र में देशी मदिरा दुकान चण्डावल को छोड़कर शेष दुकानों की लोकेशन नियम व अनुज्ञापत्र शर्तों के प्रतिकूल नहीं है। चन्डावल दुकान राष्ट्रीय राजमार्ग से निर्धारित दूरी से कम दूरी पर लगी हुई है। आगामी वित्तीय वर्ष में इसकी लोकेशन को नियमानुकूल करवा दिया जावेगा।

(3) विभाग द्वारा सरदारसमन्द, सोजत रोड, कन्टालिया, बगड़ी व दुदाड में दुकाने स्वीकृत हैं। शिवपुरा, मुसालिया, भैसाणा राजोला, खरियानीम, चोपड़ा, विलावास, धाकड़ी, मुरायता, विलावास एवं रेवड़ावास में अवैध दुकानें नहीं है।

राज्य में दुग्ध डेरियों की उत्पादन क्षमता

478. **श्रीमती रमा पायलट** (हिन्डोली):

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद): क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में दुधारू पशुओं की कुल कितनी संख्या है? उनसे कितना दूध डेयरियों को प्राप्त होता है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में स्थापित प्रत्येक डेयरी की क्या उत्पादन क्षमता है और उसका कितना प्रतिशत उपयोग हो रहा है? डेयरीवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) पूरी क्षमता का उपयोग न होने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) पशु गणना वर्ष 1988 के अनुसार राजस्थान में दुधारू पशुओं की संख्या 3625780 है। वर्ष 1990-91 में (अप्रेल से दिसम्बर, 90 तक) कुल 945.44 लाख लीटर दुग्ध डेयरियों को प्राप्त हो रहा है। जिलेवार दुधारू पशुओं की संख्या का विवरण परिशिष्ट "क" पर तथा वित्तीय वर्ष 1990-91 (अप्रेल से दिसम्बर, 90) में दुग्ध प्राप्ति की मात्रा परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(2) राज्य में स्थापित प्रत्येक डेयरी संयंत्र की विधायन क्षमता एवं वर्ष 1990-91 (अप्रेल से दिसम्बर, 90) में दुग्ध एवं उसका उपयोग (प्रतिशत में) का विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(3) दुग्ध संकलन की मात्रा कम होने के कारण डेयरी संयंत्रों की क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भूमि की रजिस्ट्री के सम्बन्ध में निर्णय

479. श्रीमती सुमित्रासिंह (पिलानी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 से प्रभावित भूमि की रजिस्ट्री करने के सम्बन्ध में एक बैठक दिनांक 20-12-1989 को शासन सचिव, नगरीय विकास, जयपुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें निदेशक, भूमि एवं भवन कर, महानिरीक्षक पंजियन एवं मुद्रांक उप-शासन सचिव, वित्त कर इत्यादि ने भाग लिया ? यदि हां, तो उक्त बैठक के पूर्ण निर्णय की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त अधिनियम दिनांक 9-3-1976 से राजस्थान में लागू हुआ एवं तत्पश्चात् दिनांक 19-12-1989 तक हजारों दस्तावेज बिना अनुमोदित मानचित्र के इस अधिनियम से प्रभावित भूमि के रजिस्ट्री कर दिये गये एवं दिनांक 20-12-1989 से आज तक सब रजिस्ट्रार (प्रथम) एवं (द्वितीय) जोधपुर ने, उक्त निर्णय की पूर्ण अवहेलना करते हुए सैकड़ों ऐसे अवैधानिक दस्तावेज रजिस्ट्री कर दिये हैं और करते आ रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि सब रजिस्ट्रार (द्वितीय) जोधपुर ने दामोदर कालोनी, जोधपुर के भूखण्ड संख्या 67 की जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों से प्रभावित है, बिना अगर भूमि अधिकतम सीमा के सक्षम अधिकारी जोधपुर से पूछे एवं अनुमोदित मानचित्र देखे एक झूठे निर्मित कमरे के आधार पर क्रम संख्या 1170 पर दिनांक 19-4-1990 को रजिस्ट्री कर दी ?

(4) ऐसे समस्त अवैधानिक रजिस्टर्ड दस्तावेजों की जांच कब तक करके इन्हें निरस्त घोषित किया जायगा एवं सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दण्ड की कब तक क्या कार्यवाही की जायगी ?

उत्तर

(1) जी हां। नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम 1976 के सम्बन्ध में उप पंजीयक अजमेर द्वारा विक्रय पत्र की रजिस्ट्री करने के सम्बन्ध में दिनांक 20-12-1989 को बैठक आयोजित की गई थी जिसकी प्रति संलग्न है।

(2) यह सही है कि राजस्थान में नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन (अधिनियम 1976 दिनांक 9-3-1976 से प्रभावशील है। उक्त दिनांक से 19-12-89 तक जो लेख पत्र पंजीबद्ध किये गये हैं उनके द्वारा हस्तान्तरित किये गये भवनों में अनेक भवनों के नक्शे जोधपुर नगर परिषद् से अनुमोदित न होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है क्योंकि पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा किया जाना कानूनन आवश्यक नहीं है। नगरीय विकास एवं आवासन सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 20-12-89 को आयोजित बैठक केवल उप पंजीयक कार्यालय अजमेर के सम्बन्ध में ही थी न कि सम्पूर्ण राज्य के लिये।

(3) यह सही है कि उप पंजीयक कार्यालय जोधपुर द्वितीय द्वारा दिनांक

(वित्त मंत्री)

19-4-90 को आलेख संख्या 1170 पंजीबद्ध किया गया है। उक्त आलेख का पंजीयन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय महारावल भीमसिंह बनाम राज्य सरकार दिनांक 13-11-90 की अनुपालना में केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विक्रेता एवं क्रेता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने पश्चात् ही आलेख को पंजीबद्ध किया गया है।

(4) किसी व्यक्ति द्वारा गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत कर आलेख पंजीबद्ध कराये जाने के तथ्य की जानकारी सक्षम अधिकारी नगर संकुलन विभाग द्वारा पंजीयन अधिकारी को दिये जाने पर गलत या असत्य घोषणा पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही करने का प्रावधान है। सक्षम अधिकारी नगर संकुलन विभाग जोधपुर द्वारा ध्यान में लाये जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

झालावाड़ जिले में आंगनबाड़ी केन्द्र

480. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में किन-किन पंचायत समितियों में किन-किन स्थानों पर कितने-कितने आंगनबाड़ी केन्द्र चलते हैं? उनकी व्यवस्था हेतु किन-किन को किन-किन स्थानों पर नियुक्ति दे रखी है? पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी व क्या-क्या सामग्री वितरण हेतु दी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) किन-किन केन्द्रों की कब-कब क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले की पंचायत समिति डग एवं झालरापाटन में समेकित बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र चलते हैं। डग परियोजना में 124 आंगनबाड़ी केन्द्र चलते हैं जिनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नाम वाइज सूची सदन की पटल पर रख दी है। झालरापाटन परियोजना में 165 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है जिनमें 91 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चयनित किया है, जिसकी सूची सदन के पटल पर रख दी है।

(2) इन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर केयर की सहायता से प्राप्त सी. एस. एम., एस. ओइल का मीठा एवं नमकीन पोषाहार दिया जाता है। 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को 65 ग्राम सी. एस. एम. एवं 8 ग्राम एस. ओइल तथा गर्भवती व धात्री माताओं को 130 ग्राम सी. एस. एम. एवं 16 ग्राम एस. ओइल प्रतिदिन दिया जाता है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया है।

(56)

(महिला बाल विकास राज्य मंत्री)

1-उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर स्थिति निम्न प्रकार है :—

आंगनबाड़ी केन्द्र उमरिया पंचायत समिति पीपलया खुर्द के कार्यकर्ता श्रीमती लीला बाई की शिकायत प्राप्त हुई थी। बाल विकास परियोजना अधिकारी डग को जांच करने के आदेश दिये है।

आंगनबाड़ी केन्द्र पिलावली पंचायत तलावली की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत की जांच की गई। शिकायत निराधार पाई गई।

(3) बाल विकास परियोजना अधिकारी, डग के विरूद्ध दो शिकायतें प्राप्त हुई थी। प्रथम शिकायत के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बकाया ईधन व पिसाई का भुगतान नहीं किया गया था। क्षैत्रीय उप निदेशक (बाल विकास) कोटा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।

बाल विकास परियोजना अधिकारी डग के विरूद्ध कार्यकर्ताओं से 50/- रुपये प्रतिमाह रिश्वत लेने की शिकायत श्री बालचन्द आर्यवीर विधायक, डग द्वारा की गई थी। इस शिकायत की जांच क्षैत्रीय उप निदेशक (बाल विकास) कोटा द्वारा की गई एवं जांच के अनुसार बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्दोष बताया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें।)

कोटा संभाग में महिला एवं बाल विकास परियोजनाओं का संचालन

481. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (केशोरायपाटन): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा संभाग में विभाग द्वारा कितने क्षेत्रों में (तहसीलों) महिला एवं बाल विकास की विभागीय परियोजनायें चलाई जा रही है ?

(2) क्या सभी क्षेत्रों में प्रर्याप्त कर्मचारी या कार्यकर्ता काम कर रहे हैं ? यदि हां, तो सभी परियोजनाओं में कार्यरत पर्यवेक्षकों, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं की सूची मय नाम एवं केन्द्र सहित, सदन की मेज पर रखें।

(3) कितने व कौन कौन से ऐसे केन्द्र हैं जहां कर्यकार्ता नहीं हैं ?

उत्तर

(1) कोटा संभाग के जिला सवाईमाधोपुर, बूंदी, झालावाड़ और कोटा में 14 बाल विकास परियोजनाए चलाई जा रही है। परियोजना खोलने का आधार विकास खंड/पंचायत समिति एवं शहरी क्षेत्र में 2 लाख की जनसंख्या का शहर होता है।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यकर्ता नहीं है उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : पहले मैं व्यवस्था दे रहा हूं। मेरी व्यवस्था सुन लीजिए बैठिये आप। प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान)

मुझे माननीय सदस्यों को सूचीत करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री सुनील विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश में कानून व व्यवस्था समाप्त होकर अराजकता की स्थिति उत्पन्न होने, विशेष कर गंगानगर जिले में कानून व व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त खराब होने से उत्पन्न स्थिति से आम जनता में व्याप्त आक्रोश के संबंध में।

(2) श्री पूनमचंद विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला जोधपुर की तहसील फलौदी के ग्रामों में भयंकर अकाल की स्थिति के निराकरण के संबंध में।

(3) श्री रामकिशन सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 20 फरवरी, 1991 का भरतपुर कृषि उपज मंडी के उद्घाटन के समय में उपस्थित पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने के संबंध में।

(4) श्री ईश्वरलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राम रथ यात्रा निकालने के फलस्वरूप प्रान्त के विभिन्न शहरों व कस्बों में हुए साम्प्रदायिक दंगों के बारे में।

(5) श्री परसादी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले के थाना लालसोट के अन्तर्गत दिनांक 20 फरवरी, 1981 की रात्रि को खेत पर सोये हुए श्री जगन्नाथ पुत्र रामपाल मीणा निवासी निर्झरना की हत्या कर दिये जाने के संबंध में।

(6) श्री शिवचरण माथुर व 8 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले के बीगोद कस्बे में हुए साम्प्रदायिक झगड़े से उत्पन्न स्थिति के बारे में।

(7) श्री राजेन्द्र पारीक, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर स्थित पथ परिवहन निगम के कार्यालय में 2.62 लाख रुपये तिजोरी से चोरी कर लिये जाने के संबन्ध में।

(8) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री गंगानगर और बीकानेर जिले में पंजाब की नदियों से निरन्तर पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण फसल बर्बाद होने के फलस्वरूप किसानों को हुई क्षति के संबन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि प्राप्त स्थगन प्रस्तावों में से श्री गोविन्द सिंह गुर्जर, सदस्य विधान सभा के राज्य में जीवन यापन की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में निरन्तर वृद्धि होने के कारण आम जनता को हो रही कठिनाई के संबंध में राज्य सरकार से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई हैं :—

(श्री अध्यक्ष)

राजस्थान राज्य देश का अकेला ही प्रान्त नहीं है जहां आवश्यक वस्तुओं के भावों में वृद्धि हुई है। यह देश व्यापी ट्रेंड है। खाड़ी संकट के अधिक गम्भीर होने से डीजल एवं पेट्रोल के भावों में वृद्धि करनी पड़ी जिसका असर कई वस्तुओं पर पड़ा। मूल्य सूचकांक की वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय आर्थिक संकट, खाड़ी युद्ध व मुद्रास्फिती के कारण भाव बढ़ रहे हैं परन्तु बाजार में वस्तुएं उपलब्ध हैं। अनुचित संग्रह करने वालों और काला बाजारी करने वालों के विरूद्ध कठोर कदम उठाये गये हैं। राज्य के प्रत्येक जिलों में कन्ट्रोल रूम स्थापित किये गये हैं और जिला प्रशासन भावों के नियन्त्रण और खाद्य पदार्थों के भावों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर भावों की मॉनीट्रिंग करता है।

ऐसी स्थिति में इस प्रस्ताव को ग्राह्य किये जाने में मैं असमर्थ हूं।

(1) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीमावर्ती संरक्षित इलाके जिला, बाड़मेर व जैसलमेर में शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई शून्य होने से जनता में भारी असन्तोष के संबंध में।

(2) श्री लक्ष्मीलाल व 12 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से पिछड़े वर्ग के समुदाय के लिए विशेष संरक्षण दिये जाने के प्रयोजन से मण्डल आयोग की सिफारिशों को राज्य सरकार द्वारा लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त दोनों प्रस्तावों पर सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, इनको स्वीकार किये जाने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी। केवल लक्ष्मीलालजी बोलेंगे।

(1) श्री बी.डी. कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से मेडिकल कालेज से संबंधित अस्पतालों में मानव अंगों का दुरुपयोग एवं जानवरों द्वारा उनको नष्ट करने के संबंध में।

उक्त प्रस्ताव को मैं ग्राह्य किये जाने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को इस विषय पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

और जो भी स्थगन प्रस्ताव पेश किये हुए हैं जिन पर सरकार समय पर जवाब नहीं देती है उन सब पर बोलने की अनुमति आपको देता रहूंगा यदि सरकार जवाब न दे तो भी और जवाब आएगा तो आपको बता दूंगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री श्रीचन्द कृपलानी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के आदिवासी इलाकों की समस्याओं के प्रति सरकार की उदासीनता के संबंध में।

(2) श्री फूलचन्द गुर्जर, सदस्य विधान सभा की ओर से नीम का थाना उप खण्ड क्षेत्र में बिना लाइसेंस अंग्रेजी शराब की बिक्री से हो रही राजस्व की हानि के संबंध में।

(3) श्री बालचन्द आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से उनके विधान सभा

(श्री अध्यक्ष)

क्षेत्र के ग्रामों की हो रही विद्युतीकरण की उपेक्षावृति के संबंध में।

(4) श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटपूतली क्षेत्र में निरन्तर हो रही चोरी, डाका व गुण्डागर्दी की वारदातों से जान माल को खतरा उत्पन्न हो जाने के संबंध में।

(5) श्री नन्दकिशोर शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से छबड़ा क्षेत्र में महाविद्यालय नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री मदनलल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर रेल्वे स्टेशन के दक्षिण में स्थित रेलवे फाटक सं. 193-ए को बन्द किये जाने के नोटिस से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री अमृतलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाली में लगभग तीन माह पूर्व बच्चों की आपसी रंजिश के कारण हुए झगड़े से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री रामस्वरूप मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से चूरू तहसील में गम्भीर पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से तोहदा बांध की नहरों की मरम्मत के संबंध में।

(10) श्री राजेन्द्र पारीक, सदस्य, विधान सभा की ओर से मकान बनाने में काम आने वाले औजारों पर सेल्स टैक्स की समाप्ति के संबंध में।

(11) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य परिवहन निगम की बसों के समय के साथ-साथ अवैध वीडियो युक्त वाहन चलने से निगम को हो रहे घाटे के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री माहिर आजाद, बोलिए पाइंट आफ आर्डर आपका।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, जब लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री सैनी कुछ कह रहे थे तब टोंक से आने वाले माननीय सदस्य श्री महावीरजी ने यह कहा–"XXX

यह संसदीय परम्पराओं के बिलकुल विपरीत है और यह सदन के अन्दर ही सदस्य का अपमान है। इसको कार्यवाही से निकालें।

श्री अध्यक्ष : वह अंकित नहीं हुआ।

श्री मोहम्द माहिर आजाद : नहीं, यह कहा गया है, साहब।

श्री अध्यक्ष : वह अंकित हुआ ही नहीं। कार्यवाही में है ही नहीं। माननीय प्रद्युम्नसिंह (व्यवधान)

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रामस्वरूप मीणा : महावीरजी को तो सब-कुछ कहने के अधिकार दे रखे हैं आपने....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, महावीर प्रसाद जी व्यवधान मंत्री हैं, इनके शब्द वापिस लिवाइये । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रद्युम्नसिंहजी बोलिये आप । इनके अलावा दूसरे किसी का अंकित न हो । किसी का नोट नहीं करें माननीय ईश्वरलाल सैनी का अंकित न हो । माननीय प्रद्युम्नसिंह जी ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : XXX

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रद्युम्न सिंह जी । आप बोल रहे हैं । आर्डर प्लीज ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाया था और मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से बहुत ही स्ट्रांग प्रोटेस्ट लाज करता हूं कि टौंक से आने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया । कोई भी बोलेगा, इसके लिए भी ये शब्द कहे जा सकते हैं । इसका कोई अन्त नहीं होगा । कृपया आप इसके ऊपर रोक लगावें । मेरा आपसे नम्र निवेदन है, नम्बर एक । (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझनूं): अंकित हुआ है या नहीं अगर अंकित हुआ हो तो इसको कार्यवाही से निकलवाइये और जिस सदस्य ने इस तरह की भाषा का उपयोग किया, उसको कहिए कि वे क्षमा याचना करे, उसको आसन के द्वारा प्रताड़ना दें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा है यदि वह अंकित हुआ है तो निकाल दूंगा कार्यवाही से ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, शुक्रवार के रोज कई माननीय सदस्यों ने मेरे साथ राज्य में साम्प्रदायिक दंगों के बारे में, ज्यूडिशियल इन्क्वायरी के बारे में जो स्थगन प्रस्ताव आपके समक्ष पेश किया था और बहुत दुःख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारी जो मांग थी ज्यूडिशियल इन्क्वायरी की उसके बारे में आसन की ओर से आपने व्यवस्था नहीं दी है जबकि अन्य स्थगन प्रस्तावों पर आपने व्यवस्था दी है । तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि कांग्रेस दल के लोग और समूचा विपक्ष इस मामले के अन्दर बहुत ज्यादा उत्तेजित है । अतः इस बारे में कल आप सरकार की तरफ से वक्तव्य दिलवा दें कि सरकार हमारी ज्यूडिशियल इन्क्वायरी की मांग को मानती है या नहीं मानती है, तो मैं आपसे इस बारे में प्रोटेक्शन चाहता हूं और आपने हमारे स्थगन प्रस्ताव पर क्या व्यवस्था दी है, कृपया उसके ऊपर निश्चित रूप से आपके क्या विचार हैं, आपके क्या मत हैं ? उससे हमें अवगत कराने की कृपा करें । यही मेरी आपसे मांग है श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा है । आज वे यहां नहीं है ।

X X X अभिव्यक्त माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री अध्यक्ष)

गृह मंत्री जी भी यहां नहीं है। मैंने मुख्य मंत्री जी को स्टेटमेन्ट देने के लिए कहा है। वे कल आएंगे तो इस बारे में डेट तय करेंगे कि वे स्टेटमेंट कब देंगे? (व्यवधान)

डाक्टर चन्द्रभान।

श्री जुबेर खां : XXX

श्री ईश्वर लाल सैनी XXX

श्री अध्यक्ष : और किसी का नोट मत करिये। डाक्टर चन्द्रभान।

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री जुबेर खान : XXX

श्री ईश्वरलाल सैनी : XXX

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : और किसी का अंकित नहीं हो। डाक्टर चन्द्रभान।

श्री ईश्वरलाल सैनी : XXX (व्यवधान)

बोलिये आप। ये तो नहीं मानेंगे। ये आसन को नहीं समझते। बोलिये आप। कुछ अंकित नहीं हो।

श्री ईश्वर लाल सैनी : XXX

श्री अध्यक्ष : डाक्टर चन्द्रभान। माननीय सदस्य बिराजिये आप। बैठिये आप। बोलिये आप। मैं मिस्टर पारीक आपको वार्निंग देता हूं, जब वे बोल रहे हैं तो आप खड़े मत होइये। प्लीज सिट डाउन। वे खड़े हैं। आप बैठ जाइये। मैं कुछ नहीं सुनुंगा। आप बोलिये डाक्टर चन्द्रभान।

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। प्लीज सिट डाउन माननीय सदस्य। पारीक जी बैठिये आप। आपका अंकित नहीं हो रहा है। आप बैठिये। प्लीज सिट डाउन। डाक्टर चन्द्रभान खड़े हैं, आप बैठ जाइये। मैं माननीय सचेतक जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इनको रोके। और यदि आप उग्र होंगे तो यह ठीक नहीं है। यह व्यवस्था के विपरीत है।

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। कोई अधिकार नहीं है आपको has been given to you. *It* is a privilege, it can be No right taken away.

श्री राजेन्द्र पारिक : XXX

श्री अध्यक्ष : डाक्टर चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, 7 मार्च की बीगोद में जो साम्प्रदायिक दंगा हुआ और उसके चलते पूरा भीलवाड़ा जिला ही नहीं बल्कि राजस्थान प्रदेश में

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(डॉ. चन्द्रभान)
जो शान्ति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है और साम्प्रदायिक तनाव बढ़ रहा है, इसके लिए मैंने कल एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। मेरे साथ माननीय प्रोफेसर केदार साहब और 6 अन्य सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिया था और आपने व्यवस्था दी थी कि इस सम्बन्ध में आज स्टेटमेंट आएगा, तो मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेटमेंट आज कब दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : ये तो आप लोगों ने कल के लिए तय कर लिया है। कल आ रहा है। आज गृह मंत्रीजी हैं कल आयेगा स्टेटमेंट।

डॉ. चन्द्रभान : यही तो मैं निवेदन करना चाहता हूं। कल तो सगरिया वाले पर आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : आज गृह मंत्री जी नहीं है। कल आएगा।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : पाइन्ट आफ ऑर्डर सर।

श्री अध्यक्ष : हेतराम जी खड़े हैं।

श्रीमती मदन कौर : मुख्य मंत्री जी तो प्रधान मंत्री जी की अगवानी के लिए गए हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल (सगरिया) : मानीनय अध्यक्ष महोदय, मैं आज हाउस के सामने एक ऐसे मसले को पेश कर रहा हूं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : गृह राज्य मंत्री जी यहां है। उनसे दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : हाउस में तय हो गया है कल का आपने ही तय किया है।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस के अन्दर इस सत्ता पक्ष में बैठने वाले लोगों ने नहरी पानी के सिलसिले में 81 और 84 के फैसले पर, जो तत्कालीन सरकार थीं, उसने ....

श्री अध्यक्ष : यह आपने इसमें एडजर्नमेंट मोशन दिया है। नहीं, नहीं बैठिये। आप बिराजिये। प्लीज। मैंने व्यवस्था दे दी है इसमें।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आपसे अर्ज करूं कि जो गम्भीरता है वह सिर्फ इस बात की नहीं कि राज्य सरकार से सूचना मांग लेगें। गम्भीरता यह है कि गंगानगर जिले में 100 करोड़ रुपये की फसल बरबाद हो चुकी है और राज्य सरकार ने खुद अपने आप इस बात की सूचना थी कि वहां पर पानी दोनों डेम्स का लोअर डाउन किया है राज्य सरकार ने पंजाब के आगे, आज पंजाब का एक वोट है और 5 वोट है सेन्ट्रल गवर्नमेंट के, 4 हमारी स्टेट के वोट हैं, उसके बावजूद भी उनके आगे घुटने टेककर उस डेम को खाली रखा है। मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने सारे सदन को गुमराह किया और सारे राजस्थान की जनता को गुमराह किया। जब वहां पर पंजाब में, चण्डीगढ़ में और दिल्ली में फैसला हुआ उस समय हमारी राज्य सरकार का प्रतिनिधि गया, हमारी सरकार का सैक्रेटरी गया। होना चाहिये यह था कि हमारा मुख्य मंत्री जाता, हमारा सिंचाई मंत्री जाता। जब यह सवाल पैदा हुआ कि उस डेम को खाली रखा जाएगा। जिस डेम के अन्दर हमारा 52 परसेन्ट शेयर है पोंग डेम के अन्दर। केबिनेट के माननीय सदस्य बैठे हैं। मैं उनसे अर्ज करन चाहूंगा कि हमने उनको जमीन दी है पूरे पोंग डेम

(श्री हेतराम बेनीवाल)

की स्थापना के लिए, हमने 52 प्रतिशत पैस दिया है और जब डेम बन गया उसके अन्दर पंजाब ने इस पर........

श्री अध्यक्ष : आप बिना इजाजत बोल रहे हैं। आपको आइंदा मौका नहीं मिलेगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं जानता हूं, इस सरकार के होते हुए मौका क्या मिलना है ? मैं आपसे निवेदन करूं।

श्री अध्यक्ष : बोल लीजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोलने की बात नहीं कह रहा हूं। राजस्थान कैनाल में डेढ़ महीने तक नहर बन्द रही। पूरी की पूरी, सारी की सारी गेहूं की फसल बरबाद हो गई। सारी भाखरा की फसल बरबाद हो गई। यहां जो अधिकारी बैठे हैं सिंचाई के। ये अधिकारी वहां मीटिंग में गए पंजाब के अन्दर। वहां के जो इरिगेशन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इनको धमकाया और ये भागकर राजस्थान में आ गए। यहां पर मुख्य मंत्री की और गृह मंत्री को उन्होंने रिपोर्ट दी कि उनके साथ क्या व्यवहार हुआ। राज्य सरकार ने इसे सारी जनता से छिपाकर रखा और उनके आगे घुटने टेक दिये और राजस्थान के हिस्से में 10-15 फुट जो पानी खाली रहा है ऊपर का हिस्सा उस डेम का उसकी वजह से हमको 4 लाख क्यूसेक्स पानी का नुकसान हुआ है और उस पानी के नुकसान की वजह से हमारी फसलें बरबाद हो गई।

(12.18 म. प.)

श्री यदुनाथ सिंह : आज स्थिति यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान के उस इलाके में जो हमसे ज्यादा पानी एक्स्ट्रा लिया है अभी इन दिनों में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय जानते हैं इन फैसलों के बारे में, पानी के बारे में, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। वे तो जो हाउस में बैठे हैं केबिनेट के मिनिस्टर्स शायद समझते नहीं कि नहर क्या है और पानी क्या है, उनको इस बात का पता नहीं कि पानी की राजस्थान के लिए कितनी कीमत है और खासकर गंगानगर और बीकानेर जिलों के लिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पोंग डेम को इस बार फैसला करके 10 फुट पीछे रखा गया और 10 फुट खाली रखा गया। जिसके पानी की क्षमता 4000 क्यूसेक्स से ऊपर रही। इसी तरह से भाखरा डेम को 8 या 9 फुट का हिस्सा खाली रखा गया। जो वास्तव में पानी की केपेसिटी है, वह ऊपर के हिस्से में है और राज्य सरकार ने उसके साथ हां में हां मिलाई। मैं अर्ज करना चाहूंगा, मुझे बहुत अफसोस है मुख्य मंत्री जी ने एक मेमोरण्डम पेश किया था बजट में की हमारी तीनों सरकारों ने, मध्य प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश की सरकार और राजस्थान की सरकार मिलकर कदम उठा रही है। क्या वजह है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया उस मामले में और हरियाणा की सरकार ने हमें साथ नहीं दिया और हम अकेले रह गये ? मजबूर होकर राजस्थान सरकार ने केन्द्र

(श्री यदुनाथ सिंह)

सरकार से उसका प्रयास नहीं किया और हमने उस डेम को खाली रखा। अगर यह परम्परा रही, उस डेम को खाली रखने का आधार यह था कि 1988 में बाढ़ आयी और पंजाब ने इस बात पर हमको धमकी दी कि या तो 300 करोड़ रुपये मुआवजे की व्यवस्था करवाओ, उसकी गारण्टी दो और नहीं तो हम खाली रखेंगे। अगर यही हमेशा व्यवस्था रही कि डेम खाली रहेगा तो निश्चित तौर से राजस्थान का वह हिस्सा जिसको हम बहुत हरा-भरा समझते हैं, बीकानेर का वह हिस्सा जिसके बारे में हमारी कल्पना है कि वहां पर लाखों एकड़ में बहुत अच्छी फसल होगी वह बिल्कुल बर्बाद हो जायेगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस मसले पर राजस्थान सरकार गम्भीरता से विचार करें और इसमें जो कदम उठाया जायेगा अभी मुझे डर है, आज से तीन दिन पहले मीटिंग हुई दिल्ली में और उह मीटिंग के अन्दर हमारे सेक्रेटरी पानी लाने के लिए गये थे वह सिर्फ हमारा जो एडवांस पानी है मई और जून का वह पानी लेकर आ गये। मुझे डर है कि अगर यह फैसला हो गया तो मई और जून के महीने में पूरी की पूरी नहरें बरबाद होगी। इसलिए मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इस मामले को टरकाती जा रही है उस तरह से इसको न लें और इस मामले को गम्भीरता से लें। अगर उनको पता नहीं है, राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं उनको साथ लेकर के इस मामले पर गम्भीरता से विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष : बेहतर होगा, यह बहुत गम्भीर विषय है, सरकार से जानकारी आ जाय।

श्री हेतराम बेनीवाल : सरकार को जानकारी है ही नहीं, किसी मंत्री को ... इरिगेशन के स्टेट मिनिस्टर बैठे हैं उनको पता ही नहीं है कि भाखरा डेम में पानी कम हो गया या पोंग डेम को खाली रखा गया।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर मसला है, सरकार से जानकारी आनी ही नहीं इसमें। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, किसान बरबाद हो गये। ... (व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात कह दूंगा.... (व्यवधान)

श्री सुनीलकुमार विश्नोई (सूरतगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भाखरा डेम और पोंग डेम के खाली होने के कारण हमारे किसान बरबाद हो गये डेढ़ महीने तक उनको पानी नहीं मिला उसके कारण सारी फसलें चौपट हो गई और राज्य सरकार ने किसानों को कोई सूचना नहीं दी। जल्दी ही स्टेटमेंट आना चाहिये, उपाध्यक्ष जी। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : भाखरा और पोंग डेम के खाली रहने के कारण बीकानेर और गंगानगर के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। आज रबी की फसल चौपट हो गई है।.... (व्यवधान) न तो इन्होंने कोई प्रोग्राम फिक्स किया न नहरें बन्द कीं। सरकार की लापरवाही के कारण डेढ़

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

महीने से राजस्थान के बीकानेर और गंगानगर के किसानों को एक बूंद पानी नहीं मिला। इसका जिम्मेदार कौन है.... (व्यवधान)

श्री सुनील कुमार विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह किसान विरोधी सरकार है और किसानों की बात को सुनो साहब . (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मुझे एक ही बात कहनी है। क्या राज्य सरकार के मंत्रिमण्डल के सदस्य को, इरिगेशन के स्टेट मिनिस्टर को इस बात का पता है कि हमारे अधिकारियों ने चुपचाप उस डेम को खाली रख लिया और पंजाब से यह वायदा कर लिया कि आइन्दा भी खाली रखेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : यह हमारे अधिकारी क्यों करेंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह हमारे अधिकारियों को जरूर पता है, किसी स्टेट मिनिस्टर से यह पूछो कि उनको यह पता है क्या, मैं बिल्कुल सन्तुष्ट हो जाऊंगा और विथड्रा कर लूंगा अपना। इनको पता ही नहीं कि पानी कम हुआ है और उस डेम को खाली रखा गया है। इनको इस बात की इत्तला ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खां।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा अहम मसला है। आप इस पर तुरन्त कोई कार्यवाही, कोई व्यवस्था करवायें क्योंकि इतनी पकी हुई फसल तो बरबाद हो चुकी है और काश्तकार का खर्चा हो गया....

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह किसानों का मामला है इस पर आप गम्भीरता से लें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री) : आप इसमें कहां से आ गये, सवाई माधोपुर के.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इस विषय पर नहीं बोलें तो ठीक रहेगा।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अहम मसला है, नहरों वाला मामला है। अगली फसल भी बरबाद होगी। इसलिए अभी से कोई कदम उठाना चाहिये नहीं तो वहां पर अगली फसल भी बरबाद हो जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, आखिर काश्तकार हैं, आप जानते हैं, काश्तकार का क्या होगा। जब पकी हुई फसल को पानी नहीं मिलेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सरकार कुछ बोलेगी या नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है...

एक माननीय सदस्य : सरकार का मौन, यह जनता गिरा देगी अब समय आ रहा है।

श्री हेतराम बेनीवाल : इन्दिरा गांधी नहर मंत्री बैठे हैं वह कुछ बोलें तो सही।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने 40 साल में दिवालिया निकाल दिया किसानों का और आज दुहाई दे रहे हैं किसानों की।

श्री हेतराम बेनीवाल : मंत्रीजी कुछ बोलना चाहेंगे। (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इतना आवश्यक प्रश्न है। तो क्या उन्होंने मोशन मूव किया होगा। (व्यवधान) एक मिनट, आप बिराजें तो सही। आपने काफी बोल लिया अब कुछ सुनिये तो सही। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मोशन मूव किया है। हमारे जो सिंचाई मंत्री महोदय हैं वह आयेंगे, इस विषय में निश्चित रूप से जैसा कहेंगे उसी प्रकार से कार्यवाही होगी।

श्री उपाध्यक्ष : डिपार्टमेंट ही अलग कर दिया है, सिंचाई मंत्री के पास नहीं है। वह डिपार्टमेंट मुख्य मंत्री के पास है। उन को आ जाने दीजिये।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, कल सिंचाई वाले मामले में स्टेटमेंट दिलवा दीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, आप इतना तो कर दें, आप कोई तारीख निश्चित कर दें, तारीख तय होने के बाद वह अपना स्टेटमेंट दे देंगे इसमें क्या दिक्कत है? वह स्वीकार तो कर ही रहे हैं, आप तारीख तय कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : उनको आने दीजिये।... श्री अमीन खां।

श्री भंवरलाल शर्मा (इन्दिरा गांधी नहर मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, 18 तारीख को सिंचाई और इन्दिरा गांधी नहर की मांग के वक्त सब बातों का जवाब दे दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : आसन सक्षम है, आप अपने आपको असहाय क्यों महसूस करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार ने कहा है कि सिंचाई मंत्री आ जाय।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक गलतफहमी पैदा की है। इन्दिया गांधी नहर मंत्रीजी ने यह कहा कि जब मांगें आयेंगी तब पेश कर देंगे।..

एक माननीय सदस्य : तारीख तो तय कर दें, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री हेतराम बेनीवाल : उन्होंने यह जो रवैया अख्तियार किया है इस प्रसंग के बारे में माननीय ललितजी ने कहा वह बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूं कि गम्भीरता से उन्होंने जवाब दिया है पर इन्होंने जो जवाब दिया है, जो नहर के मंत्री हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (इन्दिरा गांधी नहर मंत्री) : बिल्कुल ठीक बात कही है। मैंने कहा कि 18 तारीख को सिंचाई और इन्दिरा गांधी नहर की डिमाण्ड है उस डिमाण्ड के समय में....

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी को पता ही नहीं है क्या बात कह रहे हैं।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : किसानों की फसलें बरबाद हुई हैं, और हो रही हैं। सरकार ने कुछ कार्यवाही नहीं की तो अगली फसल भी नष्ट होगी। आप तो इस को छोटी सी बात ले रहे हैं। यह बहुत अहम मसला है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया था और माननीय अध्यक्ष महोदय ने उस पर कोई व्यवस्था नहीं दी है। साम्प्रदायिक सम्बन्धी है उसमें अभी बीगोद में शीतला माता के मेले पर दंगा हुआ है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह तो हो गया ना।

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि मुख्य मंत्री जी और गृह मंत्री जी आयेंगे... कल वक्तव्य सरकार दे रही है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैंने स्थगन प्रस्ताव कल पेश किया है उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। मैं यह निवेदन कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : उसको दिखवा लिया जायेगा। आपका नाम है तो आयेगा। श्री अमीन खां।... (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : जो स्थगन प्रस्ताव रखे गये हैं पहले भी और आज भी उन पर आसन की व्यवस्था हो चुकी है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : कोई आसन की व्यवस्था नहीं हुई है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आसन की व्यवस्था यह हुई है कि....

एक माननीय सदस्य : कोई समय नहीं दिया है। गलत है। (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आसन की व्यवस्था के अनुसार वह एडमिट होकर सम्बन्धित मंत्री महोदय के पास भेज दिये गये हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एडमिट हो गया है....क्या कह रहे हैं आप ?

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या कह रहे हैं।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : और उसका शीघ्रातिशीघ्र जवाब दिया जायेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सरकार के पास जानकारी के लिए भेजे गये हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : परम्पराओं के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। स्थगन प्रस्ताव एडमिट करने का मतलब क्या है। इनको समझायें।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : जानकारी के लिए भेजे गये हैं। (व्यवधान) सचेतक महोदय संशोधन कर दिया हैं। जानकारी के लिए भेजे गये है। निवेदन यह है, जो कांग्रेस पार्टी के सचेतक महोदय हैं, आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं... और जनता दल के सचेतक महोदय हैं उनसे भी कि हम, अगर वे उचित समझें तो बैठकर के बात कर सकते हैं कि किस प्रकार से

(श्री ओमप्रकाश गुप्ता)

इस सदन की कार्यवाही एक व्यवस्था से चले। क्योंकि जब 295 की बात आती है, बजट पर चर्चा अत्यन्त महत्वपूर्ण है, चर्चा हुई। कल भी साढ़े चार बज गये थे और कल भी मैंने कांग्रेस पार्टी के सचेतक महोदय से यह निवेदन किया था और उन्होंने चेम्बर में एडमिट भी किया था कि यह व्यवस्था इस तरह से हो कि बजट की चर्चा समय पर और सभी माननीय सदस्यों को उसमें भाग लेने का मौका मिल सके इस प्रकार की व्यवस्था करें। यह व्यवस्था चाहे आसन के माध्यम से हो तो इस बाबत में दोनों माननीय सचेतक महोदयों से निवेदन करूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (सचेतक, कांग्रेस दल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत सम्मान करता हूं सरकारी मुख्य सचेतक महोदय का। शायद नियमों और परम्पराओं की उनको जानकारी नहीं है। मुझे इस सदन का लम्बे समय का अनुभव है और जीरो आवर कई दफा तीन-तीन और चार-चार बजे तक चला है आसन द्वारा क्या बिजनेस होगा, उसका निर्धारण होता है। अब यह कितने स्टेटमेण्ट लगवाते हैं, कितने 295 लेते है उसमें समय लगता है वह तो निश्चित रूप से लगेगा ही।

श्री उपाध्यक्ष : रीपिटीशन नहीं हो तो समय बच सकता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की व्यवस्था आसन को करनी चाहिए। उन्होंने जो सुझाव दिया है उस पर वह आसन से निर्णय करा लें। बाकी सरकार जवाब नहीं दे। अध्यक्ष महोदय ने खुद ने कहा है इस बात को कि सरकार का जवाब नहीं आयेगा तो मैं समझूंगा और उनको बोलने की अनुमति दूंगा जो स्वयं इस सरकार की कार्य शैली, कार्य क्षमता और एफीशियंसी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है इतना आब्जरवेशन तो सरकार के लिए + + + बात है। फिर सचेतक महोदय इस प्रकार की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो उन का सुझाव है वह अपनी बात अध्यक्षजी को कहें, इस पर अध्यक्षजी को निर्णय लेना हैं। हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन सदन आप चलायें नहीं, सदन की मीटिंग साल में मुश्किल से जो कार्य है उसको करने के लिए चले। आखिर जन समस्याओं के लिए, राजस्थान की जो बर्निंग समस्याएं हैं उनको किस प्रकार से उठाया जाय, कोई माध्यम नहीं है, कोई साधन नहीं हैं, इसलिए सारा कन्फ्यूजन होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि पहले तो सचेतक महोदय, ने कह दिया कि एडमिट हो गया। उनको यह पता नहीं है कि एडमिट हो जाय तो....

श्री उपाध्यक्ष : अमेण्डमेण्ट कर लिया। आप बात कर लें तो बेहतर होगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसका क्या मतलब होगा ? यह एडमिट होने का मतलब है कि सदन की सारी कार्यवाही स्थगित कर उस पर चर्चा की जाय।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : सचेतक महोदय जो बोल रहे हैं वह निश्चित रूप से सही है कि वे मेरे से ज्यादा अनुभवी हैं, मेरे से ज्यादा अनुभव उन को है। यह प्रीच कर सकते हैं, यह उनके संस्कार हैं मैं उसमें जाना न ीं चाहूंगा वह किस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। मैंने इस सदन की गरिमा और सदन का समय और माननीय सदस्य अधिक से अधिक भाग ले सकें उसके लिए निवेदन किया था। अब अगर कांग्रेस के माननीय सदस्य इस 'सदन का समय इस तरह से बरबाद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सदन का समय हम बरबाद कर रहे हैं। सरकार जवाब दे नहीं और सदन का समय हम बरबाद कर रहे हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : कांग्रेस ने सदन का समय कभी बरबाद नहीं किया है I take strong exception to it इनके आब्जरवेशन पर। आपकी सरकार के लिए अध्यक्ष महोदय खुद कर रहे हैं कि सरकार जवाब नहीं देती है सरकार को मोशन भेजे जाते हैं, एडजोर्नमेन्ट मोशन दिये जाते हैं और चीजें भेजते हैं पर सरकार से जवाब नहीं आता है तो हम यहां चुप नहीं बैठेंगे। राजस्थान की समस्याओं के लिए यहां फसल सूख रही है, पानी नहीं मिल रहा है उस बात को भी हम नहीं कहना चाहेंगे। आखिर आप क्या चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खां

श्री अमीन खां (शिव) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज संसार में सबसे ज्यादा महत्व इन्सान की तालीम का है और उस तालीम के अन्दर देश की आजादी के चालीस साल गुजरने के बाद भी हमारे साथ वही हश्र हो रहा है जो पुरानी रियासत के वक्त था। खूब स्कूलें खोल दी गयीं। अभी भी खोलने का आश्वासन दिया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आप मानेंगे नहीं क्योंकि आपका इलाका फारवर्ड हैं और स्कूलों में मास्टर हैं। हमारे यहां जितनी सैकण्डरी स्कूलें हैं उनमें से 50% सैकण्डरी स्कूलों में हैड मास्टर नहीं हैं और दोनों जिले जैसलमेर और बाड़मेर में 60 प्रतिशत ऐसे सैकेण्डरी स्कूल हैं जिनमें एल. डी. सी. और यू. डी. सी. को मिलाकर 60 प्रतिशत अध्यापकों के पद लगातार दो साल से कम हैं और उनकी जगह खाली है और कई कई स्कूलों में तो गणित सब्जेक्ट के दो साल से मास्टर नहीं हैं, कहीं पर कॉमर्स के मास्टर नहीं है, आज जब उन बच्चों की परीक्षा ली जायेगी तो उपाध्यक्ष महोदय, आप और हम जानते हैं कि सारे बच्चे फैल होंगे और इस तरह फैल होने वाले बच्चों की जिन्दगी की जिम्मेदारी जन कल्याणकारी सरकार पर है और सरकार जब बार-बार यह विश्वास देती हैं कि हम 60 प्रतिशत बजट का गांवों की तरक्की के लिए देने को वचनबद्ध हैं तो गांव की स्कूलों के साथ यह क्या हो रहा है ? हमारी इन स्कूलों से जो प्रभावशाली लोग हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों और संबंधियों को, जो मास्टर लगे हुए थे उनका तबादला करके डेपुटेशन पर कहीं और कर दिया। जिनकी तनख्वाह तो गांव की स्कूल से मिल रही है लेकिन वह काम कर रहे

(श्री अमीन खां)

हैं शहरों की स्कूलों में और अपनी ट्यूशन अलग से कमा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज बाड़मेर जिले की ग्रामीण स्कूलों की कुल स्वीकृत संख्या मिडिल स्कूलों में है 1192 टीचर्स की जिससे अगेंस्ट 1019 सहकारी मास्टर हैं और 173 के करीब जगह खाली है। इसी प्रकार प्राइमरी स्कूलों में भी 2173 जगह स्वीकृत हैं जिसके अगेंस्ट में 120 पद खाली हैं जो लगातार दो साल से खाली चलते आ रहे हैं। टोटल रिक्त पद 293 में से एस. सी. और एस. टी. के 192 लेने हैं और बाकी जनरल हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के पास ट्रेण्ड टीचर्स नहीं हैं तो वहां की गरीब जनता को शिक्षा के हक दिलाने के लिए डेली वेजेज पर भी, कई पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको डेली वेजेज पर लगा लीजिए जिससे परीक्षा के वक्त में उन बच्चों की जिन्दगी बरबाद नहीं हो, इसका इन्तजाम करना चाहिए नहीं तो वहां पर लोग सड़कों पर आयेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पिछड़े क्षेत्र में एक मात्र लड़कियों की सेकेण्डरी स्कूल है। सीमा पर गडरा रोड़ में उस कस्बे के अन्दर जो स्कूल है उसमें चार सौ छात्राएँ पढ़ती हैं और टीचर है दो। इससे अंदाजा लगा लें कि वहां पर जनता का क्या हश्र होगा और उनका भविष्य कैसा उज्ज्वल होगा।

हमें बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने कई कार्यक्रम दिये हैं। विशेष तौर से सीमावर्ती विकास कार्यक्रम के तहत। बिल्डिंग का पैसा राज्य सरकार को अलग से दिया जा रहा है। एजूकेशन के तहत टीचर्स का पैसा दिया जा रहा है। उनके रहन सहन की व्यवस्था के लिए पैसा दिया जा रहा हैं। लेकिन उस पैसे का भी राज्य सरकार अन्य मदों में अनधिकृत रूप से खर्च कर रही है। भारत सरकार ने जो पैसा दिया है उस पैसे को भी सीमावर्ती इलाके में ईमानदारी से खर्च कर दिया जाय तो कम से कम इतने पिछड़े हुए हालात तो हमारे न रहें। वह ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारा इलाका शान्त है, वह लोग गाली गलौच नहीं कर सकते हैं, मंत्रियों और अधिकारियों की पेण्ट और धोती खींचने की अभी उन की आदत नहीं है। इसलिए दूसरी जगह जहां उनकी खिचाई होती है वहां तो डेपुटेशन के ऑर्डर करके पद स्वीकृत नहीं होते हुए भी स्टाफ भर्ती कर देते हैं और वहां स्वीकृत पद होने चाहिए उतने भी वहां पर नहीं होते। यह उन लोगो के साथ सरासर अन्याय है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अन्त में इतना ही कहना चाहूंगा, ज्यादा वक्त आपका नहीं लूगा। बोर्डर का इलाका देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है वहां अकाल में लोगों को देश में जाकर अपनी रोजी रोटी कमाने का, सवाल है तो सीमा के हर आदमी को जागृत करना, तालीमशुदा करना सरकार की जिम्मेदारी है और इस तरह का हमारे साथ अन्याय न करें।

(श्री अमीन खां)

दूसरी बात कहता हूं जैसलमेर जिले को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक कहा जाता है सरकार यह भी विश्वास दिला रही है कि हम अल्पसंख्यकों के हितों के लिए पूरी तरह से जागरूक हैं परन्तु वहां पर अभी तक किसी भी स्कूल में उर्दू के टीचर की कोई व्यवस्था नहीं है जबकि इसकी लोग जगह-जगह मांग कर रहे हैं लेकिन उनकी कोई परवाह वह नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव रखा है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के मार्फत सरकार से पुरजोर शब्दों में निवेदन करता हूं कि इस युग में गरीब, पिछड़े हुए और ढाणियों के अन्दर रहने वाले लोगों के साथ अन्याय को खत्म करो और जो इंसान के सामान्य न्यूनतम हकूक हैं उनकी रक्षा करो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री लक्ष्मी नारायण।

श्री मोहनलाल बारूपाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। हमारे नागौर जिले में जो जिला परिषद् की स्कूल चल रही हैं, उनके यहां मास्टरों को और अन्य कर्मचारियों को एक पैसा नहीं मिला। आज दूसरा महीना है...

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रस्ताव लायें, फिर बोलिये। श्री गोविन्दसिंह गुर्जर।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, 1978 में भारत सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों के लिये संविधान के तहत प्रावधानों के अन्दर राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का, जो मण्डल आयोग के नाम से विख्यात है, गठन किया था। मैं राजस्थान सरकार की ओर से उस आयोग का सहयोगी सदस्य था। सन् 1981 में उस आयोग ने राजस्थान का दौरा किया और सन् 1982 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दे दी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस आयोग की रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई थीं, उनमें जहां नौकरियों में आरक्षण की बात कही गई, उसके साथ-साथ बहुत सारी अन्य बातें भी, जो अन्य पिछड़े हुए लोग हैं, उनके उत्थान के लिए सिफारिशें की थीं। मैं आपके मार्फत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत वर्ष में काफी इस प्रकार की जातियां हैं जो शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से सदियों से पिछड़ी हुई हैं। संविधान के निर्माताओं की मान्यता थी और उन्होंने काफी कोशिश की कि इस वर्ग के लोगों को भी आगे बढ़ाने के लिए संविधान के अन्तर्गत कुछ प्रावधान किया जाये ताकि वह भी आज जो लोग आगे बढ़े हुए हैं, उनके साथ-साथ यह लोग भी आजादी का लाभ उठा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, इस कार्यक्रम में काफी लम्बे समय के बाद और पूरे वैज्ञानिक तरीके से आयोग की अपनी रिपोर्ट देने के बाद बहुत से राज्यों ने, राजस्थान सरकार ने, कुछ दक्षिण के राज्यों में इस आयोग के पहले ही राज्य स्तर पर आरक्षण की और अन्य सहूलियतों की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन राजस्थान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था न तो पहले थी और न

(72)

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

बाद में ही की गई, उसका बहुत ही दुःख है।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्य राज्यों की इस सम्बन्ध में स्पष्ट नीति है। लेकिन राजस्थान सरकार आज तक अपनी नीतियों को उजागर नहीं कर सकी है कि वह कमीशन की रिपोर्ट के प्रति अपना क्या दृष्टिकोण रखती है। आज जो इस विषय को यहां लाया गया है, अगर सरकार की रिपोर्ट नहीं ली है, उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया आपकी है कि आप सरकार से रिपोर्ट मांगते हमारे स्थगन प्रस्ताव के ऊपर और उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद आप उस पर व्यवस्था देते। लेकिन सरकार, क्योंकि अपना दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं करना चाहती इसलिये इस विषय पर आज प्रस्ताव को रद्द करके इसके ऊपर दो मिनट बोलने का मौका दिया गया है। यह इस बात का सबूत है कि राजस्थान सरकार अपना दृष्टिकोण अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रति जाहिर नहीं करना चाहती। मैं नहीं समझता कि वह किस बात से भयभीत है। लेकिन आप स्वयं जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की ही नहीं राजस्थान की करीब 51 प्रतिशत जनता इस अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों में आती है और अगर अन्य पिछड़े वर्ग के लोग जो आधे से ज्यादा हैं, अगर उनको आगे बढ़ाने के लिये कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई तो वे कभी भी उन लोगों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते जो पहले से आगे बढ़े हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार इस बात पर गौर करे और मैं चाहूंगा कि वह इस सदन में जो भी उनकी नीति है, वह इस अन्य पिछड़े वर्ग के सम्बन्ध में क्या नीति रखती है, यहां सरकार घोषणा करें। इस बात की व्यवस्था अगर, उपाध्यक्ष महोदय, आप करा सकें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के शासन काल में हमने काफी इस बात पर जद्दोजहद की और राजस्थान में "राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग" का गठन किया था। उस आयोग ने कुछ अपनी एक्सरसाइज की, कुछ अपना काम किया और कुछ छोटी-मोटी सिफारिशें उन्होंने राज्य सरकार को की हैं। मुझे अफसोस है यह कहते हुए कि उन सिफारिशों को लागू करने के बनिस्पत राजस्थान सरकार ने उस आयोग को ही बिल्कुल खत्म-सा कर दिया है और उसके ऊपर अब कोई कार्यवाही यहां नहीं हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर भारत में भी चाहे वह यू. पी. हो, चाहे वह हरियाणा हो और खास तौर से बिहार है, उसमें भी राज्य सरकारों ने अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को जो सहूलियतें देने की बात की वह मण्डल आयोग की सिफारिशों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपनी तरफ से वह सहूलियतें दे दी हैं। वहां इसका कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है क्योंकि वहां वे चीजें हो चुकीं। दक्षिण में तो 27 प्रतिशत से ज्यादा तक लोगों को आरक्षण देकर इन सिफारिशों को लागू कर दिया गया है।

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि हो सकता है कि राज्य सरकार कुछ पशोपेश में हो कि कुछ लोग नाराज हो जायेंगे और कुछ लोग खुश हो जायेंगे। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के हर आदमी को आजादी का लाभ मिले तो हमें उसको इस लायक बनाना होगा कि वह प्रतिस्पर्धा के दायरे में आ सके, वह उस एरिया में आ सके जिससे वह दूसरे लोगों के बराबर इन चीजों को हासिल कर सके।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो सिफारिशें मण्डल आयोग ने की हैं और राजस्थान में जो आयोग बना है उसने की हैं, उस सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हो सकता है कि आरक्षण के बारे में विवाद हो। मैं उस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। वह एक सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चल रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत लम्बा कर रहे हैं आप।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : लेकिन और कुछ दूसरी बातें है, जिन पर राज्य सरकार ध्यान दे सकती है और उन पर कार्यवाही कर सकती है। एक बात है कि जो प्रतिस्पर्द्धात्मक प्रतियोगिताएं होती हैं, चाहे आई. ए. एस. की हो, आई. पी. एस. की हो, कम्पीटिटिव एग्जामिनेशंस के लिये जो कोचिंग की क्लासेज चलती हैं एस. सी-एस टीज के लिये, इस तरह की कोचिंग की क्लासेज अगर इन अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिये भी मुहय्या कराई जाय तो मैं समझता हूं कि उनके बच्चे इस योग्य हो सकेंगे, वह एक कमी जो महसूस हो रही है, उस कमी को दूर किया जा सकेगा। इसी प्रकार जो अन्य पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, उसमें बहुत से लोग दस्तकार हैं, ऐसे हैं जो अपना धन्धा करते हैं। जैसे कुम्हार, दर्जी है, तेली है, इस तरह के अपना धन्धा करने वाले लोग इस समूह में आते हैं। उन लोगों के डवलपमेंट के लिये कार्पोरेशन बनाकर उनके स्व-उद्योग के लिये, स्व-रोजगार के लिये अगर कुछ पैसा उन लोगों को दिया जाय और अपने काम में वह और तरक्की कर सकें तो मैं समझता हूं कि उनको आगे बढ़ने का, उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और शैक्षणिक स्थिति भी अच्छी होगी।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गोवन्दसिह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

इसी तरह जो मेडिकल और टेक्नीकल शिक्षा है, उस शिक्षा में कुछ प्रतिशत या कुछ मार्क्स का रिलक्सेशन देकर इस वर्ग के बच्चों को आगे लाने के लिये अगर कुछ सुविधा दी जाय तो मैं समझता हूं कि उससे और भी बहुत सा लाभ होगा और जो कमी, महसूस की जा रही है, यह गेप बढ़ता जा,

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

रहा है और 50 प्रतिशत लोगों को अगर इस तरह से इग्नोर किया गया, अगर उनकी उपेक्षा की गई तो आगे जाकर आज वे शान्त.... कुछ उत्तेजना है। लेकिन आज वह बैठे हुए हैं इस इन्तजार में कि सरकार हमारे लिये क्या करती है। लेकिन यह इन्तजार की घड़ी, सब्र की घड़ी अब बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनको शिक्षा में कुछ प्रतिशत स्थान दिया जाये ताकि वह अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। इसके साथ ही....

श्री उपाध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, जो आयोग राजस्थान में बना था, उसको चालू किया जाये, उसकी सिफारिशें ली जाए और यहां उन सिफारिशों को लागू किया जाये। कुछ सिफारिशें यहां लागू हैं कि जो बच्चे पिछड़े वर्ग के हैं, उनकी आधी फीस कालेज व स्कूल में माफ की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : समय बहुत हो गया।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : लेकिन वह अभी नहीं की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : समय बहुत हो गया। समय सीमा का ध्यान रखें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सहूलियतें मिल रही हैं, वह तो दें और जो राजस्थान सरकार भाग रही है, इस मुद्दे के ऊपर, वह यहां आये, अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें और मुझे दुख है उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान सरकार ने, जैसा मैंने अखबारों में पढ़ा है, यह बताया है कि यहां कोई सूची ही नहीं है, यहां सूची है, अजमेर की अलग है और बाकी राजस्थान की अलग है। उस सूची के मुताबिक उन्हीं को आधार मानकर उन लोगों को यह सहूलियतें, मण्डल कमीशन ने दी हैं, जो राजस्थान का पिछड़ा वर्ग है, उसको आयोग ने दी है और मैंने आपसे निवेदन किया है, उनको देने के बारे में सरकार कोशिश करे अन्यथा हमारा जो सब्र का पैमाना है, वह भर चुका है, इसलिए आगे कोई भी कदम उठाने के लिए हम विवश होंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं एक विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारा जो अधिकार है....

श्री रामकरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस मण्डल आयोग के बारे में दिया हुआ है ...

श्री उपाध्यक्ष : एक ही सदस्य को समय मिलेगा।

श्री रामकरण सिंह : नहीं, नहीं माननीय अध्यक्षजी ने यह बात नहीं कही कि एक ही सदस्य को मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : नियम यही है।

श्री रामकरण सिंह : हमने फिर किसलिए दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : नियम यही है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : प्रस्ताव में हमारा भी नाम है।

श्री रामकरण सिंह : हमें अपने अधिकार से इस तरह से वंचित रखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : देखते हैं कैसे नहीं है।

श्री रामकरण सिंह : नहीं, नहीं यह बात नहीं है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मण्डल आयोग की रिपोर्ट के बारे में हमारा नाम नहीं है।

श्री रामकरण सिंह : पहले यह परम्परा रही है कि जितने लोगों ने साइन किये हैं, उन सबको अधिकार मिला है।

एक माननीय सदस्य : कृपया आप व्यवस्था करवा दें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो यही परम्परा रही है कि एडजोर्नमैण्ट मोशन देते थे, उन सबको दो-दो मिनट का समय मिलता था। आप अध्यक्ष से बात करके माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट का मौका दिलवायें तो उचित रहेगा। यह बहुत अहम् मुद्दा है।

श्री रामकरण सिंह : आप इस बारे में पिछला रिकार्ड देख लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पिछले पांच वर्षों में तो यही परम्परा रही है। आप आसन पर बैठकर भूल गये क्या।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विषय पर बोलूं, इससे पहले मेरा एक विनम्र निवेदन है। मैंने 295 नियम के अन्तर्गत एक सांस्कृतिक नीति के बारे में प्रस्ताव दिया था। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी जाती रही है कि हफ्ते में दो दिन बोलने का मौका दें। हम तीन, चार दिन के लिए हमारी पार्टी के काम से बाहर जा रहे हैं। इसलिए मेहरबानी करके राजस्थान की सांस्कृतिक नीति के बारे में आप स्पेशल डिस्कसन के बारे में जब चर्चा हो तो मुझे बोलने का समय देने की कृपा करें। अब मैं एडजोर्नमैण्ट मोशन जो मैंने आज ...

श्री रामकरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में अभी की परम्पराओं को और माननीय अध्यक्ष के निर्णयों को किस तरह से आप अवॉइड कर रहे हैं। अगर यह परम्परा हो जायेगी तो आगे बड़ी मुसीबत रहेगी, माननीय सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। एक-एक स्थगन प्रस्ताव में 15-15, 20-20 माननीय सदस्य अपने हस्ताक्षर करते हैं और अपनी इच्छा का इजहार करने के लिए करते हैं। यदि इस तरह का कोई निर्णय हो कि आइन्दा इस तरह की कोई बात नहीं होगी, तो आसन की तरफ से हमको आदेश दे दें हम उनको मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज तो आप इसको लागू कर दें और कल उसको खोल दें, ऐसा नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री रामकरणसिंह: माननीय उपाध्यक्षजी, ग्रान ए पाइण्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रापकी बात बहुत सुन्दरता से माननीय गोविन्दसिहजी गुर्जर ने रख दी।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : नहीं साहब मैंने नहीं।

श्री रामकरणसिंह : नहीं, नहीं गोविन्द सिंह जी ग्रपने हिसाब से रख रहे हैं, मैं मेरे हिसाब से रखूंगा।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, ग्राप यह कैसे कह रहे हैं। हमारा नाम है, प्रस्ताव है हमारा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब।

श्री रामकरणसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रगर ग्रापने यह नियम बना लिया है, तो हमें कोई ऐतराज नहीं। इस ग्रासन को हम बहुत ही ग्रादर ग्रौर सत्कार से मानते हैं कि ग्रापने यदि ग्रागे के लिए यह परम्परा कायम कर ली है, तो ग्राप घोषणा कर दीजिए, हमें ग्रादेश दे दीजिए। लेकिन यह नहीं कि ग्राज ही ग्रादेश देंगे ग्रौर कल उसे खोल देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था यही हुई है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : ग्राज तक परम्परा यह रही है कि जिन सदस्यों ने साइन किये हैं, उन सबको बोलने का मौका मिलता है, उनके ग्रलावा भी मिलता है ग्रौर यह तो ग्रहम् मुद्दा है। मंडल ग्रायोग की रिपोर्ट जो है....

श्री उपाध्यक्ष : ग्रौर नियमों का उपयोग करके ग्राप इस विषय को गम्भीर मानते हैं तो ग्रौर नियम हैं, ग्रपने....

श्री रामकरणसिंह : नहीं, नहीं नियम नहीं, नियम के हिसाब से ही दिया है। हम नियम के हिसाब से ही ग्रपना ग्रधिकार मांग रहे हैं। हमने जब दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मण्डल ग्रायोग के बारे में ग्रापसे निर्देश चाहता हूं कि ग्रापने ग्रब निर्णय दिया है, वह ग्रागे सदा के लिए लागू रहेगा क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : ग्रच्छा ग्राप बोलिये। दो मिनट में खत्म करिये बस।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, मंडल ग्रायोग के बारे में जितनी सहज ग्रौर सरल दृष्टि से ग्रपन सब सोच रहे हैं, वैसी बात नहीं है। मण्डल ग्रायोग एक ऐसी शक्ति है, जिस शक्ति को ग्राप हिन्दुस्तान के नक्शे पर ग्रच्छी तरह माप नहीं रहे। मण्डल ग्रायोग की ग्रावश्यकता ग्राज से 30 साल पहले महसूस की थी ग्रौर काका कालेलकर का एक इस तरह का कमीशन नियुक्त किया गया था, लेकिन उनकी रिपोर्ट ग्राने के बाद में कुछ 5-10 प्रतिशत जो बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने यह सोचा कि देश के पिछड़े वर्ग के 80-90 प्रतिशत लोग इस तरह की जानकारी प्राप्त नहीं

(श्री रामकरणसिंह)

कर लें, उन्हें सहूलियतें न मिल जाय, उन्हें अपने संविधान के अन्तर्गत अधिकार न मिल जाय, वह पढ़-लिखकर आगे न आ जायें, सर्विसेज में न आ जाय, इसलिए उन्हें वंचित रखा गया और वह बस्तापा खामोशी में रहा। उसके बाद भी वास्तव में जो बहुत से विधि पंडित थे, जो वास्तव में इस बारे में मनन करते थे, उन्होंने मंडल आयोग कायम किया कि चलो अब लागू होगा। मण्डल आयोग को लागू करने के लिए मंडल आयोग की रिपोर्ट आई। यह बस्ताये खामोशी रखी रही लेकिन ज्यों ही वी. पी. सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सोचा कि मैं सबको बराबर मानूं और बराबर मानने के हिसाब से, दूसरा जो पिछड़ा वर्ग है, जिसके लिए केवल लोग स्टेज पर आकर सहानुभूति देते हैं, वह असत्य सहानुभूति दिखाते हैं, उनके लिए प्रैक्टिकली उन्होंने घोषणा की कि अब से इनको भी 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। ज्यों ही उन्होंने आरक्षण की बात कही, उन्होंने किसी का अधिकार नहीं छीना, एस टी और एस टी का जो आरक्षण था, वह उनसे नहीं छीना, उन्होंने जनरल 15 प्रतिशत या 10 प्रतिशत लोगोंके लिए या बाकी 50 प्रतिश तथा उनका हक नहीं छीना, उन्होंने किसी का हक नहीं छीना लेकिन देश में एक आग लग गई और आग लगाकर बहुत से जो दिलावर मुख्यमंत्री थे, हिम्मत वाले मुख्यमंत्री थे, अपने-अपने प्रदेशों में उन्होंने लागू कर दिया, लेकिन भाजपा के तीन प्रदेश, जिसमें भाजपा की नीति के आधार पर, उनमें हिन्दुस्तान के केवल तीन प्रदेश हिमाचल, मध्यप्रदेश और राजस्थान में, इस तरह की घोषणा नहीं की गई।

श्री उपाध्यक्ष : अब तो राजस्थान की बात करिये।

श्री रामकरणसिंह : मैं तो मण्डल आयोग के बारे में पृष्ठभूमि बना रहा हूं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट का समय है।

श्री रामकरणसिंह : इसलिए हम यह चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप चाहे पृष्ठभूमि में निकाल दीजिए या किसी और में निकाल दीजिए।

श्री रामकरणसिंह : आज वह समय नहीं रहा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि किसी को किसी प्रकार से दबाया जा सके। आज पिछड़ा वर्ग भी जग गया है। पिछड़ा वर्ग, गरीब जनता भी इसके बारे में बहुत सजग हो गई है। इसलिए हम यह चाहते हैं कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री इस बारे में अपना डिसीजन दें, अपना निर्णय दें, चाहे वह लागू करें या नहीं करें, यह उनकी अपनी इच्छा है। लेकिन हमारा आग्रह है कि किसी तरह से राजस्थान को गुमराह न किया जाय। अभी आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, उसके अन्दर वह इसको किस प्रकार से बच सकेंगे, इसलिए मैं उनके भले के लिए और भाजपा के फायदे के लिए यह कहना चाहता हूं कि उनको इसी दम, इसी समय यह घोषणा कर देनी चाहिये कि मंडल आयोग को हम लागू करते है। दूसरे प्रदेशों ने केवल इसलिए लागू किया क्योंकि वह जानते हैं कि आज 50 फीसदी लोग, जो

(श्री रामकरणसिंह)

140 जाति समाज कल्याण विभाग की लिस्ट में हैं और, मंडल आयोग, पिछड़े आयोग है, उसकी भी 140 जातियां है, उन जातियों को यह अधिकार देने वाली बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन जातियों को अगर आप किसी तरह से एक कौने में रखकर चलेंगे, इनके पिछड़ेपन पर ध्यान नहीं देंगे, तो देश का, राष्ट्र का भला नहीं हो सकता। आप दो हाथों में से एक हाथ को तोड़कर, एक हाथ से पूरा काम कर लें, यह संभव नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करो, माननीय संदस्य।

श्री रामकरणसिंह : देश की रक्षा भी नहीं हो सकती, इस बारे में देश में किसी तरह की बहबूदी भी नहीं हो सकती। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस समय जो हमारे डिप्टी लीडर बैठे हुए हैं, वह मुख्यमंत्रीजी की जगह हैं। उनका स्वभाव न्यायप्रिय है, वे क्यों नहीं आज इसकी घोषणा करके वी. पी. सिंह जी की तरह बहुत बड़ा नाम कमा लेते। मैं आग्रह करूंगा कि वे इस बारे में अपना निर्णय दें और यहां घोषणा कर दें कि मण्डल की रिपोर्ट लागू कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामेश्वर दयाल यादव।

श्री रामकरण सिंह : इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद कि आपने मुझे टाइम दिया। माननीय ललित जी को यह कहना चाहूंगा कि यह घोषणा करके आप श्रेय जरूर ले लो।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू करने के बारे में चर्चा चल रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि 1977 के अन्दर जनता शासन में जब मण्डल आयोग का गठन किया गया उस वक्त भारतीय जनता पार्टी भी जनता शासन यानि जनता पार्टी में शामिल थी। मण्डल आयोग की रिपोर्ट सत्ता परिवर्तन के बाद पेश हुई। पिछले दस साल के अन्दर केन्द्र में जो भी गृह मंत्री रहे, उनसे लोक सभा के अन्दर इस बात की मांग की गयी कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाय। हर मंत्री ने सदन को यह आश्वासन दिया कि सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू करने के बारे में। पिछले आम चुनावों के अन्दर देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थीं वे अपने घोषणा पत्र के अन्दर जहां यह कहती थीं कि कर्जा माफ करेंगे, बूढ़ों को पेंशन देंगे वहीं साथ में, यह भी कहती थीं कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे। देश के पूर्व प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू करने का फैसला जिस वक्त सदन में रखा सभी राजनीतिक दलों ने दोनों हाथों से मेजें थपथपाकर उसका स्वागत किया था। उसके बाद देश में एक ऐसा वातावरण जानबूझकर बनाया गया। मैं निश्चित तौर से कहूंगा कि उसमें भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने जनता से जो वायदे किये थे उससे वे पीछे खिसके, इन्होंने लोक सभा में जो वायदा किया था उससे ये पीछे खिसके, इस वातावरण को उन्होंने उजागर किया,

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

एक ऐसा माहौल बनाया गया कि मण्डल आयोग के खिलाफ सारा देश है। असलियत यह नहीं है। देश के अन्दर 52 प्रतिशत जनसंख्या अन्य पिछड़े वर्गों की है। उन पिछड़े की सहूलियतें देने का काम माननीय वी. पी. सिंह जी ने किया, उससे पिछड़ी जातियों के मन में यह निश्चित तौर से भावना जाग्रत हो गयी है अपने अधिकारों को वे समझते थे लेकिन इस पिछले तीन–चार महीने के दरम्यान वे ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे अधिकार हैं, हमारे अधिकारों का दूसरे लोग उपयोग कर रहे हैं। जहां तक राजस्थान सरकार का प्रश्न है मुझे खेद है यह कहते हुए कि राजस्थान सरकार ने अभी तक उन जातियों का चयन नहीं किया, 140 जातियां जो सूची के अन्दर हैं उसके बारे में विचार नहीं किया। केन्द्र सरकार ने सूची चाही थी, अभी तक उन्होंने वह सूची नहीं भेजी है। यह सरकार इस मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के पक्ष में है या लागू करने के पक्ष में नहीं है, इसकी स्पष्ट नीति घोषित करे। आज इनको कहां हिचक हो रही? चुनाव के अन्दर पहले गये थे तो आप वायदा कर रहे थे, आपने जनता से वायदा किया था। कुछ ही दिनों के बाद जनता के सामने आपको भी जाना है और हमको भी जाना है। लोग वायदे पूछेंगे, आपको जवाब देना होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर मण्डल आयोग की रिपोर्ट में राजस्थान की सरकार ने कोई भूमिका नहीं निभायी, राजस्थान की सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया इस डर के मारे कि खून-खराबा हो जायेगा, तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि अन्य पिछड़ी जातियां भी जाग्रत हो चुकी हैं, हो सकता है वे इसमें अहम् भूमिका निभायें।

राजस्थान या देश के अन्दर कोई खून खराबा होता है तो उसकी जिम्मेदार राजस्थान की सरकार या भाजपा साबित होगी। मैं ऐसे समय के अन्दर यह उदाहरण भी देना चाहता हूं जब माननीय शरद यादव भी जयपुर पधारे थे। उसकी पहली रात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस तरह का एक वातावरण बनाया सरकार में रहते हुए भी। मैं भी उस समय सरकार में था। जितनी प्रदेश की सम्पत्ति थी उसका नुकसान किया और उनकी मीटिंग नहीं होने दी। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि माननीय शरद जी जो बात कहना चाहते थे उसे आपके विरोध करने के बाद भी उन्होंने समाचार पत्रों के जरिये पहुंचाया, यहां आये लोगों ने जैसा वातावरण देखा उससे सारे राजस्थान की जनता उसे जान चुकी थी।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की सरकार से फिर कहना चाहूंगा, विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट के बारे में आप अपनी नीति स्पष्ट करें, मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू करें। जातियों का चयन जो पहले हो रखा है या तो उसको मानें या दूसरा

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

अपना चयन करके केन्द्र सरकार को सूची भेजें, वर्ना आने वाले समय के अन्दर आपको जनता के सामने जाना है, मण्डल आयोग से सम्बिन्धित जातियों के विधायक आपके भी हैं, आप भी मण्डल आयोग से सम्बन्धित जातियों के वोटों की लालसा रखते हैं। कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट के अभाव में राजस्थान की सरकार या भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के अन्दर वापस सरकार बनाने की बात न सोचे। इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुरजोर शब्दों मे मांग करता हूं कि राजस्थान में मण्डल आयोग की रिपोर्ट को यथावत लागू किया जाय और सूचियों का चयन कर केन्द्र सरकार को भेजा जाय। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बुलाकीदास कल्ला साहब।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पांचों मेडिकल कालेजों से सम्बन्धित हमारे सरकारी अस्पतालों में प्रतिदिन हाथ पैर या अन्य मानव अंगों को शल्य क्रिया के दौरान काटकर अलग कर दिया जाता है। उनको जलाने की प्रक्रिया इंसिनरेटर मशीन के माध्यम से की जाती है। मैं आपके माध्यम में चिकित्सा विभाग का ध्यान इस ओर आर्कषित करना चाहता हूं। क्या यह सही है कि एस. एम. एस. हास्पिटल की यह मशीन पिछले लम्बे अरसे से खराब पड़ी है? यही स्थिति उदयपुर मेडिकल कालेज से सम्बन्धित अस्पताल, पी. बी. एम. हास्पिटल बीकानेर और अजमेर के मेडिकल कालेज में है, वहां मानव अंगों का शल्य क्रिया के दौरान काट दिया जाता है लेकिन वे जलाये नहीं जाते। यह एस. एम. एस हास्पिटल इस विधान सभा से 4–5 किलोमीटर की दूरी पर है, आप जाकर, उपाध्यक्ष महोदय, स्वयं अवलोकन करें। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी ने कभी वहां जाने का कष्ट नहीं किया है। वहां जाकर आप देखेंगे तो........

श्री ललीतकिशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा मंत्री) : आपको कैसे जानकारी हो गयी कि वहां जाकर देखा नहीं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं कई गरीब बीमारों को पूछने जाता हूं तो वहां पता लगता है काटेज वार्ड के सामने मानव के हाथ– पैर सरे आम कुत्ते खा रहे, पक्षी खा रहे हैं, सुअर खा रहे हैं। समाचार पत्रों में इस सम्बन्ध में पिछले दिनों काफी समाचार आये, लेकिन उसके बावजूद चिकित्सा एव स्वास्थ्य मंत्रीजी मर्डर केसेज में जाकर वहां लोगों पर दबाव डालेंगे, डाक्टरों को नाजायज तरीके से सस्पैण्ड करेंगे लेकिन एसे अमानवीय दृश्यों के बारे में जो वहां पर दिखाई देते हैं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी ने कभी ध्यान देने की कोशिश नहीं की। आप जाकर देखेंगे कि उन अंगों को जलाया नहीं जाता। उसके लिए बजट प्रावधान है लेकिन मशीनें खराब पड़ी हैं उनको ठीक नहीं किया जाता जिससे यह अमानवीय दृश्य सरेआम देखने को मिलता है। मैं यह अपील करता हूं कि एक सप्ताह के अन्दर अन्दर इन पांचों मेडिकल कालेजों की इंसिनरेटर मशीनों को ठीक कराया जाय।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

मानवीय अंग खुले आम कुत्ते, सूअर और पशु खा रहे हैं इसको रोक कर इस अमानवीय कृत्य को जो स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा मंत्री की लापरवाही से हो रहा है उसको ठीक किया जाय ताकि, मान्यवर, जिस किसी मानव का आपरेशन हुआ है उसका हाथ उसके सामने कोई कुत्ता खाये तो कितना बुरा लगेगा। किसी की टांग खाई जा रही है, किसी की नाक, किसी का कान, जो जो अंग कटे हैं उनको सरे आम वहां लोगों के सामने फेंक दिया जाता है। यह एक अमानवीय कृत्य है इसके बारे में हमारे देश में लोग जागरुक नहीं है, ला आफ टार्ट के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति क्षतिपूर्ति की मांग करे तो स्वास्थ्य विभाग को लेने के देने पड़ सकते हैं और यह जागरुकता हमको लानी ही होगी। नहीं तो स्वास्थ्य विभाग की यह कुम्भकरणी नींद नहीं खुलेगी और यहां पर स्वास्थ्य विभाग इस प्रकार की लापरवाही लोगों के अंगों के साथ कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है। इसके ऊपर तुरन्त रोक लगायी जानी चाहिये।

मैं उम्मीद करता हूं कि इसके सम्बन्ध में स्वाथ्य मंत्रीजी, जो यहां पर अभी मौजूद हैं मौके का मुआयना करेंगे और मुआयना करके इस लापरवाही को ठीक करने की पूर्णतया कोशिश करेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलना तो नहीं था, मशीन बहुत पहले ठीक हो गई है। माननीय सदस्य महोदय ने अखबार में काफी पुराना पढ़ा है इसलिये दे दिया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कब ठीक हुई है चिकित्सा मंत्रीजी ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत् कहना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आप साथ ले जायं तो ज्यादा ठीक रहेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हां, यह ठीक रहेगा।

श्री बुलाकी दास कल्ला : ठीक नहीं हुई, परसों की रिपोर्ट है....

श्री उपाध्यक्ष : आप चले जायं आज इनके साथ। (व्यवधान) वह आपको साथ ले जा रहे हैं तो इससे ज्यादा क्या चाहिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

राजस्थान के आदिवासी इलाकों की समस्यायें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तरह मैं राजस्थान आदिवासी इलाकों की समस्याओं के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवरजी, पिछले 30-40 वर्षों से राजस्थान के आदिवासी इलाकों में वहां के गरीब आदिवासियों द्वारा वन विभाग एवं राजस्व विभाग की भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है उक्त भूमि पर कब्जा एवं कृषि कार्य इनके पूर्वजों से

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

ही चलता आ रहा है तथा इन भूमियों पर पक्के कुएं तथा आम इत्यादि वृक्ष भी लगे हुए हैं। इस क्षेत्र के हजारों आदिवासियों की आजीविका का एक मात्र साधन कृषि ही है। इन हजारों आदिवासी भाइयों को बार-बार वन विभाग 'ए' राजस्व विभाग द्वारा परेशान किया जाकर जुर्माना वसूल किया जाता है इससे आदिवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है जबकि ये गरीब आदिवासी अपने भरण-पोषण के पश्चात् जुर्माना देने में सक्षम नहीं होते हैं। आज तक इन्हें अवैधानिक कब्जे माने जाने के कारण विद्युत 'कनेक्शन,' अफीम के पट्टे की सुविधा तथा सरकारी सहायता, कर्जा व सिंचाई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज जबकि सरकार आदिवासियों के जीवन सुधार तथा उनके विकास को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कृत संकल्प है ऐसी परिस्थितियों में इस जन कल्याणकारी सरकार द्वारा गरीब आदिवासियों को उनके कब्जाशुदा भूमि पर उनके खातेदारी अधिकार दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित होगा।

वन विभाग एवं राजस्व विभाग के रिकार्ड के आधार पर एक निश्चित वर्ष तय करके इनके पूर्व के कब्जों को नियमित करने से लाखों आदिवासियों का कल्याण हो सकेगा।

साथ ही निम्बा हेड़ा, छोटी सादड़ी क्षेत्र के आदिवासी इलाकों में सड़कों एवं यातायात की समस्या के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

क्षेत्र के आदिवासी इलाकों में सड़कों के अभाव की वजह से आदिवासी भाई जन जीवन से कटे हुए हैं, विकास से वंचित रहते हैं तथा पिछड़ापन कायम रहता है। छोटी सादड़ी क्षेत्र के निम्न आदिवासी इलाकों में सड़कें बनाया जाना आवश्यक है :—

(1) ग्राम पीलीखेड़ा से साटोला तक 6 किलोमीटर

(2) भोटखेड़ा से छबड़ा तक 6 कि. मी.

(3) गणेशपुरा से साटोला 7 किलोमीटर

माड़ा क्षेत्र में आने वाली 6 पंचायतों को इन सड़कों के बनने से राहत मिल सकेगी। आदिवासी भाइयों को वर्तमान में 50 किलोमीटर चलकर तहसील मुख्यालय पर आना पड़ता है इससे दूरी कम होगी तथा आदिवासी भाइयों को आवागमन में काफी सुविधा मिल सकेगी। जिसे इस क्षेत्र के विकास पर काफी प्रभाव पड़ेगा।

आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा व चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। इन्हें भी दूर किया जाना चाहिये ताकि आदिवासी भाईयों के बच्चे स्वस्थ रह सके तथा पढ़ लिख कर देश के विकास में योगदान दे सकें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द गुर्जर।

नीम का थाना में शराब की अवैध दुकानें।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज एक ऐसे भयंकर मामले के लिये मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करूंगा

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

जिसकी सुबह ही चर्चा हो रही थी कि किस प्रकार से बिना लाइसेन्स की दुकानों से करोड़ों रुपए की राजस्व हानि आबकारी विभाग को रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नीम का थाना उप खण्ड में क्षेत्र में अंग्रेजी शराब को बिना लाइसेन्स की अवैध दुकानें खोलकर धड़ल्ले से बिक्री होने से हो रही करोड़ों रुपए की राजस्व हानि के क्रम में।

महोदय, नीम का थाना उप खण्ड में पिछले दो साल से शराब के ठेकेदार पाटन बस स्टेण्ड अजीतगढ़ बस और ग्राम लोहरवाड़ा मोड़ पर अंग्रेजी शराब की दुकानें खोलकर बिक्री की जा रही है जबकि विश्वस्त सूत्रों से मालूम करने पर ज्ञात हुआ है कि तीनों दुकानों का कोई लाइसेन्स नहीं है वह पूर्ण रूप से अवैध हैं केवल मात्र जिला आबकारी अधिकारी, सीकर की मेहरबानी पर अवैध अंग्रेजी शराब की यह दुकानें धड़ल्ले चल रही है। सब जानकारी करने के बाद ज्ञात हुआ है कि अजीतगढ़, पाटन व लोहरवाड़ा मोड (कांवट) की इन अवैध अंग्रेजी शराब की दुकानों की बिक्री लगभग क्रमशः 5 हजार, 6 हजार और 3 हजार, जो कुल रोजाना की बिक्री 14 हजार रुपए की होती है। अगर यह दुकानें राज्य सरकार की मंजूरी से होती तो राज्य कोष में 2 वर्ष के 2 करोड़ 2 लाख रुपए जमा होते। उक्त बिक्री से ज्ञात हुआ है कि राज्य में 27,20,500/-रुपए परमिट फीस के नाम से जमा होते इसके अलावा 2, 29,20, 500/-रुपये की राशि लाइसेंस फीस के जमा होने चाहिए था वह हुई नहीं है। इस प्रकार भयंकर रूप से राजस्व हानि हो रही है। यह सब मामला जांच के योग्य है।

उक्त कुल 2,29,20,500/-रुपये का जो चूना हर ठेके में राज्य सरकार को लगाया जा रहा है जिसका उत्तरदायित्व जिला आबकारी अधिकारी, सीकर पर है, जिन्होंने राज्य सरकार के हित में इस राशि को वसूलने के लिए कभी कोई कार्यवाही नहीं की है।

महोदय, उपरोक्त तीनों दुकानें जो चल रही हैं वह एक ही मालिक की प्रापर्टी है। मुझे जानकारी है कि पाटन की दुकान के मालिक देवी सहाय यादव हैं। बाकी की दुकानों में इन्हीं की ठेकेदारी में या भागीदारी में खुले ग्राम ठेका चल रहा है। अतः मैं आबकारी मंत्री महोदया का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अंग्रेजी शराब की इन दुकानों के ठेकेदार किसी भी स्थान व मरुस्थल पर बिना राज्य सरकार की मंजूरी के दुकानें खोलते हैं तथा अनाधिकृत रूप से बेचान जारी रखते हैं जिससे विभाग को बहुत बड़ी हानि हो रही है। जैसे अजीतगढ़, पाटन व कांवट में चल रही अवैध अंग्रेजी शराब की दुकानों को राज्य सरकार ने बिक्री पर लाइसेन्स फीस की बिना छूट दिये ही भारी राशि का गबन हुआ है। तथा जिला आबकारी अधिकारी, सीकर की मिली भगत से हर साल राज्य कोष को दो करोड़ से ऊपर की जो हानि हो रही है उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग करता हूं, तथा यह भी मांग करता हूं कि बस स्टेण्ड, शिक्षण संस्थानों और धार्मिक स्थान तथा अन्य आरक्षित स्थानों से निश्चित की गई

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

सीमा से दूर ही शराब की दुकानें खोली जायं तथा इनका उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय।

मैं यह भी मांग करता हूं कि प्रत्येक पंचायत समिति में सभी प्रकार की स्वीकृत शराब की सूची लगवाई जाय जिस से ग्राम पंचायत के सदस्य भी सूचित रहें साथ ही यह भी मांग करता हूं कि जिला आबकारी अधिकारी, सीकर के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही कर दंडित किया जाय, क्या उनके खिलाफ वह सख्त कार्यवाही करने की घोषणा करेंगी जिससे कि आने वाले समय में इस प्रकार की राजस्व आय की हानि पर रोक लगाई जा सके।

श्रीमती विद्या पाठक (आबकारी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका जवाब देना चाहती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने वैसे तो जो 295 का नोटिस है यह मुझको भी मिल जाना चाहिये था. जैसे ही आया मामला विभाग को और एक कापी मुझे दी जानी चाहिये थी। पर मैंने अभी यहां से कापी प्राप्त की है, और कापी यहां से प्राप्त करने के बाद मैंने इसकी सूचना अधिकारियों से प्राप्त की है, नीम का थाना के अधिकारियों से प्राप्त की है और माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है कि ठेकेदार के पाटन बस स्टेण्ड, अजीतगढ़ बस स्टेण्ड और लोहरवाड़ा मोड़ पर, इन तीनों पर अवैध रूप से आई. एम. एफ. एल. की दुकानें चल रही हैं। उन्होंने पाटन बस स्टेंण्ड के जो दुकान के मालिक हैं उनका नाम भी बताया है। मुझे जानकारी विभाग के द्वारा यह मिली है कि माननीय सदस्य ने जानकारी सही दी है जो गम्भीर बात है और ऐसी स्थिति में इस प्रकार की अवैध रूप से चल रही दुकानों के मालिकों के विरुद्ध धारा 54 और 58 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाना अपेक्षित है, जो निश्चित रूप से की जायेगी। इसकी उच्च स्तरीय जांच करवा कर इस पर कार्यवाही निश्चित रूप से की जायेगी। न केवल यही बल्कि जिस अधिकारी ने अवैध रूप से चल रही दुकानों से हो रही बेचान के लिये लापरवाही बरती है उसको भी दंडित किया जायेगा। मैं यह भी माननीय सदस्य को कहना चाहती हूं कि अगले सैटलमैंन्ट में जो अप्रैल, 1991 से चालू होने वाला है उसमें लोकेशन से सम्बन्धित नियमों के प्रति अधिक सावधानी बरतने के आदेश दिये जा चुके हैं। आपने सूची लटकाने की बात कही है कि गांवों में यह जानकारी होनी चाहिए कि कौनसी दुकान यहां स्वीकृत है तो मैं माननीय सदस्य को कहना चाहती हूं कि हर दुकान पर उस दुकान का नम्बर लिखा होता है। अगर नम्बर नहीं है तो वह दुकान अवैध है और उसके प्रति कार्यवाही होनी चाहिए। माननीय सदस्य को मैं यह भी कहना चाहूंगी कि वह अधिकारियों को इसके विषय में भी सूचना दें।

श्री फूलचन्द गुर्जर : पंचायत समिति में सूची लगवा दी जाए।

श्रीमती विद्या पाठक : पंचायत समिति में सूची नहीं लगवाई जा सकती क्योंकि पंचायतों के अन्तर्गत नहीं आते परन्तु हर दुकान पर लोहे की छाप से उस दुकान का नम्बर अंकित हो और वो ही विभाग के द्वारा दिया जाता है। यही बात मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्यवीर (अनुपस्थित)

श्री रामकरण सिंह।

कोटपूतली में चोरी, डाका एवं गुण्डागर्दी

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं राजस्थान विधान

(श्री रामकरणसिंह)

सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 295 के तहत दूसरी बार रख रहा हूं ।

कोटपूतली क्षेत्र में चोरी, डाका, गुण्डागर्दी का राजनीतिकरण हो गया उसका विवरण मैंने यहां दिया है जो आपके समक्ष रख रहा हूं । कोटपूतली क्षेत्र में चोरी, डाका और गुण्डागर्दी का राजनीतिकरण किया जा रहा हैं, जान माल की रक्षा खतरे में पड़ रही है । यहां तक कि इज्जत पर भी लोगों ने हाथ डालना शुरू कर दिया है । इसको प्रोत्साहन मुकदमा नम्बर 36/90 थाना कोटपूतली में दर्ज 15 हजार रुपए की लूट के हिसाब से आरम्भ होता है । केस के जो मुलजिम हैं वह चार वारदात पहले कर चुके हैं । एक कुम्हार के साथ, एक तेली के साथ, एक नाई के साथ और एक धोबी के साथ इन व्यक्तियों को मकान में बन्द करके बुरी तरह मारा और उनसे रुपए लेकर छोड़ा और उनको आतंकित करके यह कह दिया कि यदि थाने में गए तो तुम्हें दुबारा यूं ही पकड़ा जाएगा और यूं ही लूटा जाएगा । इसलिए वह वहां थाने में भी नहीं जा सके । उन्होंने जो रिपोर्ट दी वह लोगों के हाथों ही भिजवाई । अन्य प्रभाव जो धीरे-धीरे यहां बढ़ता गया....

श्री उपाध्यक्ष : इसी में से बोलेंगे वहीं अंकित होगा ।

श्री रामकरण सिंह : इन्हीं मुलजिमों ने दिसम्बर 1990 में कुछ व्यक्तियों को कमरे में बन्द करके बुरी तरह मारा और उनसे छोड़ने के लिए 15 हजार रुपए लिए जिसका मुकदमा नम्बर 36/90 कोटपूतली थाने में दर्ज हुआ जिसको करीब एक साल तीन महीने हो गए । आज तक कार्यवाही नहीं हो रही है । कार्यवाही नहीं होने का कारण मुकदमें को जांच के लिए पहली दफा एस. पी. साहब के यहां मंगवाया गया । एस. पी. साहब ने उसे वाजिब पाया और वापिस कोटपूतली स्थानीय पुलिस को वही आदेश दिया जो स्थानीय पुलिस ने वास्तविक जांच करके भेजी थी लेकिन थोड़े ही दिन बाद वहीं कुछ नेताओं ने समझो, अधिकारियों ने समझो....

श्री उपाध्यक्ष : आप उसको पढ़िये । वहीं नोट होगा ।

श्री रामकरण सिंह : इसमें लिखा हुआ है वही पढ़ रहा हूं । डी. आई. जी. साहब के पास वापिस फाइल मंगवाने के लिए कहा, स्थानीय पुलिस की जांच को सही पाया गया । कुछ दिन बाद जब एस. पी. साहब की रिपोर्ट आई तो मुकदमे की दूसरी दफा जांच हुई उसमें भी स्थानीय पुलिस और एस. पी. की जांच को सही माना गया । इस मुकदमे की फाइल स्थानीय पुलिस के पास भेजी गई । चौथी बार उच्च अधिकारी सन्तुष्ट नहीं हुए और चौथी दफा मुकदमा नम्बर 36/90 की इस फाइल को विजिलेन्स आई. जी. साहब के पास मंगवा ली गई जिसें करीब 8 महीने हो गये और 8 महीने में वह फाइल विजिलेन्स में ही पड़ी है । कैसी विड़म्बना की बात हैं। आप ही बताइए कि एक वर्ष 6 महीने के करीब हो गए, कोई कार्यवाही नहीं होवे तो

(श्री रामकरण सिंह)

क्या समझा जाए। यह सब भ्रष्ट व्यक्तियों व अधिकारियों के इशारे पर हो रहे है।

यही नहीं उन मुलजिमों ने अभी 15-20 दिन पहले छठी बार गैंग बनाकर गोरधनपुरा चौकी से एक जीप ली और गाड़ी भरकर कोटपूतली चौराहे जो लोग इनको संरक्षण देने में आगे आकर रुकावट पैदा करते हैं वहां आकर एक जयमाल सिंह नाम के व्यक्ति को पीटा और वहां से वापिस फरार हो गए। केस रजिस्टर हो गया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह नामजद रिपोर्ट है। इस तरह गुण्डों को उत्साहित कर रहे हैं। उनको रोका जाए और तत्काल इस पर कार्यवाही की जाए और वह फाइल जो यहां पर विजिलेन्स में पड़ी हुई है उसे भेजा जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्द किशोर शर्मा।

तहसील छबड़ा में सड़क बिजली व विद्यालयों की समस्या।

श्री नन्द किशोर शर्मा (छबड़ा)—:

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छबड़ा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है। वहां सन् 1977 से पहले तो ग्रामों में कोई स्कूल ही नहीं था न सड़क थी, न बिजली थी। माननीय भैरोंसिंह जी जब वहां के विधायक बने, तब वहां स्कूल बिजली व सड़क की धारा मुड़ी। आज वहां पर सब पर कार्य चल रहा है पर अब भी वह क्षेत्र बहुत पिछड़ा है।

बारां कालेज वहां से करीब 80 से 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। छबड़ा क्षेत्र छबड़ा, छीपाबड़ोद, अटरू तीनों तहसीलों के तीन उच्चतर राजकीय माध्यमिक विद्यालय बारहवीं तक के स्कूल तथा 20 हाई स्कूल पड़ते हैं। सारा क्षेत्र अधिकतर गरीब किसानों का है। अनुसूचित व जनजाति के बालक हैं। पिछड़े को पहले सरकार की नीति के अनुसार छबड़ा में महाविद्यालय खोलना आवश्यक है। गरीब छात्र बारां जाकर नहीं पढ़ सकते उन्हें माननीय शेखावत साहब पर पूरा भरोसा है कि वे जरूर इस मांग को पूरी करेंगे क्योंकि वहां की जनता तो आज भी उन्हें अपना निजी विधायक मानती है।

छबड़ा स्कूल के पास 50 बीघा जमीन है, 2 कुना पर मोहर लगी है खेल के सुन्दर मैदान हैं। वहां की जनता वहां के निर्माण कार्य पर 10 लाख रुपए लगाने को तैयार है। छबड़ा, छीपाबडोद क्षेत्र के भील, मीणा, बनजारा अनुसूचित जाति के लोगों के बच्चों में शिक्षा का बहुत अभाव है। छोटी-छोटी जमीनें हैं। पढ़ने का चाव है पर दसवीं तक, आठवीं तक पढ़कर रह जाते हैं। गरीब अन्त्योदयी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। छबड़ा में सन् 1936 का हाई स्कूल है आज 55 वर्ष हो गए केवल 2 कक्षा, दसवीं से बारहवीं तक बढ़ पाया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार ने बारां जिला बनाकर उस क्षेत्र को तेज विकास की गति की ओर मोड दिया है। अब उप जिला छबड़ा जो भी बहुत पुराना आजादी के पहले का ही उप खण्ड कार्यालय है अब इस वर्ष कॉलेज तक की शिक्षा का भी केन्द्र बन जाएगा। यदि बारां के

(श्री नन्द किशोर शर्मा)

के कालेज में कृषि शिक्षा दी जाती है तो ग्रामिण अंचल को बहुत लाभ होगा वहां का कवाई स्थित कृषि फार्म भी कृषि अनुसन्धान के कार्य में आ सकता है। माननीय सांसद महोदय वसुन्धरा राजे जी का भी जनता से आश्वासन है कि वे कालेज में पूरी मदद करेंगी, गत वर्ष भी माननीय मुख्य मन्त्री जी से उन्होंने अनुरोध किया था। अब सरकार उस क्षेत्र में कॉलेज इसी वर्ष खोलकर उनकी यह मांग जरूर पूरी करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदनलाल सैनी।

सीकर नगर में रेलवे फाटक के संबंध में :

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान सीकर नगर के वार्ड नं. 39 व 40 तथा दासा की ढाणी, दूलला की ढाणी, उदयदास की ढाणी, उदयलाल की ढाणी, चेनपुरा, चारण का बास के लगभग 20 हजार मतदाताओं एवं एक लाख जनता के मार्ग रेलवे फाटक को बन्द करने के नोटिस के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीकर नगर के वार्ड नं. 39 व 40 अन्य ग्राम पंचायतों, नागरिकों, वाहनों, पशुओं के मार्ग को रेलवे फाटक द्वारा आने-जाने का जो रास्ता है उसको रेलवे द्वारा दिये गये नोटिस के सम्बन्ध में माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि नगरपालिका का बकाया पैसा वह शीघ्र जमा करवायें जिससे जनता को इस रास्ते के बन्द होने से जो कठिनाई होती है उससे बचा जा सके।

यह रेलवे फाटक संख्या 193 ए है जो सीकर रेलवे स्टेशन से दक्षिण में स्थित है। फाटक जयपुर-सीकर रेल लाइन मील 147/11-12 किलोमीटर संख्या 237/8-9 किलोमीटर पर स्थित है।

इस फाटक को रेलवे ने पूर्व में बन्द कर दिया था। ग्रामीण जनता द्वारा रेलवे बोर्ड एवं स्वायत्त शासन विभाग से प्रयास करने, रेलवे फाटक के रख-रखाव का दायित्व नगरपरिषद्, सीकर द्वारा वहन करने पर फाटक खोलने का समझौतान्र्गत वहां एक आदमी छोड़ने का निर्णय हुआ और नगरपरिषद्, सीकर ने वार्षिक राशि रेलवे को देने का समझौता किया। अब तक रेलवे को नगरपरिषद्, सीकर ने जिस समय रास्ता खोलने की बात हुई एक लाख आठ हजार पांच सौ चार रुपये जमा कराये और उसके बाद प्रति वर्ष जो राशि रख-रखाव के लिए जमा करवानी थी उस निमित्त मात्र अब तक एक लाख 30 हजार रुपये जमा करवाये। शेष राशि दिनांक 31-3-1989 तक रेलवे बोर्ड ने नगरपरिषद्, सीकर के नाम चार लाख आठ हजार तीन सौ उन्नीस रुपये बकाया निकाले हैं। पैसे नहीं देने के कारण रेलवे बोर्ड ने फाटक बन्द कर दिया था। जिसको पिछले जून माह में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हस्तक्षेप कर फाटक को पुनः खुलवाया।

31 मार्च, 1991 तक दो वर्षों की बकाया और निकाल दी गई है और एक अप्रेल, 1991 से फाटक बन्द करने का नोटिस लगा दिया गया। फाटक बन्द होने

(श्री मदनलाल सैनी)

से एक लाख नागरिकों, मवेशी एवं व्यापार को बहुत बड़ी कठिनाई होगी।

मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं स्वायत्त शासन मंत्री बकाया राशि नगरपरिषद् के अनुदान से काट कर रेलवे बोर्ड को जमा करवाये। ताकि बन्द किया जाने वाला फाटक खुला रहे। धन्यवाद

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृत परमार।

बाली में साम्प्रदायिक तनाव

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : उपाध्यक्ष जी, मैं बाली में हुए आपसी झगड़े में पुलिस द्वारा उसको साम्पदायिक रूप देने के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

गृह मंत्री जी मुझे यह बताने की कृपा करेंगे कि बाली में अभी तीन महीने पहले कुछ बच्चों के आपसी रंजिश के कारण आपस में झगड़ा हो गया था उस समय मैं जयपुर था। पता लगने पर मैं स्वयं बाली पहुंच गया।

पहुंचते ही मालूम पड़ा कि बाली में जान-बूझ कर एक समुदाय के कुछ लोगों के कहने पर आर. ए. सी. लगा दी व धारा 144 लगा दी गयी। ऐसा करने का कोई मतलब ही नहीं था। यह जान-बूझ कर एक सम्प्रदाय के कहने पर एस. डी. ओ., बाली चुन्नीलाल कायल व थानेदार घीसूसिंह की मिलीभगत से बाली का वातावरण बिगाड़ा गया। इसमें एस. डी. ओ. की प्रमुख भूमिका रही।

फिर दोनों समुदाय के लोगों को समझा बुझा कर आपस में राजीनामा करा दिया जबकि उस केस में नरेन्द्र कुमार परमार एवं 2 बच्चों को भी गम्भीर चोट आई थी। बावजूद हम सभी ने मिल कर आपस में राजीनामा करा कर केस समाप्त करा दिया।

मैं और मेरे क्षेत्र के कुछ मुख्य लोग एस. डी ओ., बाली थानेदार, बाली एवं उच्चाधिकारियों से तीन, चार बार फोन से और स्वयं मिलकर कहा कि कुछ मुसलमान बन्धुओं के बच्चे अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं उसको गम्भीरता से नहीं लिया गया ना ही उसका कुछ इलाज किया, उसका नतीजा यह हुआ कि एक महीने बाद फिर दोनों समुदाय में झगड़ा हो गया तब मैं मारवाड़ जंक्शन में था एक कार्यकर्ता ने मुझे फोन किया मैं वहां पहुंच गया। तब मैंने देखा कि वहां पुनः आर. ए. सी. लगा दी गई थी परन्तु वह झगड़ा नाममात्र का था एस. डी. ओ. चुन्नीलाल कायल और पुलिस अधिकारी ने मिलकर वातावरण को बिगाड़ दिया था। फिर पुनः एस. पी., कलेक्टर, ए. डी. एम., बाली के समक्ष राजीनामा करा दिया गया। परन्तु ए. डी. ओ. बाली ने अपनी जिद पर कई व्यक्तियों को जेल में डाल दिया और कुछ मुसलमान समुदाय के लोगों को छोड़ दिया गया। ऐसी घिनोनी हरकतें करने वाले एस. डी. ओ. चुन्नीलाल, थानेदार घीसूसिंह, डी. वाई एस. पी. के खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रही है। मुझे अवगत कराया जावे।

इतना ही नहीं एक तरफ केस दर्ज कर उन्हीं व्यक्तियों के विरुद्ध चालान पेश किया और दूसरी तरफ दूसरे केस के अन्दर एफ.

(श्री अमृत लाल परमार)

आर. दी गई तथा उपरोक्त व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के खिलाफ तीसरा मामला गुण्डा एक्ट लगा कर पाली भेज दिया गया। ऐसा क्यों किया गया इस के पीछे इन आफिसरों की क्या मन्शा है यदि समय रहते हुये कार्यवाही नहीं की गई तथा इसी प्रकार एक तरफ कार्यवाही होती रही तो भविष्य में बाली में और बड़ा हादसा हो सकता है। अतः बाली में इस मसले की जांच करवा कर कार्यवाही की जावे। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने लोग बाली में है जिनके खिलाफ तीन-तीन मुकद्मे चल रहे हैं और किन पर क्या किया गया और कितने पर गुण्डा एक्ट लगाया गया।

मैं गृह मंत्रीजी को तीन, चार बार लिखकर दे चुका हूं व व्यक्तिगत रूप से भी कह चुका हूं कि बाली में डी. वाई. एस. पी. जो लगाया गया है वह 24 घंटे शराब पीकर धुत्त रहता है। शराब पीकर बाजार में फिरता है और नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। इसकी मुख्य घटना मैंने स्वंय ने देखी। होली के दूसरे रोज शराब पीकर पूर्ण रूप से शराब के नशे में थे जिसके कारण उनको कोई ज्ञान नहीं था और उनका ड्राइवर भी शराब के नशे में था। मेरी डी. वाई. एस. पी. से वार्ता हुई तो उन्होंने मुझे वार्निंग दी। उसी दिन शाम को भंवरसिंह राव ने एक आदमी को पीटा था। अपराध किया इसकी मेरे को सूचना मिली। मैंने तुरन्त फोन पर पूछा क्या थानेदार, थाने में है? डी. वाई. एस. पी. थाने में है या नहीं तो वहां से फोन मिला कि डी. वाई. एस. पी. वहां नहीं है। मैं स्वयं मोटरसाइकिल लेकर वहां पहुंच गया तो डी. वाई. एस. पी. स्वंय वहां बैठा था और थाने के कुछ आदमी और बड़े ऑफिसर वहां सब लोग बैठे थे। मैंने उनको सब को वहां पकड़ा और थानेदार और डी. वाई. एस. पी. साथ थे परन्तु इस प्रकार की घटना वहां होती रहती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे डी. वाई. एस. पी. और थानेदार को अविलम्ब हटाया जावे और दूसरी मेरी मांग है कि जो चुन्नीलाल कायल एस. डी. ओ. जिसकी मिली भगत से कुछ लोगों को गुण्डा एक्ट में फंसा दिया गया उनके खिलाफ अविलम्ब कार्यवाही की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाराम परमार।

लोडदा बांध की नहरों की मरम्मत।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अंतर्गत लोडदा बांध की नहरों की मरम्मत के लिए विशेष उल्लेख के सम्बन्ध में। महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में एक लोडदा नामक बांध करीब 15 साल पूर्व से बना हुआ है और उस बांध से ग्राम रजोल, कटेव, महुवाड़ा बामनवाडा और कल्याणपुर आदि गावों के काश्तकारों के खेतों में सिचाई होती है।

बांध बनाने के पूर्व उक्त गांवों के काश्तकारों के मन में ये सपने संजोये हुए थे कि हमारे खेतों मे पानी आएगा और हम दो–दो फसलें उगायेंगे तथा हमारे परिवार का पालन–पोषण करेंगे। लेकिन ज्यों ही नहरों में पानी छोड़ा गया पानी

(श्री दयाराम परमार)

का आधे से अधिक भाग सीपेज होकर खेतों में बहने लगा। इसकी जानकारी विभाग के अधिकारियों को समय-समय पर दी जाती रही। लेकिन उनका कहना था कि अभी नहरें नई हैं इसलिए पानी सीपेज होता है, बाद में धीरे-धीरे जम जाने के बाद पानी बन्द हो जायेगा।

लेकिन उन काश्तकारों के दुर्भाग्य की बात है कि आज तक पानी बन्द तो नहीं हुआ है तथा कई स्थानों पर कैनाल टूट गई हैं और काश्तकारों की जितनी अच्छी भूमि थी वह सभी की सभी पानी से हमेशा तर रहती है और फसल नाम की कोई चीज पैदा नहीं होती है।

जैसा कि आप जानते हैं आदिवासी क्षेत्र के काश्तकारों के पास 5 बीघे से अधिक जमीन नहीं है और यदि उनकी सारी जमीन में फसल नहीं पकती है तो उसके परिवार का पालन-पोषण किस तरह से होता होगा? यह बात सोचने की है।

आजकल तो इस बांध की यह स्थिति हो गई है कि उसका कोई मालिक ही नहीं है क्योंकि यह बांध सोमकागदर परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में आ गया है इसलिए सिंचाई विभाग कहता है कि अब यह बांध हमारे पास नहीं है और सोमकागदर के अधिकारी कहते हैं कि हमारा नहीं है। इस प्रकार इस बांध का मालिक कोई नहीं होने से इस वर्ष तो बामनवाड़ा गांव में पानी गया ही नहीं और रजोल के सारे खेत आज भी पानी से लबालब भरे हुए हैं।

अतः मेरी राज्य सरकार से यह मांग है कि लोडदा बांध की नहरों के मरम्मत के काम को तुरन्त करवाया जाय ताकि काश्तकारों की खेती को बर्बादी से बचाया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक।

मकान बनाने वाले औजारों पर सैल्स टैक्स की समाप्ति।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत मकान बनाने वाले कारीगरों के औजारों पर सैल्स टैक्स की समाप्ति बाबत।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मकान बनाने वाले गरीब मजदूरों द्वारा खरीदे जाने वाले औजारों पर लगने वाले सैल्स टैक्स की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। राजगीर को जहां एक माह में मुश्किल से 10-15 दिन मात्र ही कार्य मिलता है जिससे बड़ी मुश्किल से वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर पाता है कहीं इस कार्य सम्पादन में काम आने वाले महंगे औजार बार-बार खरीद करने पड़ते हैं।

मकान निर्माण में जो निम्न औजार व साधन काम आते हैं उनमें गेंती, फावड़ा, बेलचा, तगारी, परात आदि जो स्वयं ठेकेदार मुहैय्या करवाता है इन सबको सैल्स टैक्स की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत करमुक्त रखा गया है लेकिन जो औजार गरीब मजदूर खरीदता है जैसे गुरमाला, करनी, सावल, गुणिया, हथौड़ा आदि इन पर कर देना पड़ता है। इन

(श्री राजेन्द्र पारीक)

औजारों को बार-बार खरीदना पड़ता है। एक ओर जहां सरकार गरीबों को ऊंचा उठाने की बात करती है वहीं इन साधारण गरीब मजदूर के काम में आने वाले औजारों पर कर देना पड़ता है, यह बड़ा अजीब लगता है। लाखों की संख्या में कार्यरत ये गरीब मजदूर असंगठित हैं इसलिए यह पीड़ा मन मसोस कर इन्हें सहन करनी पड़ती है।

यदि वास्तव में सरकार ने इन छोटे लोगों को ऊंचा उठाने का संकल्प लिया है तो सदन में इन औजारों पर लगने वाले कर को माफ करने की घोषणा कर आवास जैसी महत्ती समस्या को दूर करने में भागीदार बनने वाले इस गरीब मजदूर को कुछ राहत दिलायें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेतराम बेनीवाल।

राजस्थान राज पथ परिवहन निगम में चल रहे घाटे के सम्बन्ध में।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस समस्या की ओर 295 के तहत ध्यान दिलाना चाहता हूं वास्तव में वह उस घोषणा का मजाक है जो राजस्थान के मुख्य मंत्री ने की थी कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ूंगा और भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। मिटाऊंगा ? नहीं तो कम से कम उसको रोक जरूर दूंगा।

राजस्थान राज्य का उपक्रम राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम घाटे में चल रहा है। उसकी लम्बी दूरी की बसों का किराया काफी है। लगभग राज्य के सभी बड़े-बड़े शहरों में एक-दूसरे नगर में जाने के लिए राज्य परिवहन निगम की बसें हैं। देश की राजधानी दिल्ली व अन्य पड़ौसी राज्यों की राजधानियों में परिवहन निगम की बसें चलती हैं। इन बसों के मुकाबले में इन बसों के रूट पर अवैध वीडियो युक्त वाहन, हर स्थान से परिवहन बसों के समय के साथ-साथ चलते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि वे उसी जगह जाकर बुकिंग करते हैं जहां यह हो रहे हैं जहां हमारी बसें चलती हैं जिनका किराया इन बसों से कम है और इनसे जल्दी पहुंचाती है। राजस्थान परिवहन निगम की बस पहुंचती है गंगानगर में सुबह 7 बजे और वह पहुंचती है 4.30 बजे। यह लेती है 109 रुपए और वह लेती है 100 रुपए। ये अवैध वाहन अड्डों के पास ही अपना बुकिंग स्थान रखते हैं। बड़े-बड़े पर्दों पर प्रचारात्मक निर्देश लिखे हुए रहते हैं। बाकायदा टिकटें जारी की जाती हैं और सरकारी बसों के साथ ही रवाना की जाती हैं। इन बसों के मालिकों के राज्य सरकार के अधिकारी वर्ग व मंत्रियों के साथ रिश्ते जुड़े रहते हैं। इनकी सभी अफसरों पर पहुंच है इसलिए इनकी जांच-पड़ताल भी नहीं होती। कोई चालान, जुर्माना भी नहीं होता। सारे प्रान्त की सभी स्थानों पर चलने वाली लम्बी दूरी की सरकारी बसें खाली चलती हैं। जैसे गंगानगर की बस है उसमें एवरेज सवारी 7 या 8 होती है। राज्य पथ परिवहन निगम के उच्च अधिकारी भी शायद इन वाहन चालकों से मिले हुए हैं और इन्हें चलने देते हैं। जहां राज्य की दो-दो बसें भरी चलती थी यानि गंगानगर में पहले 2 बसें फुल चलती थी, गंगानगर के लिए दो

(श्री हेतराम बेनीवाल)

बसें जयपुर से चलती थी, दिल्ली के लिए गंगानगर से 2 बसें चलती थी। अब दिल्ली के लिए बंद हो गई हैं। जयपुर से गंगानगर एक चलती है इसकी एवरेज सवारी 8 है।

चन्द्रा ट्रैवल, जमींदारा ट्रैवल, सेठी ट्रैवल्स इत्यादि दर्जनों ट्रैवल्स यह धंधा करती हैं। इनके केवल एक-आधी बस तो शायद टैक्स देती हैं। इन पूरी बसों में से एक-एक मालिक की एक-एक बस राज्य सरकार को पैसेन्जर टैक्स देती है बाकी तो पैसेन्जर टैक्स भी नहीं देते हैं। इस प्रकार लाखों रुपए की चोरी करने वाली ये कम्पनियां धड़ल्ले से यह धंधा कैसे चलाती हैं। राज्य सरकार की प्राइवेट बस मालिकों से गहरी दोस्ती जाहिर करती है। इसके क्या राज है? क्या उच्च स्तर पर राज्य सरकार द्वारा यह घोटाला होता है? राज्य की बसों पर सवार होकर प्रदेश के कौने-कौने से आने वाले यात्री इन बसों के बारे में जब भी चर्चा करते हैं तो राज्य के उच्चतम लोगों पर अंगुली उठती है। मंत्री से संतरी तक सभी लोगों पर शक होता है, अन्यथा इतने बड़े पैमाने पर पांच-पांच सौ किलोमीटर तक अवैध वाहन डिपो के फाटक से सवारियां कैसे ले सकते हैं? क्या इसकी जांच होगी? क्या मंत्री जी हिम्मत करेंगे? इन अवैध वाहनों को उड़न दस्ते भेजकर चैक करवाने की व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बुलाकी दास कल्ला।

कला एवं संस्कृति के विकास के सम्बन्ध में।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत राज्य में सांस्कृतिक नीति न बनाये जाने से प्रदेश की कला एवं संस्कृति के विकास में आने वाली विभिन्न समस्याओं के बारे में विशेष चर्चा।

राजस्थान कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में अपना गौरवपूर्ण स्थान रखता है। प्रदेश में सांस्कृतिक नीति के अभाव में 8 वीं पंचवर्षीय योजना में कला एवं संस्कृति के विकास को भारी धक्का लगेगा। कांग्रेस के शासन काल में जैसलमेर, हवामहल जयपुर एवं पाली इन तीनों स्थानों पर नये संग्रहालय बनाये जाने का निर्णय लिया गया परन्तु गत वर्ष एवं चालू वर्ष की विभाग की योजनाओं के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि राज्य के जिन 5 जिलों में संग्रहालय नहीं है वहां राज्य सरकार की नया संग्रहालय बनाने की कोई योजना दिखाई नहीं देती। ऐतिहासिक स्थानों का संरक्षण सुचारू रूप से नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, आन एवं बान का प्रतीक माने जाने वाले भरतपुर एवं बीकानेर के किले में सरकारी व बोर्ड के दफ्तर राजस्थान विद्युत बोर्ड के दफ्तर चल रहे हैं। फतेहपुर के किले में बाजार और गर्ल्स हॉस्टल बन गया है। कुम्हेर के किले में सरकारी दफ्तर चल रहे हैं। नाहरगढ़ में होटल, नायला दुर्ग में ओबराय ग्रुप ने अनाधिकृत निर्माण करवाकर आवास गृह बनवा लिया है। महाभारत का अतीत समेटे बैराठ का संग्रहालय सिर्फ एक चौकी-

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

दार के भरोसे चल रहा है। जयपुर के प्रसिद्ध सांगानेरी गेट एवं अजमेरी गेट पर पुलिस चौकियां खोली हुई है। राज्य के सभी शहरों के परकोटे में अतिक्रमण की कार्यवाही हो रही है। सांस्कृतिक धरोहर की वजह से देशी व विदेशी पर्यटक राजस्थान आते हैं उससे विदेशी मुद्रा की कमाई प्रदेश को होती है परन्तु पुरातत्व विभाग के पास इस हेतु पर्याप्त मुद्रा बजट का अभाव है एवं राज्य की विशाल सांस्कृतिक धरोहर के रख-रखाव के लिये विभाग असमर्थ है। राज्य की सांस्कृतिक नीति बनाये जाने की आवश्यकता इस रूप में भी है कि प्रदेश में रंगकर्मियों के लिये रंगमंच, खुले मंच की पर्याप्त संख्या में कमी है। साथ ही कलाकारों के लिये आर्ट गैलरी का अभाव है। गांवों में रंगकर्मी एवं कलाकारों के लिये खुले मच भी नहीं है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक तहसील मुख्यालय, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर खुले मंच, जो दिन में दुग्ध संकलन, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र का कार्य करें एवं रात्रि में वह रंगकर्मियों के लिए खुले मंच कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उपयोग करें सकें। प्रत्येक जिले में कम से कम एक रंगमंच, एक खुला मंच एवं एक आर्ट गैलरी का निर्माण समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर किया जाना चाहिए।

राज्य में नये रंगकर्मियों, कलाकारों एवं साहित्यकारों को तैयार करने हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम नवांग पुरुष, साहित्यकारों और रंगकर्मियों के लिए आयोजित किये जाने चाहिए। पुरालेख सामग्री जो राज्य के बाहर जा रही है उसे रोका जाये एवं प्रदेश में उसका संकलन एवं संग्रह किया जाये। प्राचीन मूर्तियां एवं प्राचीन स्मारकों को संरक्षण देने हेतु अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाया जावे, मूर्तियों एवं पुरालेख सामग्री की तस्करी को अविलम्ब रोका जावे। लोक कलाकारों के जीविकोपार्जन की समस्या का समाधान करने के लिये सांस्कृतिक दल बनाकर सांस्कृतिक यात्राओं का आयोजन किया जा सकता है। रंगकर्मियों के लिए सांस्कृतिक दल बनाकर सांस्कृतिक यात्राओं का आयोजन किया जा सकता है। रंगकर्मियों के लिये रंगमण्डल की स्थापना की जा सकती है। परम्परागत संगीत एवं शास्त्रीय संगीत के विकास के लिये हिन्दुस्तानी संगीत विद्यालय की स्थापना प्रदेश में लम्बे समय से विचाराधीन है, इसकी स्थापना तुरन्त की जाना आवश्यक है। इसी प्रकार के अन्य अनेक कार्य प्रदेश के सांस्कृतिक विकास के लिये किये जा सकते हैं परन्तु प्रदेश में इस हेतु नीति निर्धारण के अभाव में एवं पर्याप्त बजट के अभाव में जो प्रदेश अपनी सांस्कृतिक विरासत एवं कला के लिये विख्यात था वह इस क्षेत्र में निरन्तर पिछड़ता हुआ चला जा रहा है।

जयपुर का 250 वां एवं बीकानेर का पंच शताब्दी समारोह पिछले वर्षों में मनाया गया। उस समय दोनों शहरों को बीस-बीस लाख रुपये रंगमंच के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा दिये गये। इस योजना के रंगमंच के बीस लाख रुपये उस समय तत्कालीन यू. आई. टी., जयपुर को दिये गये जो आजकल जयपुर विकास प्राधिकरण के पास है। बीकानेर नगर विकास न्यास

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

को छह लाख रुपये 1989–90 में दे दिये गये थे राज्य सरकार द्वारा। सरकार ने पिछले एक वर्ष में शेष चौदह लाख रुपये की राशि, जो पिछले वर्ष दी जानी चाहिए थी यानि चालू वित्तीय वर्ष में दी जानी चाहिए थी वह जानबूझ कर नहीं दी। इस स्वीकृति में अनावश्यक देरी क्यों की जा रही है, यह समझ में नहीं आ रहा है। स्वायत्त शासन विभाग ने अब तक इस रंगमंच के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति क्यों नहीं दी ? इस स्वीकृति में अनावश्यक देरी का जिम्मेदार कौन है ? उसके खिलाफ विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ? बीकानेर के रंगकर्मियों तथा अजमेर के रंगकर्मियों में रंगमंच, आर्ट गैलरी एवं ओपन एयर थियेटर के न बनाने के व्यापक रोष व्याप्त है।

सेवानिवृत्त एवं वृद्धावस्था प्राप्त कलाकारों के लिए कला नगर का विकास करते एवं उनके अनुभव एवं ज्ञान को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए पुख्ता इन्तजाम, राजस्थान के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर साहित्यकारों एवं रंगकर्मियों के ठहरने एवं वहां पर कार्य करने हेतु उपयुक्त स्थानों पर ठहरने की व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

उपरोक्त बिन्दुओं पर कला एवं संस्कृति मंत्री विचार कर प्रदेश के सांस्कृतिक विकास हेतु सांस्कृतिक नीति तत्काल बनायी जावे। इस हेतु सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञों की राय लेकर नीति निर्धारण कर एवं इस हेतु समुचित वित्तीय प्रबन्ध कर प्रदेश के सांस्कृतिक विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा :

नैनवां में भूमि कटाव रोकने के सम्बन्ध में।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : माननीय उपाध्यक्षजी, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र नैनवां में भूमि कटाव रोकने और भूमि के उपजाऊपन को बढाने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। महोदय, बूंदी जिले के अन्तर्गत आने वाला नैनवां विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सर्वाधिक सूखा पीड़ित एवं पिछड़ा हुआ है। अधिकांश गांवों में कितने ही वर्षों से निरन्तर अकाल की स्थिति रहती आई है। टैल क्षेत्र को नहरों का पूरा पानी नहीं मिलने से फसलें सूख जाती हैं। सिंचाई के साधन नगण्य है। भूमिगत जल की सतह भी काफी गिरी हुई है। कुओं में पर्याप्त जल नहीं है। भूमि असमतल एवं नालों से घिरी होने से बरसाती पानी नहीं रूकता है तथा कृषि उपज भी नगण्य मात्र होती है। इस पिछड़े क्षेत्र में आदिवासी/हरिजन समुदाय की बहुतायत है। कृषि भूमि का उपजाऊपन खत्म होता जा रहा है। इस क्षेत्र में बहने वाले बरसाती नालों के जरिये बहने वाले पानी को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाया जाना जनहित में आवश्यक है। इस क्षेत्र में एनीकटों का निर्माण करवाया जाना सभी दृष्टि से उपयुक्त एवं राष्ट्रहित में है। एनीकट निर्माण करवाये जाने योग्य स्थान निम्न प्रकार है

(श्री रामनारायण वर्मा)

ग्राम पंचायत गुढा देवजी में (1) ग्राम कोलाहेडा (2) कंड कोल्याकी खाली ग्राम रेठादा, ग्राम पंचायत रायथल में (3) भाटि याहाली खाली रायथल ग्राम पंचायत खटकड़ में (4) जालखोका नाका ग्राम जांवरा की झोंपड़िया (5) चौथमाता का नाला ग्राम जांवरा, ग्राम पंचायत बालापुरा में (6) कुन्या कीखाली ग्राम रघुनाथ गंज उर्फ नया गांव (7) ग्राम करीरी के खाल पर, पंचायत फूलेता में (8) ग्रामदलेलपुरा, ग्राम पंचायत सादेड़ा में (9) मूरली के बालाजी के पास (10) घोरण खाली पर ग्राम गूजरिया खेड़ा में (11) महादेवजी का नाला ग्राम काला-नला ग्राम पंचायत सुवानिया में (12) बांडी खाली पर ग्राम खोलाडा (13) भावपुरा फोडर (14) देवजी की बनी के पास ग्राम धानुगांव (15) ग्राम सुनथली में (16) ग्राम पंचायत खेजूरी में ग्राम फटूकड़ा एवं अंजुनपुरा के बीच के नाले पर ग्राम पंचा-यत जैतपुर में (17) खो का खरला ग्राम धनकपुरिया (18) गोच्छ्या कीखाली ग्राम सूरली, ग्राम पंचायत सीसोला में (19) गोबल्या गांव के पास में (20) नाल्ला की खाल ग्रांतरी में ग्राम महावीरपुरा में (21) बालापुरा गांव के पास, ग्राम पंचायत तलवास में (22) चमार की भट्टी के पास ग्राम नीम को खेड़ा में (23) खारे-श्वर छादेव ग्राम गुदली में, ग्राम पंचायत गुढ़ा सदाबिलिया में (24) गोच्छा खाली पर काला माल के झोपड़ों के नीचे ग्राम जीवनपुरा में (25) जमादारजी के खेड़ा के नीचे का खाल ग्राम पंचायत ढोकून में (26) ग्राम देवरिया एवं बांध्या के बीच की खाली (27) दल्या का खाल ग्राम उदासी (28) मालाजी की बनी में खसरा संख्या 311 पर ग्राम डोडी (29) ढोकून नदी पर ग्राम पंचायत करवर में (30) भीलड़ा की खाली ग्राम अरियाली पर ग्राम रजलावती में (31) बाड़ा का खल ग्राम अरपाया (32) आलामारा नाके पर ग्राम सबलपुरा ग्राम पंचायत माणी में (33) ग्राम कनकपुरा में, ग्रामपंचायत सहण में (34) सहरण के नाले पर (35) ग्राम पंचायत मीणा में माधी ग्राम की खाली पर।

अतः सरकार उपरोक्त स्थानों पर एनीकट निर्माण का आदेश प्रदान करने का कष्ट करें। मैं साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बीसलपुरा बांध की वजह से ननवां क्षेत्र की......

श्री उपाध्यक्ष : रिकार्ड नहीं होगा जो पढ़ा है वह ही होगा।

श्री रामनारायण वर्मा XXX

(2.00 म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाला पत्र

सदन की मेज पर रखे जाने वाला पत्र

प्रतिवेदन

श्री रामकिशोर मीणा (खाद्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी

XXX माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रामकिशोर मीणा)

अनुमति से कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उपधारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 43 वां प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 सदन की मेज पर रखता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

ग्राम रोहीखेड़ा पंचायत मोड़ी, जिला उदयपुर में सीता पोलीमर्स को जमीन का आवंटन

श्री उपाध्यक्ष : श्री कमलेन्द्र सिंह।

श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर)। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीता पोलीमर्स की जमीन मोजा रोहीखेड़ा पंचायत मोडी के उद्योग के लिए अलाट हुई हैं वह नियम विरुद्ध है और जिस पार्टी से यह जमीन ली गयी है वह पार्टी सरकार की जमीन लेने का अधिकार नहीं है। प्रथम आवंटन नियम विरुद्ध होने की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जिला कलेक्टर, उदयपुर के आदेश क्रमांक प. 22/3 (58) राजस्व 90/2611-15 दिनांक 1-6-90 द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का अकृषि में रूपान्तरण) नियम, 1961 सहपठित इन्डस्ट्रियल एरियाज एलाटमेन्ट रूल 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत तहसील वल्लभनगर के ग्रामरोही खेड़ा (भतपुरा) के अराजी नम्बर 131/2 रकबा 10 बीघा को कृषि से अकृषि में रूपान्तरण करते हुए मैसर्स सीता पोलीमर्स लि. को टेक्सराईजिंग उद्योग स्थापित करने हेतु निर्धारित शर्तों के साथ आवंटन किया गया। रूपान्तरण/आवंटन आदेश की छाया प्रति संलग्न है।

उपरोक्त आदेश पूर्णतया नियमानुसार पारित किये गये और यह कहना सत्य न होगा कि उपरोक्त पार्टी को कोई सरकारी भूमि दी गई अथवा उद्योग स्थापना की स्वीकृति में कोई अनियमितता बरती गई। संबंधित अराजी खसरा नम्बर 131/2 रकबा 10 बीघा सर्वप्रथम श्री प्रभुलाल पिता केसूलाल ब्राह्मण साकिन मोडी के खाते में अंकित थी। इन्तकाल संख्या 567 दिनांक 17-6-89 विकाव से, श्रीचन्द पिता किसनदास व श्री दिलीपकुमार पिता मोहनलाल चौधरी के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। पुनः इन्तकाल नम्बर 592-593 दिनांक 26-8-89 के द्वारा राजस्थान पेट्रो सिन्थेटिक्स लि. उदयपुर के नाम 3/4 भाग एवं पीटर पोलीटेक्स लि. उदयपुर के नाम 1/4 भाग दर्ज हुई। तत्पश्चात् इन्तकाल नम्बर 607 दिनांक 28-4-90 से राजस्थान पेट्रो सिन्थेटिक्स उदयपुर का 3/4 भाग, मैसर्स सीता पोलीमर्स लि. कलकत्ता के नाम दर्ज हुआ एवं इन्तकाल संख्या 608 दिनांक 7--5--90 से पीटर पोलीटेक्स कम्पनी प्रा. लि का 1/4 भाग भी सीता पोलीमर्स लि. के नाम दर्ज हुआ। जमाबन्दी की सत्यापित छाया प्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्त स्वीकृत दिनांक 1-6-90 में कोई सरकारी भूमि का आवंटन नहीं हुआ।

(श्री गंगाराम चौधरी)

मैसर्स सीता पोलीमर्स लि. के द्वारा उपरोक्त खातेदारी भूमि के खातेदारी अधिकार समर्पित करने के पश्चात् भू रूपान्तरण एवं आवंटन आदेश जारी किये गये हैं तथा रूपान्तरित भूमि की लीजडीड का निष्पादन किया गया है जो नियमानुसार है। लीजडीड की की छाया प्रति संलग्न है।

उपरोक्त तथ्यात्मक विवेचन से यह स्पष्ट होगा कि उपरोक्त स्वीकृति प्रसारित करने में कोई अनियमितता नहीं बरती गई है व नियमानुसार की गई।

श्री कमलेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो मैंने 131 के अन्तर्गत प्रस्ताव किया है इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रथम आवंटन के नियम विरूद्ध होने की और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो प्रथम आवंटन हुआ है माननीय उपाध्यक्ष महोदय प्रभुदयाल पिता केसूलाल जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है प्रमुलाल पिता केसूलाल के नाम से आवंटन हुआ है तो यह आवंटन ही गलत हुआ है। सरकार को यह जांच करनी चाहिए थी कि यह आवंटन सही हुआ है या नहीं हुआ है और इसके बाद रूपान्तरण करके इन्डस्ट्रीज को डालना चाहिए था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सरपंच ने अपने ही भाई के नाम पर अलाटमेन्ट कराया। उस रिकार्ड को 10 साल तक उसने छिपा कर रखा। जमीन पर एक मन्दिर बना हुआ है और आसपास के गांव वाले उसको चारागाह के काम में लेते आये हैं परम्परा से और उस जमीन का रिकार्ड छिपाकर 10 साल पूरे होने के बाद फिर धीरे धीरे प्रभुलाल ने उसका बेचान चालू किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि जो जवाब आया है सरकार से इनका जो ट्रान्सफर हुआ है एक साल में 4 पार्टीज को अलग अलग ट्रांसफर किया है। पहले तो प्रभुलाल ने पहला ट्रान्सफर किया पार्टी नं. 'ए' को, बी को। दूसरी बार बी और सी को और सी. और डी. को। इसलिए सरकार को धोखा देने का एक रास्ता बनाया है जिससे किसी को पता नहीं लगे कि ओरीजिनल आदमी कौन था और कैसा था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां आस-पास की जनता जो इसको चारागाह के काम में लेती थी और जो मन्दिर वहां बना हुआ है उन्होंने कलक्टर को कई बार लिखकर भी दिया और 14 (4) की कार्यवाही चालू करने की कोशिश की जब उनको पता लगा कि सीता पोलीमर्स ने इस जमीन को खरीद ली है। कलक्टर ने उस पर ध्यान नहीं दिया और 14 (4) को इसलिए खारिज किया कि उसका लिमिटेशन पारियड निकल गया था और इसलिए अब सीता पोलीमर्स को जो जमीन दी गयी है यह बिलकुल अवैध है और सरकार से और माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह राजस्थान पैट्रो सिन्थेटिक्स जिसमें सरकार का भी एक हिस्सा है उसी ने इस जमीन को लिया है और जमीन को लेकर तीसरी पार्टी को राजस्थान सिन्थेटिक्स ने बेची है। यह दो तीन जो ट्रान्जेक्शन्स हुए हैं वह सब अवैध हैं। आप सरकारी तौर पर इस चीज को रोकियेगा और इस जमीन को वापिस

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

उन ग्रामवासियों को सोंप दीजियेगा। आज आप अगर यह कार्यवाही नहीं करेंगे तो वहां जितना भी खर्चा हो रहा है, सीता पोलीमर्स, जो मकान बना रहे हैं उसको आप एकदम रोकेंगे तब जाकर आप इसका निर्णय ले सकेंगे और कोई न्याय कर सकेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस कलकत्ता की पार्टी ने यह खरीदी है वह बहुत बड़ी पार्टी है। केडिया के नाम से जानी जाती है और हर पार्टी को, हर पोलिटिकल पार्टी को वह चन्दा देने में सक्षम है इसलिए आज यह स्थिति आई है कि क्योंकि वह पैसे वाली पार्टी है, गरीब जनता की जमीन को वह दबाकर बेचना चाहती है और इसमें सरकार को इन्टरफियर करना चाहिए। अगर तत्कालीन कलक्टर ने कोई गलती की है, तत्कालीन एस. डी. ओ. ने गलती की है तो उनके खिलाफ आपको पूरी कार्यवाही करनी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि आखिरकार जिस नाम से यह जमीन ट्रान्सफर हुई है उसको यह जमीन लेने का हक भी है या नहीं है। नियम यह है कि कोई भी सरपंच अपने रिश्तेदारों को अलाटमेंट नहीं करा सकता। कोई भी जमीन का अलाटमेंट नहीं करा सकता। अपने, खुद के भाई को प्रभुलाल पिता केसूलाल और सरपंच का नाम घनश्यामलाल पिता केसूलाल उसने सगे भाई के नाम अलाटमेंट कराई है जमीन को उसको खारिज कर देनी चाहिए और सीता पोलीमर्स ने जो भी ट्रान्जेक्शन किये हैं उस पर अविलम्ब रोक लगानी चाहिए।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जो तथ्य माननीय सदस्य ने बताये हैं मुझे सही नहीं लगते। यह कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन 1969 में हुआ था 3-12-69 को और प्रभुलाल पिता केसूलाल कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन के नियम हैं उन नियमों के अन्तर्गत हुई है और इनको खातेदारी भी बहुत बाद में मिली है उपाध्यक्ष महोदय। 21-1-77 को इनको खातेदारी दी गयी है। उस वक्त में जो भी नियमानुसार जितना भी पैसा लगान का बाकी था वह जमा कराया और खातेदारी मिल गयी। अब 77 के बाद जो भी बेचान हुआ है 10-12 साल में, अब जाकर बेचान हुए हैं इसलिये न तो आवंटन अनियमित है और न आगे का बेचान ही अनियमित है। आगे के बेचान में कुछ पार्टीज को उन्होंने पहले दिया जैसे मैंने अर्ज किया है और उसके बाद में अन्तिम रूप से यह आवंटन सीता पोलीमर्स को हुआ है और वह आवंटन और कन्वर्शन नियमानुसार है। जैसा मैंने पहले नियमों को हवाला दिया, रूपान्तरण भी उन्होंने करवाया है और आवंटन भी उद्योग के प्रयोजन से करवाया है। तो इसमें मुझे कहीं अनियमितता नजर नहीं आई। इस बात की जानकारी नहीं है कि सरपंच के वह भाई हैं या क्या हैं। 1969 का अलाटमेंट है और उस वक्त की कमेटी ने किया है। उस हिसाब से मेरे रिकार्ड के अनुसार आवंटन भी सही है और उसके बाद बेचान भी सही है और उसके बाद में रूपान्तरण और उद्योग के प्रयोजन के लिये आवंटन हैं वह भी सही है।

श्री कमलेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि 1969 में वह अलाट हुई है और 1977 में खातेदारी में आई है। पहले तो दस साल के पहले खातेदारी में आ भी नहीं सकती है। यह भी जिस नियम का आप कोटेशन दे रहे हैं उसी नियम में लिखा हुआ है कि दस साल के बाद खातेदारी में आयेगी। क्योंकि चोरी 1969 में हुई है और पकड़ाई आज है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसको छूट दे दी जाय कि आपने सही किया है और आपने जितना भी पैसा लिया है सीता पोलीमर्स से बहुत अच्छा किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर अलाटमेंट गलत हुआ है तो उसको सही करने के लिये सरकार को इनीशियेटिव लेना चाहिये। नियम विरुद्ध नहीं हुआ, प्रथम काम जो हुआ, वही नियम विरुद्ध है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है मैंने।

श्री गंगाराम चौधरी : यह जो खातेदारी प्राप्त हुई उपाध्यक्ष महोदय, 8 साल..

श्री उपाध्यक्ष : यह अलाटमेंट पर गड़बड़ बता रहे हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : अलाटमेंट 1969 में 3-12-69 को हुआ है। आज से बहुत पहले हुआ है। इस अलाटमेंट में कहां क्या गलती हो गई, मैं कुछ कह नहीं सकता।

श्री कमलेन्द्र सिंह : बहुत पहले हुआ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सही कैसे हो जायगा ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैं यह निवेदन कर रहा हूं, भूमि आवंटन के लिये उपलब्ध थी, सिवाय चक थी और व्यक्ति जो है वह भूमिहीन था। फिर कमेटी ने अलाटमेंट किया 1969 में उसको। मैं इस समय आपके कहने से कैसे कह सकता हूं कि यह अनियमित है।

दूसरा सवाल जो आपने किया (व्यवधान)

श्री कमलेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 69 में....

श्री गंगाराम चौधरी : एक मिनट, मैं अर्ज कर देता हूं।

दूसरा प्रश्न आपने किया, दस साल बाद खातेदारी मिलनी चाहिये। नियमों में यह प्रावधान है कि दस साल का बकाया लगान है, आठ साल में इन्होंने खातेदारी प्राप्त की है और 25 रुपया दो साल का बकाया लगान जमा करवा दिया तो नियमों के अनुसार खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी हो गया। फिर अनियमितता कहां बच गई।....(व्यवधान)

श्री कमलेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय का मैं वापस इसी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 1969 में अलाटमेंट हुआ उस टाइम भी सरपंच वही था। बाद में यह जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, जिसमें इन्तकाल खुला है, जो 1988-89 में खुले हैं उस टाइम भी सरपंच वही था। उस टाइम कमेटी ने जो अलाटमेंट किया है प्रभुलाल केसुलाल के नाम पर, यह आप कहते हैं कि वह भूमिहीन था, आपने अभी कहा है भूमिहीन नहीं 50-60 बीघा जमीन उसके नाम से है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। इसलिये मैं कह रहा हूं

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

कि यह शुरू से गलत काम हो रहा है। इसकी डिस्कवरी ही आज हुई है, हमको यह आज पता लगा है, सीता पोलीमर्स को बेचने के बाद पता लगा है कि यह जमीन भी अलाट हुई है। उसके पहले कहीं कब्जा नहीं था। इसलिये मैं कह रहा हूं कि माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी पूरी जांच की जाय, जो फैक्ट्स मैंने दिये हैं यह सही हों तो कुछ न कुछ उस पर एक्शन लिया जाय।

श्री गंगाराम चौधरी : खातेदारी प्राप्त करने के बाद में मूल आवंटन के सम्बन्ध में विचार करना बड़ा कठिन होता है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री कमलेन्द्र सिंह : कठिन होता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर करना चाहिये। गलत हुआ है।

वित्तीय समितियों के निर्वाचन संबंधी प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह नहीं ला सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ला सकते हैं।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : जनलेखा समिति 1991–92....

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

यह प्रस्ताव माननीय वित्त मंत्रीजी को लाना था या चीफ व्हिप जो हैं या राज्य मंत्री हैं....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अनुमति से है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अनुमति से मंत्री ला सकता है। इन्होंने शपथ नहीं ली है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : कहीं बैन नहीं है इसका।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप पुरानी परम्पराओं को उठा कर देख लें। मुख्य मंत्रीजी की अनुपस्थिति में उनके राज्य मंत्री या अन्य कोई मंत्री आपकी अनुमति से रख सकते हैं लेकिन चीफ व्हिप ने आज तक इस प्रकार की.......

श्री उपाध्यक्ष : आप लाये थे।

श्री बुलाकिदास कल्ला : मैं नहीं लाया था। मैं बिल्कुल नहीं लाया था। इनको मालूम नहीं है। कौनसे सत्र में लाया, बतायें ?

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : हां, लाये थे, लाये थे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बिल्कुल नहीं लाया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 1983 में लाये हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह प्रस्ताव इस कार्य सूची में वित्त मंत्रीजी के नाम से है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आप स्वयं लाये हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : ठीक है, ठीक है। आपकी आपत्ति मान लेते है।

श्री उपाध्यक्ष : मान ली चलिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : चीफ व्हिप थे, उस समय लाये हैं यह, 1983 में लाये हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, नहीं लाया। नहीं लाया मैं। यदि मैं लाया हूं तो मेरे नाम से ही इस सूची में प्रस्ताव दिया गया था।

श्री उपाध्यक्ष : इनका नाम भी है ऐसे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : फिर मंत्री आवश्यक कहां हो गया ? फिर माननीय सदस्य महोदय, मंत्री आवश्यक कहां हो गया। अगर आपके नाम से उसमें नामांकन था तो फिर मंत्री कहां से हो गया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, कार्य सूची में जो नाम होता है वह प्रस्ताव ला सकता है। किसी भी मंत्री का प्रस्ताव चीफ व्हिप नहीं ला सकता।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : चलिये, आपकी बात मान लेते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : आपकी विद्वतापूर्ण आपत्ति और मार्गदर्शन के लिये धन्यवाद है। मैं पढ़ देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, मैं निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

जनलेखा समिति 1991-92 : "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति 1991-92 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।"

प्राक्कलन समिति (क) : 1991-92 "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति (क) 1991-92 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।"

प्राक्कलन समिति (ख) 1991-92 : "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति (ख) 1991-92 के

(श्री भंवरलाल शर्मा)

लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।"

राजकीय उपक्रम समिति 1991--92 "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233--ख--(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की सख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 1991-92 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राजस्थान विधान सभा की चारों वित्तीय समितियों अर्थात् जन लेखा समिति 1991-92, प्राक्कलन समिति (क) 1991--92, प्राक्कलन समिति (ख) 1991-92, तथा राजकीय उपक्रम समिति 1991-92 के सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित है :—

(1) मनोनयन पत्र प्रस्तुत करना	13 मार्च, 1991 से 14 मार्च, 1991 तक (मध्याह्न पूर्व 11 . 00 बजे से म. प. 1 . 00 बजे तक)
(2) मनोनयन पत्रों की जांच	15 मार्च, 1991 को म. प. 2 . 00 बजे तक
(3) मनोनयन वापस लेना	19 मार्च, 1991 को म. प. 3 . 00 बजे तक
(4) मतदान यदि आवश्यक हो	22 मार्च, 1991 को म. प. 11 . 00 बजे से मध्याह्न पश्चात् 3 . 00 बजे तक
(5) मतपत्रों की गणना	22 मार्च, 1991 को म. प. 3 . 00 बजे से।

आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद ।

आय-व्ययक 1991-92 पर सामान्य वाद विवाद

श्रीमती तारा भंडारी ।

श्रीमती तारा भंडारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री के दायित्वों को निभाते हुए हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है वह अब तक का सर्वश्रेष्ठ बजट है। बजट में गांव, गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु विशेष बल दिया गया है। इस बजट में काश्तकारों, कामगारों तथा दस्तकारों के हितों पर प्राथमिकता दी गई है। जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में आदिवासियों के लिये नौकरियों में पचास प्रतिशत स्थान का आरक्षण कर हमारे मुख्य मंत्रीजी ने यह सिद्ध कर दिया है कि कि वे राज्य के सभी वर्गों को स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं और इसके लिये कृत संकल्प हैं। एक ही वर्ष में साढ़े तीन लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराने की जो योजना बनाई है इससे बेरोजगारी की समस्या पर भी चोट हुई है। बजट में कृषि, सिंचाई, पशु पालन राजस्थान की हरियाली आदि व्यवस्थाओं पर पूरा ध्यान दिया गया है। सन् 1977 में जिस प्रकार काम के बदले अनाज योजना का गांव-गांव में स्वागत किया गया था। गांवों में विकास की गंगा आई थी। गांव गांव में स्कूल भवन खड़े हुए, सड़कें, अस्पताल भवन इत्यादि का निर्माण हुआ था। ठीक उसी प्रकार अपना गांव अपना काम योजना का आज गांव-गांव में स्वागत हो रहा है। इस योजना से प्रवासी राजस्थानियों तथा ग्रामीण जनता के विकास के कार्यों में रुझान बढ़ेगा। गांव की प्रगति के कार्यों में जनता और संस्थाओं की भागीदारी होने से कार्यों की गुणवत्ता तो बढ़ेगी ही, गांवों में रोजगार के और अवसर उपलब्ध होंगे। इस योजना से गांव के लोग स्वयं अपने क्षेत्र के विकास की योजनाएं बनाएंगे तथा जो शहरों की ओर पलायन हो रहा है उसमें भी कमी आएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विकास के बजट का पुरजोर शब्दों में स्वागत करती हुई कहना चाहती हूं कि इस बजट से राजस्थान निरन्तर प्रगति करेगा। जब बजट आने वाला होता है तब जनता में अनेक प्रकार की अटकलें लगाई जाती हैं, आशंकाएं होती हैं कि नये बजट में किस वस्तु पर टैक्स लगेगा, कौन-कौन सी वस्तुएं महंगी होंगी परन्तु आज जो बजट पेश किया गया है उसको देखकर जनता में अपार खुशी और प्रसन्नता की लहर आई है। यहां तक कि माननीय कांग्रेस के सदस्य जिन्होंने 40 वर्ष तक सत्ता का सुख भोगा है और हर बार जनता पर टैक्स लगाने के आदी रहे हैं वे भी इस नवीन टैक्स से रहित बजट को देख कर हक्के-बक्के रह गये हैं, आश्चर्यचकित हैं। वास्तव में हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के खिलाफ कहने के लिए विपक्ष के माननीय बन्धुओं के लिए कुछ नहीं छोड़ा इसलिए विपक्ष के माननीय बन्धु बौखलाहट में कुछ भी बोलने को तत्पर रहते हैं। अच्छा तो यह होता कि फलौदी से आने वाले माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जिस प्रकार से राजस्थान के

(श्रीमती तारा भण्डारी)

विकास के सुझाव दिये ठीक उसी प्रकार विपक्ष के अन्य बन्धु भी राज्य के विकास हेतु उपयोगी सुझाव देते परन्तु ऐसा न करके वह कुछ भी बोल देते हैं। जिसका कोई भी महत्व नहीं है। आज तो उपस्थित नहीं है, विपक्ष के माननीय वरिष्ठ बन्धु जो स्वयं वित्त मंत्री भी रहे हुए हैं, अपने बजट भाषण में किसी भी तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाने को उतारू हो गये जिसमें उनकी ही पार्टी का चरित्र झलकता था।

राजस्थान की जनता भली प्रकार से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है और उसके कार्यकर्ता क्या करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने अपने क्रिया कलापों से....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सदस्या, आप चरित्र की बात क्यों कर रही हैं, बजट की बात करो ना।

श्रीमती तारा भण्डारी : कांग्रेस का चरित्र कहा है, आपका नहीं कहा है। आप कांग्रेस की सहयोगी बन गई है क्या ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बता रही हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने अपने कार्य-कलापों से निरन्तर राज्य के हितों पर कुठाराघात किया है चाहे वह अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं में राज्य के हिस्से का सवाल हो, चाहे बिजली इत्यादि परियोजना की केन्द्र से मंजूरी हो, कांग्रेस ने हमेशा, हर मामले में घुटनाटेक नीति अपनाई है। केन्द्र द्वारा पिछले 40 वर्षों से राज्य के हितों पर निरन्तर अतिक्रमण किया जा रहा है परन्तु कांग्रेस के मुख्य मंत्रियों ने अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में कभी इसका विरोध नहीं किया। मैं श्रीमान् भैरोंसिंह जी शेखावत को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने साहसपूर्वक केन्द्र द्वारा निरन्तर की जा रही मनमानी, अन्याय एवं शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है। उपाध्यक्ष महोदय, संस्कृत में एक श्लोक है—

"उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि मनोरथैः
नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः"

जिस प्रकार सोये हुए शेर के मुख में मृग प्रवेश नहीं करते, उसे अपने शिकार के लिए घूमना पड़ता है ठीक उसी प्रकार कार्यों की सिद्धि के लिए निरन्तर मेहनत और प्रयास करने पड़ते हैं और यह हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। श्रीमान भैरों-सिंह जी की पहल पर हिमाचल, राजस्थान और मध्यप्रदेश के हकों का जो प्रतिवेदन केन्द्र को प्रस्तुत किया गया है उसके नतीजे भले ही आज नहीं आयें लेकिन मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूं कि भविष्य में इसके बड़े सुखद परिणाम आयेंगे और राजस्थान प्रगति करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेसी मुख्य मंत्रियों द्वारा पूर्व में घोषणाएं तो बहुत की गई। उनके शिलान्यास के पत्थर आज भी धूल चाट रहे हैं लेकिन योजनाओं की क्रियान्विति के लिए बजट में कभी भी समुचित

(श्रीमती तारा भण्डारी)

वित्तीय प्रबन्ध नहीं किये और इस प्रकार की शिकायतें अक्सर कांग्रेस के ही मुख्य-मन्त्री ही करते रहे हैं। श्रीमान् भैरोंसिंह जी ने बजट में जो भी घोषणाएं की हैं उनकी क्रियान्विति के लिए बजट में समुचित राशि की व्यवस्था की है और इससे भी बढ़िया उन्होंने यह व्यवस्था की है कि इस बार बजट में जो भी कार्य हैं वह साल के प्रारम्भ में ही शुरू हो जाएंगे क्योंकि बजट निर्णायक समितियों की बैठकें पहले ही हो चुकी हैं। पूर्व में अक्सर जो भी कार्य होते थे वह वर्ष के मध्य में शुरू होते थे और वर्ष के अंतिम महीने में अधिकांशतः पूरे होते थे परन्तु इस बार सारी व्यवस्था पहले ही कर ली गई है इससे बजट में प्रस्तावित योजनाओं का कार्य वर्ष के प्रारम्भ में ही शुरू हो जाएगा। इस प्रकार कार्य करने से कार्यों की क्रियान्विति तथा गुणवता तो बढ़ेगी ही साथ में भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। उपाध्यक्ष महोदय, गाडगिल फार्मूले में परिवर्तन के मामले में कांग्रेसी मुख्यमंत्री बरसों तक दौड़ लगाते रहे परन्तु नतीजा शून्य रहा।

श्रीमती मदन कौर : भैरोंसिंह जी ने तो एक झटके में कर दिया।

श्रीमती तारा भण्डारी : एक झटके में तो कोई काम नहीं होता लेकिन बहुत प्रयत्न किये। इसलिए यह सम्भव हो सका है। उपाध्यक्ष महोदय, यह भैरोंसिंह जी के प्रयासों का ही नतीजा है कि गाडगिल फार्मूले को संशोधित करने की स्वीकृति हो पाई है। यह संशोधित फार्मूले के अनुसार....

श्री हेतराम बेनीवाल : स्वीकृति कहां हुई है ?

श्रीमती तारा भण्डारी : विकास परिषद् की हो गई है। आपको ध्यान नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ : हो जायेगी, यदि नहीं हुई है तो हो जाएगी।

श्रीमती तारा भण्डारी : साहब, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। आप तो सुजान है। आपको समझ लेना ही चाहिये कि गाडगिल फार्मूले की स्वीकृति हो गई।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : विधान सभा तो भंग हो रही है। कब हो जाएगी ? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : चिन्ता मत करो आप, विधानसभा भंग नहीं होने वाली।

श्रीमती तारा भण्डारी : आपको तो किसी का डर नहीं लगता मैडम। उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधित फार्मूले के अनुसार राजस्थान जैसे विशेष समस्या वाले राज्यों को विकास समस्या दूर करने के लिए 5 प्रतिशत राशि केन्द्र से अधिक मिलेगी। साथ ही रेगिस्तान की समस्या को इस बार विशेष समस्या के रूप में शामिल किया गया है। श्रीमान् भैरोंसिंह जी शेखावत के गतिशील नेतृत्व का ही नतीजा है कि इस बार राज्य की योजना के लिए जो

(106)

(श्रीमती तारा भण्डारी) :

भी राशि प्रस्तावित की गई थी, योजना आयोग ने उससे कहीं अधिक राशि मंजूर की है।

(2.32 म. प.)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

यही कारण है कि 1991-92 का बजट पहले से कहीं अधिक बढ़ा है। कहीं अधिक उसका प्रतिशत बढ़ गया है। सभापति महोदय, बजट में नए स्कूल, कालेज, कोटा मेडिकल कालेज और खास तौर से जोधपुर में महिला पोलिटेक्नीक खोलने के निर्णय का हार्दिक स्वागत करती हूं, बधाई देती हूं। साथ ही मेरा राज्य सरकार को यह भी सुझाव हैं कि मेडिकल कालेजों में पठन-पाठन हिन्दी में किया जाय जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले युवक-युवतियां भी इस प्रोफेसन में आगे आ सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह भी सुझाव देना चाहूंगी कि स्कूलें खोलने का जो निर्णय किया है, वह राजस्थान में शिक्षा के प्रतिशत को देखते हुए बहुत कम है, अपर्याप्त है। मेरा सरकार को यह सुझाव है कि इस पर एक बार पुनः विचार किया जावे।

सभापति महोदय, हमारे देश के निर्माण में पत्रकारों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ भी कहा जाता है परन्तु जो पत्रकार नियमित वेतन श्रृंखला में काम करते हैं। इन्हें नियमानुसार 60 वर्ष की उम्र में रिटायर कर दिया जाता है। सभापति महोदय, सेवा निवृति के बाद कई पत्रकारों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह सुझाव देना चाहती हूं कि राजस्थान के अखबारों में काम करने वाले पत्रकारों को उनकी सेवा निवृति के बाद पेंशन देने की व्यवस्था राज्य सरकार करें।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सिरोही जिले की ओर दिलाना चाहूंगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा आधा टाइम तो इन्होंने ले लिया। सिरोही जिला राजस्थान के अन्तिम सिरे पर है और एक पिछड़ा हुआ जिला है। सभापति महोदय, जिस प्रकार से टेल एण्ड तक जाते-जाते पानी तथा बिजली का प्रवाह कम हो जाता है, गति धीमी हो जाती है ठीक उसी प्रकार से विकास के मामलों में सिरोही जिला भी टेल एण्ड रहा है। वहां पर विकास की गति हमेशा ही धीमी रही है तथा अनेक योजनाएं अधरझूल में लटक रही हैं। इसलिए सिरोही जिले की जनता ने श्रीमान् भैरोंसिह जी शेखावत के नेतृत्व में विश्वास करके अपने पिछड़े जिले के विकास हेतु जिले की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी हैं। परन्तु सभापति महोदय, मुझे क्षमा करेंगे, मैं बहुत ही भारी मन से यह कहना चाहूंगी कि आपके बजट में सिरोही जिले का कहीं नाम तक नहीं है। और तो और, इस बात को....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : ये कांग्रेस का गलत बजट था, इसलिए तीनों आए।

श्री सभापति : कृपया सुनें। (व्यवधान)

श्रीमती मदन कौर : आप स्वागत क्यों कर रही हैं ? बधाई क्यों दे रही हैं ?

श्री सभापति : कृपया जारी रखें। कृपया विघ्न न डाले।

श्रीमती तारा भण्डारी : समापति महोदय, सिरोही जिले के विकास की ओर....

श्री सभापति : कृपया शीघ्र समाप्त कीजिये। 22 सदस्यों को बोलना है। रात को 8.30 बजे तक बैठना पड़ेगा आप सभी को फिर आप समय बढ़ाते समय मत कहना कि समय मत बढ़ाइये।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, मैं जल्दी ही समाप्त कर रही हूं। सिरोही जिला पिछड़ा हुआ तो जरूर है परन्तु आबू की कलाकृतियों के लिए यह जिला विश्व में अद्वितीय है परन्तु विकास की गति यहां पर बहुत ही धीमी है और तो और इस बार तो सिरोही जिले में कई प्रकार की कटौतियां की गई हैं। सभापति महोदय, अधिक नहीं कहकर, केवल मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि सिरोही जिले की जनता विकास की योजनाओं के लिए प्रतीक्षारत् हैं। इसलिए मेरा सरकार से विनम्र अनुरोध है इस जिले को इग्नोर नहीं किया जावे और सिरोही जिले के विकास के लिए गम्भीरता पूर्वक विचार करके नई योजनाओं को लागू किया जाये।

अन्त में इस संतुलित और विकासोन्मुखी बजट के लिए मैं श्रीमान् भैरोंसिंह जी शेखावत को बधाई देती हुई यह कहना चाहूंगी कि राज्य में अनुत्पादक खर्चों में कटौती करके बजट के घाटे को कम करने का जो प्रयास किया गया है। यह वास्तव में सहानीय कदम है तथा अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय है। राजस्थान में प्रशासनिक मितव्ययता का कदम पहली बार उठाया गया है और ऐसा साहस एक काश्तकार परिवार से आये हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान् भैरोंसिंह जी शेखावत ही कर सकते हैं। हमारे मंत्रिमण्डल की शुरू से ही यह धारणा रही है कि राज्य की जनता पर ज्यादा कर भार नहीं लादा जावे परन्तु राज्य के विकास का कर्त्तव्य भी हमारे मंत्रिमण्डल का है इसलिए हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह तय किया है कि राज्य के विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से तथा केन्द्र से अधिक से अधिक राशि लेने का प्रयास किया जावे। प्रवासी राजस्थानियों का सहयोग लेने में भी हमारे मुख्यमंत्री जी पीछे नहीं है और इस दिशा में उनके द्वारा किये गये प्रयास जग-जाहिर हैं।

अन्त में मैं सभी माननीय सदस्यों और खास तौर से विपक्ष के सदस्यों से यह अपील करना चाहूंगी कि राज्य के हितों के लिए श्रीमान् भैरोंसिंह जी शेखावत द्वारा किये जा रहे प्रयत्नों में दलगत भावना से ऊपर उठकर पूर्ण सहयोग करें। श्रीमान् भैरोंसिंह जी के नेतृत्व में राजस्थान निरन्तर तरक्की करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। सभापति महोदय, आपने जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह बजट पर भाषण था या मुख्यमंत्री पर

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

भाषण था। आपने बजट का नाम 11 बार लिया और मुख्यमंत्री का नाम 97 बार लिया।

श्री सभापति : श्रीमान् नत्थीसिंह जी।

श्रीमती तारा भण्डारी : हजार बार लेंगे।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, बजट प्रस्तुत करते समय मुख्य मंत्री महोदय ने प्रशासनिक व्यय में कमी, संसाधनों में वृद्धि केन्द्र पर दबाव डाल कर और अधिक साधन लेने के लिए धन राशि प्राप्त करना (व्यवधान) घबराओ मत, मैं उसी पर आउंगा। आप बैठे रहे।

श्री सभापति : कृपया डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री नत्थीसिंह : मैं आपकी वही बात करूंगा, मैं उसी पर आ रहा हूं। गाडगिल फार्मूला में संशोधन करके और ज्यादा लेना कुशल वित्तीय प्रबन्ध के द्वारा साधन बढ़ा देना और इसलिए 69.28 करोड़ के घाटे को 9 करोड़, 69 लाख के घाटे में ले आना और अब के बजट में वह 34 करोड़ 95 लाख तक जायेगा। इस तरह से दावे किये हैं। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने उनके इस दावों का खण्डन करते हुए यह कहा कि उनकी सरकार की देन है। जो संसाधन मिले हैं, गाडगिल फामूर्ले से कोई नुकसान नहीं होता है और फायदा होता है। मैं इन दोनों के विवाद में नहीं जाना चाहता। मैं एक दूसरे दृष्टिकोण से इस बजट को देखना चाहता हूं। अभी माननीय सदस्य कुछ बोल रहे थे। आप भी इधर थे और उससे पहले जब माननीय डाक्टर चन्द्र भानजी एवम् श्रीमती सुमित्रा सिंहजी बोल रही थी तब भी कहा गया। अभी कुछ दिनों तक तो आप भी हमारे साथ थे। यह बिल्कुल सही बात है और मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं कि यह बजट आज जो पेश हुआ हैं, 1990 में सरकार का जब परिवर्तन हुआ, बजट की घिसी पिटी लकीर चली आती थी हिन्दुस्तान में नारा गरीबी हटाने का लगता था लेकिन गरीबी बढ़ती जाती थी, अमीरी बढ़ती जाती थी। इस तरह की जो स्थिति थी....(व्यवधान) बिल्कुल थी। इसलिए हिन्दुस्तान की जनता ने 1989 में एक फैसला किया और फैसला यह किया कि हिन्दुस्तान के पीड़ित, शोषित, पिछड़े हुए लोग सदियों से हैं और आजादी के आने के बाद जो उनकी उपेक्षा हुई है वह उपेक्षा दूर की जाय। पहली दफा 1989 में केन्द्र में जो सरकार आयी उसने यह प्रयत्न किया कि जनता से जो वायदा किया जाता है चुनाव घोषणा पत्र में जो वायदे किये जाते हैं उनको पूरा किया जाय और उसी के आधार पर 1990 में जब सरकार बनी राजस्थान में उसमें हम भी शामिल थे और यह प्रयत्न किया गया कि जनता के साथ किये गये वायदों की क्रियान्विति की जाय। हमने उसी हिसाब से जब देखता हूं, हमने कहा था कि जो मेहनतकस लोग हैं उनको उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता है। हिन्दुस्तान की तरक्की कब होगी, जब होगी खेत और खलिहान की तरक्की होगी। चौधरी चरणसिंहजी ने कहा था कि देश की तरक्की और खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान में से होकर जाता है। इस-

(श्री नत्थीसिंह)

लिए यह कहा गया कि यदि गांव का रहने वाला आदमी है, जो खेतों पर काम करने वाला आदमी है उनको 50 वीं सदी राज के बजट का दिया जायेगा जो आज तक नहीं दिया गया 1989 तक यह वायदा किया गया था। हमारी इस सरकार ने यहां पर, घोषणा की कि हम 60 प्रतिशत तक खर्च करेंगे। बड़ी अच्छी घोषणा की थी। मैं पूछना चाहता हूं आज 62 प्रतिशत की कह रहे हैं लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं क्या इस तरफ कामयाबी हुई है। एक वायदा किया गया था कि हम 10 हजार तक के कर्जे माफ करेंगे। कल, परसों कई माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि कितनी आपने इसमें तरक्की की है, कितने वायदों को पूरा किया है। एक वायदा किया था कि हम सम्मान देने के लिए इस देश में हर नागरिक का अधिकार है जो वृद्ध हो जाता है उसको सम्मान मिले हम पेन्शन देंगे वृद्धों को। हमने वायदा किया था बेरोजगारी से मुक्ति दिलायेंगे, और यह भी घोषणा की थी कि हम जनता के ट्रस्टी के रूप में काम करेंगे, प्रशासन में, राज्य में जनता की भागीदारी होगी। यह भी कहा था कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे। सामाजिक न्याय हम देते रहेंगे यह घोषणा भी की गई थी और उसके साथ साथ धर्म निरपेक्षता का वातावरण इस देश में बनायेंगे, यह भी वायदा किया गया था। एक बात बड़े जोर से कही गयी थी कि कांग्रेस ने बड़ी बड़ी घोषणा कर दी, वह + + + घोषणाएं की थी जाते जाते इसलिए उनकी क्रियान्विति नहीं हुई। हम उनकी क्रियान्विति करने के लिए सुदृढ़ीकरण करेंगे, यह बात यहां पर कही गयी थी। मुझे दर्द इस बात का हो रहा है कि हमारे जाने के के बाद इस सारी बातों पर आपने पानी फेर दिया। यह जो बजट पेश किया गया है, मुझे यह कहने में कोई शंका नहीं है, यह बजट निराशा, हताशा और उद्देश्यहीनता का बजट है। मैं पहली बात कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण की शुरूआत की है जिन्होंने प्रशासनिक व्यय मे कमी करके 30 करोड़ की बचत की है लेकिन... (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बीच में बाधा न डालें।

श्री नत्थी सिंह : उसमें लिखा है, उपर का पैरा पढ़ लो आप। लेकिन जनता के अन्दर, हम समझते थे, जिस तरह की भावना जगाई गयी थी, देश में एक परिवर्तन की लहर आ रही है। कितनी भी विपदाएं आयें, कितनी भी कठिनाई आयें जो नयी सरकार बनी है वह किसी तरह से अपने मार्ग से हटेगी नहीं लेकिन मुझे दुःख हुआ और दुःख इस बात के लिए हुआ, मुझे मालूम है जब जनता दल और भारतीय जनता पार्टी का मिला जुला मंत्रिमण्डल था और जब हम कहते थे कि 8 और 5 का जा रेश्यो है उसे पूरा करो तो मुख्य मंत्रीजी रोज कहते थे कि बड़ी कठिनाई है, 20 से ज्यादा मंत्रिमण्डल में कैसे हो, 10 पर्सेण्ट का कानून है। लेकिन आज मुख्य मंत्रीजी, हिमाचल की चोटी से एकदम

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नत्थीसिंह)

खाई में जैसे कोई आदमी गिरता है, अपनी मान्यताओं से इस तरह उनकी अधोगति की है, आज मंत्रिमण्डल का विस्तार केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए, आज वही बैठे हैं हमारे सामने जिन्होंने प्रशासनिक व्यय में कमी के नाम पर....(व्यवधान)

श्री लालचन्द डूडी (वन एवम् पर्यावरण मंत्री) : आपको तकलीफ यह है कि इतना बड़ा होने के बावजूद आप उसमें नहीं है।

श्री नत्थी सिंह : प्रशासनिक व्यय में कमी के सिद्धान्त की जितनी अधोगति, अवहेलना, उल्लघंन पहली दफा किसी ने इस राज्य में किया है उसका नाम मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत है जिन्होंने द्रोपदी के चीर की तरह अपने मंत्रिमण्डल को बढ़ाया है ताकि कुर्सी हिल नहीं जाय.... (व्यवधान)

मैं अभी बताउंगा, आप घबराओ मत, आप मेरे सामने पड़ गये हो, ध्यान रखना। एक बात कही गयी कि हम 60 पैसा खर्च करेंगे। माननीय सभापति महोदय, राज्य की योजना 989 करोड़ की थी जो हमारे जमाने में स्वीकार हुई थी लेकिन कितना खर्च हुआ उसमें से। दिसम्बर तक केवल 555 करोड़ 46 लाख रुपये और सब से ज्यादा कमी कहां हुई है ? जिस क्षेत्र की आप कहते हो कि हम ग्रामीण क्षेत्र का विकास करेंगे, गांवों की तरक्की करेंगे। सामुदायिक विकास पर प्रावधान 238 करोड़ और 87 लाख रुपये उसमें से खर्च हुए हैं 105 करोड 5 लाख। कृषि एवम् सामान्य सेवाओं पर था 82 करोड़ 50 लाख उसमें से खर्च हुआ है 33 करोड़ 87 लाख। वित्त आयोग से अनुदान के रूप में आपको सहायता मिली थी 5 करोड़ 80 लाख उसमें से खर्च हुआ है केवल ढाई करोड़। यह 60 पर्सेण्ट आप खर्च करने की कहते हैं। जो ग्रामीण विकास के नाम पर आपने राशि रखी उसमें आधा लेप्स कर दिया। 60 पर्सेण्ट की बजाय 30 पर्सेण्ट से ज्यादा खर्च नहीं कर पाये। आप कैसे कहते हो कि हम ग्रामीण विकास के लिए 60 पैसा खर्च करेंगे। बड़े जोर से यहां कहा गया और सही बात कही गयी। 10 हजार तक के कर्जे, किसानों के कर्जे माफ करेंगे। उधर बैठने वाले लोग कल इधर बैठते थे। बड़े जोर से बोलते थे। हर एक का कर्जा माफ होना चाहिए 10 हजार तक के हर एक के कर्जे माफ होने चाहिए .. (व्यवधान)

मेरी तो चिट्ठी है। मालूम होना चाहिए। मंत्रिमण्डल में चिट्ठी गयी मैंने भी यह स्टेण्ड लिया था कि 10 हजार तक के कर्जे सबके माफ होने चाहिए लेकिन आपके मुख्यमंत्री ने और ठीक बात है एक स्टेण्ड लिया, उसको हमने भी माना और वह यह था कि भारत सरकार जो फैसला करे, संसाधनों की वजह से, भारत सरकार के फैसले के मुताबिक हमें 10 हजार तक के कर्जे माफ करने चाहिए। आज स्थिति क्या है ? सभापति महोदय, अभी इस बजट में बताया गया है। हमारे सहकारिता मंत्रीजी बैठे थे कहां गये ? बजट में बताया गया है कि 9 लाख किसानों को लाभ मिला है, मिलना चाहिए था 14 लाख को। पांच लाख को क्यों नहीं मिला, क्या कारण है.... (व्यवधान)

श्री काली चरण सराफ : नत्थी सिंह जी आपने कितने किसानों का कर्जा माफ किया यह पहली बार है कि 9 लाख किसानों को लाभ मिला है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह हमारी घोषणा थी आपकी नहीं

श्री नत्थी सिंह : मैं जो बात कह रहा हूं वह सुनिये। यह तय किया था कि भारत सरकार की नीति के मुताबिक कर्जा माफी की जायेगी। यह सिद्धांत स्वीकार किया था लेकिन राजस्थान की वर्तमान सरकार है जिन्होंने भारत सरकार की नीतियों के मुताबिक कर्जा माफी नहीं की। इसका नतीजा यह हुआ कि जिन 14 लाख किसानों को फायदा होना चाहिए था उसमें से 5 लाख किसान आज भी उससे वंचित हैं। भारत सरकार ने तय किया था 2 अक्टूबर, 1989 को जितने लोग अकाल के कारण, अभावग्रस्त के कारण कर्जा देने में असमर्थ रहे हैं, उनकी 10 हजार रुपए तक का कर्जा माफी होगी और एक फैसला यह हुआ था कि जितने भी राष्ट्रीकृतय बैंक हैं उन्होंने एक-एक ने 2--10--89 तक के जितने कर्जे थे उनको माफ किया है लेकिन राजस्थान की सरकार है जो कहती है कि 2--10--89 के बाद कर्जा हम माफ नहीं कर पाये हैं। किसानों से पहले ब्याज वसूल किया जायेगा। कौन सा ब्याज ? 2--10--89 से लेकर आज तक का ब्याज ? 2--10-89 वह डेट है जिस डेट को सारे कर्जे माफ कर दिये सारे राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इस सिद्धांत का पालन किया और 2--10--89 को आउट स्टेंडिंग पैसा उनके खातों में जमा कर दिया। राजस्थान की सरकार है जो कहती है कि 2-- 10--89 के बाद से आज की तारीख तक का ब्याज नहीं देंगे तब तक हम आपका कर्जा माफ नहीं करेंगे। उसके कारण पांच लाख किसानों को कर्जा मुक्ति नहीं मिली। हम ने बात की थी। उन्होंने माना कि यह होना चाहिए और कहा भी अपने अधिकारियों को, बात तो सही है, लेकिन क्रियान्विति आज तक नहीं हुई। सहकारिता मंत्रीजी कोई सुनता है आपकी कोई। मैं कहना चाहता हूं एक फैसला और हुआ था भारत सरकार का और वह था कि दो बार लगातार जहां पर अभाव की स्थिति होगी, उन किसानों को ही कर्जा माफी की जायेगी।... (व्यवधान)

लेकिन भारत सरकार ने फिर फैसला किया कि दो बार की जरूरत नहीं है। एक बार भी जिन किसानों की फसल अभाव के कारण नष्ट हुई है उन किसानों के कर्जे भी माफ किये जायेंगे। राजस्थान वह प्रदेश है, जिसने भारत सरकार के सिद्धांत को भी राजस्थान में लागू नहीं किया और जिसकी एकसाल तक फसल नष्ट हुई है उस किसान को कोई कर्जा मुक्ति नहीं दी गयी है न ब्याज में राहत दी गयी है, न कर्जा मुक्ति दी गयी है। हमारा सर इसलिए शर्म से झुकता है कि हमने जो फैसला किया था भारत सरकार के सिद्धांत के आधार पर कर्जा माफी दी जायेगी। इस सरकार ने सिद्धांतों को भी तोड़ा है। आपने वायदे से पीछे हटी है क्योंकि उसमें निष्ठा का अभाव है। संकल्प अगर होता तो निश्चित रूप से इस तरह की कोताई नहीं की जाती... (व्यवधान)

(श्री नत्थी सिंह)

बता दिया। कांग्रेस ने एक पैसे का माफ नहीं किया लेकिन आप हमारे फैसले से मुकर गये।

श्री कालूराम जाट : यह बात थी तो आप हमारे से नाराज होकर उधर तो नहीं जाते।

श्री नत्थीसिंह : हम न उधर को गये हैं। न इधर को गये है आप किधर को गये हैं यह अभी पता चलेगा।

श्री टीकमचन्द कांत : बीच में तो मत लटको। बीच में क्यों लटक रहे हो?

डॉ. चन्द्रभान : हम सेण्टर है। सेण्टर मतलब दिल्ली में रहेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : केन्द्र में तो कांग्रेस आयेगी।

श्री नत्थीसिंह : सभापति महोदय, दूसरी फिसन निष्टा और संकल्प की जो हुई है। अभी कल पिलानी से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थी वृद्धावस्था पेंशन के वायदे को पूरा नहीं किया तो उधर से कोई माननीय सदस्य बोले कि मिल गयी। मैं गलत नहीं हूं कि 70 साल के बुड्ढों को जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, उन को पेंशन देने के लिए 30 करोड़ की राशि का प्रावधान था। क्या आप में से कोई एक भी हिम्मत कर सकता है कि इस प्रावधान के अन्तर्गत, इस केटेगरी के अन्तर्गत, एक नया पैसा भी किसी को पेन्शन दी गई हो, नहीं दी गयी है। (व्यवधान)

आपको मालूम नहीं है।

श्री शांतिलाल चपलोत : पहले वाला बजट था उसके अनुरूप सब को दी है और अब वापस मार्च में बजट पास होने के पश्चात् जारी होगी।

डॉ. चन्द्रभान : यह कोई तरीका नहीं है।

श्री सभापति : अब आप आगे तो व्यवधान न डालें।

श्री नत्थीसिंह : मैं माननीय विधि राज्य मंत्रीजी को यह बताना चाहता हूं अगर उन्हें याद नहीं है तो याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय निश्चत हुआ था और यह हुआ था कि क्या एक एक आदमी दर्खास्त देता फिरेगा हम देख रहे थे हरियाणा की ओर, जहां चौधरी देवीलाल ने फैसला किया था वहीं जाकर देंगे। फैसला यह हुआ था, याद नहीं हो तो पूछ लेना कि प्रत्येक पंचायत समिति में जन-प्रतिनिधियों की कमेटी बनेगी जिसमें एम. एल. ए., प्रधान, सरपंच शामिल होंगे और वह लोग गांव गांव में लोगों का चयन करेंगे कि 70 वर्ष के गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्ति कौन है और उन को सामूहिक रूप से पेंशन दिला दी जायेगी आज एक भी पंचायत समिति, एक भी पंचायत में जन प्रतिनिधियों की कमेटी का गठन नहीं हुआ। उसने काम शुरू नहीं किया। अगर किया हो तो एक भी उठकर बताये। मुख्यमंत्रीजी जवाब दें।

इसी तरह से रोजगार के मामले में हम ने फैसला किया था। इतना बड़ा वचन था कि बेरोजगारी को दूर करने के

(श्री नत्थीसिंह)

लिए रोजगार को भी संविधान के मूल अधिकारों में शामिल किया जायेगा। केन्द्र की सरकार कोशिश कर रही थी, लेकिन उस वक्त तो आप सब चुनाव घोषणा-पत्र को भूल गये। आपने सोचा राम के नाम पर हमारी नाव तिर जायेगी, इसलिए राम-जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद का मामला, उठाकर केन्द्र की सरकार को गिराया और जो मूल अधिकारों में संशोधन होना था वह तो रह गया। अब यह बात दूसरी है कि....

श्री टीकमचंद कांत : रावण का राज भी राम के कारण से चला गया।

श्री कालीचरण सराफ : हमने तो केन्द्रीय सरकार को गिराया और आपने यहां कोशिश की और नाकामयाब रहे....

श्री नत्थीसिंह : आपने रोजगार गरीब को नहीं दिलाया, आपने रोजगार पीड़ित को नहीं दिलाया, आपने रोजगार 26 को दिलाया, जिनमें 18 को तो केबिनेट और बाकी को कोई रोजगार दिलाया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमने आपको भी रोजगार दिलाया था।

श्री सभापति : कृपया विघ्न न डालें।

डा. चन्द्रभान : निर्दोष लोगों को मरवा दिया, मस्जिद वहीं है और मन्दिर भी नहीं बना।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि राम के कारण नत्थीसिंहजी की मिनिस्ट्री चली गयी फिर आप क्यों राजस्थान में ही हैं। गुजरात में आपकी मिनिस्ट्री क्यों गयी। वहां राम नहीं थे क्या? (व्यवधान)

(3.00 म.प.)

श्री नत्थीसिंह : सभापति महोदय, आप तो परिचित हैं। राम क्या थे, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वे तो पिता के वचन का पालन करने के लिये 14 वर्ष वनवास चले गये। सब ने कोशिश की, भरत ने कोशिश की। पर आप तो 14 दिन भी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते। इसलिये आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री लालचंद डूडी (वन मंत्री) : आपने तो बड़ा त्याग किया था ना। आपने कुर्सी का बड़ा त्याग किया था। आप तो गिड़गिड़ाये थे बोम्मई साहब के सामने कि हमसे इस्तीफा मत लो, इस्तीफा देने के लिये मजबूर मत करो। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप भी बिराजिये। आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, आप भी बिराजिये।

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय, लालचन्द डूडीजी का बयान पढ़िये। आपका बयान पढ़िये जरा।

श्री सभापति : कृपया समय का ख्याल रखिये।

माननीय नत्थीसिंहजी, आप आसन को एड्रेस करें। आप बार-बार उधर बोलते हैं, प्रोवोकेशन होता है।

श्री नत्थीसिंह: माननीय सभापति महोदय, मैं नहीं चाहता कि माननीय वन मंत्री

(श्री नत्थीसिंह) :

महोदय ज्यादा बोलें। इनका वह टेलीग्राम मेरे पास रखा है। "This B.J.P. Government...।" खत्म करिये आप गैर जिम्मेदार पार्टी सरकार को। यह वह था जो रख छोड़ा है। आज रोजगार पाकर के क्या बात करते हो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह आपके आचरण के अनुकूल था।

श्री नत्थीसिंह : इनका टेलीग्राम मेरे पास है।

श्री सभापति : कृपया समय का ख्याल रखें।

श्री नत्थीसिंह : सभापति महोदय, आर्थिक समीक्षा के पेज 85 पर यह कहा गया है, कि जनवरी से सितम्बर, 1990 तक 1,68, 757 बेरोजगारों का तो पंजीयन कराया रोजगार कार्यालय में 6,067 को आपने रोजगार दिया। और आप कहते हैं कि हमारी जो योजनायें चलती हैं, जवाहर रोजगार योजना है, विशिष्ट रोजगार योजना है, भूमिहीन रोजगार, इनके तहत हम रोजगार दे रहे हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर के सोचो कि यह रोजगार है? अर्द्ध रोजगार है? क्या रोजगार है यह? यह तो, केवल अपने मन को धोखा बेशक दे लो, कोई रोजगार नहीं है। और आप इलाज क्या बता रहे हैं कि हमने कमेटी बना दी है, रोजगार योजना का अध्ययन करेगी। रोजगार का पता नहीं क्या स्थिति है। बायदा किया था। कार्य योजना बना रहे हैं। राजस्थान में जितने भी इंजीनियर्स चाहे वह सिविल के हों, चाहे वह मेकेनिकल हों, चाहे वह इलेक्ट्रिकल हों, सबको हम रोजगार देंगे। वह निकल गई तारीख कभी की। यह भी कहा गया था कि जितने भी बी. एड, एम. एड, एस. टी. सी. हैं, सबको स्कूलों में लगा देंगे टीचर्स को और उसके बाद हम इस तरह की योजना बनायेंगे कि दूसरे लोगों को रोजगार मिले। किसी इंजीनियर को आप रोजगार पर लगा पायें? जो इधर से माननीय सदस्य बोल रहे थे, बड़े जोर से कह रहे थे, आपने कहा था कि इन्होंने अन्धाधुंध स्कूल खोल दिये, घोषणा कर दी। अन्धाधुंध अस्पतालों की घोषणा कर दी। पशु चिकित्सालय की घोषणा कर दी, हम सुदृढ़ीकरण करेंगे, कन्सोलिडेशन करेंगे। उन जगहों को भरेंगे, उन स्कूलों को चलायेंगे। हमारे, माननीय शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं। आज की तारीख तक, कल भी आये थे जिला परिषद् के प्रमुख लोग। पहली बार कहते हैं, चयन कर लो मैरिट से। फिर कहते हैं, नहीं, निकालो। तारीखें दो, साक्षात्कार करो। और फिर कहते हैं कि अब आर्डिनेंस निकाल दिया है। यह साक्षात्कार तुमने कर लिया है, अब सूचना मत निकालना, इनकी लिस्ट जारी मत करना। शिक्षा सत्र का समापन होने जा रहा है लेकिन स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्तियां नहीं हुई। आज आप कहते हो कि 25 शहरों में खोलेंगे, हजार गांव में खोलेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं शिक्षा मंत्री महोदय, आपने एक चिट्ठी तमाम विधायकों को भेजी थी, उनसे सुझाव मांगे थे कि आपके क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल को क्रमोन्नत करके मिडिल स्कूल, मिडिल स्कूल को क्रमोन्नत करके माध्यमिक स्कूल, चिट्ठी

(श्री नत्थी सिंह)

भेजी । आप थोड़े दिनों को बीमार हो गये । सहानुभूति थी मेरी । उसके बाद आपके आदेश निकाले जायेंगे । कितने आपने क्रमोन्नत कर दिये आज की तारीख तक, यह तो आप ही बता सकते हैं । यह क्रियान्विति है आपकी, यह आपकी सफलता है ?

इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं....

श्री हरिकुमार औदिच्य : आप जिला परिषद की बातें मेरी तरफ इशारा करके कह रहे हैं । यह तो नजर डाल लीजिये । जिला परिषद के अध्यापकों की बात कर रहे हैं, यह मेरी तरफ कर रहे हैं ।

श्री नत्थीसिंह : आज माननीय खर्रा साहब नहीं हैं, आप उनको रिप्रजेण्ट कर रहे हैं ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : कितने खोले हैं, आपको याद है ? चिट्ठी ली है । मैं मूस नहीं बाटना चाहता था । 25 खोलेंगे, 15 खोलेंगे तो प्रामाणिकता के साथ खोलेंगे ।

श्री नत्थीसिंह : कुछ भी नहीं किया ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अकेले झुंझुनू जिले में 129 पद रिक्त हैं, वह सारे 1990 में रिक्त हैं ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : वहां कुल कितने पद हैं ? कितने पदों में 129 देखे हैं ? जहां पर आपके 80-80 पर्सेंट रिक्त थे, वहां पर हार्डली 8 पर्सेंट-7 पर्सेंट रिक्त रहे हैं ।

श्री नत्थी सिंह : आप पर तो, औदिच्यजी, यह बात छोड़ना चाहता हूं, क्या शिक्षा जगत की जो दुर्गति हुई है, आप उससे संतुष्ट हैं ? गांव से लेकर यूनिवर्सिटी तक टीचर नहीं पहुंचा ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : 40 साल की दुर्गति को 28 महीनों में ठीक नहीं कर सकते ।

श्री नत्थी सिंह : उसकी छोड़ो अब की अभी टीचर गांव में नहीं पहुंचा और यूनिवर्सिटी में उप कुलपति का चयन नहीं हुआ । यह हालत हमारी है । उस हालत को आप अच्छा बताते हैं तो आपकी बलिहारी है ।

मैं एक दूसरी बात रोजगार के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । आज सुबह कुछ सदस्यों ने एक सवाल यहां उठाया । उससे पहले माननीय डा. चन्द्रभानजी ने उस बात का जिक्र किया । हमारे और आपके दोनों के चुनाव घोषणा पत्र में इस बात का वायदा है कि मण्डल आयोग की जो रिपोर्ट कांग्रेस के राज में 10 साल तक धूल खाती रही रद्दी में, उसकी हम क्रियान्विति करेंगे । लेकिन आपने क्या किया ? क्या किया मण्डल आयोग के सम्बन्ध में ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : आप ही ने कहा था कि दिल्ली वालों को लागू करने दो । आप मंत्री मण्डल में थे । आप ही कहते थे, इसे दिल्ली में फैसला करने दो, हमको बीच में नहीं पड़ना चाहिये । आप तीन जने तो बैठे हो यहां पर ।

श्री नत्थीसिंह : मेरे साथी यहां बहुत बैठे हैं, यह गलत बयानी नहीं करेंगे । मेरा

(श्री नत्थी सिंह)

तो बयान है प्रेस में। मेरी मांग है कैबिनेट में कि,तुरन्त हमको मण्डल आयोग रिपोर्ट को लागू करना चाहिये और मण्डल आयोग रिपोर्ट के लिये हमको इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये कि हम कमेटी बनावें या कमीशन बनावें जो राजस्थान में तमाम ऐसी जातियों का सलेक्शन करे और तमाम राज्य के अनुसार मण्डल आयोग की रिपोर्ट लगाये। आप भूलते हैं।

श्री डूंगर राम पंवार (उप मंत्री इन्दिरा गांधी नहर परियोजना) : मण्डल आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होते ही आपका कमंडल बिखर गया।

श्री नत्थी सिंह : इधर बैठते थे। आपका आल इण्डिया रेडियो यहां से भी चलता था।

यहां पर चालीस एक विधायकों ने एक साथ उठकर मांग की थी कि इस सरकार का क्या दृष्टिकोण है, मण्डल आयोग की रिपोर्ट का क्या करेगी ? तब मुख्य मंत्रीजी ने मुझे कहा था और मैंने जवाब दिया था सरकार की ओर से कि भारत सरकार ज्योंहि मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला लेगी, उसी तरह राज्य सरकार भी मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू करेगी। यहां इसी सदन में कहा गया था। क्या आपने उस वचन का पालन किया ? नहीं किया। (व्यवधान)
सदन की कार्यवाही में लिखा हुआ है। आपको होश नहीं रहता तो मैं क्या करूं ? आप पढ़ लेना।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं आप वचन पर कायम नहीं रहना चाहते हैं। जनता में निराशा और हताशा है कि यह किस तरह से संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है।

एक बात और सदन में कही गई थी। बजट भाषण में एक बात कही गई है। कहा गया कि हम अपना जो सारा का सारा विकास है, कृषि उपज मण्डियों के द्वारा करना चाहते हैं और कृषि उपज मण्डियों का एक कोष बनाना चाहते हैं जिला स्तर पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी को याद है कि नहीं, इसी सदन में हमने फैसला करके तत्कालीन कृषि मंत्रीजी, जो आज तो हो गये गृह मंत्री, उन्होंने ऐलान किया था वहां खड़े होकर कि हम तुरन्त, फोरन कृषि उपज मण्डी का चुनाव करायेंगे ताकि जनता इसमें आये, जनता के प्रतिनिधि आयें। आज की तारीख तक चुनाव करना तो दूर चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू नहीं की गई है। उसके लिये नियम नहीं बनाये गये। कुछ भी नहीं किया गया। यह आपकी प्रतिबद्धता है। बिजली के बारे में पिलानी से आने वाली माननीय सदस्या, जो मंत्री थीं, उन्होंने यहां से घोषणा की। उसका क्या किया, वे खुद कल वर्णन कर चुकी हैं, इसलिये मैं उसे दोहराना नहीं चाहता।

एक एक बात, जिस पर इस सरकार ने हमारे साथ मिलकर फैसला किया था, एक एक बात से एक एक वचन से एक-एक वायदे से यह सरकार फिसली है। माननीया तारा भण्डारी धन्यवाद दे रही थीं भैरोंसिह जी को। मुझे तो दुख होता है, भैरोंसिह जी सक्सेसफुल, सफल बनने के बजाय फिसलनकारी मुख्य मंत्री की उपाधि लेने

(श्री नत्थी सिंह)

जा रहे हैं। इसका मुझे वास्तव में बहुत दुख है। एक ओर

अनेक माननीय सदस्य : बिराजो।

श्री नत्थी सिंह : अभी कैसे बिराजो ? अभी ठहरो। कृषि के क्षेत्र में बहुत कहा गया है। कृषि क्षेत्र में....

श्री लालचन्द डूडी : यह जानकर भी आपको बहुत दुख है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : उसमें रात और दिन का फर्क है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : और 1990 के बजट में बहुत फर्क है, यह तो विचार बदल जाते हैं।

श्री लालचन्द डूडी : यह जगह-जगह का फर्क होता है।

श्री नत्थी सिंह : यह बात है, यह स्वीकारोक्ति है आपकी, तो फिर हम आपको माफ कर सकते हैं। अगर यही स्वीकारोक्ति है तो फिर आप हमें क्या देंगे।

श्री लालचन्द डूडी : वहां जाते ही बदल गये।

डा. चन्द्रभान : जगह तो आपने बदली है।

श्री नत्थीसिंह : कृषि विकास के संबंध में, माननीय सभापति महोदय, बहुत बातें कही गई हैं। कहा गया है कि हम बड़ा कृषि विकास प्रदेश में करने जा रहे हैं। लेकिन कुल बजट को पढ़िये, तो महसूस होगा कि हम आज भी रामभरोसे हैं, भगवान भरोसे हैं। बरसात हो गई, तो ठीक है, नहीं हुई तो कुछ नहीं है। यह बात इस विषय में कही गई है।

श्री अमृतलाल परमार : आप भी उसी पर हो।

श्री नत्थी सिंह : इस स्थिति को बदलने के लिए क्या किया ? इस सम्बन्ध में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि कृषि की तरक्की के लिए चार बातें बड़ी जरूरी हैं। पहला, उत्पादन के साधन दिये जायें, फिर कृषि की सुरक्षा की व्यवस्था की जायें, फिर उसको लाभकारी मूल्य दिये जायें और उसके बाद कृषि पर बोझ कम किया जाये। कृषि पर काम करने वाले लोगों को दूसरे धंधों में लगाया जाये, इस बजट में कहीं कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। इन चारों के लिए कृषि की तरफ आपने कोई कदम उठाया है, बढ़ाया है ? कहते हैं, हमारे सहकारिता वाले मंत्री महोदय चले गये। 31 मई तक अगर कर्जा वापस दे दोगे तो आपको हम कुछ उपादान दे देंगे। लेकिन आप जानते हो कि जो स्थिति अब की बार आपकी रही है, उससे न वसूली होने वाली है, न आपका विश्वास करने वाला है, न कोई और बात होने वाली है। यह जो कृषि के लिए साधन देने वाली बात है, उसके सम्बन्ध में आपका कुछ नजरिया है ही नहीं। जब तक आप नाबार्ड से राजस्थान की विशेष परिस्थिति को देखते हुए नीति में परिवर्तन करायेंगे, तब तक राजस्थान को, राजस्थान के किसान को साधन मुहैय्या नहीं हो सकते। और

(श्री नत्थीसिंह)

वहां आपकी चलती नहीं है, आपकी कोई सुनता नहीं है, आपकी कोई पैरवी नहीं है।

सुरक्षा के मामले में कई दिनों से ओलों की बात और दूसरी बातें उठायी जा रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप क्यों नहीं फसल बीमा के कार्यक्रम को यहां लागू करते। 1/3 देना पड़ता है, 2/3 भारत सरकार को देना पड़ता है, लागू क्यों नहीं करते ? लाभकारी मूल्य के लिए यहां कहा गया कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, भारत सरकार ने, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, उन्होंने निश्चित रूप से कोशिश की कि किसानों को लाभकारी मूल्य दिये जायें। परन्तु मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में साढ़े पांच सौ रुपये के भाव से जब गेहूं बिक रहा था, तब किसानों के घर या गोदामों में गेहूं था ? या व्यापारी के गोदाम में गेहूं था ? साढ़े पांच सौ के भाव किसने लिया ? सरसों के भाव 512 थे, तब किसके पास सरसों थी और आज जब उत्पादन हो रहा है, 600 या 600 के नीचे भाव जा रहे हैं, तो यही आपकी नीति है ? आप क्यों नहीं इसके खिलाफ कार्यवाही करते, इसके खिलाफ कदम क्यों नहीं उठाते, जिससे मुनाफाखोरी न हो। आपमें यह दम ही नहीं है। आपने कुछ नहीं उठाया, मामूली सा उठाया है। कुटीर उद्योगों के जरिये और बोझ कम करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कितना गेहूं चाहिये ?

श्री नत्थीसिंह : वह भी मैं बताऊंगा। वह भी मैंने रख रखा है, आ रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कितना गेहूं चाहिए ?

श्री नत्थीसिंह : गेहूं नहीं चाहिए। गेहूं के भाव....

श्री महावीर प्रसाद जैन : कितना गेहूं चाहिए ?

श्री नत्थीसिंह : साढ़े पांच सौ के भाव किसान को नहीं मिला।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कितना चाहिए ? राजस्थान का कोई व्यक्ति सवा तीन सौ के भाव लेना चाहे ले लें, उनके लिए सारे भण्डार खुले हैं।

श्री नत्थीसिंह : इसके लिए कोई प्रबन्ध नहीं कर पाये। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, भरतपुर के सम्बन्ध में हमारी कैसी नीति है। कृषि मंत्रीजी तो भरतपुर ही कहीं गायब हो गये होंगे। राजस्थान में 7 लाख हैक्टेयर जमीन ऐसी है, जो खार से पीड़ित है, दीमक लग रही है, उत्पादन घट रहा है, भरतपुर में भी एक लाख हैक्टेयर जमीन ऐसी है। कुल पौने चार लाख हैक्टेयर जमीन है, जिसमें खेती की जा सकती है। एक लाख हैक्टेयर जमीन ऐसी है, जो खार से पीड़ित है और उसके लिए जिप्सम ट्रीटमैण्ट हो रहा है। उसके लिए पहले व्यवस्था थी कि 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जायेगी लेकिन आज तक एक नया पैसा अनुदान के रूप में उस किसान को इस सरकार ने नहीं दिया है,

(श्री नत्थीसिंह)

जिसका खेत खार के कारण खराब हो रहा है। क्या आप यह किसानों की तरक्की के काम कर रहे हैं? बड़े अच्छे तरीके के काम हैं आपके।

जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है, उसमें कई बातें आपने कही हैं, सिंचाई के बारे में। अभी सुबह पीड़ा हो रही थी, हमारे माननीय बेनीवाल साहब को कि हमारे यहां जो बड़ी नदियों से सिंचाई होती है, पंजाब ने उनका पानी देना बन्द कर दिया, क्यों? मैं पूछना चाहता हूं, वन मंत्रीजी से कि जो पानी को पीड़ा का कारण कहते थे, पंजाब से पूरा पानी आया कि नहीं वह बन्ध खाली रहा या नहीं, पौंग बांध रहा, ना। क्या किया आपने, ज्ञान भी नहीं। जो पानी हम दूसरों से ले सकते हैं, उनका और हमारा जो एग्रीमैण्ट था, उसकी क्रियान्विति की यहां बड़े जोर से बात कही गई थी, जिसकी क्रियान्विति यहां नहीं हो पाई। हम जो गंगा-यमुना के पानी की यहां मांग करते रहे हैं, नहीं मिला उनको। आज भी हमने कहा था, पिछली बार भी कहा था कि चम्बल तो हमारी है। अभी हमारी भण्डारी साहबा ने बड़े जोर से कहा कि तीन मुख्यमंत्रियों के साथ प्रतिवेदन दिया गया है, जिससे हमारा कार्पोरेशन टैक्स, आयकर का विभाग, खेपकर, इन सबमें भारत सरकार जो हमें देती है, वह हमें मिले, बड़ा जोर लगाया है। (व्यवधान) आप सुनो तो सही। लेकिन भारत सरकार पर तो आप जब जोर लगाओगे, जब आपकी नीतियों के कारण आपकी भारत सरकार में चलती होगी।

श्रीमती तारा भण्डारी : सब करेंगे।

श्री नत्थीसिंह : वह तो चलती हो गई और अब आप चलने वाले हो। नम्बर ही नहीं है आपका। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं....

श्री महावीर प्रसाद जैन : आ जायेंगे।

श्री नत्थीसिंह : लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, वह यह है...(व्यवधान) हमने उस समय यह कहा था कि अगर आप यह चाहते हैं....

श्रीमती तारा भण्डारी : ऐसा है कि चले जायेंगे तो भी पूरे दम के साथ वापस आयेंगे।

श्री नत्थीसिंह : नहीं आओगे आप कतई। हो लिया। यह विदाई समारोह हो गया। अब क्या किया जाये। अब 13 महीने भी नहीं रहे, मुश्किल तो यह है....

श्री लालचन्द डूडी : कुछ एक लोग पहले चले गये, कुछ बाद में चले जायेंगे।

श्री नत्थीसिंह : मैंने सिंचाई के सम्बन्ध में पहले कहा था, अन्तर्राज्जीय विवादों को तय करना चाहते हो, जो चीज आपके हाथ में है, उसमें पहले इस तरह की व्यवस्था करो कि दूसरे राज्य मजबूर हो जायें इस बात के लिए कि वह हमारा हक दें। चम्बल तो हमारे पास है और चम्बल के साथ, मुख्यमंत्री साहब, जिनकी मध्य प्रदेश वालों से पटती है, जो पटवा साहब हैं हमने कहा था चम्बल का पानी यू. पी. वाले ले रहे हैं, राजाखेड़ा से आगे पनिहार तक, सौ

(श्री नत्थी सिंह)

करोड़ की योजना से बांध बना रहे हैं, हमें गंगा-यमुना का पानी नहीं देते, तो हमने कहा था चम्बल के लिए योजना बनाइये, चम्बल पर इस तरह का बांध बनाइये, लिफ्ट इरिगेशन के जरिये, जिससे अलवर, भरतपुर, धौलपुर के साथ-साथ सवाई माधोपुर के इलाके को पानी मिले। इस बजट में एक भी अक्षर इस मामले में नहीं है, और तो और 300 करोड़ की एक योजना चम्बल से पानी देने के लिए धौलपुर, भरतपुर और अलवर के इलाके के लिए भेजी गई थी यहां से, लेकिन उसके बारे में भी एक भी अक्षर नहीं और मैं क्या कहूं आपके निष्क्रिय, नाकारा पने की बात? चार क्यूसैक पानी डीग के लिए यमुना से देने का फैसला हो गया, यहां, के चीफ इंजीनियर के दस्तखत तक भी हो गये, लेकिन इस सरकार ने यह कहा कि यू.पी. जितने पैसे दोगे, तब देंगे। आप उस चार क्यूसैक पानी का फैसला नहीं करा पाये। आप राजस्थान को क्या देना चाहते हैं? अभी यहां बात कह रहे थे, असंतुलन की। हमारे राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, कल हमारी पूर्व ऊर्जा मंत्री महोदया ने कहा कि धौलपुर का तो ताप बिजलीघर नामंजूर हो गया, तो मैं कहता हूं, लोग सोचते थे कि अब की बार तो धौलपुर के पूर्वी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, हमारे साथ न्याय होगा, असंतुलन नहीं रहेगा, लेकिन मैं जानता हूं, हमारे मुख्यमंत्री महोदय तो हर चुनाव के वक्त नया बसेरा, नया नीड़ तलाश करते हैं उसमें वापस नहीं जाते हैं। धौलपुर तो उन्हें जाना नहीं है, इसलिए धौलपुर की व्यथा भी उन्हें क्यों सतायेगी?

श्री कालीचरण सराफ : आप अपनी कांस्टीट्युएंसी छोड़कर बगल वाली में भी जाओ तो जमानत जब्त हो। वे कहीं से भी खड़े होकर जीत सकते हैं।

श्री नत्थीसिंह : आपको यह मालूम होना चाहिए कि मैं चौथी बार यहां आया हूं और दो बार भरतपुर शहर से जीतकर सबकी जमानत जब्त कराके आया हूं। अब के गया हूं कुम्हेर में।

आप कितना ध्यान रखते हो क्षेत्रीय असन्तुलन का? बहुत। हम जब गवर्नमैण्ट में थे तब फैसला हुआ था। तिलहन की बड़ी भारी पैदावार भरतपुर और अलवर में है। एन. डी. बी. बी. की योजना थी कि 40 करोड़ का तेल संयंत्र भरतपुर में लगाया जायेगा। उसके लिए जमीन भी तलाश कर ली गयी थी, लेकिन अब कहा गया कि वहां पर पर्यावरण का सवाल है। कितनी तेल मिलें हैं भरतपुर में देखिये आप जाकर, फिर इसके लिए पर्यावरण का सवाल कहां से आ गया? सुन रहे थे कि भरतपुर से उठकर शायद अलवर जा रहा है। जब इधर का राज था तो भरतपुर की डेयरी उठकर भीलवाड़ा जाती थी और अब भरतपुर का तेल संयंत्र उठकर कोटा जा रहा है। यही आपका क्षेत्रीय विकास का दृष्टिकोण है।

यही नहीं, पर्यटन के मामले में आपने नाम गिनाये हैं कि उनका विकास करेंगे।

मैं कह रहा हूं आपाधापी की बात। यह ठीक है कि आपको कालेज मिल गया,

(श्री नत्थी सिंह)

मैं खुश हुआ। यह ठीक है कि तीन जिलों की घोषणा हो गयी, लेकिन क्रियान्वित करने को आप नहीं होंगे, मजबूरी है। चलो घोषणा तो कर दी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस तेल संयंत्र को भी उठकर कोटा में ही ले जाओगे तभी तरक्की होगी आपकी, उससे पहले नहीं ?

मैं कहना चाहता हूं कि पर्यटन के मामले में आज सारी दुनिया के मानचित्र पर घना की बर्ड सैंक्चुरी है, पर्यटक वहां आते हैं। लेकिन हम उससे बड़े पीड़ित हैं, हमारे यहां कोई इण्डस्ट्री नहीं लगती, पर्यावरण का मामला है। लेकिन जब पर्यटन विकास की बात आती है तब भी और जिलों के नाम तो आते हैं पर भरतपुर का नाम देने में पुष्पा जी को या भैरोंसिंह जी को, पता नहीं किसको ज्यादा अरुचि हो गयी है। नाम न वहां का है, न डीग का है, न कुम्हेर का है न वैर का है, न कामां का है, कहीं का नाम नहीं है। उसको भी छोड़ दिया। और तो और, अभी चतुर्वेदी जी नहीं हैं, बड़ी गोवर्धन की परिक्रमा करने जाते हैं, बड़े हमारे वृन्दावन के मन्दिरों के दर्शन करने जाते हैं, बृज संस्कृति से बड़ा प्रेम है। बहुत से लोग कहते हैं कि बृज राजस्थान का अंग नहीं, लेकिन सभापति महोदय, बृजवासी भी राजस्थान के अंग हैं, बृज की संस्कृति भी राजस्थान की संस्कृतियों में आती हैं। एक बृज महोत्सव होता था भरतपुर में। पिछली सरकार रही कांग्रेस की, उन्होंने भी दिया और उससे पिछली सरकार ने भी दिया, लेकिन अबकी बार की यह सरकार ऐसी बढ़िया सरकार थी कि इसने बृज महोत्सव को एक नया पैसा नहीं दिया जायेगा, यह फैसला किया। यह कला और संस्कृति चलाना चाहते हो आप ?

एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं, जैसा मैंने पहले कहा, कि हम जनता को प्रशासन में, हमारे शासन में इन्वाल्व करना चाहते हैं, यह वायदा था हमारा, कि लोकतन्त्र को मजबूत करना चाहते हैं। अभी हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने कहा कि पंचायती राज को कैसे सुदृढ़ बनाया जाय बहुत सोचा गया, लेकिन इस बारे में हुआ कुछ नहीं। आज पंचायती राज लूला लंगड़ा है। हमारे सहकारिता मंत्रीजी मुझे तो इस बात की खुशी थी की सहकारी क्षेत्र में हमारे साथ रहे हैं, जानते हैं।

श्री चतुर्भुज वर्मा : मैं घोटालों में नहीं रहा।

श्री नत्थी सिंह : आप घोटालों के शिरोमणि हो सकते हैं, लेकिन मैं चुनौती देता हूं, कोई भी मेरे खिलाफ एक नये पैसे का घोटाला साबित कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले सकता हूं। मेरा दावा है यह, इस तरह की बातें करने वाले लोग, चाहे वे मंत्री हों, उनको चुनौती है मेरी आज। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपकी सहकारिता में आस्था नहीं है, केवल राजनीति के लिए सहकारिता की बात करते हो। सहकारिता में जनतन्त्र रहना चाहिए, सहकारिता लोकतंत्र के आधार पर रहनी चाहिए, सहकारिता में लोकतन्त्र का विलोप नहीं होना चाहिए इसलिए उसके चुनाव हों। पहले 1976

(श्री नत्थी सिंह)

में कांग्रेस की सरकार ने सबको सुपरसीड कर दिया और सुपरसीड करने के बाद आज की तारीख तक, 1977 में जनता पार्टी की सरकार रही, उसके बाद आपकी सरकार आयी, शीर्ष सहकारी संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए। अब जब चुनाव की बात आयी, जब चुनाव हुए छोटी संस्थाओं के तो हम कह रहे थे कि निश्चित रूप से भूमि विकास बैंक और सहकारी बैंकों, ऊपर की बैंकों के चुनाव कराये जायेंगे। लेकिन एक न एक गली निकाली जी रही है। जब यह आर्डिनेंस बना था तब भी मैंने कहा था कि कोई न कोई जरिया निकालोगे, चुनावों को हटाओगे। प्राथमिकता सेवा सहकारी समितियों के चुनाव हो रहे थे तब कार्यक्रम चला गया इनके विभाग से कि भूमि विकास बैंकों के चुनाव का कार्यक्रम बनाया जाय। दूसरी चिट्ठी गयी कि नहीं, चुनाव की कार्यवाही बन्द कर दी जाय। अब क्या कह रहे है? अब ये कह रहे हैं कि हम अब यह सोच रहे हैं कि भूमि विकास बैंकों को भी खत्म किया जाय, सहकारी बैंकों को भी खत्म किया जाय। इसकी जगह शाखाएं बना दी जायं, एक ऊपर रखा जाय। ये क्या करना चाहते हैं? लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण में जो विश्वास व्यक्त किया गया था उसको समाप्त करना चाहते हो? जब लोकतन्त्र नीचे तक नहीं होगा, गांव वालों को उसमें अधिकार नहीं होगा तब उस लोकतन्त्र का विनाश करना चाहते हो, तब इस देश में लोकतन्त्र नहीं रहा सकता। सभापति महोदय, मैं समझ सकता हूं, बी. जे. पी. की यह धारणा रही है, यह प्रचार रहा है कि हिन्दुस्तान में जो हमारा फैडरल सिस्टम है, संघीय सिस्टम, उसको हटाकर एकात्म, यूनिटरी सिस्टम आना चहिए। वह तो जब की बात है, लेकिन आप तो गांव के स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्र में अभी ही यूनिटरी सिस्टम लागू कर देना चाहते हो, यह निश्चित रूप से लोकतन्त्र के प्रति आपके निश्चय के अभाव का द्योतक है।

इसके साथ-साथ मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं। बहुत कहा गया है, "अपना गांव अपना काम।" बहुत अच्छा है "अपना गांव अपना काम," लेकिन आप भी जानते होंगे, सभापति महोदय, कि जवाहर रोजगार योजना के अलावा, जिसकी पूरी राशि पंचायत को मिलती है, पंचायत पूरा पैसा खर्च करने की अधिकारी है, कोई और भी रकम दी है क्या आपने "अपना गांव अपना काम" में? जितना धन "अपना गांव अपना काम" योजना में जायेगा उतना ही जवाहर रोजगार योजना में से रकम कम कर दी जायेगी उस इलाके की। यह है योजना। अभी वे चले गये, कह रहे थे कि हमने कर दिया है। खरंजा के लिए बन्द कर दिया, स्कूल की चारदीवारी नहीं बना सकते। आर्डर चले गये कि नहीं बनाने हैं, विकास के काम करने नहीं दें। वे कह रहे थे कि हमने कह दिया है कि किसान श्रम दे। नहीं गये आज तक आपके आदेश, कोई आदेश नहीं हैं श्रम के, बस नकद जमा करा दे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जिस तरह के लुभावने नारों से जनता को केवल भ्रमित करना चाहते हो उससे भ्रम नहीं होगा।

बहुत बढ़िया बात की है आपने, हमारी मांग भी रही थी। हमारी मांग थी कि

(श्री नत्थी सिंह)

बारानी लगान माफ किया जाय। बारानी लगान माफ किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन यह तो बताओ, बारानी लगान का कहा आपने कि अगली खरीफ (व्यवधान)

कह तो रहा हूं हमारा था लेकिन अगली खरीफ तक कौन क्रियान्वित करेगा, यह तो बताओ।

श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित : आप रेवेन्यू मिनिस्टर रहे, आप उस समय माफ कर देते सन् 1947 से।

श्री नत्थी सिंह : मैं कह तो रहा हूं कि अच्छा काम किया है बारानी का, लेकिन आप क्रियान्वित नहीं कर पाओगे।

इसके साथ-साथ दूसरी बात है कि इस बजट में गुड़िया पर, काजल पर, टीकी पर, कहां कहां कर माफ किया गया है। कहा गया कि किसानों, गरीबों के पक्ष में भैरोंसिंह जी ने बजट में भारी कदम उठाया है। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां शराब के व्यापारियों का जब जिक्र कर दिया तो बड़े नाराज हुए, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कानून मंत्री महोदय, आप सेल्स टैक्स में भी अमैण्डमैण्ट लाये हैं। वह आयेगा अमैण्टमैण्ट तब कहूंगा, लेकिन अभी बारानी लकान के रूप में राजस्थान में चार करोड़ का लाभ किसानों को आप बताते हैं। सिक यूनिट्स को सुविधाएं देने का जो प्रावधान आप करने जा रहे हैं सैक्शन (11) में, उसके अन्तर्गत क्या चाहते हैं, उसका आपने कोई प्रोविजन नहीं रखा। सिक यूनिट्स जो फर्जी बनती हैं, बदल लेते है एक दूसरे को, मेरे पास कागज हैं। जयपुर की ही एक डालडा वनस्पती की यूनिट, अकेली वह एक करोड़ का एक बार और, तीन करोड़ एक बार, चार करोड़ का फायदा अकेले उठाना चाहती है। आपने क्या प्रावधान रखा है ऐसी जो सिक यूनिट्स जिन्होंने अपने आपको फर्जी सिक घोषित किया हुआ है, जिन पर पैनल्टी बांध दी गयी है, उनको भी अब फायदा देना चाहते हो। पूरे राजस्थान के 80 प्रतिशत किसानों को चार करोड़ और राजस्थान के एक व्यापारी को चार करोड़ देना चाहते हो, किसका बजट है यह ?

श्री शान्तिलाल चपलोत : 225 करोड़ सिंचाई का भी उनके लिए है।

श्री नत्थी सिंह : उनके लिए है यह, उनको फायदा देना चाहते हो अब। तस्लीम करते हो कि उनको फायदा देना चाहते हो, तो बहुत बड़ी बात है। आप ऐसे लोगों को, ऐसे व्यापारियों को जिन्होंने गड़बड़ियां की, फायदा देना चाहते हो। मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी हालत में इसे आप किसानों और गरीबों का विकासोन्मुखी बजट नहीं कह सकते। आप तो निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना चाहते हो। अभी कह रहे थे कि रोडवेज जहां जाती है वहां 50 किलोमीटर निजी क्षेत्र की बसों को देने का विचार है। निजी क्षेत्र के प्रति आपके मोह को मैं जानता हूं। लेकिन यह तो आपका वायदा नहीं था निजीकरण करने का। और आज मुझे इसलिये शक होता है कि आपने इस बजट में कहा है कि नैतिक शिक्षा भी देंगे। नैतिक शिक्षा में क्या करना चाहते हैं यह तो बता

(श्री नत्थी सिंह)

दो । नैतिकता तो आपने दिखा दी है धर्म-निरपेक्षता का नाम लेकर जो नैतिकता यहां दिखाई, जिसके लिए रोज कहते हैं कि ज्यूडिशियल इन्क्वायरी करवाओ, वह नहीं करवा पा रहे हो । वही कोई नैतिकता के नाम पर गड़बड़-सड़बड़ करना चाहते हैं । आपकी योजना मालूम है, मुझे बड़ी खतरनाक लगती है । इस लिये जरासोचिये क्या धर्म करके शिक्षा देंगे, उसकी शिक्षा देंगे ? हम तो मुक्तभोगी हैं, बहुत रहे हैं आपके साथ में और यह भी जानते हैं कि आप किस तरह से काम करते हैं, वह सब जानते हैं ।

इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि सामजिक न्याय आप दे नहीं पाये, किसान और गरीब के साथ किये गये वायदे आप निभा नहीं पाये और बजट के द्वारा जो कुछ किया जा रहा है पर्दे के पीछे से, बड़े लोगों पर आपने टैक्स नहीं लगाया, आप बड़े लोगों को फायदा देने के लिये और छोटे लोगों को केवल हरा-भरा राजस्थान बनाने के नाम पर हरा-भरा चारा डाल रहे हैं गरीब को कुछ नहीं दे रहे हैं । यह बजट हताशा का, निराशा का और गतिहीनता का बजट है जिसका विरोध करने के लिए मैं मजबूर हूं । धन्यवाद ।

श्री सभापति : माननीय श्री लक्ष्मी-नारायण दवे । (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के दो सदस्य बोल चुके हैं और कल भी इस तरह से विवाद हुआ था....

श्री सभापति : अब इसके बाद आपको लेंगे ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस तरह से करेंगे तो बहुत ही....

श्री सभापति : इसके बाद में आपका लेंगे ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कल भी कांग्रेस के लोगों को कम बुलवाया.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री लक्ष्मी-नारायण दवे ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय सभापति महोदय, कौटिल्य ने राजा का वर्णन किया है "प्रजा के सुख में उसका सुख है और उसके कल्याण में उसका कल्याण है, वह उसे अच्छा नहीं समझेगा जिससे उसे प्रसन्नता हो, परन्तु जिससे उसकी प्रजा प्रसन्न हो उसे वह अच्छा मानेगा ।"

माननीय सभापति महोदय, बजट राज्य सरकार के दर्शन, लक्ष्यों और उद्देश्यों की और जनता की आशा और आकांक्षाओं का प्रतिक है और उसको मूर्तरूप देने का कारण है । विकास के लाभ का वितरण इस प्रकार से होना चाहिये ।

श्री रतनाराम चौधरी : आज श्री भैरों सिंहजी राजा महाराजा नहीं हैं ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : विकास के लाभ का इस प्रकार से वितरण हो कि समाज के कमजोर और गरीब लोगों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो । माननीय

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने वित्त मंत्रीजी की हैसियत से जो राजस्थान विधान सभा के अन्दर 1991-92 का बजट पेश किया है वह एक ऐतिहासिक बजट है। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया है बावजूद विकास के। नये आयाम शुरू करने की मुख्य मंत्रीजी की प्रतिबद्धता को स्पष्ट झलक प्राप्त होती है।

पूरे राजस्थान और मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता इस बजट का हार्दिक रूप से स्वागत करती है। विपक्ष के लोग इस बजट की आलोचना करते हैं, उसके ऊपर टीका–टिप्पणी करते हैं, परन्तु विपक्ष के लोगों ने कोई उपयोग सुझाव नहीं दिये हैं। 40 साल तक कांग्रेस के शासन में, यह जो विपक्ष के सदस्य सत्ता में थे, जिनके 40 साल का सत्ता का अनुभव था, उनसे हम ऐसे उपयोगी सुझावों की अपेक्षा करते थे जो राज्य के लिये हितकारी हो, आर्थिक स्थिति मजबूत हो और राज्य और प्रगति के रास्ते पर अग्रसर हो।

माननीय सभापति महोदय, जिस वक्त माननीय मुख्य मंत्रीजी विपक्ष में बैठा करते थे, उस वक्त उन्होंने राज्य के विकासके लिये और विपक्ष के लिए ऐसे कई उपयोगी सुझाव दिये थे, उन सुझावों को अगर विपक्ष के सदस्य देखते और पढ़ते तो यह बात नहीं होती, कौन से सुझाव राज्य के विकास के बारे में हमें देने हैं। विपक्ष में बैठकर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो विकास के सुझाव दिये थे विधान सभा के रेकार्ड से यदि उनको देखते, पढ़ते और राजस्थान विधान सभा के अन्दर विकास से सम्बन्धित बात प्रस्तुत करते (व्यवधान)

बजट को महज चुनावी बजट कहकर और मीन-मेख निकाल कर राज्य की जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, 40 साल तक जिस कांग्रेस के गलत प्रयासों के कारण गलत नीतियों के कारण आज जो महंगाई बढ़ी है और राजस्थान के अन्दर गरीब, अनुसूचित जाति के व्यक्ति, आम उपभोक्ता और आम जनता जो पीड़ित है, वह उसकी देन है, कांग्रेस शासन के 40 सालों के कार्यकलापों की पद्धति है।

माननीय सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि 1991–92 के बजट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 62 प्रतिशत राशि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की योजनाओं के लिये रखी है, उसका क्या आप विरोध करना चाहते हैं? क्या विपक्ष के माननीय सदस्य कोटा में जो कालेज खुला है उसका विरोध करना चाहते हैं? मैं माननीय विपक्ष के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान के अन्दर तीन नये जिले खुले हैं उसका विरोध करना चाहते हैं, राजस्थान के अन्दर 5 नये कालेज खोलने की जो राजस्थान सरकार ने घोषणा की है उस घोषणा का विरोध करना चाहते हैं? किस प्रकार का विरोध करना चाहते हैं? माननीय सभापति महोदय, क्या साढ़े तीन लाख लोगों को विभिन्न योजनाओं के तहत रोजगार दिलाने की घोषणा उचित नहीं थी, क्या अनुसूचित जाति और जन जातियों के व्यक्तियों के कल्याण के लिये जो इस बजट के अन्दर प्रावधान रखा गया है, जो योजना रखी गई है, क्या वह उचित नहीं है? क्या बिजली परियोजनायें केन्द्र से मंजूर करवाने में हमारे नेताओं के प्रयास नहीं किया? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

करों में छूट, देकर कोई नया कर नहीं लगाकर, क्या किसी प्रकार का गुनाह किया है, अपराध किया है ?

माननीय सभापति महोदय, 1991-92 के अन्दर हमने प्रदेश की जनता के साथ वायदे किये थे कि काश्तकारों से बारानी जमीन की बिगौड़ी माफ करेंगे। और आज वही विपक्षी सदस्य इस बजट के अन्दर बारानी भूमि की बिगौड़ी माफ करने के लिये सराहना नहीं कर रहे है। मैं इन विपक्षी सदस्यों की भर्त्सना करता हूं (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, खालों की कीमतों की वसूली नहीं करने का जो हमने वायदा किया था कि हम खालों को कीमत वसूल नहीं करेंगे फिर किस आधार पर विपक्षी सदस्य बजट को चुनावी बजट बताते है ? वास्तव में शेखावत साहब ने उन वायदों को पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास किया है जो हमारी पार्टी के घोषणा-पत्र के अन्दर थे। वायदा करके भूल जाना कांग्रेस की संस्कृति रही है, उसकी परिपाटी रही है। और चुनाव की आज हमारे राज्य में ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि राज्य में जनादेश के आधार पर बहुमत वाली सरकार काम कर रही है। वास्तव में मुख्य मंत्रीजी ने बजट में विपक्ष के कहने के लिये कुछ छोड़ा ही नहीं है इस कारण बौखलाहट में वह आरोप लगाने के लिये उतर आये हैं। राज्य व जनता के हितों के ऊपर कांग्रेस ने पिछले 40 वर्षों से कुठाराघात किया है। चाहे अन्तर्राज्यीय बिजली परियोजनाओं में राज्य के हिस्से का सवाल हो, चाहे अन्तर्राज्यीय नदियों के जल के बंटवारे का प्रश्न हो, चाहे केन्द्रीय आर्थिक सहायता का प्रश्न हो, माननीय मुख्य मंत्री, श्री भैरोंसिंह शेखावत ने राज्य के हितों की रक्षा के लिये वास्तव में समूचे देश की अगुवाई की है। श्री शेखावत साहब के प्रयासों से राजस्थान, मध्य-प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की ओर से हाल ही में प्रधान मंत्रीजी को सामूहिक ज्ञापन दिया गया है जिससे अन्य राज्यों के हित भी खुलेंगे और राज्यों के आर्थिक हितों पर केन्द्र द्वारा किये जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ अन्य राज्य भी आवाज उठायेंगे, आवाज उठाने में समर्थ होंगे। श्री शेखावत साहब का प्रयास राज्य के लोगों पर कर भार डालने का नहीं रहता है, उनका प्रयास रहता है कि राज्य के विकास के लिये अधिक से अधिक केन्द्रीय सहायता जुटाई जाय और राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता ली जाय। करीब एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की योजनाएँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भेजी गई हैं जिनमें से अधिकांश योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं।

वार्षिक योजना के आकार में 22 प्रतिशत की वृद्धि ऐतिहासिक वृद्धि है, 1156 करोड़ रुपए की योजना का आकार 1991-92 के लिये बनाया गया है माननीय श्री शेखावत साहब ने गाडगिल फार्मूले में, जिसमें पिछले 25 वर्षों से राजस्थान जैसे पिछड़े राज्य के साथ विकास के लिये आर्थिक संसाधनों की उपलब्धि में अन्याय हुआ है पूर्व कांग्रेसी मुख्य मंत्री इस फार्मूले में संशोधन करवा पाने में विफल रहे, पर श्री शेखावत साहब के प्रयासों से ही गाडगिल फार्मूले में संशो-

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

धन कर राष्ट्रीय विकास परिषद् में आम सहमति से निर्णय हुआ है। इस संशोधन के कारण, राजस्थान को स्वीकृति वाले राज्यों के विकास सम्बन्धी समस्यायें दूर करने के लिये 15 प्रतिशत सहायता अधिक मिल सकेगी जो पूर्व में 10 प्रतिशत थी। नवें वित्त आयोग से अधिक राशि मिलने की बात हमारे कांग्रेसी बहुत समय से कह रहे हैं। मैं विपक्ष के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि वे अपने दिल पर हाथ रख-कर देखें कि आयोग से अधिक राशि प्राप्त करना तत्कालीन मुख्यमन्त्रियों के बूते की बात थी? उस समय विपक्ष के नेता के रूप में श्री भैरोंसिंह जी शेखावत ने वित्त आयोग के समक्ष राज्य के हितों की जोरदार पैरवी की थी जिसे आयोग के अध्यक्ष साल्वे जी ने भी श्री शेखावत साहब की सराहना की थी। शेखावत साहब के प्रयासों से ही राज्य को आयोग से अधिक राशि मिली है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : कांग्रेस शासन में यह होता रहा है कि बजट की अधिकांश राशि के वर्ष के अन्तिम समय में कार्य प्रारम्भ होते थे। अब के मुख्य मन्त्री जी ने इस प्रकार की व्यवस्था की कि निर्णायक कमेटी की मीटिंग पूर्व में कर दी गई और बजट के पारित होने के तत्काल पश्चात् अप्रेल माह के अन्दर अलग-अलग विभाग के कार्य प्रारम्भ कर दिए जाएंगे।

सभापति महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र सोजत के बारे में कहना चाहता हूं। सोजत चालीस हजार की आबादी का क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अन्दर अनेक सीनियर हायर सैकेण्ड्री स्कूल हैं। सोजत सिटी, सोजत रोड, बगड़ी, घंटालियां, मारवाड़ जंक्शन और अन्य सीनियर हायर सैकेण्ड्री स्कूल हैं जहां से प्रति वर्ष एक हजार विद्यार्थी पाली और ब्यावर के लिए जाते हैं। उन गरीब विद्यार्थियों को आने जाने में भयंकर असुविधा होती है। पाली एक औद्योगिक नगरी है, वहां पर आवासीय समस्या है। वहां पर गरीब और अनुसूचित जाति व्यक्ति ठहर नहीं सकते। मैं राज्य सरकार से अपेक्षा रखता हूं और मांग करता हूं कि पांच कालेज जो राजस्थान में 1991-92 के अन्दर राज्य सरकार ने खोलने की घोषणा की है उसमें सोजत को प्राथमिकता दी जाए, यह मेरी मांग है।

राज्य सरकार ने 1990-92 के बजट के अन्दर जो तिलहन संघ की घोषणा की है उस संघ के बारे में भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

मेरे सोजत विधान सभा क्षेत्र से प्रति वर्ष 14 करोड़ रुपए की मेंहदी अन्य प्रदेशों और विदेशों को एक्सपोर्ट होती है। इस-लिए मैं कृषि मन्त्री जी से और राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मेंहदी की उचित कीमत के लिए काश्तकारों के लिए तिलहन संघ की तरह मेंहदी संघ की घोषणा की जाए ताकि हमारे काश्तकारों को फायदा हो सके।

काफी अर्से से पाली जिले के नागरिक रोडवेज के डिपो की मांग करते रहे हैं क्योंकि हमें ब्यावार और जोधपुर के ऊपर

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

डिपेन्ड करना पड़ता था। हमारे छोटे-छोटे गांव हैं। डिपो के लोग जो ब्यावर और जोधपुर वाले हैं गाड़ियां छोटे-छोटे गांवों में रोकते नहीं हैं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार 1990-92 के अन्दर पाली में डिपो खोलेगी।

अब मैं "अपना गांव, अपना काम" की योजना के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि इस योजना के तहत पूर्व में 20 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था और अब की बार बजट के अन्दर 50 करोड़ का प्रावधान रखा है। गांव के अन्दर औषधालय खुलेंगे, गांव के अन्दर प्राइमरी स्कूल खुलेंगे, गांव के अन्दर सड़कें बनेंगी जे. आर. वाई. के तहत। राजस्थान सरकार ने जो बजट दिया है, जो सरपंचों को दस हजार तक के काम कराने का अधिकार था, 1991-92 के बजट के अन्दर राज्य सरकार ने सरपंचों को दस हजार के कच्चे काम और पचास हजार तक पक्के काम करने का अधिकार दिया है। जो एक स्वागत योग्य कदम है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम का अधिकार सरपंच को दिया गया है और उपयोगिता प्रमाण पत्र भी सरपंच को देने का जो अधिकार दिया गया है यह भी स्वागत योग्य है।

सभापति महोदय, सोजत एक ऐतिहासिक नगरी रही है, कई स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी रहे हैं जिसके कारण हमारा राष्ट्र आजाद हुआ है, उन्होंने अपनी अहम भूमिका अदा की है। सोजत पुरानी ज्युडिशियल सुपरिटेंडमी रही है और 1987-88 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोजत सिटी के अन्दर ए. डी. जे. कोर्ट खोलने के लिए सिफारिश की थी। मैं माननीय विधि मन्त्री जी से और राजस्थान सरकार से मांग करूंगा कि 1991-92 के अन्दर राजस्थान सरकार ए. डी. जे. कोर्ट सोजत के अन्दर खोलेंगी। ऐसी मैं उनसे अपेक्षा रखता हूं। क्योंकि सेन्दड़ा, रायपुर, जैतारण और दूर दराज के लोग, जो अपने काम के लिए पाली आते हैं, उनको दूसरे दिन वहां जाना पड़ता है। मैं अपेक्षा करता हूं कि कानून मन्त्री जी और राजस्थान सरकार सोजत में एक ए. डी. जे. कोर्ट खोलेगी।

आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : सभापति महोदय, यह बजट गरीब विरोधी किसान विरोधी और मजदूर विरोधी बजट है। इस बजट में अभी सोजत से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनको (व्यवधान) एक वर्ष इस वर्तमान सरकार को काम करते हुए हो गया। इसका यदि लेखा जोखा देखा जाए तो वास्तव में पिछले एक वर्ष में इस सरकार ने केवल सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें जुटाई हैं। राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है, उसमें एक भी नया स्कूल इन्होंने गत वर्ष नहीं खोला, एक नया अस्पताल नहीं खोला, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोला।

श्री हरिकुमार औदिच्य : कल्ला जी, दस दस-जमा दो खोले हैं महिलाओं के ...

श्री बुलाकी दास कल्ला : कांग्रेस ने 662 सीनियर हायर सैकेण्ड्री 10+2 को खोली थी....

श्री हरिकुमार औदिच्य : 267 स्कूलें ऐसी खोली थी जिनकी फाइनेन्शियल सेंक्शन नहीं थी।

श्री बुलाकी दास कल्ला : किसने कह दिया फाइनेन्शियल सेंक्शन नहीं थी ? सब की फाइनेन्शियल सेंक्शन थी।

श्री हीरासिंह चौहान : जब चुनाव आ रहे थे, तब खोली थी। चार साल तक नहीं खोली थी। लोगों को प्रभावित करने के लिए खोली थी फिर भी लोगों ने आपको कुछ नहीं दिया।

एक माननीय सदस्य : चुनाव आ रहे हैं आप भी प्रभावित करो ना, आप दो हजार स्कूल खोलो।

श्री हीरासिंह चौहान : अभी तो बहस चल रही है, अन्तिम दिन आने दो, हम भी चमत्कार करेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैंने शुरू ही नहीं किया है। मैं जो बातें बोलने वाला हूं वह बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे आप। सभापति महोदय, एक प्राथमिक शाला पूरे राज्य में जो सरकार नहीं खोल सकी वह क्या ढपोलशंखी योजनाएं लेकर, आंकड़ेबाजी करके राज्य की जनता को न्याय देगी ? गत वर्ष में 6 महीने से ज्यादा स्कूल कालेज बन्द रहे। मंहगाई इस कदर बढ़ी है कि आम व्यक्ति इस मंहगाई की मार से पीड़ित है। गुड़ चीनी से मंहगा बिक गया, तेल की कीमतें दुगुनी हो गई। और तो और, जो किसान प्याज और गेंहू के आटे की रोटी खाकर अपना जीवन बसर करता है उस प्याज के भाव भी दुगुने कर दिए।

किसानों को समय पर डीजल और पैट्रोल नहीं मिला वह समय पर अपनी फसलों को बो नहीं सके और इस सरकार ने केवल मात्र ज्ञापन देने का काम किया है। कभी तो उर्जा मन्त्री को ज्ञापन दे दिया, कभी प्लानिंग कमीशन को ज्ञापन दे दिया, कभी हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार ने मिलकर के ज्ञापन दे दिए। ज्ञापन देने का काम पिछले वर्षों में इस राजस्थान की सरकार ने किया है। मैं आगे बताऊंगा कि ज्ञापन देने वाले प्रदेश के साथ जो राजस्थान ने अन्तर्राज्यीय समझौते किए थे उसके बारे में राजस्थान के हितों को गिरवी रख दिया इस वर्तमान सरकार ने।

इस एक वर्ष की अवधि में हमारे राजस्थान में चार विश्वविद्यालयों में...

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : कल्ला जी ने कहा पिछले वर्षों....

श्री सभापति : जो भी बात कही है वह रिकार्ड हो गई।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आपने जो गिरवी रखा था उसको छुड़ा रहे हैं हम।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 8 महीने से राजस्थान के चार विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद रिक्त हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। जब देखो दिल्ली जा रहे हैं। जब हमारे मुख्य मंत्री जी दिल्ली जाते थे सरकारी काम से तो बड़ा XXX करते थे लेकिन इनके पूरे

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

कार्यकाल को उठाकर के देखें....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : पहाड़िया जी ने अब तक मकान नहीं छोड़ा दिल्ली का ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक एक दिन में दो दो बार दिल्ली गए हैं और कुर्सी बचाने में लगे हैं ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : पुराने भाषण पढ़ कर आयें हो आप ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय सदस्य जो भा. ज. पा. से आते हैं उन्होंने कहा कि वार्षिक योजना में 22 प्रतिशत वृद्धि कर ली है-कीमतें कितनी बढ़ गयी सभापति महोदय, लगभग 50 प्रतिशत से ज्यादा कीमतें बढ़ गयी । आपके जो भौतिक लक्ष्य है, वित्तीय लक्ष्य हैं, क्या उनको प्राप्त कर सकेगें और पिछले वर्ष की योजना का क्या हश्र हुआ ? मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता लेकिन कुछ बात कहना चाहता हूं । अभी जनतादल के माननीय सदस्य, जो भरतपुर से आते हैं, वह बोल रहे थे । वास्तव में इस सरकार ने जनवरी, 1991 की ऐसी अनेक योजनायें, जो ग्रामीण विकास से सम्बन्धित हैं, जवाहर रोजगार योजना जिसका मैं खास तौर से उल्लेख करना चाहूंगा, उसका 35 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा उपयोग में ही नहीं लिया । केवल फरवरी और मार्च के महीने में चैक देगें और उपयोग में बतायेंगे कि पूरा पैसा उपयोग में ले लिया है । ऐसी अनेक योजनायें दिखाई जा सकती है, एक मीठालालजी मेहता आई. ए. एस. ऑफिसर हैं, जो मीठी योजनायें बनाते हैं । गोपाल योजना, "अपना गांव अपना काम" योजना और योजनायें, वही कांग्रेस की है । जवाहर रोजगार योजना का कुछ पैसा "अपना गांव अपना काम" योजना में खर्च कर देंगे । और "अपना गांव अपना काम" योजना क्या है ? तीस प्रतिशत राशि प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को अपने आप इकट्ठी करनी होगी । सभापति महोदय राजस्थान में 34 हजार के करीब गांव हैं और यह गांव अकाल, अभाव, और प्राकृतिक आपदाओं से हमेशा पीड़ित रहते हैं । उन ग्रामीणजनों से 30 प्रतिशत राशि इकट्ठी करना पूर्वी राजस्थान में तो क्या, पश्चिमी राजस्थान में और राजस्थान के अधिकांश पूर्वी क्षेत्र के हिस्सों में भी 30 प्रतिशत राशि इकट्ठी नहीं हो सकती । इसके लिए एक कहावत है "न नो मण तेल होगा न राधा नाचेगी" । तो यह "अपना गांव अपना काम"....(व्यवधान)

फिर 34 हजार गांवों में 10 लाख रुपये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं । क्या करेंगे आप राजस्थान का विकास ? कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में एक वर्ष में सात सौ करोड़ से अधिक अकाल पीड़ित क्षेत्र में खर्च करके गांवों का विकास किया था । "अपना गांव अपना काम" में 10 लाख खर्चा कर रहे हैं....

श्री सभापति : कृपया शान्त रहिये । (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, अनुशासनहीनता के बारे में आप टोकिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, डिस्टर्ब कर रहे हैं । आप

(श्री रामस्वरूप मीणा)

इनको कुछ भी नहीं कह रहे हैं, आप चुप होकर बैठे हैं। ऐसे काम थोड़े ही चलेगा।

श्री सभापति : बैठ जाइये आप बैठ जाइयें ना, आप क्यों बोल रहे हैं?

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरा पाइन्ट आफ़ आर्डर है, सभापति महोदय। हमें आपका संरक्षण चाहते हैं। मेरा निवेदन सुन लीजिए आप। केबिनेट मंत्रियों की सीट पर माननीय भंवरलालजी ने एक माननीय विधायक को बैठा रखा है। और इनको उत्तेजित कर रहे हैं आप रोकिये। व्यवस्था क्यों नहीं देते।

श्री सभापति : बिराजिये। माननीय कल्लाजी।

कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : ये तो आपको उत्तेजित कर रहे है, आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य, असत्य बोलना मना हैं और सीमा तो रखिये आप। क्या देखा आपने? उन्होंने जो वस्तुस्थिति की जानकारी दी है, उससे आप उत्तेजित हो रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय कल्लाजी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, इस सरकार ने, नवें वित्त आयोग से जो अतिरिक्त राशि राजस्थान प्रदेश को मिली, इसको छुपा कर बहुत बड़ा अपराध किया है। इसी तरीके से इस सरकार के वक्त में हमारे सीमावर्ती जिलों में, खास तौर से बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर क्षेत्र में बॉर्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत सड़कें बनाने का काम, शिक्षा से सम्बन्धित काम, स्वास्थ्य से सम्बन्धित सुविधाओं का काम होता था और इसके लिए प्रति वर्ष राज्य सरकार को लगभग 20 से 35 करोड़ की राशि मिला करती थी। यह बॉर्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम को केन्द्रिय सरकार ने बन्द कर दिया और राज्य सरकार ने इसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की। आज सीमावर्ती क्षेत्रों में जो हमारे यहां सड़कों का विकास हो रहा था, बाड़मेर में जो पोलोटेकनिक कॉलेज खुला, अनुपगढ़ में और हमारे लूणकरणसर में आई. टी. आई. खाजुवाला में खोलने की घोषणा कर दी गयी, वह भी प्रोग्राम के बन्द होने के कारण से शुरू नहीं हो पायी। इस सरकार ने राजस्थान के हितों की अनदेखी की है और जो योजनाओं का लाभ केन्द्रीय सरकार के माध्यम से मिल रहा था उसको जारी रखने में यह असफल रही है।

इसी तरह से राजस्थान में डीजल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं रही, इसके बावजूद बीकानेर और अन्य क्षेत्रों में डीजल और पेट्रोल की राशनिंग की गयी। पूरे राजस्थान में लाइनें लगी हुई थीं। डीजल और पेट्रोल की सप्लाई, केन्द्रीय सरकार ने पूर्ति में कोई कमी नहीं की, इसके बावजूद उन्होंने ब्लेक में बिकवाया, इनका सहयोग रहा। इसी तरीके से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, सभापति महोदय, मैं

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

आरोप लगाना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासन के वक्त में 50 हजार हैक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता अर्जित करने का लक्ष्य रखा था। इस बजट में केवल मात्र 36 हजार हैक्टेयर भूमि में सिंचाई करने की बात कही गयी है। मैं आपको, इन्हीं के द्वारा आज एक प्रश्न के उत्तर में जो आंकड़े दिये गये हैं, वह पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। इन्दिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण के निर्माण के लिए और प्रथम चरण के कुछ रुके हुये कार्य को बनाने के लिए इनको एक लाख ग्यारह हजार मैट्रिक टन सीमेंट चाहिए थी। उसकी जगह यह फरवरी, 1991 तक केवल 49 हजार मैट्रिक टन यानि आधी सीमेंट की पूर्ति ही कर सके। इन्होंने जो सी. एस. पी. रेट कांट्रक्ट पहले 52 रुपये में किया था अभी 75 रुपये में किया है लेकिन आज भी उनके पास सीमेंट नहीं है। इन्दिरा गांधी नहर, जो राजस्थान के विकास की धमनी है, इस योजना के विकास कार्य को जारी रखने में यह सरकार असफल रही है। मैं इन्हीं के द्वारा आज जो अन्य उत्तर दिया गया उसको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

मिट्टी का कार्य 10,597.06 घन मीटर का रखा गया था। इसके बदले जनवरी 1991 तक 3774.92 घन मीटर मिट्टी ये निकाल पाये हैं। पक्के कार्य 155 पूरे करने थे वह कार्य जनवरी 1991 तक 41 पूरे कर सके हैं। टाइल्स का उत्पादन 595.65 लाख का करना था उसके मुकाबले 145.11 इन्होंने किया है। ई.सी.सी. ब्लॉक का 507 करना था जिसकी जगह 156.29 किया है। इस तरीके से साहवा जलोत्थान योजना, चूरू, इसमें 13 कि. मी. लाईनिंग करनी थी उसके मुकाबले में 2.9 कि. मी. लाइनिंग कर पाये हैं। गजनेर लिफ्ट 4 कि. मी. बनानी थी इसकी जगह ·6 कि. मी. ही लाइनिंग का काम किया है। कोलायत लिफ्ट 5 कि. मी. का लक्ष्य रखा था उसके मुकाबले केवल 1.5 कि.मी. ही निर्माण किया है। फलोदी लिफ्ट के अन्दर 2 कि. मी. का लक्ष्य रखा था लेकिन अभी तक उसकी शुरुआत भी इन्होंने नहीं की है। इस प्रकार 28 कि.मी. लिफ्ट का जो लक्ष्य रखा था उसके मुकाबले 5.18 अर्थात् 1/5 काम भी इन्होंने पूरा नहीं किया है। यह है सरकार के काले कारनामे। सभापति महोदय, जो आय-व्ययक अनुमान 1991-92 दिये गये हैं उसके परिशिष्ट 2 खण्ड 4 में 362 पृष्ठ पर लिफ्ट सिंचाई योजना का बजट में प्रावधान किया गया जिसको मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। उसको सन् 1989-90 में 5 लाख 28 हजार 7 सौ का प्रावधान था उसके मुकाबले इस वर्ष एक करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये राजस्थान को कहां ले जाना चाहते हैं? आप इसे रसातल में पहुंचाना चाहते हैं। आप यही रख देते हैं तो कोई विरोध की बात नहीं होती। यह बजट तो आपका तैयार किया हुआ है। मैं पेज कोट कर रहा हूं और यदि गलत बता रहा हूं तो आप मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन ला सकते हैं। लेकिन पृष्ठ 362 पर जहां कांग्रेस के शासन में 5 करोड़ 28 लाख का प्रावधान था उसके मुकाबले इस वर्ष लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए एक करोड़ का प्रावधान किया है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के किसानों के साथ और किसानों

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

की हिमायती यह सरकार बनती है लेकिन इन्होंने किसानों को धोखा दिया है किसानों के साथ जालसाजी की है, किसानों के साथ फरेब किया है। इसी प्रकार इस बजट में भी हम अवलोकन करके देखें तो विद्युत परियोजना के बारे में केवल मात्र यह बात कि केन्द्र सरकार को हमने यह ज्ञापन दिया, अमुक कांफ्रेंस में मुख्य मंत्री जी ने यह किया, मैंने यह किया । क्या किया ? कांग्रेस के शासन में सन् 1985 से 1990 के बीच में 1100 मेगावाट बिजली का जेनरेशन हुआ था । सभापति महोदय, जिसके ऊपर 1100 करोड़ से अधिक की राशि व्यय हुई थी। लेकिन पिछले एक वर्ष के इनके कार्यकाल को देखकर बताएं इनके मंत्रीगण बताएं कि आपने कितने मेगावाट बिजली पैदा की ? मैं समझता हूं कि 50 मेगावाट बिजली का नया जेनरेशन भी इन्होंने राजस्थान में नहीं किया और इस वर्ष की योजनाओं में भी इनका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। चितौड़ विद्युत परियोजना के बारे में, धौलपुर सूरतगढ़ इन परियोजनाओं के बारे में राजस्थान के लिए क्या मंजूरी लेकर आए ? एक वर्ष में इनकी उपलब्धि बिल्कुल नगण्य रही है। और तो और कोल व पार्वती परियोजना जिसके बारे में सन् 1981 और 1984 में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जो हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ समझौता किया था, उस समझौते की क्रियान्विति भी ये करा नहीं पाए हैं। आज राजस्थान को इस बात का खतरा है कि नाथपा झाखड़ी पावर प्रोजेक्ट कार्पोरेशन जो बना है उसमें सेन्टर सैक्टर में इस परियोजना को लिया जा रहा है लेकिन इसका पर्याप्त विरोध राजस्थान के मुख्य मंत्री जो इन्टर स्टेट्स मामलों के बारे में और अन्तर्राज्यीय विवादों के बारे यहां विपक्ष में जब बैठते थे तो शेखी बघारते थे लेकिन कोल और पार्वती परियोजना और संजय विद्युत परियोजना जिस में किसी में हमारा 50 प्रतिशत शेयर हैं, किसी में अलग प्रतिशत शेयर है उस शेयर को प्राप्त करने में यह सरकार बिल्कुल नाकामयाब रही है। हमें खतरा है कि यह परियोजना सेन्ट्रल सैक्टर में यदि चली जाएगी तो राजस्थान के हितों पर कुठाराघात होगा। केवल मात्र सैन्ट्रल के द्वारा ऊर्जा मंत्रियों की कांफ्रेंस में जा करके विरोध प्रकट कर आए तो मैं समझता हूं इससे तो राजस्थान का कोई हित होने वाला नहीं है। राजस्थान के हित के जो-जो समझौते हुए हैं उन समझौतों के बारे में कांग्रेस ने जो फैसले किए थे उनको भी ये सही तरीके से क्रियान्वित नहीं करा सके हैं।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : क्रियान्वित करने का मामला नहीं है। जो आपने गड़बड़ की जो राजस्थान के विकास के लिए थी वे सारी व्यवस्थाएं तोड़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया जारी रखें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : रावी-व्यास समझौते में 8.6 मिलियन एकड़ फिट पानी को एक समझौते के द्वारा जब यहां पर किया गया तब भी यह बात बोले लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि एक वर्ष में क्या आपने 8.6 मिलियन एकड़ पानी से कहीं

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

ज्यादा राजस्थान को पानी दिलवाया है ? बल्कि मैं यह चार्ज लगाना चाहता हूं कि आनन्दपुर साहिब, रोपड़ थर्मल पावर स्टेशन में जो 134 मेगावाट का है, वह करीब-करीब पूरा हो चुका है, उस मसले को सन् 1988 में नार्थ जोन की जो कांफ्रेंस हुई थी तो राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने और राजस्थान के ऊर्जा मंत्री जी ने इस मामले को उठाया था। उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात थी। उसको वर्तमान सरकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकी है और राजस्थान के हितों की अनदेखी की है जिसकी जिम्मेदार वर्तमान सरकार है। इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहिए।

इसी तरह से थीन डेम और मुकेरियन हाइडल प्रोजेक्ट, यू. बी. डी. सी., शाहपुर काण्डी हाइडल परियोजना इनमें भी राजस्थान की थीन बांध परियोजना में 600 मेगावाट में हमारा 52.6 प्रतिशत हिस्सा है। मुकेरियन हाइडल प्रोजेक्ट में 207 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इसमें भी 58.5 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान का दावा किया गया है लेकिन इन हिस्सों को प्राप्त करने के लिए पिछले एक वर्ष में यह सरकार बिलकुल नाकामयाब रही है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अभी मैंने शुरू ही किया है। 10 मिनट में 7 मिनट। मैं मेरी पार्टी का समय ले रहा हूं। सभापति महोदय, कृपा करके इन्टरप्ट न करें। आप मेरी पार्टी का समय काट लीजिए।

श्री सभापति : आपकी पार्टी ने 6 घण्टे के अन्दर आलरेडी 3 घण्टे ले लिए हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1 घंटा 40 मिनट लिया है.... (व्यवधान) मेरे सामने लिखा हुआ है। वही बोल रहा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैं बताना चाह रहा था, पिछले एक वर्ष में इन्टर स्टेट्स डिस्प्यूट्स को हल करने में यह सरकार बिलकुल विफल रही है और राजस्थान के हितों की पैरवी विपक्ष में रहकर तो कर रहे थे लेकिन एक साल में कोई नतीजा सामने नहीं आया। हम उम्मीद यह करते थे कि जो राजस्थान के हितों की पैरवी विपक्ष में रहकर करते थे तो इनको सत्ता प्राप्त हुई है उसमें ये कुछ रिजल्ट निकाल कर देंगे। लेकिन एक वर्ष में इनका रिजल्ट बिल्कुल जीरो रहा है। इसी तरह की कुछ योजनाएं मैं आपको बता रहा हूं। सिद्धमुख, बीसलपुर, जाखम, मेजा भीम सागर, मानसिवाकल, सोन काटकर, गंग कैनाल का लिंक कैनाल और इसी तरह की हमारी कोलायत और गजनेर की लिफ्टें इन योजनाओं को आगे बढ़ाने में ये बिल्कुल असफल रहे हैं। ये सारी की सारी योजनाएं राजस्थान के विकास से जुड़ी हुई हैं, किसानों के विकास से जुड़ी हुई है। केवल बजट में 60 प्रतिशत प्रावधान कर देने और उस बजट को उन कामों के लिए उपयोग में न लेना, मैं समझता हूं सबसे बड़े दुःख की बात है। यह पहला मौका है जब राज्य सरकार ने खजाने से 3 करोड़ रुपया ब्याज के ऊपर कमाया है। विकास के कार्यों पर पैसा खर्च नहीं किया। एक तरफ कहते हैं जब आए थे तो पहले नये सदस्य कहते थे खजाना खाली है, खजाना खाली है। लेकिन अब

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

बजट आया तो पता चला की खजाना तो भरा हुआ था और उस पर 3 करोड़ रुपए का ब्याज सरकार ने कमाया। लेकिन विकास के कार्यों की क्रियान्विती राजस्थान की जनता को इस सरकार ने नहीं दी। विद्युत के मामले में कहते हैं कि हमने 25 हजार कुओं के कनेक्शन का लक्ष्य रखा है और 10 हजार ओ. वाई. टी. स्कीम में इन्होंने लक्ष्य रखा था। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि इन्होंने अलग--अलग सैक्टर में क्या लक्ष्य रखे थे और उन सैक्टर्स में क्या-क्या प्राप्तियां इन्होंने की हैं?

हरिजन बस्तियों को सन् 1988--89 में 1041 बस्तियों को लाभान्वित किया जबकि 1990--91 में फरवरी, 1991 तक सरकार 150 हरिजन बस्तियों को राज्य सरकार लाभान्वित कर सकी है। इसके मायने यह है कि यह सरकार हरिजन विरोधी है। जहां 1690 बस्तियों को 1989-- 90 में लाभान्वित किया गया था। उसके मुकाबले में 150 बस्तियों को इन्होंने लाभान्वित किया है।

श्री सभापति : आपके बाद कांग्रेस पार्टी के सदस्य बोलेंगे। उनका नाम कट जाएगा।

श्री बुलाकी दास कल्ला : हां, ठीक है। इस साल इन्होंने केवल 369 गांवों को लाभान्वित किया है, बिजली से जोड़ा है, जबकि 1989--90 में 2089 गावों को बिजली से जोड़ा था। इसी प्रकार सन् 1989 90 में 29,596 कुओं को कनेक्शन दिए गए थे लेकिन अभी फरवरी 1991 तक केवल मात्र 27,918 कुओं को बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं जिसमें 12,000 ओ. वाई. टी. स्कीम के अंतर्गत कनेक्शन दिए गए हैं। इसी प्रकार 30 करोड़ रुपए करीब किसानों की जेब से आपने निकाले हैं। 4 करोड़ की आपने छूट दे दी जैसे कोई खैरात बांट दी किसानों को और 30 करोड़ उसकी जेब से निकाल लिए। इसके दोषी डूडी साहब आप भी हैं। 30 करोड़ गरीब किसानों को विद्युत कनेक्शन देने के लिए आपने लिए हैं। वे किसान खम्भे लिए हुए आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। एक-एक खम्भे के ऊपर आपने 4250 रुपए की राशि रखी है। यदि आपमें थोडी भी किसानों के प्रति हमदर्दी है तो आपको इन खम्भों की राशि को और कुओं के लिए जो आपने राशि रखी है इसको वापस देना चाहिए नहीं तो राजस्थान की 70 प्रतिशत जनता जो गांवों में रहती है वह आपको कभी भी माफ नहीं करेगी। इसी प्रकार सभापति महोदय, इन्होंने चुनाव में जो घोषणायें की हैं, खास तौर से तीन घोषणायें की हैं कि हम हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार देंगे लेकिन क्या आपने राजस्थान में पचास लोगों को भी रोजगार दिया है? एक भी व्यक्ति को आपने रोजगार नही दिया। जो जवाहर रोजगार योजना राजस्थान के गरीबों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए लागू की गई थी उसको भी आप क्रियान्वित नही कर पाये। इसके साथ--साथ वृद्धावस्था....

श्री हेतराम बेनीवाल : 26 आदमियों को रोजगार दिया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : राजस्थान के पांच करोड़ लोगों में 26 लोगों को रोजगार दिया है। यह अपने आप में आप लोगों को + + + बात है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आप ऑफ द रिकार्ड बोल रहे हैं सारी बातें।

श्री परसराम मोरदिया : इसमें डूडीजी भी शामिल हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, वृद्धावस्था पेंशन इन लोगों को देनी चाहिए, 70 वर्ष के बूढ़ों को पेंशन देते हैं यह। राजस्थान के लोगों की औसत आयु पचास-पचपन वर्ष है....

श्री सभापति : आपने श्री रामस्वरूप मीणा का समय ले लिया है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, आप जब बोलते हैं तो मैं आपको कभी इन्ट्रप्ट नहीं करता हूं, मेहरबानी करके मुझे बोलने दें आप। (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, आप बोलिये लेकिन मैं बता तो दूं आपको क्योंकि वह बोलना चाहेंगे। आप 25 मिनट तो यहां बोल चुके हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हम अपनी पार्टी में एडजस्ट कर लेंगे। कम से कम आसन को तो प्रोटेक्ट करना चाहिए।

श्री सभापति : नहीं, मैं जरूर प्रोटेस्ट करूंगा... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : सभापति महोदय, आप मेरा समय कैसे बोल रहे हैं। आपको समय बढ़ाना पड़ेगा मेरे लिए। कल भी मेरा नम्बर नहीं आया और आज भी मेरा नम्बर काट रहे हैं, वह अपनी सुविधा उठा रहे हैं मैं अपनी सुविधा उठाऊंगा (व्यवधान)

श्री सभापति : देखिये, एक-एक कर के कहिये....

श्री रामस्वरूप मीणा : या तो आप लगातार समय बढ़ाते रहिये, मेरे नाम के ऊपर आप कह रहे हैं मेरा समय नहीं है।

श्री सभापति : यह आप सचेतक महोदय से पूछिये, उन्होंने कहा है कि अपनी पार्टी का समय ले रहे हैं (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : इनके माननीय सचेतक महोदय ने....

श्री रामस्वरूप मीणा माननीय सचेतक महोदय, कल तो आप लगातार समय बढ़ाते रहे और हमारे नाम के ऊपर आज कह रहे हैं कि टाइम....(व्यवधान)

श्री बुलाकिदास कल्ला : सभापति महोदय, मुझे आपकी व्यवस्था पर सख्त एतराज है। आपको, कम से कम मैं जब कह रहा हूं... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आप मेरा नाम नहीं काट सकते, + + +

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री लालचन्द डूडी : आप ही काट रहे हैं, हम नहीं काट रहे हैं यहां पर।

श्री सभापति : आपकी पार्टी का पचास प्रतिशत समय हो चुका है, दूसरी पार्टियों का आपकी पार्टी के अनुपात में बहुत कम समय है। मैंने आपको निवेदन किया....

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसी आसन से कभी व्यवस्था नहीं की जाती है....

श्री सभापति : नहीं, नहीं, ठीक है। परन्तु दूसरों को दस मिनट देता हूं आपको पच्चीस मिनट पहले ही दे दिये हैं, इतना ख्याल तो रखा है, रखना ही पड़ता है। कृपया समाप्त करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, मैं अभी दस-पन्द्रह मिनट तो कम से कम बोलूंगा।

श्री सभापति : नहीं, तो आज यह दूसरे लोग नहीं बोल सकेंगे....

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय सभापति महोदय, कैसे नहीं बोल सकेंगे हमारा अभी तीन घंटे से ज्यादा समय पड़ा हुआ है.... (व्यवधान)

श्री सभापति : लेकिन समय नहीं है न, आपका जो अलॉटेड समय है उस वक्त खत्म हो जाता है उस समय....

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, जो किसानों का ऋण माफ किया गया है ...

श्री कालीचरण सराफ : सभापति महोदय, यह क्या हो रहा है (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : सभापति महोदय, समय के लिए सब को नाराज क्यों करते हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह बी. जे. पी. के लोग इन्ट्रप्ट करते हैं तो आप इनको रोकते नहीं हैं ... (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : इनके सचेतक महोदय से पूछा जाये कि क्या उन्होंने समय दिया है इनको....

श्री रामस्वरूप मीणा सुनो सब को, क्या फर्क पड़ता है, और ज्यादा सुनो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या हाउस को यह लोग कन्ट्रोल कर रहे हैं ? बहुत अफसोसजनक बात है....

श्री सभापति : नहीं, बैठ जाइये।

श्री रामस्वरूप मीणा : सभापति महोदय, समय बढ़ा देना....

श्री सभापति : आपको भी तो समय का ख्याल रखना पड़ेगा (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : ऐसे नहीं चलेगा साहब....

श्री सभापति : माननीय कल्ला साहब,

श्री बुलाकीदास कल्ला : मर्डर केस में इन्टरफियरेन्स नहीं करना है, यह आसन का सवाल है।

श्री कालीचरण सराफ : अच्छा, यह करेंगे इन्टरफियरेन्स, इनको बताइये।

श्री सभापति : माननीय कल्लाजी, चर्चा समाप्त करने का प्रयास करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, कल मेरा नम्बर काट दिया था, आज बोलूंगा मैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : शिक्षा के क्षेत्र में सभापति महोदय....

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, माननीय कल्लाजी अतिक्रमण कर रहे हैं, इनको रोकिये अतिक्रमण करने से।

श्री सभापति : कृपया विघ्न न डालें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में जो पांच हजार स्कूल हमारे खोले हुए थे वह बंद कर दिये गये और एक हजार स्कूल नये खोल दिये, यह धोखाधड़ी नहीं है? पांच हजार स्कूलों को बंद करना....

श्री लालचन्द डूडी : पांच हजार स्कूल खोलकर शिक्षक कितने लगाये थे, बताना जरा। (व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : कोई व्यवस्था नहीं थी....

श्री बुलाकीदास कल्ला : अब देख लीजिए, यह इन्ट्रप्ट कर रहे हैं। यह समय खुद जाया कर रहे हैं.... (व्यवधान)।

श्री सभापति : आप चालू रखिये, आप बोलिये न।

श्री मदन दिलावर : कागजों में स्कूल खोले गये, माननीय कल्लाजी, आपने कागजों में स्कूल खोले थे.... (व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : और पैसा लूटा गया। इसलिए ऐसे स्कूल जहां विद्यार्थी नहीं थे, भवन नहीं था, उनको बन्द करना बिल्कुल ठीक था और जो स्कूल ठीक हैं, जो चल सकते हैं उनको चालू करने की योजना बजट में की गई है।

श्री सभापति : कृपया शांत रहिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, आठ सौ सैकण्डरी स्कूल राज्य में खोले गये लेकिन इन्होंने इस बार सिर्फ अस्सी सैकण्डरी स्कूल यानी 1/10 हिस्सा भी सैकण्डरी स्कूलों का नहीं खोला। इसी तरह से दस हजार अध्यापकों को लगाकर शिक्षा का यह सुदृढ़ीकरण करना चाहते थे लेकिन पिछले वर्ष में एक हजार अध्यापक भी यह लगा नहीं पाये। स्कूल गांवों में खाली पड़े हैं, अध्यापक नहीं हैं और टैक्स्ट बुक खुले आम कालाबाजारी में यहां पर बिकी है। इस सरकार के इस बजट ने क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा दिया है। ब्यावर, हनुमानगढ़ और करौली में, इन तीन स्थानों पर कांग्रेस के एम. एल. ए. है, वहां इन्होंने जिला नहीं बनाया और जहां भारतीय जनता पार्टी के एम. एल. ए. हैं वहां तीन जिले इन्होंने बनाये। मैं समझता हूं कि यह क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा देना है। इन्होंने कोटा में मेडिकल कॉलेज खोला लेकिन अजमेर और बीकानेर में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो इन्जीनियरिंग कॉलेज खोलने प्रस्तावित थे उनके बारे में निर्णय नहीं करके क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा दिया है। इसी तरह,

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

से पेयजल योजनाओं को इन्होंने जहां क्रियान्वित करने की बात की है, पिछले लगभग एक वर्ष से बीकानेर शहर की जो पेयजल योजना साढ़े छह करोड़ की लागत से राजस्थान के (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : परसादीलाल जी, दौसा को जिला बनाने के लिए आपको तकलीफ हो रही है ...

श्री बुलाकीदास कल्ला : उस योजना को इस सरकार ने बजट में सम्मिलित नहीं करके बीकानेर की जनता के साथ धोखा किया है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करने का प्रयास करें, बहुत समय ले लिया आपने।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं जल्दी ही समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूं।

श्री सभापति : आगे समय है नहीं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मुझे आसन क्यों इन्टरप्ट कर रहा है, मेरी समझ में नहीं आता।

श्री सभापति : समय के लिए निवेदन कर रहा हूं आपको।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस तरीके से मुझे पन्द्रह मिनट तक इन्टरप्ट किया है....

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, बहुत अतिक्रमण कर लिया इन्होंने...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सभापति महोदय, जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो तो उनके प्रवाह को रोकना या अवरुद्ध करना, यह तो बहुत ही बेजा बात है...

श्री बुलाकी दास कल्ला : + + +

श्री सभापति : वह तो आप सही फरमा रहे हैं परन्तु मुझे यह भी तो बताना पड़ता है कि आगे समय...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : माननीय सदस्य को यह कहें कि वह अपना भाषण समाप्त कर दें तो बीच में कितना डिस्टर्बेन्स हुआ है, आप स्वयं जानते हैं।

श्री सभापति : कांग्रेस को जितना समय अलॉटेड है उसका पचास प्रतिशत काम में आ गया है जबकि दूसरी पार्टियों का दस प्रतिशत भी समय नहीं हुआ है... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : विपक्ष कितना समय ले रहा है, इनके पास तो समय है, हमारे पास तो बोलने का ही अधिकार है...

श्री सभापति : वह ठीक है, परन्तु फिर भी ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, सारा समय, डिस्टर्बेन्स में खत्म कर रहे हैं।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

एक माननीय सदस्य : आधा समय तो सत्ता पक्ष की तरफ से बरबाद किया जा रहा है....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय....

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति जी, डिस्टर्बेन्स कर के जो समय नष्ट किया जा रहा है उस समय तो आप नहीं सम्भाले, डिस्टर्बेन्स में इतना समय खराब किया....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : क्या आप उस बात को भूल गये जब माननीय नेता महोदय बोले थे....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ऐसा है सभापति महोदय, जो यह ज्यादा समय ले रहे हैं वह इनके समय में से काट लिया जाय, इन्होंने कितना डिस्टर्बेन्स किया है।

श्री लालचन्द डूडी : आप ऐसे ही काटा करते थे क्या ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जो बात एक मिनट में कही जा सकती है उसमें यदि बाधाएं डाली जायें तो पांच मिनट में भी नहीं बोल सकेंगे....

श्री लालचन्द डूडी : अगर आप ऐसे काटा करते थे तब तो काट लें, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री सभापति : उनको भी चुप कराता रहता हूं। माननीय कल्लाजी।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : जब नेता महोदय बोल रहे थे और आप लोग व्यवधान कर रहे थे उस समय आपने यह सलाह अपने मेम्बरों को नहीं दी।

श्री रतनाराम चौधरी : हम तो जैसे कोई लकड़ी काट कर के बांधने का काम करता है इस तरह से विपक्ष....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। अमीन खां जी, बैठ जाइये। माननीय कल्लाजी.... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह सरकारी लोकतन्त्र की दुहाई की बात करती है, इन्होंने चुने हुए सी. सी. बी. के अध्यक्षों को हटाया, फिर हाई कोर्ट.... (व्यवधान)

यह क्या हो रहा है ?

श्री मदनलाल सैनी : आप बजट के बारे में बोलिये, हम सुनेंगे।

श्री सभापति : कृपया बैठ जाइये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह व्यवहार असंसदीय है।

श्री मदनलाल सैनी : आपका बड़ा संसदीय था।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, बीकानेर का एक उदाहरण बताता हूं। बीकानेर जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि., जिसके प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है, आज तक लोकतन्त्र के इतिहास में सहकारिता के क्षेत्र में जब चुनाव का प्रथम चरण हो जाता है तो सरकार को कोई स्थगन आदेश देने का अधिकार नहीं

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

है लेकिन राजस्थान में इस सरकार के सहकारिता मंत्री ने और उस विभाग के सचिव ने प्रथम चरण के चुनाव हो जाने के बावजूद उस चुनाव को स्थगित करके लोकतन्त्र की हत्या की है जिसकी मैं भर्त्सना करता हूं। इसी प्रकार भ्रष्टाचार मिटाने के बारे में इस सरकार के मन्त्री बड़ी डींगे हांका करते हैं, इनके द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। उसमें 1988 में 78 मामले चालान किये गये और वह विचाराधीन हैं। 1989 में 57 और 1990 में केवल 64 मामले इन्होंने अभी तक चालान किये हैं। क्या इन्होंने भ्रष्टाचार मिटाया है? आज सरे आम थाने बिक रहे हैं, पटवारी रिश्वत मांग रहे हैं और राज्य सरकार के जितने भी अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े अधिकारी हैं उन अधिकारियों की, मैं एक मिसाल देता हूं, जो आज सत्ता के बिल्कुल केन्द्र बिन्दु पर हैं। उनका नाम तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि नेशनल गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर-योजना नम्बर दो, ग्राम देवड़ी, खसरा नं. 251, 281 में करीब दस से भी ज्यादा उसके रिश्तेदारों को जमीनें और भूखण्ड दिये गये हैं। श्री राकेश मेहता, प्रेम मेहता, रमा मेहता, सरोज मेहता, लक्ष्मण मेहता, संदीप मेहता, सुमन, चन्द्रभान, डी. आर. कुम्मट, सुमन पत्नी महेशचन्द, चन्द्रनाथ, चन्द्रा, अजीतराज और उगमराय, इन लोगों को कितने प्लाट्स एक ही परिवार के रिश्तेदारों को दिये गये हैं? इसी तरीके से जब यह महाशय आवासन मण्डल के अध्यक्ष थे 10 हजार से ज्यादा अध्यक्ष को पावर्स नहीं होती हैं किसी भी स्वीकृति की, लेकिन आर. सी. कम्प्यूटर्स को 10 लाख रुपये इन्होंने एक कलम से उसका भुगतान कर दिया और आज दिन तक उसका आडिटिंग और अकाउन्टिंग नहीं हुआ है।

इसी तरह से जो सायला रोड़ का किस्सा अखबारों में छपा है वहां 6 हजार रुपया बीघा में जमीन बिकती थी। आज भी वहां पर 7, 8 और 10 हजार के तो मेरे पास में हलफनामे हैं जो आप इजाजत दें तो मैं सदन की मेज पर रख सकता हूं। वहां पर 20 हजार रुपया प्रति बीघा में जमीनें खरीदी गयीं और उसकी स्वीकृति एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सेक्रेटरी ने दी। इसमें 50 लाख रुपये की घपलेबाजी हुई है। इसी प्रकार से राजहंस गृह निर्माण समिति की योजना ग्राम महापुरा कूकरखेड़ा तहसील जयपुर की चौमू रोड़ पर रोड़ नं. 9 विश्वकर्मा एरिया के सामने खसरा नं. 12 जिसकी अवाप्ति की कार्यवाही कृषि उपज मण्डी की मांग पर राज्य सरकार ने भूमि अवाप्ति की धारा 4,6 और 11 की कार्यवाही की 31-7-86 को जिसका नोटिस भिजवा दिया। धारा 11 के अन्तर्गत अवार्ड पारित कर दिया। एस. डी. ओ. ने उसका कब्जा ले लिया लेकिन बाद में इस अधिकारी ने अपने पद का दुरूपयोग किया और इस पर स्थगन आदेश जारी करके केवल मात्र 16 बीघा भूमि को इस महाशय ने स्थगन आदेश दे दिये। यह अधिकारी हैं + + + जिनके तीन घपले

+ + + नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

मैंने रखे हैं। इनको भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को दीजिए और जो बेरी कमेटी बनाई है उस बेरी कमेटी ने जिन-जिन अधिकारियों के खिलाफ आपको रिपोर्ट दी है उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की ? मैं कहना चाहता हूं जो सत्ता के बिलकुल केन्द्र बिन्दु पर हैं वहा भ्रष्टाचार के मामले में इनवाल्व हैं।...

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, व्यवस्था का सवाल है। मेरा व्यवस्था का सवाल यह है कि जो मैम्बर इस हाउस का मैम्बर नहीं है और जो इस हाउस में जवाब नहीं दे सकता उसके कुछ नियम हैं कि यदि किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जायें तो पहले उसका नोटिस दिया जाये....

श्री बुलाकीदास कल्ला : भैरोंसिंह जी ने कितने ही मामलों में इस तरह की बातें कहीं हैं। मेरे पास तो प्रमाण हैं ...

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप भ्रष्टाचार का पक्ष ले रहे हैं क्या ?... आप को भी मिला है क्या इसमें प्लाट ?.... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : तो यह आसन का काम है, आसन रोके। आपका जिम्मा नहीं है यह भ्रष्टाचार का पक्ष लेते हैं।...आपको कोई विशेषाधिकार दे दिया है सरकार ने ?.... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ....यह हमारी जिम्मेदारी है ... (व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहूंगा कि इन्होंने एतराज उठाया तो क्या वाकई में चार्जेज सीरियस हैं इस बारे में ? जो चार्जेज लगाये जा रहे हैं यह इनको सीरियस मानते हैं क्या ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि कोई भी नाम लेकर.... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो एक बानगी है। यह तो ट्रेलर है जब पूरी फिल्म दिखायेंगे तो महावीर जी आप देख भी नहीं पायेंगे ...

श्री सभापति : कृपया शांत रहें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इस फिल्म में आप सब के नाम हैं ... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजिये कृपा करके....

श्री महावीरप्रसाद जैन : मैं तो चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनका पर्दाफाश

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

होना चाहिए ।.... (व्यवधान) मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं और फिर मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी अधिकारी का क्या संबंध है.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य बैठ जाइये ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सभापति महोदय, पाइन्ट ग्राफ इनफर्मेशन । अभी-अभी मालूम पड़ा है सभापति महोदय कि भीलवाड़ा के अन्दर भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिन्दू परिषद का कोई जुलूस जा रहा था और उसके अन्दर रूट को लेकर कुछ विवाद हुआ है और उसके अन्दर बहुत बड़ा फायरिंग हुआ है । दंगा हो गया है और वहां पर कर्फ्यू लागू हो गया है तो ऐसी स्थिति में सदन जानना चाहेगा कि वहां ऐसी कोई विशेष परिस्थिति तो नहीं है । कम से कम इनफर्मेशन तो सदन को दी जाये ।

श्री सभापति : मालूम करायेंगे । कृपया बैठिये ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : बड़ा गम्भीर मामला है । इसकी जानकारी सदन को दी जाये ।

श्री सभापति : मालूम कराया जायेगा ना ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सदन की कार्यवाही रोक कर पहले इसके बारे में जानकारी दी जाये ।

श्री सभापति : मालूम करायेंगे । गवर्नमेन्ट से निवेदन है कि मालूम करके बताये....(व्यवधान)

श्री मोहम्द माहिर आजाद : पहले इस संबंध में जानकारी दिलवायें । (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : इसकी इनफर्मेशन जरा दें ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, इसकी जानकारी चाहिए सदन को ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय सदस्य ने कोई जानकारी दी है उसकी सूचना अभी इक्टठी करके दे देंगे ।

श्री सभापति : जानकारी प्राप्त कर लीजिए ।

श्री बी. डी. कल्ला,

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध रहा है लेकिन पिछले एक वर्ष में जयपुर, चौमूं, जोधपुर और राजस्थान के मुखतलिफ हिस्सों में जो दंगे हुए उसमें 50 से अधिक लोग मारे गये । आज तक उसकी जुडीशियल इन्क्वायरी यह सरकार नहीं करा सकी है । छोटे छोटे केसेज में जुडीशियल इन्क्वायरी हो जाती थी लेकिन यह प्रशासन बिलकुल संवेदनशील नहीं है । मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि इसकी जुडीशियल इन्क्वायरी तुरन्त करवाई जाये और राजस्थान में जो साम्प्रदायिक सद्भाव को चोट पहुंची है उसको कायम करने के लिए सभी दलों का सहयोग लेकर राजस्थान में फिर से सद्भाव कायम किया जाये ।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

इसी तरीके से मैं कुछ सुझाव वित्त विभाग को देना चाहता हूं। आपके माध्यम से बहुत संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि राजस्थान में वास्तव में योजनाओं का का पैसा खर्च नहीं हुआ है। इसके कारण से यह बजट का घाटा पूरा हुआ है। इनको वास्तव में प्रशासनिक व्यय में कटौती करनी चाहिए, फिजूलखर्ची को कम करना चाहिए और साथ ही साथ जो हमारी पुरानी वसूलियां हैं चाहे वह विद्युत विभाग की हों, चाहे खनिज विभाग की रायल्टी की बकाया हो, इन सब बकाया वसूलियों को जो कि लगभग 100 करोड़ रुपये से अधिक है। उनकी इमीडियेटली वसूली करनी चाहिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर। इसके साथ ही साथ हमारे अभी वर्तमान मुख्य मंत्री जी जब पब्लिक अण्डर-टेकिंग्स कमेटी के अध्यक्ष और सभापति थे उस समय इन्होंने कई रिपोर्टस दी हैं। उन रिपोर्टस का अध्ययन करें तो संक्षेप में एक प्रमुख बिन्दु आता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग लगे हुए हैं वह लगातार घाटा दे रहे हैं उन घाटे के उद्योगों को अविलम्ब बन्द करने की सिफारिश की थी। एक वर्ष में आपने कितने उद्योगों को बन्द किया? आज गरीब जनता से जो कर वसूली होती है हम उसका एक-एक रुपये का आप्टीमम यूटीलाइजेशन चाहते हैं लेकिन हकीकत यह है कि आज पब्लिक सेक्टर के हाथ, पब्लिक सेक्टर के रुग्ण उद्योग लगातार गरीब जनता के ऊपर बोझ बनकर परेशान कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो सिफारिशें कम से कम उन्होंने इस सदन के माध्यम से दी हैं उन रिपोर्टस को वह लागू करें और जो घाटे के पब्लिक सैक्टर के उद्योग हैं उनको निश्चित रूप से बन्द करना चाहिए।

इसी के साथ-साथ करों की बेहतर वसूली और करों की चोरी को रोकना और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजस्थान के सम्भागीय मुख्यालय हैं उन मुख्यालयों की जो एग्रीकल्चरल लेण्ड है उसके सम्बन्ध में एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में शिविर लगाये उसका क्या परिणाम हुआ? उनके बारे में नीति निर्धारण होनी चाहिए और इसके बारे में जो भी बंगलिंग हुआ है उन बंगलिंग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और राजस्थान में जो बेघर लोग हैं उनको नगर विकास न्यास के माध्यम से और जे. डी. ए. के माध्यम से सस्ती दरों पर प्लाट उपलब्ध कराये जाने चाहिए नहीं तो आज सारा का सारा जे. डी. ए. प्राइवेट के तौर से चल रहा है। सारी की सारी यू आई-टियों में जो लोग एक्स-आफिशियो आफिसर्स हैं वह तो काम कर रहे हैं और कांग्रेस के जमाने में हमारे बीकानेर में जहां, हम लोग कांग्रेस के मेम्बर थे तो इसके साथ ही साथ विरोधी पार्टी के सदस्य भी जो उस क्षेत्र को रिप्रेजेन्ट करते हैं वह भी यू. आई. टी. के मेम्बर थे लेकिन आज पूरे राजस्थान मे जो पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव हैं उन पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव्य की सदस्यता के डिप्राइव किया हुआ है— चाहे वह सत्ता-पक्ष के हों या विरोध पक्ष के हों। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं राज्य सरकार को जो नगर विकास न्यास और जे. डी. ए. राजस्थान की हैं उनमें जैसे एक्स-आफिशियो आफिसर्स काम कर

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

रहे हैं उसी तरीके से एक्स-ग्राफिशियो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को भी उस क्षेत्र का रिप्रेजेन्टेशन करने के लिए नॉमीनेट करना चाहिए.... इस प्रकार से चूंकि काफी लोगों ने इंट्रप्ट किया, बहुत सी बातें कहना चाहता था लेकिन आपके आदेश को मानते हुए और आपका विरोध करते हुए....

एक माननीय सदस्य : किसका विरोध करते हुए ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : सरकार का विरोध करते हुए जो बजट पेश किया गया है, यह राजस्थान की जनता को पीछे ले जाने वाला, गरीबों पर बोझ डालने वाला और कुछ तथाकथित धनिक वर्गों को राहत पहुंचाने वाला बजट है, इसका मैं विरोध करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री कालीचरणजी।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री के रूप में जो बजट राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने प्रस्तुत किया है वह आय-व्यय का केवल लेखा जोखा ही नहीं है, प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को एक नयी दिशा देने का प्रयास है।

माननीय सभापति महोदय, यह पहला अवसर है कि इस बजट में गरीबी मिटाने और पिछड़ेपन को हटाने का योजनाबद्ध कार्यक्रम सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है। बजट में प्रदेश के संसाधनों में वृद्धि के लिये एक निश्चित दिशा देने का प्रयास किया गया है। माननीय सभापति महोदय, प्रशासनिक खर्चों में कटौती की बात तो पिछले 45 सालों से प्रदेश में की जाती रही है परन्तु कभी इस बारे में गम्भीरता से विचार नहीं किया गया। मैं बधाई देना चाहूंगा राजस्थान के मुख्य मंत्री, माननीय भैरोंसिंहजी को कि उन्होंने प्रशासनिक कटौती किस प्रकार से की जाय, किस प्रकार से राजस्थान की वित्तीय स्थिति सुधरे, इस बारे में प्रयास किया, समीक्षा की गई विभागवाइज और 34 करोड़ रुपये की बचत इस बार होगी, इस प्रकार का प्रयास माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया।

माननीय सभापति जी, राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिये केन्द्रीय राजस्व में बंटवारे के फार्मूले में संशोधन करने की मांग करके मुख्य मंत्री जी ने एक बुनियादी मुद्दा उठाने का प्रयास किया है और राज्यों के वित्तीय अधिकारों की रक्षा के लिये आवाज बुलन्द की है, वह निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं।

आज तक जो कांग्रेसी मुख्य मंत्री हुआ करते थे, उनकी स्थिति बंधुआ मजदूरों जैसी थी। कांग्रेस के मुख्य मंत्री दिल्ली जाते थे प्रधान मन्त्रीजी से मिलने के लिये, दस-दस दिन तक वहां इन्तजार करते रहते थे और उसके बाद भी कई बार यह स्थिति होती थी कि प्रधान मंत्रीजी से वह नहीं मिल सकते थे। उनके पी. ए. होते थे मिस्टर जार्ज, उनसे ही जाकर, नत-मस्तक होकर हाथ बांधकर, साष्टांग दण्डवत् करके

(श्री कालीचरण सराफ)

वह वापस आ जाते थे। प्रदेश के हितों के बारे में कोई भी बात वहां पर मुख्य मंत्री के रूप में कांग्रेसी मुख्य मंत्री नहीं करते थे, चाहें वह हरिदेवजी जोशी हों, चाहें शिवचरणजी माथुर हों और चाहे और कोई हों। परन्तु मैं बधाई देना चाहूंगा....

श्री परसादीलाल मीणा : भैरोंसिंह जी कितनी बार प्रधान मंत्री जी से मिलने गये ? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : अब इनको तकलीफ हो रही है।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री परसादीलाल मीणा : इस सप्ताह में कितनी बार दिल्ली गये, इस सप्ताह का बता दो ?

श्री कालीचरण सराफ : ठीक है भाई, मैं बता रहा हूं।

श्री सभापति : कृपया माननीय सदस्य को बोलने दें, व्यवधान नहीं डालें। ऑर्डर प्लीज।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सदस्य पूछ रहे हैं भैरोंसिह जी दिल्ली में कितने दिन तक रहते है? दिल्ली में रहते हैं परन्तु वह रहते हैं इसलिये कि वार्षिक योजना जो 795 करोड़ रुपये की थी उसको 956 करोड़ रुपये की किस प्रकार का जाय। 1166 करोड़ रुपये की किस प्रकार से की जाय ? वह वहां इसलिये नहीं रहते कि +++ इसके लिये नहीं रहते।

श्री परसादीलाल मीणा :+++रोज मिल रहे हैं, भैरोंसिंह जी रोज दिल्ली जाते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : भैरोंसिंह जी का कितना वर्चस्व है यह अब साफ हो गया है धौलपुर की अपनी योजना क्यों नहीं मंजूर करवाली उन्होंने ? (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : खुद का काम तो हुआ ही नहीं।

श्री कालीचरण सराफ : आपने धौलपुर की बात तो कह दी। धौलपुर की बातें तो कह दी आपने, बरसिंहसर के बारे में नहीं कहा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बरसिंहसर का भी बता देती हूं आपको। आपको मालूम नहीं है, उसकी पी. आई. बी. ने इस कंडीशन के साथ क्लियरेंस दी है....

श्री कालीचरण सराफ : कुछ तो हुआ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल उस पर सहमति देगा और केन्द्रीय मंत्रिमण्डल को अब कोई अधिकार नहीं रह गया है। आज हो जायगी लोक सभा भंग और बैठे रहना बरसिंहसर के भरोसे। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सभापति : कृपया जारी रखें।

श्री कालीचरण सराफ : अजी विराजो! अब इनको धोलपुर बहुत याद आ रहा है। (व्यवधान)

आपको तो, परसादीलाल जी, खुश होना चाहिये कि दौसा जिला बन गया। समझे? (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : कोई अहसान नहीं किया है, दौसा जिला बना दिया, कोई अहसान नहीं किया है। राजी से थोड़े किया है, डण्डे से किया है।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सभापति जी, मेरे कांग्रेसी वरिष्ठ नेता चंदनमलजी बैद जब बजट के दौरान बोल रहे थे, बजट की स्पीच जब दे रहे थे तो मुझे देखकर बड़ा अफसोस हुआ। परन्तु हमने तो नेता भैरोंसिंह जी को माना है, भैरोंसिंहजी की जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जा रही है उनकी परिपक्वता बढ़ती जा रही है। और इनसे उलटे अपने चंदनमलजी बैद, मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है वह+++ जा रहे हैं। तब उन्होंने यहां बड़े दम खम के साथ आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन हुआ उसमें 6 करोड़ रुपये दारू के ठेकेदारों से लिये गये और दारू के ठेकेदारों से रुपये लिये गये इसके बदले में क्या किया? एक साल की जगह उनका ठेका दो साल के लिये बढ़ा दिया गया। यह वित्त मंत्री रहे हुए हैं, उनकी बुद्धि पर तरस आता है कि, श्रीमान्जी, यह एक साल और दो साल का चक्कर तो कांग्रेस की सरकार में ही था, हमने कोई एक साल के दो साल नहीं किये। यह तो कांग्रेस की ही सरकार में दो साल के लिये ठेका था। जब हमने यह बात कही तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उनका भी दोष नहीं है। दोष इसलिये नहीं है कि कांग्रेस के शासनकाल में जब भी कभी कोई अधिवेशन हुआ, जब भी कोई प्रदर्शनी लगी हो, जब भी प्रधानमंत्री जी का कोई कार्यक्रम हुआ हो वह इसी प्रकार से सरकारी साधनों का दुरूपयोग करके भ्रष्टाचार में लिप्त होकर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते थे। अब इसका उदाहरण मैं बताऊं कि पहले यहां कांग्रेस की एक प्रदर्शनी लगी थी, वह शताब्दी प्रदर्शनी, 27 करोड़ रुपये उसमें खर्च हुए थे।

श्री मोहम्मद माहिर आज़ाद : जिसमें आपने प्लाईवुड सप्लाई किया था।

श्री कालीचरण सराफ : सुनिये, मैं तो व्यापारी हूं, कर सकता हूं, पैसे लिये थे, नकद पैसे लिये थे, उधार में नहीं दी थी। जिन्होंने उधार में ली, अब आप सुनो, तो कांग्रेस की प्रदर्शनी लगी थी यहां, 27 करोड़ उसमें खर्च हुए थे। अब वह 27 करोड़ रुपये में आपको आश्चर्य होगा, माननीय सभापति महोदय, कि 12 करोड़ रुपये इन्होंने जो सरकारी कार्पोरेशन हैं उनके विज्ञापनों से इकट्ठे किये थे। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का जब

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री कालीचरण सराफ)

अधिवेशन हुआ तो अधिवेशन की तारीख अखबारों में आते ही माननीय भैरोंसिह जी ने सभी विभागों को यह निर्देश दिये कि कोई भी विभाग अपने यहां का विज्ञापन राजनैतिक पार्टी के किसी अधिवेशन के लिये नहीं देगा। अब एक तरफ तो यह मापदण्ड और एक तरफ 12 करोड़ रुपये के विज्ञापन सरकारी महकमों के लिये और दारू के ठेकेदार....

श्री परसादीलाल मीणा : आप यह बता दो, माननीय सदस्य, कि आपने इतना पैसा कहां से खर्च किया ? किससे लिया पैसा ?

श्री कालीचरण सराफ : आपका नम्बर आयेगा।

श्री परसादीलाल मीणा : पचास करोड़ रुपये कहां से खर्च किये ? (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री परसादीलाल मीणा : जो भारतीय जनता पार्टी की +++ निकाली... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह सारा पैसा आपने ठेकेदारों से वसूल किया था, सारा पैसा।

श्री परसादीलाल मीणा : तब भारतीय जनता पार्टी की जयपुर में +++ निकाली है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : शराब के ठेकेदारों से वसूल किया गया था।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री परसादी लाल मीणा : आप चुनाव में जाओ तो हैलमेट पहन कर जाना, नहीं तो आप ठीक नहीं रहोगे।

एक माननीय सदस्य : +++ (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री कालीचरण सराफ : सुनो भाई। इन्होंने बिल्कुल सही किया कि इतना बड़ा अधिवेशन आपने कर लिया, हम तो भ्रष्टाचार से पैसा इकट्ठा करते थे, आपने यह पैसा कहां से इकट्ठा किया ? इनकी सोच बिल्कुल वाजिब है। क्योंकि + + + कैसे करेगा ? अब यह+++

श्री परसादीलाल मीणा : यह कहां से आया पैसा ? +++ मेरे पास सबूत है। मैं अधिकारियों के नाम बता सकता हूं। न तहसीलदार छोड़ा, न थानेदार छोड़ा। सबूत हैं।

श्री कालीचरण सराफ : मैं बताता हूं। (व्यवधान)

+++ शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

एक माननीय सदस्य : बैठिये ।

श्री सभापति : कृपया शांत रहें । कृपया शांत रहें । ऑर्डर प्लीज । (व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, कृपया विराज जाइये ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आन ए पाइंट आफ ऑर्डर, सभापति महोदय ।

श्री सभापति : क्या हो गया ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सुनिए तो सही, क्या हो गया ? हो यह गया कि अभी उत्तेजना में यह कह गये +++

श्री सभापति : इन्होंने मुहावरा बताया है । शान्त रहें, कृपया जारी रखें (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : मैंने मुहावरा बोला है, इनको नहीं कहा है ।

श्री परसादीलाल मीणा : इनको बता दूंगा-+++किसको बोलते हैं....

श्री कालीचरण सराफ : आपको नहीं कहा श्रीमानजी, आप चिन्ता क्यों करते हो.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय कालीचरण जी, आसन को सम्बोधित करें, कृपया जारी रखें ।

श्री कालीचरण सराफ : मैं कह रहा था इन +++ का दोष नहीं है क्योंकि यह पैसे इसी हिसाब से इकट्ठा करते थे परन्तु बी. जे. पी. को पैसा इकाट्ठा करने की क्या व्यवस्था है यह इनको कल्पना नहीं है....

एक माननीय सदस्य : सभापति जी +++ असंसदीय शब्द बोल रहे हैं । +++ असंसदीय शब्द है । (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बैठ जाएं ।

(4 : 41 म. प.)

(माननीय श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अभी जो भाषण दे रहे हैं उसमें एक तो उन्होंने कहा+++ शब्द । यह इधर बैठने वाले +++ हैं तो आप इतने+++ कहां रहे हो ....

श्री अध्यक्ष : इस शब्द को हटा दीजिए । आप कृपया प्रवोक मत करें ।

श्री कालीचरण सराफ : मैं तो अध्यक्ष महोदय, इतना बता रहा था, इन्होंने आरोप लगाया कि दो दिन पहले बी. जे. पी. ने बहुत पैसा इकट्ठा किया वह कैसे किया और कहां से आया (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप शांति से बैठिये । सुन लीजिए ।

+++ शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री कालीचरण सराफ : तो मैं इनको बता रहा था, क्योंकि मैं प्रदेश का कोषाध्यक्ष भी हूं इसलिए मुझे पता है। पूरे राजस्थान में भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा से जो सहानुभूति रखते है, पांच रुपये से लेकर 5100 रुपये तक की रसीदें उनकी काटी और उसके आधार पर जो पैसा इकट्ठा हुआ उससे यहां पर अधिवेशन सम्पन्न हुआ। अब आपकी परम्परा दूसरी है, हमारी परम्परा दूसरी है उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है।

श्री रतनाराम चौधरी : कितना इकट्ठा हुआ ?

श्री कालीचरण सराफ : आपको बताना कोई जरूरी नहीं है। आप कोई ऑफीसर हैं मेरे ऊपर, क्यों बताऊं आपको कितना पैसा इकट्ठा हुआ ? हां, यह निश्चित है कि कांग्रेस के अधिवेशन में दारू पर पैसा खर्च होता है, वह नहीं हुआ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप एन्टर ही मत होइये, माननीय सदस्य, दूसरा विषय लीजिए।

श्री कालीचरण सराफ : आपको बता रहा हूं, उन्होंने जो आरोप लगाया उसका मैंने जवाब दिया।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मुझे तो ऐसा लगता है +++ वह स्पष्टीकरण दे रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ : मेरे दाढ़ी नहीं है, विराजो आप (व्यवधान)

मुझे वह समाचार भी याद है जब नागपुर में यूथ कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था और वहां वेश्याओं ने जाकर गुहार की थी कि इन दरिंदों से हम को बचाओ। अखबार में आया था। यह भी हमें याद है, पता है हमें इस बात का। समाचार पढ़ा था हमने। (व्यवधान)

और इन्होंने नागपुर में कितने ठेले लूट लिये, हलवाइयों के ठेले लूट लिये (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बजट पर बोलिये, यह बजट का विषय नहीं है। देखिये, इसमें आपका भी टाइम जाएगा।

श्री कालीचरण सराफ : अभी जनता दल नेता माननीय नत्थीसिंह जी ने इस बात पर बड़ा अफसोस जाहिर किया कि 26 लोग भाजपा के साथ मिल गये और इससे इनकी सरकार बच गई। मैं नत्थीसिंह जी से पूछना चाहता हूं कि जब विधान सभा के चुनाव हुए थे तो जनता ने क्या मेंडेट दिया था ? माननीय नत्थीसिंह जी, प्रो. केदार और श्रीमती सुमित्रा सिंह किस उम्मीदवार को हरा कर आये ? कांग्रेस (ई) के उम्मीदवार को हरा कर विधान सभा में आये। जब जनता दल के बड़े नेता कांग्रेस के साथ गलबहियां कर रहे थे उनके घरों में जाकर साष्टांग दण्डवत् कर रहे थे,

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री कालीचरण सराफ)

चोर दरवाजे से भैरोंसिंह जी की सरकार को हटा कर सरकार में आने का प्रयास कर रहे थे तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन 26 लोगों को जिन्होंने जनादेश का सम्मान किया और यह कहा....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : धनादेश बोलो....(व्यवधान)

ठेकेदार जी, आप तो चुप रहो, आप तो ठेकेदार हो, ठेकेदार ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, मि. माहिर आजाद, आप सुनिये ।

श्री कालीचरण सराफ : तो मैं धन्यवाद दूंगा बधाई देना चाहूंगा उन 26 लोगों को कि उन्होंने कहा कि राजस्थान में चार करोड़ जनता ने जो जनादेश दिया है उसके साथ हम विश्वास घात नहीं कर सकते, उसका सम्मान करेंगे और उन्होंने भैरोंसिंह जी सरकार में समर्थन व्यक्त किया कि इस के साथ रह कर हम इस सरकार को गिरने नहीं देंगे । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मि. माहिर आजाद, आप विराजिए । बोलिए । (व्यवधान) ।

श्री रतनाराम चौधरी : ...... और जनता ने समर्थन वापिस लेकर आपका फैलाव रोक दिया इसका भी जवाब साथ में दीजिए (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 80 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात किया । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यदि आप चाहते हैं तो मैं इस हाउस को एडजोर्न कर देता हूं; क्योंकि आप बहस सुनने के .... (व्यवधान), आप मत खड़े होइए बीच में । आप कुछ तो मर्यादा रखिए । वह चेलेन्ज कर रहे हैं तो जब आपको मौका मिले आप भी चेलेन्ज करिए । तरीका यह है । बोल रहे हैं तो कोई आप में से बोलेगा तो आप भी बोलिए कौन मना कर रहा है । आप सुन तो लीजिए । समय केवल वाद-विवाद में जा रहा है, आप सुनिए । प्रवोक मत करिये । शांति से बात करिए ।

श्री कालीचरण सराफ : मैं प्रवोक नहीं कर रहा हूं, मैं तो बात कह रहा हूं । जबरदस्ती प्रवोक होते हैं ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी, बिल्कुल सही है लेकिन माननीय सदस्य को भी आप आदेश दें ।

श्री अध्यक्ष : मैं बार-बार दे रहा हूं, प्रवोक मत करें ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : वह आसन को सम्बोधित करके कहें । जब वह खुद माहिर आजाद या किसी को सम्बोधित करके कहेंगे तो नेचुरली उत्तेजना फैलेगी ।

श्री अध्यक्ष : आप आसन की ओर सम्बोधित करके कहें और प्रवोक मत करिये । शांति से बोलिये ।

(152)

श्री कालीचरण सराफ : हां तो मैं कह रहा था....

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी मुझे सूचना मिली है कि भीलवाड़ा में बहुत बड़ा साम्प्रदायिक दंगा हो गया है, गोली चल गई है। मैं कल से निवेदन कर रहा हूं.... (व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : अध्यक्ष महोदय....

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे एतराज है, मुख्य मंत्री के स्थान पर कैसे बोल रहे हैं....

डा. चन्द्रभान : यह कोई साधारण मामला नहीं है, लोगों की जानें चली गई हैं....

श्री अध्यक्ष : यह बात हो चुकी है।

डा. चन्द्रभान : बात का सवाल नहीं है, लोगों की जान का सवाल है। मैंने परसों स्थगन प्रस्ताव दिया, कल आपने व्यवस्था दी और आज न तो मुख्य मंत्री जी है, न गृह मंत्री जी है। प्रधान मंत्री आये हैं तो मुख्य मंत्री जी जा सकते थे, गृह मंत्री का क्या काम था? उनकी कोई पार्टी का प्रोग्राम नही है, कोई वो नहीं है कि हर महीने जा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण मसला है। सरकार का जवाब आना चाहिए था, सतर्कता बरती जानी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये, प्लीज टेक योर सीट।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, सतर्कता नहीं बरती, गोली चल गई वहां पर कर्फ्यू लग गया....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय।

डा. चन्द्रभान : × × ×

श्री अध्यक्ष : मि. कालीचरण।

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय, यह इन्टरप्ट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बोलते जाइये, कोई इन्टरप्ट नहीं करेगा।

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण वाले दिन भी ऐसे ही गला फाड़-फाड़ कर बोला, कुछ भी समझ में नहीं आया। आज भी इन्टरप्ट कर रहे हैं। कोई बात थोड़े ही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार भैरोंसिंह जी के मुख्य मंत्री बनने के बाद कुल योजना का 60% ग्रामीण क्षेत्र पर खर्च करने का वादा किया गया था चुनावों में, मुझे खुशी है इस बात की कि 60 के स्थान पर 62% पैसा ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च किया गया विधान सभा में बैठने वाले कई दल किसानों के हमदर्द, खैरख्वाह बनते हैं और यह माना जाता है कि चौ. देवीलाल जी तो किसानों के बड़े जबरदस्त नेता हैं परन्तु उन्होंने भी केन्द्र में 50% से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए रखवाने में वह भी

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री कालीचरण सराफ)

सफल नहीं हुए, परन्तु भैरोंसिह जी ने यह कहा जाता है कि बी. जे. पी. तो बनिये, ब्राह्मणों की पार्टी है... बावजूद इसके जो गांव में बैठा किसान.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप नहीं बोलें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों बोल रहे हैं आप ? सुनिये।

श्री कालीचरण सराफ : आज गांव में बैठा हर किसान, हर मजदूर इस बात के लिए भैरोंसिह जी की प्रशंसा कर रहा है कि उन्होंने, 62 प्रतिशत....

श्री अध्यक्ष : अच्छा हो, आप अपनी सरकार की प्रशंसा करें। अच्छा रहेगा।

श्री कालीचरण सराफ : इसलिए ही कर रहा हूं साहब। ये बार-बार इन्टरप्ट कर रहे हैं। मैं बोलता जाऊं और ये इन्टरप्ट कर रहे हैं। आप इनको रोके। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार एक नया प्रयोग माननीय भैरोंसिह जी ने और किया है। हर बार वार्षिक योजना बनती थी, उसके बाद निर्णायक समितियों की बैठकें होती थी। मदवार उस पर विचार किया जाता था। साल के बीच में यानी 6 महीने बाद तक वह सेंक्शन होती थी और जब एक या दो महीने बच जाते थे तब वह राशि उपयोग में आती थी। इससे क्या है, सारा काम जल्दबाजी में होता था और कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं होता था। परन्तु मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भैरोंसिह जी को कि उन्होंने यहां जो बैठकें होती हैं, 1991-92 की जितनी बैठकें होती हैं, वे उन्होंने कर ली। जैसे ही बजट पास होगा, एक अप्रेल से वह लागू हो जायेगा और जो-जो भी योजनाएं हैं, वे सब लागू हो जायेगी। इससे निश्चित रूप से, सुचारू रूप से योजनाएं भी चलेगी और उसमें गुणवत्ता भी आयेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में यहां पर कई प्रकार की बातें की गई। पिछले 40 सालों में कांग्रेसी शासन के दौरान बिजली के उत्पादन एवं खपत में इतना असंतुलन हो गया था कि प्रदेश के सभी वर्ग परेशानी का सामना कर रहे हैं। आज प्रदेश में बिजली की खपत की स्थिति यह है कि राजस्थान में 100 किलोवाट आवर बिजली प्रति व्यक्ति मिलती है जबकि पड़ौसी राज्यों हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में 250 से 300 किलोवाट आवर बिजली प्रति व्यक्ति मिलती है। आज स्थिति यह है कि सन् 82 व 83 में, जिन किसानों ने बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, उन्हें भी बिजली नहीं मिल पा रही है। किसान 8 साल से बिजली का इन्तजार कर रहे हैं। पिछली कांग्रेसी सरकार ने बिजली उत्पादन में वृद्धि हो, इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। इसी का यह परिणाम हुआ कि गत वर्षों में न तो हम अन्तर्राज्जीय हिस्सा ले पाये और न ही केन्द्रीय सरकार से कोई योजनाएं ही मंजूर करा पाये। यहां तक कि प्रदेश में भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवचरण जी. माथुर अपने निर्वाचन क्षेत्र में मांडलगढ़ थापर योजना की भी

(श्री कालीचरण सराफ)

मंजूरी नहीं ले पाये। परन्तु सत्ता परिवर्तन के पश्चात् केन्द्र में प्रभावी ढंग से पैरवी नहीं कर पाने के कारण जो विद्युत योजनाएं वर्षों से भारत सरकार के पास अटकी पड़ी थी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रयासों के कारण, उनके प्रभावी ढंग से पैरवी करने के कारण 1084 करोड़ रुपये की सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना एवं 756 करोड़ रुपये की वरसिंगसर लिग्नाइट परियोजना को केन्द्र सरकार से स्वीकृति मिल गई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नोट्स हैं उनके पास। बिराजिये। मैं देख रहा हूं।

श्री कालीचरण सराफ : नोट्स तो पढ़ ही सकता हूं। वर्तमान सरकार ने बिजली की वर्तमान कमी को दूर करने के लिए 112 करोड़ रुपये की बिजली अन्य राज्यों से खरीदी परन्तु जब कांग्रेस की सरकार थी, रिकार्ड उठाकर देख लीजिये, कभी भी 10 करोड़ या 15 करोड़ से ज्यादा बिजली नहीं खरीदी गई....

एक माननीय सदस्य : किसानों से 70 लाख वसूल कर लिये गये हैं।

श्री कालीचरण सराफ : मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय भैरोंसिंह जी को कि उन्होंने पिछले बजट में यह कहा था कि 25000 कुओं का विद्युतीकरण किया जायेगा। दिसम्बर तक उस लक्ष्य की पूर्ति कर ली गई और इस बार भी मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि बिजली के क्षेत्र में 317.51 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जो कुल योजना राशि का 27.23 प्रतिशत है जबकि पिछली बार यह केवल 24.94 प्रतिशत था और मुझे इस बात की खुशी हुई कि इस बार भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है 700 गांवों और 25000 कुओं को विद्युतीकृत किया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विपक्षी वक्ताओं ने यह कहा कि कोई स्कूल नहीं खोला गया, कोई अस्पताल नहीं खोला गया, कोई कालेज नहीं खोला गया। कांग्रेस के शासनकाल में झूठी वाहवाही लेने के लिए स्कूल तो बहुत खोले गये परन्तु अपने दिल पर हाथ रखकर कोई माननीय सदस्य यह कहने को तैयार है कि क्या कितने स्कूल कांग्रेस के शासन में खोले गये? क्या उनमें आज पर्याप्त मात्रा में अध्यापक हैं? कहीं पर अध्यापक है तो स्कूल नहीं, स्कूल है तो अध्यापक नहीं, जहां दोनों है वहां पर भवन नहीं। इसी प्रकार के स्कूल बनाकर, इसी प्रकार के स्कूल की घोषणा करके आप राजस्थान की जनता को क्या देना चाहते हैं? केवल झूठी वाहवाही। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरोंसिंह जी को उन्होंने झूठी वाहवाही की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की नहीं कि बिना भवन के, बिना अध्यापक के, बिना बच्चों के स्कूल खोल दिये जाए। आज आवश्यकता इस बात की जो स्कूल खुले हुए हैं उनमें पर्याप्त संख्या में अध्यापक हों, पर्याप्त संख्या में बच्चे हों, पर्याप्त संख्या में भवनों के कमरे हों और आप यह कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं

(श्री कालीचरण सराफ)

किया। केवल स्कूलों के नाम पर पेड़ों के नीचे 4–5 बच्चों को इकट्ठा करके क्या भविष्य बनाना चाहते हैं प्रदेश का? आपने स्कूल तो बहुत खोले। साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई, कोई बताएगा? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कोटा की जनता कई सालों से से यह मांग करती आ रही है कि मेडिकल कालेज होने चाहिये यहां मेडिकल कालेज की घोषणा की गई। 5 नए महाविद्यालय प्रदेश में खोले गये। पिछली कांग्रेसी शासन के दौरान 5 साल में दो महाविद्यालय भी नहीं खोले गये थे। याद करिये, मैं भी विधायक था और आपमें से कई होंगे, और यदि खोले गये हैं तो खड़े होकर बता दें। नहीं खोले गये हैं क्योंकि वहां पर फर्जीवाड़ा नहीं चल सकता। जोधपुर में एक महिला पोलिटेक्नीक की स्थापना की घोषणा की गई। तीन नए जिले बनाये जायेंगे, इस प्रकार की घोषणा की गई। आज दौसा, राजसमंद और बारां के लोग मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने तीन जिले खोले हैं। कांग्रेस ने भी घोषणा की थी परन्तु उन्होंने उसे लागू नहीं किया था लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तीन जिले बनाने की घोषणा की है। बारानी भूमि से लगान माफ करने की जो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है, सुदूर गांव में बैठा किसान आज मुख्यमंत्री की प्रशंसा कर रहा है। आज ऐसा कोई वर्ग नहीं है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छात्र हो, चाहे शिक्षक हो, हर व्यक्ति आज मुख्यमंत्री के द्वारा प्रस्तुत बजट की वाहवाही कर रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर से विधायक चुनकर आया हूं। इसलिए जयपुर की कुछ समस्याओं की ओर भी मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में माना है कि जयपुर में जो पेयजल का मुख्य स्त्रोत रामगढ़ बांध था, वह लगभग सूख गया है और ज्यादा पानी नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने एक आपातकालीन योजना भी जयपुर में लागू की है। इससे टेम्परेरी रूप से तो पानी की व्यवस्था का हल हो जायेगा परन्तु स्थाई रूप से जयपुर शहर की पेयजल समस्या का हल नहीं होगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि बिसलपुर योजना में और राशि आवंटित की जाय और उसके पहले चरण में जयपुर को शामिल किया जाय। जिससे वह दिन देखने को मजबूर नहीं होना पड़े जयपुर की जनता को राजस्थान की राजधानी जयपुर और वहां पर पानी की कमी के कारण कहीं लोगों को मरना पड़े। माननीय स्वायत शासन मंत्री जी यहां बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खां : समय नहीं बढ़ाया गया है और इनको भीलवाड़ा के सम्बन्ध में जानकारी दी है। सचेतक महोदय, टाइम तो बढ़ा दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्या कर रहे है? एक बार भाषण समाप्त होने दीजिये। क्या हो रहा है आपको? आप बैठिये। आप किसी काम को शान्ति से चलने नहीं देंगे? हां तो कह दिया गवर्नमेंट पता लगाकर बताएगी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सदन चल रहा है और सदन को जानकारी दी जाय कि क्या हुआ है ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अभी टाइम नहीं बढ़ाया है। टाइम तो बढ़ा दीजिये। (व्यवधान)

श्री जुबेर खां : यह आपके समय में पहली बार हो रहा है । + + + इधर आपकी सरकार के । एक तरफ दंगा हुआ है, लोग मारे जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अच्छा आप विराजिये। आप तैश में मत आइये। बैठिये।

श्री जुबेर खां : सरकार को चाहिये कि वक्तव्य दें। अखबारों में बाहर छप गया है कि दंगा हो गया है, लोग मारे जा रहे हैं, कर्फ्यू लगा दिया है, सरकार से आप जवाब नहीं दिलवा सकते ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। पहले मंत्री जी खड़े हैं। बैठिये। प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : भीलवाड़ा में क्या हो रहा है.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये, मंत्रीजी क्या कह रहे हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा में काफी दंगा हुआ है। आप जानकारी तो दीजिये, इस बारे में क्या हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये। प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा के बारे में जो कुछ घटना हुई है उसकी जानकारी तुरन्त कर रहे हैं, जैसे ही जानकारी मिलेगी अविलम्ब आपको बता देंगे। थोड़ी शांति रखें। ऐसा आप मत करिये जिससे कहीं वह लोग अशांति....

श्री बुलाकीदास कल्ला : सदन का समय तो बढ़ाया जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा : जानकारी प्राप्त करने के बाद आपको निश्चित बता दिया जायेगा, कोई बात छिपाने की (व्यवधान) पर मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि ऐसा आचरण मत करिये जिसके कारण कोई उत्तेजना हो या कोई अशांति फैलने की बात हो ।....

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दिनांक 13 मार्च, 1991 के मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सांय 5.01 बजे बुधवार, दिनांक 13 मार्च, 1991 के मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 256 की समय सारिणी

परिशिष्ट-1

कोटा व बांरा से छबड़ा, छीपाबड़ौद, अकलेरा, अटरु मार्गों पर
निगम द्वारा संचालित बस सेवाओं की समय सारिणी

बांरा	अटरु	सालपुरा	छीपाबड़ौद	हरनावदा	अकलेरा		अकलेरा	हरनावदा	छीपाबड़ौद	सालपुरा	अटरु	बांरा	
—	—	0600	0645	—	0830		—	—	0530	0600	0630	0745	जयपुर 1630
—	—	0730	0815	—	1030	सरावड़ा 1130	—	—	0600	0630	0700	0830	
0630	0745	0815	—	—	—	भोपाल 1538 वाया छबड़ा	—	—	0645	0715	—	—	
0700	0815	—	—	—	—		—	—	0700	0800	0830	1000	
—	—	0915	1000	—	1145		—	0600	0745	0845	0930	1100	
0730	0845	0930	1000	—	—		—	—	—	—	0900	1030	
0900	1015	1100	1145	—	1330		0600	—	0800	0830	—	—	
—	—	1200	1245	—	1430	मनोहरथाना 0600	—	0645	0900	0945	1030	1145	
1030	1200	1300	1345	1530	—		0730	—	0945	1030	1115	1200	
1100	1230	—	—	—	—		0830	0930	—	—	—	—	
1200	1330	1416	1500	—	1645		0900	—	1015	1045	1145	1330	
1245	1400	1430	1515	—	—		—	—	1100	1130	—	—	
1330	1500	1545	1630	—	1830		1030	—	1230	1315	1345	1515	

	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	
	—	—	1600	1645	—	1830		—	—	—	—	1315	1445	
	1415	1600	1645	1730	1900	—		1130	—	1330	1415	1445	1600	
	—	—	1730	1800	—	—		1300	1400	—	—	—	—	
	1530	1700	1745	1845	—	2000		1230	—	1430	1515	—	—	
	1645	1815	1845	1815	—	—		1315	—	1515	1600	1645	1800	
कोटा1315	1730	1830	1900	1930	—	—	भोपाल	—	—	—	1630	1700	1800	वाया छबड़ा
	1800	1930	2030	2115	—	2300	0900	1430	—	1630	1715	1800	1930	
	—	—	2100	2130	—	—		1330	1430	—	—	—	—	
जयपुर1030	1900	1945	2015	2030	—	—		1515	—	1715	1800	—	—	
								1730	—	1930	2000	—	—	

कोटा	झालावाड़	इकलेरा	भोपाल	भोपाल	इकलेरा	झालावाड़	कोटा
0530	0730	0940	1430	1800	0000	0130	0320
0815	1130	1330	—	—	1430	1645	1930
1230	—	1900	वाया सांगोद खानपुर	—	0630	—	1300 वाया खानपुर
1845	2115	2245	0330	1030	1645	1830	2100
2230	0030	0130	0730	1200	1745	1930	2130

परिशिष्ट–2

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके प्रश्न एवं उनके उत्तर

झुंझुनूं जिले के अनुदानित छात्रावास

260. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुंझुनूं) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) झुन्झुनूं जिले में विभाग के तथा अनुदानित कुल कितने छात्रावास कहां-कहां संचालित हैं ? सूची मय स्वीकृत छात्र संख्या के सदन की मेज पर रखे ।

(2) क्या सूरतगढ़ के 50 छात्रों की स्वीकृति वाले श्री राजेन्द्र छात्रावास की एक ब्रांच बगड में खोले जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) झुन्झुनूं जिले में सात राजकीय तथा नौ अनुदानित छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। सूची संलग्न है ।

(2) जी हां । छात्रावास की एक ब्रांच संचालन हेतु मान्यता प्रदान की जा चुकी है ।

जिला झुन्झुनूं में राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों की सूची

		राजकीय		
क्र. सं.	नाम छात्रावास	योजना	स्थान	स्वीकृत छात्र सं.
1	2	3	4	5
1.	अनुसूचित जाति छात्रावास	अ. जाति	झुन्झुनूं	50
2.	अनुसूचित जाति छात्रावास	अ. जाति	जूही अजीतगढ़	25
3.	अनुसूचित जाति छात्रावास	अ. जाति	बगड	25
4.	हरिजन छात्रावास	भंगी कष्ट मुक्ति योजना	मण्डावा	25
5.	हरिजन छात्रावास	–,,–	खेतड़ी	25
6.	हरिजन छात्रावास	–,,–	झुन्झुनूं	25
7.	विमुक्त एवं घुमन्तु जाति छात्रावास	विधु	उदयपुरवाटी	25

अनुदानित छात्रावास

1	2	3	4	5
1.	गांधी छात्रावास	अ. जाति	नवलगढ़	25
2.	नेहरू स्मारक मण्डल छात्रावास	—,,—	नवलगढ़	35
3.	जवाहरलाल नेहरु छात्रावास	—,,—	टमकोर	35
4.	नेहरू छात्रावास	—,,—	अलसीसर	50
5.	बापू छात्रावास	—,,—	चिड़ावा	40
6.	राजेन्द्र छात्रावास	—,,—	सूरजगढ़	25
7.	राजेन्द्र छात्रावास	—,,—	बिसाऊ	30
8.	राजेन्द्र छात्रावास	—,,—	बगड	25
9.	इन्दिरा गांधी बालिका छात्रावास	—,,—	अरडावता	50

राजेन्द्र जैन कमेटी की सिफारिशें

261. **श्री सालिगराम** (बयाना) एवं **श्री जुबेर खां** (रामगढ़) : क्या मुख्य मंत्री (कार्मिक) यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राजेन्द्र जैन कमेटी के द्वारा निम्न स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों के पद व्यापक रूप से कम कर दिये किन्तु उच्च प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों के पदों में कोई कटौती नहीं की ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(2) क्या सरकार उच्च पदों की भी कमी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किन-किन विभागों से किस-किस श्रेणी के कितने पदों को कम किया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि गत 7-8 वर्षों में राज्य कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 5 लाख हो गई जबकि प्रशासनिक कार्य निष्पादन निरन्तर घटता जा रहा है ?

उत्तर

(1) राजेन्द्र जैन समिति द्वारा जो पद समाप्त किये गये हैं, वे उस विभाग के कार्य अनुसार अधिक पाये जाने के कारण समाप्त किये गये हैं। समिति ने विभिन्न स्तर के पदों को किसी अनुपात विशेष में समाप्त करने की सिफारिश नहीं की बल्कि विभाग के कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार ही सिफारिश की है।

(2) विभिन्न विभागों के परीक्षण करने पर ही यह तय किया जाना सम्भव है कि कितने पद समाप्त होंगे तथा इनमें से किस स्तर के कितने पद होंगे।

(3) यह सही है कि पिछले 7-8 वर्षों में राज्य कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है जो वर्ष 90-91 में अनुमानतः 4 लाख 5 हजार

(मुख्यमंत्री)

है परन्तु यह सही नहीं है कि प्रशासनिक कार्य निष्पादन निरन्तर घट रहा है।

कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना के अन्तर्गत ऋण मुक्ति

262. **श्री मोहन लाल** (परबतसर) : क्या नीति निर्धारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत किन-किन श्रेणी के ऋणों में ऋण मुक्ति प्रदान की गई है ?

(2) ग्रामीण दस्तकार जैसे बुनकर, चर्म, रंगाई, जूती, लुहारी, सुथारी, कुमारी, बाण, रेशा आदि कुटीर उद्यमियों द्वारा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, उद्योग विभाग, राजस्थान वित्त निगम से लिये गये ऋणों को भी ऋण राहत योजना में सम्मिलित कर इनको राहत प्रदान की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार इन कुटीर उद्यमियों को ऋण राहत प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र के बैंकों जिसमें प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक शामिल है, के माध्यम से दिए गए सभी ऋणों पर लागू की गई है। इसमें 10,000/- रु. तक के दि. 20-10-1989 को अतिदेय ऋणों को शामिल किया गया है। इसमें ऋणकर्ता कृषकों, बुनकरों, कारीगरों, भूमिहीन किसानों जो जानबूझकर चुक करने वाले नहीं हैं उनको अधिकतम 10,000/- रु. की सीमा तक ऋण की अतिदेय मांग में राहत प्रदान की गयी है।

(2) जी, नहीं। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के ग्रामीण बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों में राहत के लिए लागू की गई योजना के अनुरूप सहकारी बैंकों के ऋणों के लिये राज्य सरकार ने ने कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना प्रारम्भ की है वित्तीय कारणों से राजस्थान वित्त-निगम, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड व उद्योग विभाग के द्वारा ऋणों में राहत देने की कोई योजना सरकार में लागू नहीं की है।

(3) जी नहीं।

वित्तीय वर्ष 1991-92 में मुन्सिफ एवं सहायक जिलाधीशों एवं दण्डनायकों के न्यायालयों की स्थापना

263. **श्री रामनारायण बैरवा** (निवाई) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वित्त वर्ष 1991-92 में कितने मुन्सिफ कोर्ट एवं कितने सहायक जिलाधीश एवं दण्डनायक की अदालतें खोलने का विचार है ?

(2) क्या यह सही है कि देवली कस्बे की ग्रामीण जनता को मुकदमें की पैरवी

(श्री रामनारायण बैरवा)

हेतु लगभग 65 किलो मीटर दूर जिला मुख्यालय पर जाना पड़ता है ?

(3) क्या सरकार उपरोक्त स्थान पर न्यायालय खोल कर देवली की ग्रामीण जनता को न्यायिक सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य में वित्त वर्ष 1991-92 में अनुमानतः 20 मुन्सिफ कोर्ट खोलने का विचार है। सहायक जिलाधीश एवं दण्ड-नायक की अदालतें खोलने का अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

(2) जी हां।

(3) राजस्व सम्बन्धी वादों के लिए सहायक जिलाधीश, टौंक का देवली में केम्प कोर्ट लगाये जाने हेतु संभागीय आयुक्त अजमेर व राजस्व मण्डल की अनुकूल सिफारिश प्राप्त होने पर अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

सरस घी का बिक्री मूल्य

264. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान दुग्ध डेयरी फैडरेशन के द्वारा गत तीन वर्षों में सरस घी की कब-कब किस-किस मूल्य पर कितनी-कितनी मात्रा में बिक्री की गई ?

(2) डेयरी फैडरेशन की अजमेर यूनिट के द्वारा गत तीन वर्षों में निर्धारित मूल्य से कम कब-कब कितना-कितना घी, किस मूल्य पर बेचा गया ?

(3) क्या निर्धारित मूल्य से कम मूल्यों पर बेचने से डेयरी को आर्थिक नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो कितना ? इसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(2) सूचना परिशिष्ठ "क" एवं "ख" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

परिवहन डिपो, अजमेर द्वारा संचालित बसें

265. **श्री बीरबाराम चौधरी** (मकराना) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) परबतसर से मकराना, खाटू, नागौर वाया बिदियाद प्रतिदिन किस-किस समय कितनी प्राइवेट बसें, किस-किस नम्बर की चलती हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या परबतसर बिदियाद, मकराना, खाटू, नागौर रूट को तरनाऊ तक

164

(श्री बिरधा राम चौधरी)

मार्ग को राज्य सरकार राष्ट्रीयकरण कर परिवहन निगम की बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) अजमेर परिवहन डीपो में परिवहन निगम की कुल कितनी बसें हैं एवं कितनी अनुबन्धित हैं ? परिवहन निगम की कितनी बसें चालू हालत में एवं कितनी खराब पड़ी हैं ? खराब बसों को कब तक चालू हालत में किया जा सकेगा ?

(4) क्या यह सही है कि अजमेर डिपो 'ए' की ज्यादतर बसें अजमेर मकराना व अजमेर कुचामन रूट पर चलती हैं ? क्या कुचामन में अलग डिपो खोलने का सरकार विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस मार्ग पर निम्नांकित 5 बसों की प्रतिदिन चार वापसी सेवाएं संचालित हैं। बसों की समय सारणी संलग्न है :-

1-आर. जे. जेड.--8472
2-आर. एस. ई.-5039
3-आर. जे. आई.--4627
4-आर. आर. क्यू.--768
5- आर. एन. पी.-2423

(2) परबतसर से नागौर वाया-बिदियाद-मकराना-खाटू तरनाऊ मार्ग का परबतसर से तरनाऊ तक का माग वर्तमान में राष्ट्रीयकृत नहीं है। निगम द्वारा इस मार्ग का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सर्वेक्षण पश्चात् ही मार्ग के राष्ट्रीयकरण की योजना बनाये जाने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

(3) अजमेर के दो आगारों में कुल 134 वाहनें निगम की है लेकिन कोई अनुबंधित वाहन नहीं है। निगम की 129 वाहनें चालू हालत में है एवं 5 वाहनें सामायक मरम्मत हेतु संभाग/आगार कार्यशाला में आॅपरोड है आॅपरोड वाहनों को एक सप्ताह में चालू हालत में किया जा सकेगा।

(4) जी हां। जी नहीं। वित्तीय संसाधनों की कमी से वर्तमान में ऐसा सम्भव नहीं है।

बसों की समय सरणी।

नागौर	अप सर्विस	परबतसर
8 . 00 बजे		3 . 30 बजे
9 . 30 बजे		5 . 30 बजे
11 . 00 बजे		6 . 30 बजे
2 . 00 बजे		10 . 00 बजे
परबतसर	**डाउन सर्विस**	**नागौर**
6 . 30 बजे		2 . 00 बजे
9 . 30 बजे		5 . 30 बजे
12 . 30 बजे		6 . 30 बजे
4 . 00 बजे		11 . 00 बजे

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का वेतन

266. **श्री मांगी लाल मेघवाल** (केशोराय पाटन) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगन बाडी

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

कार्यकर्त्ताओं एवं सहायिकाओं को 275, 250 एवं 125 रुपया मासिक भुगतान करती है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ?

(2) क्या सरकार इनको न्यूनतम दैनिक मजदूरी देने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इनकी सेवाओं को मान्यता देकर स्थाई करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इन्हें समय-समय पर सेवा से पृथक करने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या आंगन बाड़ी कार्यकर्त्ताओं को अपनी ग्राम पंचायत के बाहर भी पदस्थापित किया जा सकता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार के निर्देश पत्र दिनांक 15--9--86 के अनुसार मानदेय दिया जाता है।

(2) जी नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता एवं सहायिका मानद कार्यकर्त्ता हैं। अतः दैनिक मजदूरी देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं।

(4) आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता का पदस्थापन ग्राम पंचायत के आधार से नहीं किया जाता है।

भू-आवंटन समिति, फलौदी द्वारा भूमि आवंटन

267. **श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलौदी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम पंचायत जाबा, तहसील फलौदी, जिला जोधपुर में तहसील फलौदी की भूमि एलाटमेन्ट कमेटी ने वर्ष 1990 में कृषि हेतु भूमि का आवंटन किया था ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को कितनी कितनी भूमि आवंटित की गई ?

(2) क्या इस पंचायत क्षेत्र के गांव देगावड़ी के खसरा नं. 18 रकबा 532 बीघा को कलक्टर, जोधपुर ने अपने आदेश दिनांक 8--12--1966 द्वारा गोचर भूमि घोषित किया था ?

(3) क्या इस गोचर भूमि में से कुछ भूमि अतिक्रमणियों को आवंटित की गई ? यदि हां, तो कितनी कितनी भूमि, किन-किन व्यक्तियों को ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आवंटितियों की सूची (परिशिष्ट "क") मय रकबा सदन के पटल रख दी गई है।

(2) हां

(3) जी नहीं।

(166)

परिशिष्ट "क"

क्रम संख्या	नाम वल्दियत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा
1.	उत्तमाराम/बोजाराम मोल सा. जाम्बा	चारनाई	247	15. 0 बा. सो.
2.	मालाराम/चुनाराम ढोला सा. जाम्बा	,, ,,	267	17. 0 ,,
3.	गफूरखां/फकरे खां मुस. सा. चरनाई	,, ,,	248	40. 0 ,,
4.	मेहरदीन/हमीदखां मु स. सा. चरनाई	,, ,,	183	40. 0 ,,
5.	नूरखां/अलीखां मुस. सा. चारनाई	,, ,,	11	60. 0 ,,
6.	सायिब/रादम खां मुस. सा. चारनाई	,, ,,	11	50. 0 ,,
7.	कमरदीन/आदमखां मुस. सा. चारनाई	,, ,,	172	28. 11 ,,
8.	सकेखां/रमजखां मुस. सा. देगांबउने	,, ,,	248	60. 00 ,,
9.	मेहरदीन/फकरे खां मुस. सा. चारनाई	,, ,,	277	58. 00 ,,
10.	आमदान/फकरेखां मुस. सा. चारनाई	,, ,,	292	60. 00 ,,
11.	माहेखां/नेनूखां मुस. सा. चारनाई	,, ,,	267	60. 00 ,,
12.	अ. रहमान/फकरे खां मुस सा. चारनाई	,, ,,	248	50. 00 ,,
13.	हनीफखां/अ. करीम मुस. सा. चारनाई	,, ,,	183	40. 00 ,,
14.	अमिदीन/फकरेखां मुस. सा. छारनाई	,, ,,	183	45 00 ,,
15.	मेहरदीन/अब्राहिम मुस. सा. चारनाई	,, ,,	273	50. 00 ,,

1	2	3	4	5
16.	नेनखां/फकरेखां मुस. सा. चारनाई	" "	248	60. 00 "
17.	गगनखां/कायम खां मुस. सा. चारनाई	" "	248	45. 00 "
18.	भोजाराम/सांवताराम मेघवाल सा. जाम्बा	" "	247	15. 00 "
				793. 11

रायसिंहनगर क्षेत्र में हरिजन कालोनियों का निर्माण

268. **श्री रामस्वरूप मेघवाल** (रायसिंहनगर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में समाज कल्याण विभाग द्वारा हरिजन गांवों में हरिजन कॉलोनियां बनाई गई थीं ? यदि हां, तो कौन-कौन से गांवों में ?

(2) क्या यह सही है कि हरिजन गांवों में समाज कल्याण विभाग द्वारा विद्युतीकरण करवाया गया है ? यदि हां, तो कौन-कौन से गांवों में विद्युतीकरण हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा हरिजन गांवों में पानी की डिग्गियां व ट्यूब वैल खुदवाए गये ? यदि हां, तो कौन-कौन से गांवों में ?

(4) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा हरिजन बच्चों के लिए हरिजन गांवों में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक पाठशालायें खोली गई थीं ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। विद्युतीकरण के जितने भी प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं, उन्हें राज्य विद्युत मण्डल को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवा दिया जाता है।

(3) जी नहीं। इस सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन पत्रों को मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया जाता है।

(4) जी नहीं।

राज्य में बेरोजगारी निवारण हेतु योजनायें

269. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में बेरोजगारी को मिटाने हेतु सरकार की क्या योजनायें हैं ? क्या सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रदेश की बेरोजगारी को समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार प्रत्येक घर में एक व्यक्ति को रोजगार देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इसके लिये कितनी राशि बजट में किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत रखी गई है ? आठवीं पंचवर्षीय योजना में कुल कितने लोगों को जिलेवार रोजगार उपलब्ध हो सकेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न कार्यक्रम यथा जवाहर रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास योजना, शहरी शिक्षित युवकों हेतु स्वरोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना,

(योजना मंत्री)

मरू विकास कार्यक्रम, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम आदि क्रियान्वित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की योजनाओं में विनियोजन के निर्धारण के समय भी रोजगारोन्मुख कार्यक्रम/विकास मदों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिनसे रोजगार की अधिक संभावनायें हैं। जैसे कृषि, पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्यपालन, वन विकास कार्यक्रम एवं लघु उद्योग कार्यक्रम, सड़क आदि पर अधिक विनियोजन।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित दृष्टिकोण पत्र को ध्यान में रखते हुये राज्य की आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया जाकर योजना आयोग को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया था। इस प्रारूप के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत लगभग 31 लाख व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन का अनुमान था। योजना आयोग द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

राज्य सरकार बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए कृत संकल्प है। जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर एक वर्ष में सौ दिन रोजगार दिया जाता है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जब कोई कृषि कार्य नहीं हो तो उस समय इन व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करा दिया जाये। बेरोजगारी से सम्बद्ध सभी पहलुओं के आंकलन हेतु राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया है। यह समिति अगले 10 वर्षों में श्रम शक्ति में वृद्धि के अनुमान लगाने के साथ ही रोजगार में वृद्धि दर प्रस्तावित करेगी जिससे अगले 10 वर्षों में पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो सकेगी।

(2) चूंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है, इसलिए योजनावार धनराशि एवं जिलेवार रोजगार के लक्ष्य इंगित करना संभव नहीं है।

तारांकित प्रश्न संख्या 270 (1)
(स्थगित)

वित्तीय वर्ष 1990-91 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की वितरिकायें निर्माण का लक्ष्य

271. **श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर) एवं **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वित्तीय वर्ष 1990-91 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत मुख्य नहर, शाखायें, वितरिकायें, सब वितरिकायें कुल कितने किलोमीटर बनाने का लक्ष्य रखा गया था और इस हेतु कितनी राशि का बजट में प्रावधान किया गया था? इस वर्ष के भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय लक्ष्य क्या थे। सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में नहर निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष में कितनी मेट्रिक टन सीमेंट की आवश्यकता

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

थी एवं उसमें से कितनी सीमेंट निर्माण कार्यों हेतु उपलब्ध हुई ?

(3) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की पांच लिफ्टों (जलोत्थान योजनायें, साहवा (चूरू) कोलायत, गजनेर, पोकरण और फलोदी के वित्तीय वर्ष के भौतिक और वित्तीय लक्ष्य क्या-क्या थे और उनमें से कितने-कितने लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये ?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1990-91 में द्वितीय चरण के लिये वित्तीय लक्ष्य 73.70 करोड़ रुपये का था। उसी के अनुसार भौतिक लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। वास्तव में जो धन राशि आवंटन हुई वह 66.25 करोड़ रुपये थी जो बाद में घटकर 62.19 करोड़ रह गई। भौतिक लक्ष्यों का विवरण सूची "क" में संलग्न है।

(2) वर्ष 1990-91 के लिये आरम्भ में बोर्ड द्वारा द्वितीय चरण के स्वीकृत 73.70 करोड़ रुपये राशि के कन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम के लिये 1,11,000 मेट्रिक टन सीमेंट की आवश्यकता थी। राशि के प्रावधान में कटौती होने के फलस्वरूप सीमेंट की आवश्यकता भी लगभग 90,000 मेट्रिक टन रह गई। जिसके विपरीत माह फरवरी, 1991 तक 47,000 मेट्रिक टन सीमेंट प्राप्त हुआ।

(3) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की जलोत्थान योजनाओं के लिये माह जनवरी, 1991 तक एवं वित्तीय भौतिक लक्ष्य और उनकी प्राप्ति का विवरण की सूची "ख" में दर्शा दिया गया है।

(171)

वित्तीय वर्ष 1990-91 में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का विवरण की सूची

क्र. सं.	विवरण	इकाई	73.70 करोड़ रुपये के प्रावधान से	62.19 करोड़ रुपये के प्रावधान से	जनवरी 1991 माह तक
1.	**नहरों को पक्का (लाइनिंग) करना**				
	(i) मुख्य नहर		—	—	—
	(ii) शाखाए	कि.मी.	72.50	250.00	21.65
	(iii) वितरिकाए एवं उप वितरिकाए	कि.मी.	232.60		65.98
	कुल योग	कि. मी.	305.10	250.00	87.63
2.	मिट्टी का कार्य	घन मीटर	10597.60	8779.50	3784.92
3.	पक्के कार्य	संख्या	155	127	41
4.	टाइल्स का उत्पादन	लाख संख्या	595.65	518.00	145.11
5.	पी. सी. सी. का निर्माण	लाख संख्या	507.00	415.00	156.29
6.	सी. सी. ए.	हजार हैक्टेयर	58	45	लक्ष्यों की प्राप्ति वर्ष के अन्त में प्राप्त होता है।

सूची 'ख'

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण की जलोत्थान नहरों के लक्ष्य एवं प्राप्ति

(वर्ष 1990--91)

क्र. संख्या	लिफ्ट का नाम	लाईनिंग लक्ष्य किलोमीटर	प्राप्ति किलोमीटर	द्वितीय लक्ष्य (करोड़ रु. में)	प्राप्ति
1.	साहवा जलोत्थान नहर प्रणाली	13	2. 90	5. 20	2 . 17
2.	गजनेर	4	0. 60	1. 55	0 . 94
3.	कोलायत	5	1. 50	1. 60	0 . 67
4,	बांगड़सर	2	0. 10	0. 35	0 . 02
5.	फलोदी	2	—	1. 00	0 . 74
6.	पोकरण	—	—	—	—
	योग :-	26	5. 10	9. 70	4. 54

डेयरी द्वारा व्यापारियों से क्रय घी व दूध पाउडर से हानि

272. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या डेयरी प्रशासन द्वारा हाल ही में कुछ व्यापारियों से घी का सौदा किया गया है ?

(2) क्या इसी प्रकार डेयरी प्रशासन द्वारा दूध पाउडर नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड को बेचने का निर्णय किया गया है ?

(3) क्या यह घी व दूध पाउडर का स्टाक डेयरी प्रशासन के द्वारा वितरण की समुचित व्यवस्था न होने के कारण एकत्रित हुआ है ?

(4) क्या उपरोक्त दोनों सौदों से डेयरी प्रशासन को लगभग 1 करोड़ से अधिक की हानि होने की सम्भावना है ?

(5) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । मई-जून, 1990 में विक्रय किया गया था ।

(2) जी हां,

(3) जी हां ।

(4) जी नहीं ।

(5) आवश्यक नहीं है ।

निगम की बसों के संचालन में पैट्रोलियम संकट से कटौती

273. **श्रीमती तारा भंडारी** (सिरोही) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या खाड़ी युद्ध के कारण पैट्रोलियम पदार्थों में कमी एवं मूल्यों में वृद्धि के कारण राज्य में रोडवेज की बस सेवाओं में कटौती करने का सरकार विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो कितनी बसें बंद करने का विचार है ? इनमें सिरोही जिले में कितनी बसें बंद की जा रही हैं ?

उत्तर

(1) वर्तमान में ऐसा विचार नहीं है। परन्तु इस बाबत एक आपात योजना तैयार कर ली गई है ।

(2) इस आपात योजना के अनुसार राज्य में 1740 और आबूरोड़ व सिरोही आगारों के करीब 40 परिचक्र बन्द करने का विचार है।

विदेशों में बसे काश्तकारों की भूमि का मालिकाना हक

274. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63

(श्री अमीन खां)

(1) 8 के अन्तर्गत कोई काश्तकार बिना अनुमति के विदेश बस जाता है तो उसका भू-मालिकाना हक समाप्त हो जाता है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी परिस्थिति में उसके परिवार के बालिग सदस्य के नाम उक्त भूमि करने हेतु उक्त अधिनियम में कोई प्रावधान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1 व 2) जी, हां। अधिनियम में संशोधन का मामला विचाराधीन नहीं है।

अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्रावास

275. **श्री निर्भय लाल** (रूपवास) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्रावास संचालित किये जाते हैं ? यदि हां, तो प्रदेश में कुल कितने राजकीय अनुसूचित छात्रावास हैं, सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उन छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सरकार द्वारा निशुल्क व्यवस्थाएं की जाती हैं ? यदि हां, तो प्रति छात्र प्रति माह कितना-कितना खर्चा किस-किस सुविधा बाबत प्रदान किया जाता है ? सुविधा सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस महंगाई के युग में एक सौ सत्तर रुपये प्रतिमाह में किसी छात्र का समस्त खर्चा वहन किया जाना मुश्किल है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सुविधा राशि को 300/–रुपये प्रति छात्र प्रति माह तक बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जन जातियों के लिए कुल 330 छात्रावास संचालित हैं। सूची परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सूची परिशिष्ट "ख" सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) जी हां। यह कठिन हैं, यह राशि बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों का आधार

276. **श्री हजारी लाल** (खेतड़ी) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के राष्ट्रीय प्रतिदर्शित संगठन द्वारा आंकड़ों को राज्य सरकार ने उचित नहीं माना है ?

(2) यदि हां, तो आधारों को बदलने हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य सरकार की कार्यवाही के क्या परिणाम निकले हैं ? विवरण सदन मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, ।

(2) गरीबी की रेखा के आधार को बदलने हेतु राज्य सरकार द्वारा उपाध्यक्ष योजना आयोग, नई दिल्ली राज्य मंत्री ग्रामीण विकास, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक वर्ष 1985, वर्ष 1988 एवं वर्ष 1990 में तथा नवें वित्त आयोग के सम्मुख समय-समय पर उठाया जाता रहा है । विवरण सदन की मेज पर रख दिया है ।

(3) मामला भारत सरकार के विचाराधीन है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

श्रीगंगानगर स्पीनिंग मिल्स, हनुमानगढ़ के निर्माण में अनियमिततायें

277. **श्री हेतराम बेनीवाल** (सांगानेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या हनुमानगढ़ की श्रीगंगानगर स्पीनिंग मिल्स के निर्माण के समय हुई अनियमितताओं व भ्रष्टाचार की जांच की गई है ? उक्त जांच में किन-किन व्यक्तियों को दोषी पाया गया ?

(2) क्या सहकारिता विभाग के उच्च अधिकारियों की जांच में तत्कालीन अध्यक्ष को भी दोषी पाया गया ? यदि हां, तो क्या उनसे वसूली की गई ?

(3) वसूली के आदेश के पश्चात् से अब तक वसूली की क्या कार्यवाही हुई है ? वसूली न होने में कौन अधिकारी दोषी है ?

(3) क्या जांच के पश्चात् सहकारिता विभाग ने कभी अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा बनाने की योजना भी बनायी है ?

उत्तर

(1 व 2) जी हां । संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा धारा 70 राज. सहकारी संस्था अधिनियम के अन्तर्गत जांच में सर्वश्री ओ. पी. भार्गव, महेन्द्रसिंह बराड़, डी. वी. चन्चलानी, आत्मासिंह एवं एस. के. चढ्ढा को दोषी पाया गया । श्री महेन्द्रसिंह तत्कालीन अध्यक्ष से वसूली नहीं हो पाई है ।

(3 व 4) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 74 राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम के अन्तर्गत मामले दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए हैं । इसके अतिरिक्त प्रथम दृष्टा भ्रष्ट आचरण का मामला होने के नाते उक्त मामले को राज्य अन्वेशन ब्यूरो को सौंपा जा रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों के विरूद्ध कार्मिक विभाग को विभागीय कार्यवाही के लिए लिखा गया है ।

रूपवास (भरतपुर) में मुन्सिफ न्यायालय

278. **श्री रामप्रसाद लढ्ढा** (बैर) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले की तहसील रूपवास में मुन्सिफ कोर्ट नहीं

(श्री राम प्रसाद लढ्ढा)

है ? यदि हां, तो अभी तक मुन्सिफ कोर्ट रूपवास में किन कारणों से नहीं खोला गया जबकि जनता द्वारा यह मांग वर्ष 1980 से की जाती रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि मुन्सिफ कोर्ट हेतु रूपवास में भवन उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार वर्ष 1991 में मुन्सिफ कोर्ट खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, धनाभाव के कारण रूपवास में मुन्सिफ कोर्ट खोला जाना संभव नहीं हो पाया है।

(2) वर्ष 1991 में रूपवास में मुन्सिफ कोर्ट खोलने का विचार नहीं है। धनाभाव के कारण ऐसा करना संभव नहीं पा रहा है।

सार्क बालिका वर्ष में बालिकाओं के विकास हेतु योजनायें

279. **श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सार्क बालिका वर्ष में राज्य सरकार ने बालिकाओं के विकास के लिए किन किन योजनाओं की शुरूआत की ?

(2) इन योजनाओं से कितनी बालिकाएं लाभान्वित हुई ?

(3) क्या इन योजनाओं को निरन्तर जारी रखने का सरकार का इरादा है ?

उत्तर

(1) सार्क बालिका वर्ष में महिला विकास कार्यक्रम के माध्यम से बालिकाओं के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका विषय पर "चर्चाओं" का आयोजन किया गया कुछ जिलों में बालिका मेले लगाये गये और बालिकाओं को स्कूल में दाखिल करवाने का प्रयास किया गया। व्यापाक टीकाकरण योजना के अन्तर्गत विशेष अभियान चलाकर बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। इसी प्रकार बाल विवाह पर एक विशेष अभियान चलाकर बालिका विवाह रूकवाए गए।

(2) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग डेढ़ हजार बालिकाओं को स्कूल में भर्ती कराया गया। तकरीबन साढ़े चार हजार बालिकाओं को टीकाकरण से लाभान्वित कराया गया। और तकरीबन साढ़े पांच सौ बालिकाओं का बाल विवाह रूकवाया गया।

(3) इन कार्यक्रमों की सफलता देखकर ही भविष्य में इन्हें चलाने पर निर्णय लिया जावेगा।

डेयरी फैडरेशन द्वारा जिला संघो से प्राप्त राशि

280. **श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर) एवं **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री शिवजीराम मीणा)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन ने जिला संघों के करोड़ों रुपये, अपने प्रबन्ध संचालकों से मिलकर अपने पास रख लिये हैं ? यदि हां, तो किन-किन जिला दुग्ध संघों की कितनी-कितनी धनराशि राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन में बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन एवं उसके प्रतिनियुक्त प्रबन्ध संचालक द्वारा किये गये इस गैर कानूनी एवं दुस्साहस भरे कदम की सरकार उच्च स्तरीय जांच कराने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) उपरोक्त धन राशि कब तक उपरोक्त जिला संघों को लौटा दी जावेगी।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

रोड़वेज के नये डिपो

281. **श्री फूल चन्द** (नीम का थाना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वित्त वर्ष 1991-92 में राजस्थान में कहां-कहां नये रोड़वेज डिपो खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नीम का थाना नगर बस स्टैण्ड व डिपो खोलने का प्रस्ताव सरकार के लम्बे समय से विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब कब तक व्यवस्था कर दी जायेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोई नया आगार नहीं खोला जाना है।

(2) जी नहीं।

टोडारायसिंह (टोंक) क्षेत्र में अवाप्त भूमि

282. **श्री घासीलाल चौपड़ा** (टोडारायसिंह): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील क्षेत्र टोडारायसिंह, जिला टोंक में कितनी कृषि भूमि सीलिंग एक्ट में भूपतियों से अब तक अवाप्त की गई ?

(2) क्या समस्त भू-पतियों से अवाप्त की गई भूमि, भूमिहीनों को अलाट कर दी गई है ? यदि नहीं, तो अब कब तक कर दी जायेगी ?

(3) क्या सीलिंग में जो भूमि अवाप्त की गई है वह भूमिहीनों को अलाट की गई है ? क्या उसका कब्जा अलाटियों को दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील क्षेत्र टोडारायसिंह, जिला टोंक में 524 एकड़ कृषि भूमि सीलिंग एक्ट में भूपतियों से अब तक अवाप्त की गई है।

(2) अवाप्त की गई भूमि में 408 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया इस आवंटन में से 400 एकड़ भूमि भूमिहीनों को तथा 8 एकड़ भूमि चारागाह में परिवर्तित की गई है। आवंटन से शेष 116 एकड़ भूमि में से 102 एकड़ भूमि पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश होने के कारण आवंटन नहीं किया गया तथा 14 एकड़ भूमि का आवंटन शीघ्र कर दिया जावेगा।

(3) सीलिंग में अवाप्त भूमि का आवंटन जो भूमिहीनों को किया गया है, उसका समस्त अलाटियों को कब्जा दिला दिया गया है।

(178)

परिशिष्ट-3

तारांकित प्रश्न संख्या 257 का विवरण

केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार पोषाहार देकर समेकित बाल विकास परियोजनाओं से लाभान्वित महिला एवं बच्चों का विवरण निम्नानुसार है।

(संख्या लाखों में)

क्र.सं.	वर्ष	गर्भवती एवं धात्री महिलायें	बालक	योग
1.	1985–86	0.56	2.73	3.29
2.	1986–87	0.77	3.76	4.53
3.	1987–88	0.85	6.37	7.32
4.	1988–89	1.08	6.91	7.99
5.	1989–90	1.16	6.45	7.61
6.	1990–91 (जनवरी, 1991 तक)	1.09	6.28	7.37

राजस्थान—सरकार

महिला और बाल विकास विभाग

महिला विकास कार्यक्रम का विस्तार

प्रश्न (1) के सम्बन्ध में तालिका :—

1-जयपुर
2-भीलवाड़ा
3-अजमेर
4-बांसवाड़ा
5-जोधपुर
6-उदयपुर

नोट :—इन जिलों में योजना 31-3-1986 के पहले प्रारंभ हो गई थी।

7-कोटा वर्ष-1987-88
8-सीकर वर्ष-1988-89
9-डूंगरपुर वर्ष-1988-89

नोट :—इस योजना के अधीन व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित नहीं किया जाता है, ग्रामीण महिलाओं को विकास कार्यक्रम की जानकारी देकर जागृति फैलाई जाती है। इसीलिए इस योजना के अन्तर्गत संख्या में लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं।

(179)

ग्रामिण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों विकास का कार्यक्रम (ड्वाकरा) का विस्तार :-

: : ड्वाकरा कार्यक्रम : :

1-अलवर	282	समूह	नोट :— इन जिलों में योजना 1986 के पहले से शुरू है। लाभान्वित 1-4-1986 के बाद के दिखाये हैं।	गठित महिला समूह :- प्रत्येक महिला समूह में 15-20 महिलायें होती हैं
2-बांसवाड़ा	206	समूह		
3-भीलवाड़ा	193	समूह		
4-पाली	152	,,		
5-जोधपुर	130	,,	वर्ष-86-87	
6-टोंक	100	,,	,, 87-88	
7-उदयपुर	86	,,	,,-88-89	
8-सीकर	60	,,	,,-88-89	
9-बाड़मेर	35	,,	,,-89-90	
10-धौलपुर	60	,,	,,-89-90	
11-जालौर	14	,,	,,-90-91	

योग :-1318 महिला समूह

नोट :— दिनांक 1-4-86 से 31-1-91 तक कुल 1298 महिला समूहों का गठन किया गया है, प्रत्येक समूह में 15--20 महिलायें सदस्य होती है। 1-4-86 के पहले कुल 286 समूह बने थे। इस तरह आज तक कुल 1604 समूह बने हैं।

शहरी क्षेत्र की विधवा महिलाओं को स्व-रोजगार की आरम्भिक योजना :—

यह योजना वर्ष 88-89 के लिये थी। इस योजना में निम्न जिलों को निम्नानुसार लक्ष्य एवं राशि आंवटित की गई थी :—

क्र. सं.	जिला	लक्ष्य	राशि	लाभान्वित महिलाएं
1.	उदयपुर	50	1. 25 लाख	37
2.	कोटा	50	1. 25 ,,	33
3.	पाली	50	1. 25 ,,	23
4.	डूंगरपुर	50	1. 25 ,,	—
5.	भीलवाड़ा	50	1. 25 ,,	24
6.	बाड़मेर	50	1. 25 ,,	26
7.	चुरू	50	1. 25 ,,	—
8.	अलवर	50	1. 25 ,,	52
9.	अजमेर	50	1. 25 ,,	—
10.	जयपुर	50	1. 25 ,,	—
	योग :—	500	12. 50 ,,	195

भाग (2) की तालिका

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी टोड़ाभीम जिला सवाई माधोपुर

वर्ष 1990—जनवरी से दिसम्बर तक विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों पर

पोषाहार वितरण तालिका

क्रमांक	नाम केन्द्र	मुरमुरे 20 किलो प्रति कट्टा		पंजीरी	
1	2	3		4	
1.	टोडीपाड़ा	38	कट्टे	11	कट्टे
2.	काजी पाड़ा	38	कट्टे	11	कट्टे
3.	ताता कुआं	38	20Kg	11	Kg 20
4.	जिन्सी पुरा	38	20Kg	11	Kg 20
5.	रंगलाल पुरा	38	प्रति	11	प्रति
6.	खादडा पाड़ा	38	प्रति	11	प्रति
7.	मेहन्दीपुर	38	कट्टा	11	कट्टा
8.	दांतली	38	कट्टा	11	कट्टा
9.	गटरोली	38	,,	11	,,
10.	पाटोली	38	,,	11	,,
11.	अरणतपुरा	38	,,	11	,,
12.	मनकपुरा	38	,,	11	,,
13.	मंसीना	38	,,	11	,,
14.	पाडला-I	48	,,	14	,,
15.	पाड़ला-II	38	,,	11	,,
16.	मूड़ा	38	,,	12	,,
17.	झाडीसा	38	,,	12	,,
18.	अजीजपुरा	38	,,	12	,,

1	2	3	4		1	2	3	4	
19.	मीमपुरा	41 कट्टे	8	कट्टे	20.	शंकरपुरा डोरका	38 कट्टे	12	कट्टे
21.	नांगल बाट-I	38 20Kg	12	20Kg	22.	नांगल बाट-II	38 20Kg	12	20Kg
23.	सांकरवाड़ा	30 प्रति	12	प्रति	24.	मैसा	40 प्रति	12	प्रति
25.	पद्मपुरा-I	40 कट्टा	12	कट्टा	26.	पद्मपुरा-II	40 कट्टा	12	कट्टा
27.	पद्मपुरा-III	40 ,,	12	,,	28.	मनोज	38 ,,	12	,,
29.	दादनपुर	38 ,,	11	,,	30.	शहराकर	38 ,,	11	,,
31.	मरब ठोठ	38 ,,	11	,,	32.	खोहरा-I	38 ,,	11	,,
33.	खोहरा-II	38 ,,	11	,,	34.	खोहरा-IIII	38 ,,	11	,,
35.	सुजानपुरा	38 ,,	11	,,	36.	गज्जुपुरा	38 ,,	11	,,
37.	नाद खुर्द	38 ,,	11	,,	38.	बैरोज	38 ,,	11	,,
39.	बीजलवाड़ा	38 ,,	11	,,	40.	एदलपुर	38 ,,	11	,,
41.	मण्डारी-अ	38 ,,	11	,,	42.	त्रिशूल	38 ,,	11	,,
43.	मोरड़ा-I	38 ,,	11	,,	44.	मोरड़ा-II	38 ,,	11	,,
45.	मोरड़ा-III	38 ,,	11	,,	46.	मोरड़ा-IIII	38 ,,	11	,,
47.	राजौर	38 ,,	11	,,	48.	मण्डारी बैरुनी	38 ,,	11	,,
49.	नांगल शेरपुर-I	38 ,,	11	,,	50.	नांगल शेरपुर-II	38 ,,	11	,,
51.	कजोली	38 ,,	11	,,	52.	गढ़ी मोरड़ा	38 ,,	11	,,

1	2	3		4	
53.	महवा-I	38	कट्टे	11	कट्टे
55.	महवा-III	37	20Kg	11	20Kg
57.	शेखपुरा-I	37	प्रति	11	प्रति
59.	अट्यापुर	37	कट्टा	11	कट्टा
61.	मारेड़ा	37	,,	11	,,
63.	निसूरा-II	37	,,	11	,,
65.	पहाडी-I	37	,,	11	,,
67.	उरदेन	37	,,	11	,,
69.	कमालपुरा-II	37	,,	11	,,
71.	किशनपुरा चारण	37	,,	11	,,
73.	मण्डेरू	37	,,	11	,,
75.	जोधपुरा	37	,,	11	,,
77.	मातासूला	37	,,	11	,,
79.	खिरखिडि	37	,,	11	,,
81.	गोपालपुरा	37	,,	11	,,
83.	जैसनी	37	,,	11	,,
85.	मेरेड़ा	37	,,	11	,,
87.	खेड़ी-II	87	,,	11	,,
89.	जौल	36	,,	12	,,
91.	बिशनपुराचमारान	36	,,	12	,,
54.	महवा-II	37	कट्टे	11	कट्टे
56.	राणोली	37	10Kg	11	20 Kg
58.	शेखपुरा-II	37	प्रति	11	प्रति
60.	किरवाड़ा	37	कट्टा	11	कट्टा
62.	निसूरा-I	37	,,	11	,,
64.	मौपुर	37	,,	11	,,
66.	पहाडी	37	,,	11	,,
68.	कमालपुरा-I	37	,,	11	,,
70.	धवान	37	,,	11	,,
72.	गावड़ी	37	,,	11	,,
74.	गाजीपुर	37	,,	11	,,
76.	खानपुर	37	,,	11	,,
78.	चुरपुरा	37	,,	11	,,
80.	करीरी	37	,,	11	,,
82.	मिर्जापुर	37	,,	11	,,
84.	माचड़ी	37	,,	11	,,
86.	खेड़ी	37	,,	11	,,
88.	बहादरपुर	37	,,	11	,,
90.	डौरावली	36	,,	12	,,
92.	बोल-I	35	,,	11	,,

1	2	3	4
93.	बोल-II	35 कट्टे	11 कट्टे
95.	बालधार-I	35 20Kg	11 20 Kg
97.	पाड़वी घाट	36 प्रति	11 प्रति
99.	बदलेरा बुजुर्ग	36 कट्टा	11 कट्टा
101.	पैंचला	36 ,,	11 ,,
103.	लपावली	36 ,,	11 ,,
105.	मूड़ियाII	36 ,,	11 ,,
107.	तिघरिया-I	36 ,,	11 ,,
109.	तिघरिया-III	36 ,,	11 ,,
111.	जयसिंहपुरा	36 ,,	11 ,,
113.	सहमदपुर	36 ,,	11 ,,
115.	नया गांव	36 ,,	11 ,,
117.	पीलुआ	36 ,,	11 ,,
119.	तिगरिया	36 ,,	11 ,,
94.	बोल-III	35 कट्टे	11 कट्टे
96.	बालधार-II	36 20Kg	11 20Kg
98.	बदलेरा खुर्द	36 प्रति	11 प्रति
100.	कुछावल	36 कट्टा	11 कट्टा
102.	घाटला	36 ,,	11 ,,
104.	मूड़िया-I	36 ,,	11 ,,
106.	मूड़िया-III	36 ,,	11 ,,
108.	तिघरिया-II	36 ,,	11 ,,
110.	जगदीशपुरा	36 ,,	11 ,,
112.	करमपुरा	36 ,,	11 ,,
114.	मौसलपुर	36 ,,	11 ,,
116.	देवलेन	36 ,,	11 ,,
118.	सालेमपुर	36 ,,	11 ,,
120.	नन्दपुरा	36 ,,	11 ,,
	कुलयोग :–	89, 380 कि. ग्रा.	26, 700 कि. ग्रा.

भाग (3) के सम्बन्ध में तालिका

बाल विकास परियोजना टोड़ाभीम के लिये क्रय किये गये एवं वितरण किये गये मुरमुरे एवं पंजीरी का विवरण

वर्ष 1	मुरमुरे 2	पंजीरी 3
वर्ष 1990	89, 300 किलो 80 किलो	26, 700 किलो
नोट :— 31–12–89 के शेष में से मुरमुरे 80 किलो वितरण किये गये ।		
योग	89, 380 किलो	26, 700 किलो

इस तरह इस क्षेत्र में कुल 89, 300 किलो मुरमुरे और 26, 700 किलो पंजीरी प्राप्त हुई एवं बांटी गई ।

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 433 की सूची

अब तक बन्द किये गये निराश्रित बाल गृहों की सूची :—

क्र. सं.	नाम संस्था	स्वीकृत बालकों की संख्या	आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	स्वावलम्बन शिक्षण संस्थान जालौरी गेट, जोधपुर	25	440/7-3-89/1988-89
2.	मानव कल्याण सोसायटी, जयपुर	25	56882/23-10-89
3.	हरिजन सेवक समिति, सूरजगढ़ (झुन्झुनू)	25	26963/5-5-90
4.	लाल बहादुर शास्त्री शिशु निकेतन समिति कांकरोली (उदयपुर)	25	23950/5-5-90
5.	मानव सेवा मंदिर समिति रोहिड़ावाली (गंगानगर)	100	26735/4-5-90
6.	मनोहर बाल मंदिर समिति श्री गंगानगर	50	26735/4-5-90
7.	मानव मंगल मॉडल स्कूल, गंगानगर	25	26735/4-5-90
8.	जवाहर बाल मन्दिर उच्च प्राथमिक विद्यालय, श्रीकरणपुर (गंगानगर)	25	26735/4-5-90
9.	गांधीन जनता सेवा समिति, अजमेर	25	29825/21-5-90
10.	नूतन बाल भारती समिति, अजमेर	25	29825/21-5-90
11.	राजस्थान महिला एवं बाल विकास समिति, अजमेर	25	29825/21-5-90
12.	सीवन कला विद्यालय, अजमेर	25	29825/21-5-90
13.	विक्टोरिया मान्टेशरी स्कूल, जयपुर	25	31781/26-5-90
14.	जगजीवन राम शिक्षा समिति, जयपुर	50	32449/28-5-90
15.	अरविन्द भारती विद्यालय समिति, जयपुर	100	32657/29-5-90
16.	शास्त्री प्राथमिक शाला, उदयपुर	175	35987/5-6-90
17.	ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान, केन्द्र, जयपुर	25	40262/28-6-90
18.	गायत्री विद्या मंदिर समिति, उदयपुर	75	40321/28-6-90
19.	महावीर बाल विद्या निकेतन, समिति जयपुर	25	(प्रशासक नियुक्ति)
20.	ममता विद्या मंदिर समिति खातीपुरा रोड़, जयपुर	25	40667/30-6-90 53926/1-9-90

(186)

1	2	3	4
21.	सरस्वती शिशु निकेतन प्रबन्ध समिति महेश्वरीयों का मोहल्ला, उदयपुर	75	54394/3-9-90
22.	बाल शिक्षा सदन, उदयपुर	50	54394/3-9-90
23.	मानव सेवा मंदिर समिति, उदयपुर	25	54394/3-9-90
24.	जवाहर सेवा मण्डल, नाथद्वारा	75	54394/3-9-90
25.	गायत्री विद्या मंदिर समिति, उदयपुर	75	54394/3-9-90
26.	निम्बार्क गंगा सोसायटी, उदयपुर	25	54394/3-9-90
27.	सरस्वती शिक्षा समिति, ब्यावर (अजमेर)	25	54441/3-9-90
28.	साहित्य सदाव्रत समिति, शास्त्रीनगर जयपुर।	25	54457/3-9-90
29.	भारत चिल्ड्रन्स शिक्षा समिति, जयपुर	25	69072/1-10-90
30.	ब्ल्यूएन्जिल्स शिक्षा समिति, इन्कमटैक्स कालोनी, दुर्गापुरा, जयपुर	25	69039/1-10-90
31.	रोशन लाल बाल विद्या मंदिर समिति, बरकत कालोनी, टोंक फाटक, जयपुर	25	69061/1-10-90

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 436 की सूची

सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग को वर्ष 1987–, 88–89, 89–90 एवं 90–91 में जो राशि विभिन्न लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत प्राप्ति तथा व्यय की गई, की "सूची"

क्र. सं.	लेखा शीर्षक	1987–88	88–89	89–90	90–91
1	2	3	4	5	6
	पिछड़े वर्गों का कल्याण				
I-	**शैक्षणिक विकास**				
	(i) प्रावधान	1316.04	1529.78	1563.22	1864.46
	(ii) व्यय :–	1276.05	1317.77	1506.54	1204.63
II-	**आर्थिक विकास**				
	(i) प्रावधान :—	1034.15	1072.75	1033.76	1183.32
	(ii) व्यय :—	1032.92	1069.75	1035.67	1001.33
III-	**सामाजिक विकास**				
	(i) प्रावधान :—	46.54	50.65	64.00	112.46
	(ii) व्यय :—	46.09	64.55	70.23	20.92
	सामाजिक कल्याण				
1-	**बाल कल्याण**				
	(i) प्रावधान :—	130.86	153.52	96.62	116.41
	(ii) व्यय :—	99.34	124.42	120.03	73.70

1	2	3	4	5	6
II- महिला कल्याण					
	(i) प्रावधान :-	23.52	28.12	29.35	42.08
	(ii) व्यय :-	29.03	25.24	26.68	16.61
III- विकलांग कल्याण					
	(i) प्रावधान : —	130.42	145.06	172.91	255.55
	(ii) व्यय :—	137.80	136.75	172.88	146.91
IV- सामाजिक सुरक्षा					
	(i) प्रावधान	480.11	598.88	815.47	-1227.89
	(ii) व्यय :—	544.03	649.80	965.54	1110.47

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 437 की सूची

परिशिष्ट "क"

केकड़ी क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., केकड़ी के दोषी कर्मचारियों के नाम व आरोपों का विवरण।

कर्मचारी व पद	आरोप		राशि
1	2		3
1. श्री बंशीधर चोबदार, व्यवस्थापक 2. ,, मांगीलाल, स्टोरकीपर	1. दाल में घटोतरी दर्शाकर स्टॉक माल का अपहरण		50400/– संयुक्त रूप से
1. ,, बंशीधर चोबदार, व्यवस्थापक 2. ,, मांगीलाल, स्टोरकीपर	नियन्त्रित वस्तुओं में घटोतरी बताकर स्टॉक माल का अपहरण		156923.34 संयुक्त रूप से
1. ,, बंशीधर चोबदार, व्यवस्थापक	असदस्यों को उधार देकर संस्था के धन को अवरुद्ध किया		857836.39 संयुक्त रूप से
2. श्री रामकिशन, कैशियर	1. असदस्यों को उधार देकर	636394.00	
3. ,, छीतरमल, लेखापाल	2. असदस्यों एवं कर्मचारियों को अनावश्यक एडवांस देकर	150335.49	
	3. सप्लाई कलक्टर के नामे लिखकर	71106.90	
1. श्री बंशीधर चोबदार, व्यवस्थापक	मोटर साइकिल पर पेट्रोल खर्च		5792.55
1. ,, बंशीधर चोबदार, व्यवस्थापक	मोटर साइकिल मरम्मत बिना स्वीकृति		10715.94

1	2	3
1. श्री बंशीधर चोबदार, व्यवस्थापक	संस्था में वर्ष के दौरान ट्रंककाल रजिस्टर प्रस्तुत नहीं कर	17598.00
1. श्री बंशीधर चोबदार, व्यवस्थापक	गोदाम भवन पर बिना स्वीकृति खर्च	23252.69
1. ,, बंशीधर चोबदार, व्यवस्थापक 2. ,, गोपाल सिंह, सैल्समैन	कीटनाशक दवाइयों के स्टॉक में से अवविपार दवाइयों की राशि	19494.75 संयुक्त रूप से
1. ,, बंशीधर चोबदार, व्यवस्थापक	अनावश्यक धनिया खरीद कर	76350.00
1. ,, बंशीधर चोबदार, व्यवस्थापक	असदस्यों के नामे अनावश्यक उधार मांडकर	84670.00
1. ,, गोपाल सिंह, सैल्समैन	उपभोक्ता शाखा में बिक्री की राशि कम जमा	503.37
1. ,, बंशीधर चोबदार, व्यवस्थापक 2. ,, मांगीलाल, लेखापाल 3. ,, रामकिशन, केशियर	शक्कर पर डेमरेज 89.90	57137.00 संयुक्त रूप से
1. ,, मांगीलाल, लेखापाल	स्टॉक कम खाद, दवाइयां	2944-50
1. ,, गोपाल सिंह, सैल्समैन	स्टॉक माल दवाइयां कम पाई	24173.43
1. ,, रामकिशन, केशियर	माल कम पाया गया यात्रा भत्ता, पी. एफ., अमानत गलत नामे लिखी 1. माल कम पाया 343.36 2. यात्रा भत्ता 7761.78 3. पी. एफ. नामे 39000.00 4. अमानत लौटाई 69550.00	116655.14

1	2		3
1. श्री रणवीर सिंह, सैल्समैन	स्टॉक माल कम पाया—		1064.49
1. श्री मांगीलाल, लेखापाल	माल स्टॉक बीज, दवाइयां, बारदाना कम पाया		23688.00 संयुक्त रूप से
2. श्री गोपाल सिंह, सैल्समैन			
1. श्री बंशीधर चोबदार, व्यवस्थापक	जीप, मोटर साइकिल पर अनावश्यक खर्च माल पर अग्रिम धनिया क्रय कर हानि पहुंचाई—		55508.56
	1. वर्ष 89-90 में पेट्रोल जीप किराया मोटर साइकिल रिपेयर	35853.67	
	2. वर्ष 89-90 में धनिया खरीद में हानि	14654.89	
	3. शिवनन्दन सिंह को माल पर अग्रिम	1000.00	
1. श्री बंशीधर चोबदार, व्यवस्थापक	वर्ष 89-90 में छीजत		53446.13
2. श्री मांगीलाल, लेखापाल			
1. श्री बंशीधर चोबदार, व्यवस्थापक	वर्ष 86-87 में छीजत		26997.07 संयुक्त रूप से
2. श्री बंशीलाल मिश्र, स्टोरकीपर			

(192)

परिशिष्ट 'ख'

क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., केकडी राशन डीलर्स की जमा राशि का विवरण

क्रमांक	नाम राशन डिलर	जमा राशि (अमानत)
1.	श्री अर्जुन सिंह-मदनसिंह लमगरा	2099 . 61
2.	श्री बद्रीलाल-गोकुलराम सलारी	63 . 61
3.	श्री भंवर लाल राटा, केकडी	10686 . 70
4.	श्री शम्भूनाथ-भूरानाथ कादेडा	367 . 29
5.	श्री गौतम चन्द जैन सरवाड	2878 . 50
6.	श्री घीसालाल-दरोगा कणाईकला	4086 . 64
7.	श्री छगन लाल कलाल खीरिया	14562 . 25
8.	श्री डगामीलाल जैन बखाव	14168 . 75
9.	श्री लालचन्द-थावरदास मूबकिया	19247 . 84
10.	श्री नायायणदास-थारूमल मीनाय	1285 . 75
11.	श्री प्रकाशपुरी-लालपुरी राममालिया	21662 . 00
12.	श्री रामस्वरूप-गंगाराम नायक केकडी	9518 . 75
11..	श्री पदमसिंह बाबेल-देवलियाकला	1930 . 01
14.	श्री दलपतसिंह नागसी	2159 . 86
15..	श्री नन्दपुरी-छगनपुरी खातोखाव	227 . 84
16.	श्री अमरसिंह कराटी	2410 . 00
	योग :-	107355 . 40

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 443 की सूची

अजमेर शहर में स्थित सरकारी कार्यालय जो कि निजी भवनों में चल रहे हैं की स्थिति।

क्र.सं.	कार्यालय का नाम, मकान मालिक का नाम एवं पूर्ण पता	मासिक किराया	वार्षिक किराया
1	2	3	4
1.	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, अजमेर	5659/-	67908/-
2.	भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, अजमेर श्री सुन्दरलाल शारदा सिविल लाइन, अजमेर	1478/-	17740/-
3.	11 राज. बटा. एन. सी. सी., अजमेर	149/-	1786/-
4.	जिला महिला विकास अभिकरण, अजमेर	1610/-	19320/-
5.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत अजमेर श्रीमती कुसुम माथुर, सिविल लाईन्स, अजमेर	793/-	9516/-
6.	उपायुक्त (अपील्स) वा. कर. विभाग, अजमेर श्री शिवशंकर गोयल, नया बाजार, अजमेर	433/-	5196/-
7.	नगरीय भूमि एवं भवन कर विभाग, अजमेर	788/-	9456/-
8.	समाज कल्याण विभाग, अजमेर नाजिम, दरगाह कमेटी, अजमेर	927/-	11120/-
9.	जिला मूल्यांकन विभाग, अजमेर	301/-	3912/-
10.	बीसलपुर परि. निर्माण उपखण्ड प्रथम, खण्ड-II अजमेर श्री आर. के. गोयल, अजमेर	700/-	8400/-
11.	जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर श्रीमती जे. यू. कपूर, सिविल लाइन, अजमेर	3523/-	42276/-
12.	आबकारी निरोधक दल, अजमेर	1584/-	19008/-
13.	2 राज. इन्जि. कोय एन. सी. सी, अजमेर	1341/-	16092/-
14.	2 राज. नेवल यूनिट एन. सी. सी., अजमेर	930/-	11160/-
15.	राजस्थान राज्य अभिलेखागार, अजमेर श्रीमती शान्ति माथुर, लोहागल रोड, अजमेर	2267/-	27204/-
16.	क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त, अजमेर	600/-	7200/-
17.	सार्वजनिक विश्लेषक प्रभारी, जन स्वा. प्रयोगशाला, अजमेर	1370/-	16440/-
18.	सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत खण्ड, अजमेर	2351/-	28212/-

1	2	3	4
19.	रीजनल ऑडिट आफिसर, सं. सं., अजमेर श्रीमती रोलकंवर, सिविल लाइन, अजमेर	700/-	8400/-
20.	राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर	962/-	11544/-
21.	राज. आर्टी बैट्री एन. सी. सी., अजमेर गरिसन इन्जि., नसीराबाद	328/-	3936/,
22.	सहायक निदेशक, भूमि एवं भवन कर विभाग, अजमेर	984/-	11808/-
23.	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अजमेर श्री पुष्कर ना. माथुर, रेम्बल रोड, अजमेर	2506/-	30072/-
24.	जिला सैनिक बोर्ड, अजमेर	67/-	804/-
25.	राजस्थान विक्रय कर अधिकरण, अजमेर	3730/-	44760/-
26.	पुलिस अधीक्षक (रेल्वेज), अजमेर श्री मनमोहन लोढ़ा, अजमेर	194/-	2328/-
27.	सहायक निदेशक (यूनानी), आयुर्वेद विभाग, अजमेर	801/-	9622/-
28.	खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, अजमेर	1367/-	16404/-
29.	उप महानिरीक्षक पुलिस अजमेर रेन्ज, अजमेर श्रीमती रामप्यारी ईनाणी, अजमेर	2000/-	24000/-
30.	स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, अजमेर श्री बी. एल. माथुर, सिविल लाइन, अजमेर	976/-	11712/-
31.	वरि. उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), अजमेर	754/-	9048/-
32	जिला भेड़ व ऊन विभाग, अजमेर श्री श्याम ना. माथुर, सिविल लाइन, अजमेर	823/-	9876/-
33.	जन स्वा. अभि. विभाग, ड्रिलिंग खण्ड, अजमेर	2233/-	26796/-
34.	भू-प्रबन्ध विभाग, अजमेर श्री सैयद तायुक हुसैन, अजमेर	3457/-	41484/-
35.	महिला बच्चे एवं पोषाहार विभाग, अजमेर श्री काशीराम शर्मा, प्रोफेसर उदयपुर वि. वि., उदयपुर	1870/-	22440/-
36.	वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक खान एवं भू-विज्ञान, अजमेर श्रीमती प्रेमदुलारी कक्कड़, शास्त्री नगर, अजमेर	1495/-	17940/-
37.	राज. आयु. नर्स/कम्पाण्डर प्रशि. केन्द्र, अजमेर	456/-	5472/-

1	2	3	4
38.	उप मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी (स्वा.), अजमेर कैप्टीन पी. सी. ठाकुर, अजमेर	987/-	11844/-
39.	उप मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी (पक), अजमेर कैप्टीन ओ. जे. माथुर, लोहागल रोड़, अजमेर	231/-	2772/-
40.	जिला भू-संरक्षण अधिकारी, अजमेर श्री एम. डी. कोरानी, अजमेर	1788/-	21456/-
41.	आयुर्वेद शल्य चल चिकित्सा इकाई,अजमेर श्री महेशनारायण माथुर, जयपुर।	982/-	11784/-
42.	वाणिज्यिक कर अधिकारी (करापवंचन), अजमेर श्री एस. पी. माथुर, आनासागर लिंक रोड़, अजमेर	2757/-	33084/-
43.	सार्व. निर्माण विभाग, रा. उ. मा. खण्ड, अजमेर श्री जी. एस. सिमलोट, जयपुर।	3300/-	39600/-
44.	जिला आयुर्वेद अधिकारी, अजमेर बौद्ध बिहार मन्दिर, सोसायटी, अजमेर	501/-	6012/-
45.	भू जल वैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान भू जल विभाग, अजमेर, श्री नन्दकिशोर, सावित्री स्कूल के सामने, अजमेर	986/-	11832/-
46.	पारिवारिक न्यायालय, अजमेर डा. सूरजनारायण माथुर, अजमेर	2328/-	27936/-
47.	संयुक्त निदेशक, उद्योग, सिविल लाइन, अजमेर	3139/-	37768/-
48.	राज. शिक्षक प्रशि. विद्यालय भा. अ. सं., अजमेर	1227/-	14724/-
49.	उप निदेशक कृषि (भू-संरक्षण), अजमेर	1587/-	19044/-
50.	उप रजिस्टार, सहकारी समितियां, अजमेर श्री नन्दकिशोर, सिविल लाइन, अजमेर	2528/-	30336/-
51.	जन स्वा. अभि. विभाग, बीसलपुर परि. खण्ड-I अजमेर	40/-	484/-
52.	जिला पशु पालन अधिकारी, अजमेर	600/-	7200/-
53.	सहायक विद्युत निरीक्षणालय, अजमेर	987/-	11844/-
54.	सहायक निदेशक होम्योपैथिक, अजमेर श्री अरुण कुमार माथुर, डी. एम., एच. एम. टी. अजमेर	886/-	10632/-

1	2	3	4
55.	अधि. अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि. विभाग, नगर खण्ड राजस्व, अजमेर	140/-	1680/-
56.	सहायक अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, नगर खण्ड राजस्व, अजमेर	1050/-	12600/-
57.	अधि. अभि., जन स्वा. अभि. विभाग, जिला ग्रामीण खण्ड, अजमेर	1805/-	21660/-
58.	डिप्टी जनरल मैनेजर, आर. एस. आर. टी सी., अजमेर श्री आर. एन., मीणा, वैशाली नगर, अजमेर	1567/-	18804/-
59.	अधि. अभि., जन स्वा. अभि. विभाग, बीसलपुर परि. खण्ड-II, अजमेर	2700/-	32400/-
60.	अधि. अभि., सार्व. निर्माण विभाग, डी. डी.-III, अजमेर, श्री जगदीश ना. माथुर, माकड़वाली रोड़, अजमेर	2261/-	27132/-
61.	स्पेशल आडिटर, सहकारी समितियां, अजमेर	1360/-	16320/
62.	उप नगर नियोजक, अजमेर श्री अब्दुल गयूम मुयीन मोईपी, क. अ., सा. नि. वि., दरगाह बाजार, अजमेर	250/-	3000/-
63.	मत्स्य पालक विकास अभिकरण, अजमेर श्रीमती राजेश माथुर, आनासागर लिंक रोड़, अजमेर	किराये का निर्धारण नहीं हुआ है।	
64.	कलक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजि., अजमेर स्कूल भवन एस. एम. बी. प्राइमरी स्कूल रामगंज मलकानी गार्डन, अजमेर	2225/-	26700/-
65.	एसिस्टेंण्ड एक्साइज आफिसर, ई. पी. एफ., अजमेर सी. एल. माथुर, लोहागल रोड़, अजमेर	1532/-	18384/-
66.	उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, अजमेर श्री दिनेश बोहरा, शास्त्रीनगर, अजमेर	1587/-	19044/-
67.	उप निदेशक कृषि (विस्तार), अजमेर श्री मोहनलाल बाकोलिया, शास्त्री नगर, अजमेर	675/-	8100/-
68.	पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर श्रीमती अम्बादेवी माथुर, सिविल लाइन, अजमेर	6426/-	77116/-

1	2	3	4
69.	कारखाना एवं बायलर्स, अजमेर श्री आई. जी. अरोड़ा, शास्त्री नगर, अजमेर	750/-	9000/-
70.	जिला यातायात अधिकारी, अजमेर श्रीमती ग्लेन्डा डेविड, सिविल लाइन्स, अजमेर	493/-	5916/-
71.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, ब्यावर (अजमेर शहर में डिस्पेन्सरीज)-4	1107/-	13284/-
72.	पुलिस अधीक्षक, अजमेर (अजमेर शहर में चौकियां-6)	1123/-	13476/-
	योग :	66833/-	801996/-

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न संख्या 445 की सूची

वर्ष 1980 से 1990 तक पदोन्नति से वंचित रहे लेखाकर्मियों की सूची

(अ) सहायक लेखाधिकारी

सर्वश्री

1. कानमल धारीवाल
2. रिद्धकरण शर्मा
3. रामचन्द्र पीटूदिया
4. गोपालदत्त लोहमी
5. दयालचन्द

(ब) लेखाकार

सर्वश्री

1. हीरालाल
2. श्रीनारायण कसेरा
3. रमेश कुमार बोहरा
4. महावीर प्रसाद शर्मा
5. विजय शंकर राठी
6. हरबंशलाल मिनोचा
7. बनवारीलाल गोयल
8. देवीनारायण माथुर
9. निहालसिंह कुंतल
10. छगनबिहारी टेलर
11. रघुवरदयाल
12. शब्बीरअली

(स) कनिष्ठ लेखाकार

सर्वश्री

1. नानकचन्द गुप्ता
2. पूरणसिंह
3. कुतुबूद्दीन
4. बद्रीनारायण विजय
5. परमेश्वर दयाल सक्सेना
6. नटवर बिहारी सक्सेना
7. नरोत्तम प्रसाद प्रश्नोरा
8. हरिओम अग्रवाल
9. ए. ए. कुरेशी
10. मनोहर नानासाहिब मालेराव
11. बृजलाल
12. कैलाशसिंह मेहता
13. रतनलाल बाडमेरा
14. भंवरलाल पण्ड्या
15. रामेश्वरलाल मण्डोवरा
16. नन्दलाल अलावदा
17. दीपचन्द खोरवाल

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 450 की सूची

झालावाड़ जिले में कार्यरत पशु चिकित्सालयों की सूची

क्र. सं.	पशु चिकित्सालय का नाम	क्र.सं.	पशु चिकित्सालय का नाम
1.	झालावाड	10.	पचपहाड
2.	बकानी	11.	झालरापाटन
3.	असनावर	12.	गंगधार
4.	खानपुर	13.	घाटोल
5.	अकलेरा	14.	भालता
6.	डग	15.	सुनेलटप्पा
7.	मनोहरथाना	16.	डावला खींची
8.	पिडावा	17.	चौडमेला
9.	भवानी मण्डी		

परिशिष्ट — 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 452 की सूची

निम्बाहेड़ा (छोटी सादड़ी) विधान सभा क्षेत्र के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे पशु चिकित्सालयों की सूची

क्र. सं.	पशु चिकित्सालय का नाम	शहरी/ग्रामीण
1.	निम्बाहेडा	शहरी
2.	छोटी सादड़ी	शहरी
3.	धोला पानी	ग्रामीण
4.	कनेरा	ग्रामीण
5.	बिनोता	ग्रामीण

(15) 200

परिशिष्ट—11

मुख्य आयोजना अधिकारी जिला योजना की जिलेवार एवं सेवावार सूची

क्रम सं.	जिले का नाम	मुख्य आयोजना अधिकारी के पद पर कार्यरत अधिकारी की सेवा का नाम
1.	अजमेर	(1) राजस्थान प्रशासनिक सेवा
2.	अलवर, बांसवाड़ा, बीकानेर चित्तौड़गढ़, स. माधोपुर उदयपुर	(6) राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा
3.	सीकर, भरतपुर	(2) राजस्थान मूल्यांकन सेवा
4.	बाड़मेर, धोलपुर, जालौर	(3) राजस्थान भेड़ व ऊन सेवा
5.	बूंदी	(1) राजस्थान कृषि (सांख्यिकी) सेवा
6.	चूरू, डूंगरपुर	(2) राजस्थान कृषि अभियान्त्रिकी सेवा
7.	झालावाड़	(1) राजस्थान भू-जल सेवा
8.	झुंझुनूं, नागौर, टोंक	(3) राजस्थान कृषि सेवा
9.	पाली	(1) राजस्थान भूमि विकास निगम सेवा
10.	भीलवाड़ा, जयपुर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, सिरोही	(7) रिक्त पद
		27

जिला आयोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अधिकरण की जिलेवार एवं सेवावार सूची

क्रम सं.	जिले का नाम	जिला आयोजना अधिकारी के पद पर कार्यरत अधिकारी की सेवा का नाम
1.	अजमेर, अलवर, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, जालौर, पाली, नागौर, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, बीकानेर	(12) राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा
2.	बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, झालावाड़	(3) राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा (चयनित परियोजना अधिकारी)
3.	कोटा, सिरोही	(2) राजस्थान मूल्यांकन सेवा
4.	बाड़मेर, भरतपुर, झुंझुनूं, जोधपुर	(4) राजस्थान कृषि सेवा
5.	भीलवाड़ा, जैसलमेर	(2) राजस्थान सहकारी सेवा
6.	बूंदी	(1) राजस्थान भू-जल सेवा
7.	चित्तौड़गढ़	(1) राजस्थान कृषि (सांख्यिकी) सेवा
8.	चूरू	(1) राजस्थान शिक्षा सेवा
9.	उदयपुर	(1) राजस्थान पशुपालन सेवा
		27

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 459 की सूची

हिण्डौन में कार्यरत कोर्ट्स तथा विचाराधीन एवं निपटाये गये मुकदमों की सूची

दिनांक 1-1-90 से 25-2-91 तक निर्णित व दिनांक 25-2-91 को विचाराधीन मुकदमों की संख्या

क्रमांक	मुकदमों का विवरण	ए. डी. जे. करोली		ए. सी. जे. एम. हिण्डौन		एम. जे. एम. हिण्डौन		ए. एम. जे. एम. हिण्डौन		जे. एम. हिण्डौन	
		निर्णित	लम्बित	निर्णित	लम्बित	निर्णित	लम्बित	निर्णित	लम्बित	निर्णित	लम्बित
1.	सैशन केसेज	58	303	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	नम्बरी फोजदारी अपील	30	105	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	फौजदारी निगरानी	60	126	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	नम्बरी फौजदारी मुकदमात	—	—	220	1695	343	1351	325	1320	176	1226
5.	फोजदारी मुत्त	478	41	117	190	145	194	90	61	104	110
6.	दीवानी दावे	26	151	112	192	146	224	119	161	—	—
7.	नम्बरी दीवानी अपील	26	91	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	मुत्त. दीवानी अपील	78	67	—	39	—	—	—	—	—	—
9.	इजराय	03	17	05	31	56	161	14	45	—	—
10.	डी. आर. ए. केसेज	—	—	—	—	45	58	—	—	—	—
11.	दीवानी मुत्त. केसेज	48	57	29	24	180	60	60	39	—	—

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 467 की सूची

श्री मोहम्मद शेर खां निवासी सावा व उसके रिश्तेदारों के नाम दर्ज भूमि का विवरण

क्र.	नाम खातेदार	ग्राम 1. तहसील मदेसर	दर्ज भूमि का रकबा	भूमि प्राप्ति का विवरण	प्राप्ति की दिनांक	वर्तमान में उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री मोहम्मद शेर खां निवासी सावा (स्वयं)	भीलगटी	20 बीघा	निजी वन विकास हेतु आवंटन से	1-3-88	वृक्षारोपण हेतु उपयोग
		केसरपुरा	13-17 बीघा	श्री हजारी पुत्र जवाना रेबारी नि. केसरपुरा से क्रय की	21-11-85	खनन हेतु उपयोग
		नवाबपुरा	12-17 बीघा	श्री हजारी पुत्र मंगा आदि नवाबपुरा से क्रय की	13-2-86	कृषि हेतु उपयोग
		,,	7-11 बीघा	प्यारचंद, फूलचन्द पिता प्यारा जाट नवाबपुरा से क्रय की	28-2-86	,,
		,,	10-03 बीघा	भेरा पिता मोडा जाट नवाबपुरा से क्रय की	13-3-86	,,
		योग	64-08	(13-91 है.)		

203

1	2	3	4	5	6	7
2.	श्री गुलाब खां पुत्र फजल मोहम्मद नि. सावा (पिता)	मीलगटी	20-00 बीघा	निजी वन विकास हेतु आवंटन से	1-3-88	वृक्षारोपण हेतु उपयोग
		कनोजिया	7-04 बीघा	श्री बगा पिता चुना रेबारी नि. कनोजिया से क्रय की	13-9-85	कृषि हेतु उपयोग
		केसरपुरा	2-02 बीघा	श्री बद्रीलाल पिता भंवरलाल आदि केसरपुर से क्रय की	13-12-83	खनन हेतु उपयोग
		,,	0-14 बीघा	कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन से (छोटी पट्टी)	22-6-89	कृषि हेतु उपयोग
		नवाबपुर	3-02 बीघा	श्री अहमद खां पिता अली मोहम्मद निवासी नवाबपुरा से क्रय की	26-3-84	,,
		,,	0-18 बीघा	श्री खाजु खां पिता सुल्तान खां नि. नवाबपुरा से क्रय की	13-11-84	,,
		,,	3-00 बीघा	श्री शमशुद्दीन पिता महमूद खां नवाबपुरा से क्रय की	17-2-85	,,
		,,	2-10 बीघा	श्री अनवर मोहम्मद पिता फकीर मो. नि. नवाबपुरा से क्रय की	23-4-82	,,

1	2	3	4	5	6	7
		नवाबपुरा	3-10 बीघा	कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन से	16-3-82	कृषि हेतु उपयोग
			10-00 बीघा	श्री बहादुर खां पिता बख्तावर खां नि. नवाबगंज से क्रय की	7-8-77	"
		योग	53-00	(11-45 है.)		
3.	श्री अयूब खां पिता गुलबाज खां नि. सावा (भाई)	भीलगटी	20-00 बीघा (4-32 है.)	निजी वन विकास हेतु आवंटन से	1-3-88	निजी वन विकास हेतु उपयोग में
4.	श्री उस्मान खां पिता गुलबाज खां नि. सावा (भाई)	नवाबपुरा	2-10 बीघा	श्री भेरा पुत्र मोडा जाट नवाबपुरा से क्रय की	2-1-80	कृषि हेतु उपयोग में
		"	4-10 बीघा	श्री हजारी पिता गांगा आदि नि. साण्ड से क्रय की	2-1-80	"
		योग	7-00	(1-51 है.)		

1	2	3	4	5	6	7
2 - तहसील निम्बाहेड़ा						
1.	श्री मोहम्मद शेर खां कासीद निवासी सावा (स्वयं)		18—37 एकड़ (7–94 है.)	श्री शिवदयाल पिता कनकमल महाजन नि. चित्तौड़गढ़	22-2-88	कृषि हेतु उपयोग के साथ 0-50 एकड़ में बगीची व 0-10 एकड़ मकान है।
		साण्ड	1–00 बीघा (0–25 है.)	श्री प्यारचन्द, फूलचन्द पिता प्रतापजाट नि. साण्ड	5-3-86	भूमि पड़ताई।
3—तहसील चित्तौड़गढ़						
1.	मोहम्मद शेर खां नि. सावा (स्वयं)	सावा	5–22 है.	सेटलमेंट से पूर्व क्रय शुदा	—	काश्त
2.	,,	बनस्टी	0–31 है.	श्री हजारी पिता जीतमल गूजर बनस्टी	14-10-86	,,
3.	,,	,,	0–99 है.	श्री सवाराम पिता गंगाराम बनस्टी	6-5-87	,,

1	2	3	4	5	6	7
4.	„	बनस्टी	0–29 है.	श्री सौराम पिता जस्सा गूजर बनस्टी	11-11-86	„
5.	„	„	0–38 है.	भगवान पिता लाखा कुम्हार बनस्टी	1-10-86	„
6.	„	„	0–27 है.	तुलछी, नारायण पिता नोला गूजर बनस्टी	6-5-87	„
			7–46 है.			
7.	श्रीमती तमन्ना पत्नी शेर खां	सावा	1–31 है.	नंदा पिता नारायण गाडरी नि. सावा	5-4-88	„
8.	„	„	0–43 है.	बेणीराम, शंकर, जीतू पिता देवा सावा	„	„
9.	„	„	0–20 है.	बेबीराम, शंकर, जीतू पिता देवा	„	„
10.	„	„	0–43 है.	शंकर पिता देवा	„	„
11.	„	„	0–43 है.	जीतू पिता देवा	„	„
			2–70 है.			

1	2	3	4	5	6	7
12.	श्री गुलबाज खां (पिता)	सावा	1–00 है.	पैतृक	5-4-88	काश्त
13.	,,	बनस्टी	0–39 है.	पैतृक	,,	,,
14.	,,	ढ़ाणी	1–06 है.	पैतृक	,,	,,
			2–45 है.			
15.	श्री ग्रयूब खां (भाई)	सावा	0–54 है.	श्री चांदमल पिता कालू लखारा	12-2-87	,,
16.	,, ,,	,,	1–61 है.	सेटलमेंट से पूर्व क्रय करने से	,,	,,
			2–15 है.			
17.	श्री शाबिर खां (भाई)	सावा	1—61 है.	सेटलमेन्ट से पूर्व	,,	,,
18.	श्री शाबिर खां (भाई)	ढ़ाणी	2—81 है.	श्रीदनानालाल पिता रामचन्द्र सुथार, सावा	4-4-88	,,
				4—42 है.		

1	2	3	4	5	6	7
19.	श्री मोहम्मद फारूक (भाई)	नीम का अमराना	2—16 है.	सेटलमेन्ट से पूर्व क्रय की हुई है।	—	काश्त
20.	,, ,,	बनस्टी	0—88 है.	उदा पिता किशना गूजर, बनस्टी	9-6-88	,,
			3—04 है.			
21.	उस्मान खाँ (भाई)	सावा	0—86 है.	श्री भैरुलाल पिता कालू आदि, चिकसी	16-12-86	,,
22.	,, ,,	,,	0—86 है.	श्री अमृतराम पिता रत्यचन्द जाट,	16-12-86	,,
			1—72 है.			

गोश्वारा

क्र. सं.	नाम रिश्तेदार	कुल उपलब्ध भूमि
1.	श्री मोहम्मद शेर खाँ (स्वयं)	29--56 हैक्टेयर
2.	श्री गुलबाँज खाँ (पिता)	13--90 हैक्टेयर
3.	श्री ग्रयुब खाँ (भाई)	6--47 हैक्टेयर
4.	श्री उस्मान खाँ (भाई)	3--23 हैक्टेयर
5.	श्रीमती तमन्ना (पत्नि)	2--70 हैक्टेयर
6.	श्री मोहम्मद फारुक (भाई)	3--04 हैक्टेयर
7.	श्री साबिर खाँ (भाई)	4--42 हैक्टेयर
		63--32 हैक्टेयर

हस्ताक्षर—जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 468 की सूची

सिवाना विधान सभा क्षेत्र में संचालित निजी बसों की सूची

क्र. सं.	वाहन स्वामी का नाम व पता	वाहन संख्या	मार्ग का नाम
1.	श्री जेठू सिंह पुत्र श्री मान सिंह, जोधपुर	आरएनएस5597/1981	जोधपुर-सिवाना समदड़ी-एकीकृत वर्तमान मार्ग
2.	श्री बिठ्ठलदास पुरोहित पुत्र लालचन्द पुरोहित	आरआरक्यू2391	” ”
3.	श्री सुमेर मल पुत्र श्री रिखबचन्द, जोधपुर	आरएनएस3435	” ”
4.	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री मान सिंह, जोधपुर	आरजेक्यू3374	” ”
5.	श्री जेठूराम पुत्र श्री हरीराम व मोलाराम पुत्र श्री गोकलराम, जोधपुर	आरएसएन7536	” ”
6.	श्री पदमसिंह व धनराज पुत्र मानसिंह, जोधपुर	आरआरएम 3739	” ”
7.	श्री मोहन लाल जैन पुत्र श्री गुलाबचन्द, जोधपुर	आरएसक्यू 551	” ”
8.	मैसर्स ताराचन्द एण्ड ब्रादर्स, जोधपुर	आरएसक्यू 872	” ”
9.	श्री मिश्रीलाल पुत्र सावतराम, बालोतरा	आरएसएन 2151	बालोतरा-नरपड़ा, रमणिया, बागोड़ा, मोदरा सिवाना-भीनमाल-एकीकृत वर्तमान मार्ग
10.	श्री लिछमणराम पुत्र श्री हरजी, बालोतरा	आरएसएन 332	” ”
11.	श्री जगाराम मोची पुत्र श्री मोहन लाल, बालोतरा	आरआरएन 7121	” ”
12.	श्रीमती बज्सूदेवी पत्नी श्री परागराम- ”	आरजेवाई 9611	” ”

1	2	3	4
13.	श्री शिवदास पुत्र हेमदास, बालोतरा	आरआरक्यू 7639	बालोतरा नरपड़ा रमणिया, बागोड़ा मोदरा सिवाना-मीनमाल-एकीकृत वर्तमान मार्ग
14.	श्री रणछोड़राम पुत्र श्री जनवतराम, बालोतरा	आरजेसी 5064	,, ,,
15.	श्री मैसर्स परागसिंह हनुमान सिंह	आरजेएन 6173	,, ,,
16.	श्री मांगीलाल पुत्र श्री मालाराम, बालोतरा	आरजेआर 6663	,, ,,
17.	श्री परागराम पुत्र श्री लादूराम ,,	आरजेडडब्लू 993	,, ,,
18.	श्री धनराज पुत्र श्री तगाराम, बालोतरा	आरएनएन 2626	बालोतरा-पीपलून वाया हाउसिंगबोर्ड, आसोतरा गांवकूपावास, मेली सिवाना, वर्तमान मार्ग
19.	श्री किशोर कुमार पुत्र तगाराम ,,	आरपीए4559	,, ,,
20.	श्री हेमराज पुत्र श्री ईश्वरदास, बालोतरा	आरएसजे5473	,, ,,

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न संख्या 470 की सूची

क्र. सं.	वर्ष	नीलाम की गई वाहनों की संख्या	प्रतिवर्ष नीलामी से प्राप्त राशि	नीलामी में वाहनें खरीदने वालों की सूची
1.	1985-86	175	31,69,900.00	1. मैसर्स जैन आइरन स्क्रेप, जयपुर।
2.	1986-87	110	20,33,800.00	2. मैसर्स रमेश चन्द जैन एण्ड कम्पनी, अजमेर।
3.	1987-88	150	30,23,000.00	3. मैसर्स मनोज कुमार जैन, अजमेर।
4.	1988-89	169	46,24,200.00	4. मैसर्स अनिल कुमार जैन, अजमेर।
5.	1989-90	378	1,75,27,900.00	5. मैसर्स ताराचन्द जैन, अजमेर।
6.	1990-91 (फरवरी, 91 तक)	84	36,53,100.00	6. मैसर्स गिरनाल डिस्पोजल हाऊस, अजमेर।
				7. मैसर्स बजाज स्टील, अजमेर।
				8. मैसर्स जैन आइरन ट्रेडर्स, अजमेर।
				9. मैसर्स इन्दर सिंह विरेन्द्र कुमार, अजमेर।
				10. मैसर्स नेमीचन्द रविन्द्र कुमार, अजमेर।
				11. मैसर्स बाबू बाली ट्रेडर्स, अजमेर।
				12. मैसर्स सुरेश चन्द जैन एण्ड कम्पनी, अजमेर।
				13. मैसर्स मनीष आइरन ट्रेडर्स, अजमेर।
				14. मैसर्स ममता स्टील, अजमेर।
				15. मैसर्स महावीर आयल मिल, अजमेर
				16. मैसर्स कैलाश चन्द जैन, अजमेर।
				17. मैसर्स पूरण चन्द जैन, अजमेर।
				18. मैसर्स जय एग्रीको इण्डस्ट्री, अजमेर
				19. मैसर्स भाग चन्द जैन, अजमेर
				20. मैसर्स उदय चन्द जैन, अजमेर।

परिशिष्ट--16

अतारांकित प्रश्न संख्या 473 की सूची

वर्ष 1990-91 (फरवरी 91 तक)

1.	कार्यरत वाहनें	परिवहन निगम		2828
		अनुबंधित		90
		योग		2918
2.	क्षतिग्रस्त वाहनों की संख्या			
	1. जयपुर संभाग	5		
	2. उदयपुर संभाग	1		
	3. जोधपुर	1		
	4. बीकानेर	2		
	5. अजमेर	3		
	6. भरतपुर	1		
	7. केन्द्रीय कार्यशाला अजमेर	7		
	8. सीकर	4		
	9. कोटा	3		
	योग	27		27
3.	सामयिक मरम्मत एवं रखरखाव अधीन ऑफरोड वाहनें।			253
		कुल वाहनों की संख्या		3198

राजस्थान परिवहन निगम जयपुर

क्र. सं.	नाम पद	कार्यरत की संख्या	क्र.सं.	नाम पद	कार्यरत की संख्या
1	2	3	1	2	3
1.	अध्यक्ष	1	29.	कनिष्ठ अभियन्ता (निर्माण)	3
2.	प्रबन्ध संचालक	1	30.	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	1
3.	कार्यकारी निदेशक	2	31.	भण्डार अधिकारी	2
4.	मुख्य लेखाधिकारी एवं वित्तीय सलाहकार	1	32.	क्रय अधिकारी	3
5.	महा प्रबन्धक	5	33.	भण्डार अधीक्षक	9
6.	उप महा प्रबन्धक/कार्य व्यवस्थापक	14	34.	सहायक सांख्यिकी	12
7.	कार्मिक अधिकारी	1	35.	श्रम निरीक्षक	10
8.	सहायक महा प्रबन्धक	2	36.	विधि सहायक	13
9.	संभाग यांत्रिक अभियन्ता	12	37.	लेखाकार	133
10.	सम्भाग प्रबन्धक	8	38.	निजी सहायक	28
11.	लेखाधिकारी	9	39.	कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक	428
12.	भण्डार नियन्त्रक	–	40.	कनिष्ठ लेखाकार	279
13.	अधिशाषी अभियन्ता	1	41.	टी0 पी0 मानीटर	1
14.	सचिव निगम	1	42.	टेलीफोन मानीटर	1
15.	निजी सचिव	2	43.	कनिष्ठ लिपिक	1145
16.	सहायक संभाग प्रबन्धक	32	44.	टेलीफोन आपरेटर	3
17.	सहायक अभियन्ता (नि.)	5	45.	टी0 पी0 आपरेटर	9
18.	आगार प्रबन्धक	47	46.	संगणक	169
19.	सहायक लेखाधिकारी	68	47.	शीघ्रलिपिक	21
20.	प्रशासनिक अधिकारी	25	48.	प्रारूपकार ग्रेड-I	3
21.	कार्यालय अधीक्षक	30	49.	प्रारूपकार (यांत्रिक)	2
22.	श्रम कल्याण अधिकारी	4	50.	सुरक्षा निरीक्षक	1
23.	सांख्यिकी	3	51.	भण्डार निरीक्षक	20
24.	वरिष्ठ निजी सहायक	12	52.	वृत्त निरीक्षक (सतर्कता)	1
25.	सहायक सुरक्षा अधिकारी	1	53.	उप निरीक्षक	2
26.	जन सम्पर्क अधिकारी	1	54.	प्रेस अधीक्षक	1
27.	सहायक यांत्रिक अभियन्ता	41	55.	सुरक्षा प्रहरी	300
28.	कनिष्ठ अभियन्ता ग्रेड-अ/वरिष्ठ कार्यदेशक	38	56.	भौतिक सत्यापनकर्ता	5
			57.	सहायक आगार प्रबन्धक/यातायात निरीक्षक	182

1	2	3
58.	स. याता. निरीक्षक/स्थान प्रभारी	368
59.	सहायक वास्तुविद्	1
60.	कम्पाउण्डर ग्रेड-III	1
61.	वाहन निरीक्षक	15
62.	मुख्य आरक्षी	2
63.	आरक्षी	2
64.	ट्रेसर	2
65.	फोरमैन	1
66.	वायरमैन	3
67.	वायरमैन/हैल्पर	1
68.	रोटरी प्रेस प्रिन्टर	3
69.	सहायक यांत्रिक (उत्पादन)	1
70.	पेन्टर	2
71.	स्टिचिंग मशीन आपरेटर	4
72.	कुक	1
73.	कम्पोजिटर	4
74.	ड्राइविंग इन्सटेक्टर	1
75.	मैके. कम आटो.	1
76.	उप भण्डार निरीक्षक	138
77.	स्टोर कीपर	16
78.	स्टाफ कार चालक	48
79.	पत्रक वितरक/अड्डा परिचालक	2201
80.	परिचालक	7384
81.	चालक	5600
82.	च. श्रे. क./जमादार/वाटरमैन	678
83.	मशीनमैन	3
84.	बागवान	4
85.	स्वीपर	176
86.	बायलर अटेन्डेन्ट ग्रेड-1	1
87.	बायलर अटेन्डेन्ट ग्रेड-2	3
88.	कारपेन्टर	1
89.	मेसन	1
90.	चौकीदार	46
91.	बाइन्डर	2
92.	पैकर	2
93.	चैकर कम पेकर	13
94.	साइकिल सवार	8
95.	पोर्टर	1
96.	मुख्य सुरक्षा प्रहरी	45
97.	कनिष्ठ अभियन्ता-ग्रेड बी	315
98.	आर्टीशियन ग्रेड-I	1147
99.	आर्टीशियन ग्रेड-II	1511
100.	आर्टीशियन ग्रेड-III	1148
101.	डीजल ब्वाय	31
102.	स्टोर (आर एण्ड डी हैल्पर)	3

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न संख्या 479 की सूची

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 से प्रभावित भूमि का सब-रजिस्ट्रार अजमेर द्वारा विक्रय पत्र की रजिस्ट्री करने के सम्बन्ध में एक बैठक श्री पी. एन. भण्डारी, शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 20-12-1989 को आयोजित की गयी थी। इस बैठक में निम्न अधिकारियों ने भाग लिया :—

(1) श्री पी के. गर्ग निदेशक, नगर भूमि एवं भवन कर विभाग, राजस्थान जयपुर।

(2) श्री आर. के. मीणा, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर।

(3) श्री राकेश वर्मा, उप शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग।

(4) श्री जी. पी. मथुरा (द्वितीय) नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।

(5) श्री एस. एन. व्यास, सक्षम अधिकारी (प्रथम), नगर भूमि विभाग जयपुर।

(6) श्री वाई. नाथ, सक्षम अधिकारी, नगर भूमि सीमा विभाग, अजमेर।

(7) श्री एस. सी. जैन, उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास एवं आवासन।

(8) श्री एस. एस. राकावत, सब रजिस्ट्रार, अजमेर।

सक्षम अधिकारी, अजमेर ने बताया कि नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम से प्रभावित भूमि काफी तादाद में विक्रय की जा रही है तथा क्रेता के झूठे घोषणा पत्र पर सब रजिस्ट्रार द्वारा विक्रय पत्र की रजिस्ट्री कर दी जाती है जो आपत्तिजनक है। गत 15 महीने में सब रजिस्ट्रार ने ऐसी 2801 रजिस्ट्रियां की हैं और इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी है। इस प्रकार के बेचान नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, 1976 के प्रावधान के विपरीत है। अतः ऐसे गलत घोषणा पत्र पर सब रजिस्ट्रार द्वारा विक्रय पत्र की जो रजिस्ट्रियां की जा रही है उसको रोका जाना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि क्रेता द्वारा दी गयी पावर ऑफ एटोर्नी के आधार पर ऐसी रजिस्ट्री हो रही है परन्तु पावर ऑफ एटोर्नी की प्रति संलग्न नहीं की जाती है। सक्षम अधिकारी ने यह भी बताया कि खाली भूमि पर व्यक्तियों द्वारा यह गलत घोषणा की जाती है कि इस भूमि पर मकान बने हुए हैं एवं मकान की आड़ में सब रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी भूमियों की रजिस्ट्री की जा रही है। विचार विमर्श के पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये :—

(1) नगर भूमि अधिकतम सीमा से प्रभावित भूमि की सूची सक्षम अधिकारी अजमेर द्वारा सब-रजिस्ट्रार को भेजी हुई है। अतः विक्रय पत्र की रजिस्ट्री करने के

218

पूर्व सब-रजिस्ट्रार द्वारा यह चैक किया जायेगा कि जिस भूमि की रजिस्ट्री की जा रही है वह उस सूची में है या नहीं, तथा यह भूमि सीलिंग से प्रभावित है या नहीं। यदि भूमि सीलिंग से प्रभावित है तो सब-रजिस्ट्रार द्वारा उसके विक्रय पत्र की रजिस्ट्री नहीं की जावेगी। सक्षम अधिकारी ने जो सूची सब-रजिस्ट्रार को भेजी हुई है वह पूर्ण है एवं इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी मामले में सब-रजिस्ट्रार को शंका है तो उस बाबत स्पष्टीकरण सक्षम अधिकारी से मांगा जा सकता है। यदि सक्षम अधिकारी द्वारा 30 दिवस में उत्तर नहीं भेजा जायेगा तो सब-रजिस्ट्रार द्वारा यह मान लिया जावेगा कि भूमि सीलिंग से प्रभावित नहीं है।

(2) सब रजिस्ट्रार के समक्ष गलत घोषणा करने पर विक्रय पत्र की रजिस्ट्री की जा चुकी है उन मामलों में गलत घोषणा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 82 के तहत फौजदारी कार्यवाही सब रजिस्ट्रार द्वारा की जावेगी न कि सक्षम अधिकारी द्वारा विशेषकर गलत घोषणा करने वालों के खिलाफ उप पंजीयक द्वारा तत्काल कानूनी कार्यवाही की जावे। इसके साथ-साथ सक्षम अधिकारी द्वारा भी नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम की धारा 38 के तहत जिन व्यक्तियों ने सीलिंग अधिनियम की अवहेलना की है उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

(3) पावर ऑफ एटोर्नी के आधार पर जिन विक्रय पत्रों की सब रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री की जाती है उसमें सब रजिस्ट्रार यह देखेंगे कि पावर ऑफ एटोर्नी की प्रति विक्रय पत्र के साथ लगी हुई है।

(4) अजमेर नगर के मास्टर प्लान में जो कृषि भूमि ग्रीनबैल्ट हेतु दर्शायी गयी है यदि उसके बेचान की रजिस्ट्री की जाती है तो उसके लिए सक्षम अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में सब रजिस्ट्रार को नगर नियोजन विभाग की राय लेकर रजिस्ट्री करनी चाहिये। इस प्रकार पंजीकृत दस्तावेजात की सूची हर 15 दिवस में सी. ए. अजमेर को भेजें।

(5) जिला कलक्टर, अजमेर की अध्यक्षता में दिनांक 24-4-1989 को जो बैठक हुई थी, इसमें भी निर्णय विरूद्ध रजिस्ट्रियां होने पर चिन्ता व्यक्त की गई थी तथा उन्हें रोकने के लिए कई कदम सुझाये गए परन्तु इन पर गंभीरता से कार्यवाही नहीं की गई है। अतः अब तत्परता से उन निर्णयों की क्रियान्विति की जावें।

(6) जिस भूमि पर मकान बने हुए है और मकान के आधार पर भूमि की जो रजिस्ट्री करायी जाती है उसमें सब रजिस्ट्रार को यह देखना चाहिए कि विक्रय पत्र

के साथ लोकल ऑथोरिटी द्वारा उस भवन का मानचित्र अनुमोदित है या नहीं। अनुमोदित मानचित्र की प्रतिलिपि साथ होनी चाहिए तथा मकान का पूर्ण विवरण होना चाहिए ताकि मकान की स्थिति की जानकारी हो सकें।

(7) सब रजिस्ट्रार द्वारा जो रजिस्ट्री की जायेगी ऐसी रजिस्ट्री की सूची हर 15 दिवस में सब रजिस्ट्रार सक्षम अधिकारी को भेजेंगे ताकि वह जांच कर सके कि किसी मामले में सीलिंग अधिनियम की अवहेलना तो नहीं हुई है।

(8) यदि सक्षम अधिकारी द्वारा सब रजिस्ट्रार कार्यालय से कोई जानकारी चाही जावे तो यह उन्हें दी जावें इसके लिए सक्षम अधिकारी के कार्यालय का कोई कर्मचारी सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में आकर सूचना मांगे तो सूचना उन्हें उपलब्ध करायी जायें तथा रिकार्ड उन्हें दिखाया जावें।

ह./—
(पी. एन. भण्डारी)
शासन सचिव

परिशिष्ट--18

अतारांकित प्रश्न संख्या 480 की सूची

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नियुक्त कार्यकर्त्ताओं की सूची

क्र सं.	आंगनबाडी केन्द्र का नाम	नियुक्त कार्यकर्त्ता का नाम	क्र. सं.	आंगनबाडी केन्द्र का नाम	नियुक्त कार्यकर्त्ता का नाम
1	2	3	1	2	3
1.	मिलवाड़ी	द्रोपदी बाई	27.	पीपलोद	राधा शर्मा
2.	कन्जी	गीता बाई	28.	दित्या खेडी	सुमित्रा
3.	पीपल्या	प्रेमलता	29.	चन्दलाई	हेमन्त बाई
4.	गुराडियाझाला	मणी देवी	30.	बंजारी	सरस्वती देवी
5.	राजपुरा	शकुन्तला	31.	दुर्गपुरा	विद्यादेवी
6.	शामियां	शेरबानो	32.	वृन्दावन	नाजमा बेगम
7.	श्री छतरपुर	प्रीति	33.	झिरनिया	नीरा सिन्हा
8.	बुडनपुर	शान्ती बाई	34.	माल	कैलाश बाई
9.	गणेशपुरा	विमला बाई	35.	खोखन्दा	कैलाश बाई
10.	ताल	सोहन बाई	36.	गोविन्दपुरा	शशि कला
11.	घटोद	गिरजा कुमारी	37.	खैरासी	आशा जैन
12.	राम निवास	ललिता देवी	38.	भवरासा	मगला शर्मा
13	मुसडी	शारदा	39.	गिरधरपुरा I	अन्जू शर्मा
14.	गरनावद	सूरज बाई	40.	खानपुरिया	भारती देवी
15.	मिश्रोली-I	गायत्री बाई	41.	उण्डल	कृष्णादेवी
16.	मिश्रोली-II	प्रेमलता	42.	रलायता	प्रतिभा
17.	नाहरगट्टा	अनुसूईया	43.	निमोदा	सरोजबाई
18.	लीलवा	रामकन्या	44.	डोडा	दुर्गा बाई
19.	भैसानी	कला देवी	45.	जरेल	राजेश बाई
20.	बाजपुरा	गीताबाई	46.	टोलखेड़ा	चन्द्रकला
21.	गुरड़िया मर्त्ता	पुष्पा पोरवाल	47.	ढाबड़ी कला	राधा कुमारी
22.	खोती	द्रोपदी देवी	48.	बोरदा	रेखा बाई
23.	तीतरवासा	सन्तोष कुमारी	49.	झूमकी	शोभा बाई
24.	तीतरी	अन्जना कुमारी	50.	माडा	गायत्री
25.	बिरीया खेडी	कला माँगी बाई	51.	रुण्डलाव	रेखा शर्मा
26.	सेमली	पुष्पलता	52.	बावड़ी खेड़ा	गीता बाई

1	2	3	1	2	3
53.	सीताफल	इन्द्रा देवी	73.	भीतापुर	रुकमणी बाई
54.	देवरी	सुमित्रा बाई	74.	मोडी	गिरवा बाई
55.	समराई	मान कंवर	75.	इकतासा	बदाम बाई
56.	बूड मण्डावर	उमा शर्मा	76.	आकोदिया	लिकोतमा
57.	चंगेरी	तारावती	77.	तेलिया खेड़ी	ममता मिश्रा
58.	चूनामाटी	हेमलता	78.	गादिया गुण्ड	प्रेमलता
59.	परथीपुरा	राजदुलारी	79.	कपारेल	लक्ष्मी बाई
60.	भीलवाड़ा	मन्जू	80.	मण्डावर I	सन्तोष बाई
61.	मोतीपुरा	मनोरमा	81.	मुण्डेरी	भारती
62.	कनवाड़ा	सन्तोष	82.	कोलाना	निर्मला
63.	नादिया खेड़ी	गीता बाई	83.	बड़ोदिया	उषा देवी
64.	सलोदिया	जुगल किशोरी	84.	आनन्दा	भंवरी बाई
65.	नाहरसिंह	सन्तोष बाई	85.	खण्डेला	मोहन बाई
66.	सिघानिया	लाड कुंवर	86.	नया गांव	शशिकला सोनी
67.	उरमाल	कमला देवी	87.	डूंगर गांव I	कमला बाई
68.	असनावर I	मनोरमा	88.	डूंगर गांव II	जानकी बाई
69.	असनावर II	सन्तोष	89.	गागरोल	तेज कंवर
70.	असनावर III	सुश्री दुर्गा	90.	नोलावा	लक्ष्मी चन्द्रावत
71.	जुनाखेड़ा	कौशल्या बाई	91.	मण्डावर–I	चन्द्रकला
72.	गांवड़ी	रुकमणी बाई			

राजस्थान सरकार
महिला और बाल विकास विभाग
पोषाहार वितरण की स्केल

क्र. सं.	नाम खाद्य सामग्री	0 – 6 वर्ष के बच्चे		0 – 6 वर्ष के बच्चे, अति–कुपोषित बच्चे एवं गर्भवती व दूध पिलाती मातायें	
		पैसे दलिया	मात्रा (ग्राम) दलिया	पैसे (दलिया)	मात्रा (ग्राम) दलिया
1	2	3	4	5	6
1.	गेहूं	23	95	39	160
2.	दाल	09	10	18	20
3.	तेल	17	10	17	10
4.	गुड/नमक	07	स्वाद के अनुसार	07	स्वाद के अनुसार
5.	ईंधन	05	—	05	—
6.	परिवहन	02	—	02	—
7.	पिसाई	02	—	02	—
	योग :–	65		90	

परिशिष्ट—19

अतारांकित प्रश्न संख्या 481 की सूची

राजस्थान सरकार
महिला और बाल विकास विभाग

स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र

आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत नहीं है :—

क्र.सं.	केन्द्र	क्र. सं.	केन्द्र
1	2	1	2
1.	घाटोली	2.	हतोना
3.	मनोहरपुरा	4.	मटवाड़ा
5.	मुकन्दपुरा	6.	ईसरपुरा
7.	कंवरपुरा	8.	गुठाला
9.	खेड़ली	10.	कोटड़ी
11.	सांडया खेड़ी	12	देवली कला
13.	बोरड़ी	14.	अश्लोई
15.	खेड़ा रुधा	16.	पावा
17.	आलोद	18.	नीमोदा
19.	मवासा	20	फाणदा
21.	चेचट	22.	मोलू
23.	घाघपुरा	24.	पिपल्दा
25.	कमलपुरा	26.	कूकड़ा खुर्द
27.	गणेशपुरा कला	28.	बड़ोदिया कला
29.	सालेड़ा कला	30.	राई खेड़ा
31.	चन्दपुरा	32.	सालेड़ा खुर्द
33.	रींछी	34.	खनि
35.	बोरीना	36.	हाथिया खेड़ी
37.	मदनपुरा	38.	रघुनाथपुरा
39.	धाक्या	40.	राजू खेड़ा
41.	बुधवान	42.	गून्डी
43.	सोहन खेड़ा	44.	मोड़क
45.	उदपुरा	46.	असकली
47.	असकली	48.	सहरावदा

224

1	2	1	2
49.	मानपुरा	50.	हिरया खेड़ी
51.	चोसला	52.	दुहनिया
53.	निमाना	54.	खीमच
55.	पीपा खेड़ी	56.	अंतरालिया
57.	कल्या कुई	58.	पामा खेड़ी
59.	कुटक्या	60.	सलावद खुर्द,
61.	झालरा	62.	बड़ोदिया खुर्द
63.	बीड़ मंडी	64.	सीतल खेड़ी
65.	मायला	66.	कुदायला
67.	खेराबाद	68.	तमोसिया
69.	सारंग खेड़ी	70.	भीमपुरा
71.	रींछडिया	72.	बुदल खेड़ी
73.	गोयन्दा	74.	मूड़िया
75.	मंड़ा	76.	मंडली
77.	रावली	78.	अमरपुरा
79.	दुर्जनपुरा	80.	लक्ष्मीपुरा
81.	अरन्या खुर्द	82.	सुरेड़ा
83.	कुम्भकोट	84.	नालोदिया
85.	देवली खुर्द	86.	मावपुरा
87.	बन्दा	88.	रण्डवा
89.	न्यामत खेड़ी	90.	घरनावद
91.	जगपुरा	92.	हेमल खेड़ी
93.	दरीपुरा	94.	जुल्मी
95.	अमृत खेड़ी	96.	कोला
97.	खलारिया	98.	उदयपुरा
99.	हनोत्या	100.	गाडिया
101.	अरन्यां कलां		

आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची जहां पर कार्यकर्त्ता कार्यरत नहीं है :—

—बाल विकास परियोजना, झालरापाटन, (झालावाड़) :—

क्र. सं. 1	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम जहां पर कार्यकर्त्ता कार्यरत नहीं है । 2	क्र. सं. 1	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम जहां पर कार्यकर्त्ता कार्यरत नहीं है । 2
1.	अरोलिया	30.	सरकन्या
2.	मेहराबाद	31.	कुण्डीखेड़ा
3.	कालिया खेड़ी	32.	हडुमतिया
4.	खोद	33.	हनुतिया
5.	गोदिया	34.	प्रथ्या खेड़ी
6.	अलावा	35.	सालरीया
7.	आंवलीकला	36.	झिजनी
8.	बकानी खुर्द	37.	भान्डवी
9.	आंवली खुर्द	38.	मोगरा
10.	सूलियां	39.	नलखेड़ी
11.	गंगापुर	40.	मोयांखेड़ी
12.	चोरखेड़ी	41.	कोटड़ा
13.	मिश्रोली–III	42.	कालित बाई
14.	आकिया	43.	धनवास
15.	सांगड़िया	44.	रामपुर
16.	आंकखेड़ी	45.	लुहारीय ढाणी
17.	गुराड़िया जोगा–I	46.	गिरधरपुरा–II
18.	,, –II	47.	बाली
19.	,, –III	48.	बीन्दा
20.	देवरिया	49.	श्यामपुरा
21.	मोरड़ा	50.	जगन्नाथपुरी
22.	सरोद–I	51.	वादिया
23.	,, -II	52.	गडारी
24.	,, -III	53.	कलमण्डी खुर्द
25.	गुराड़िया माना	54.	मेहसर
26.	नारायण खेड़ा	55.	पनवासा
27.	पालिया खेड़ी	56.	ठुणनी
28.	गुडा	57.	केचनी
29.	कोयला	58.	बडबेला

1	2	1	2
59.	रामढ़ी	67.	टोडीसोपपुर
60.	गोरधनपुरा	68.	प्रेमपुरा
61.	धनोदा	69.	कन्हापुरा
62.	कंवरपुरा	70.	खण्डार
63.	गादिया मेर	71.	निपानिया ऊंचा
64.	लावासल	72.	कुआ भाप
65.	ढाबली	73.	मंगाल
66.	बादिया गोरधपुरा	74.	कलमड़ी

आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची जहां पर कार्यकर्ता कार्यरत नहीं है :—

क्र. सं.	नाम परियोजना		आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम जहां पर कार्यकर्ता कार्यरत नहीं है ।
1	2		3
1.	हिण्डौन (सवाईमाधोपुर)	1.	सूरोठ
2.	खण्डार ,,	1.	सावटा
		2.	पाचोलाभ-II
3.	केशोरायपाटन (बून्दी)	1.	बूढ़िया
		2.	हरिपुरा
		3.	समदपुरिया
		4.	इन्द्र पुरिया
		5.	मण्डगवार
		6.	रड़ी
		7.	लाखेरी ग्रामीण
		8.	चड़ी
		9.	पादड़ा
		10.	रंगपुरिया
		11.	चहींचा
		12.	नीमोठा

227

शुद्धि पत्र

क्र. सं.	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	64	फोलियो	1990	1991
2.	269	फोलियो	र्चमा	मार्च
3.	330	पृष्ठ संख्या	230	330